NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 23/4/2002

(खण्ड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)

अंक 12, शनिवार, 16 मार्च, 2002/25 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
याचिका समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन . . .	1
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
घरेलू एल.पी.जी. की कीमतों में संशोधन	
श्री राम नाईक . . .	1-6
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	6-9
नियम 377 के अधीन मामले . . .	10-18
(एक) गुजरात में पालनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरांचल एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	10
(दो) गुजरात में बांसजालिया और राजकोट के बीच नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. जे. जावीया . .	10-11
(तीन) कंजूर मार्ग जंक्शन पर उपरिपुल के शीघ्र निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय की भूमि मुम्बई नगरपालिका निगम को सौंपे जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया . . .	11
(चार) गुजरात में उधना—बारदोली और भुसावल रेल सेक्टर के विद्युतीकरण तथा रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल . .	11-12
(पांच) गुजरात में अंकलेश्वर—झगड़िया—राजपीपला और कोसम्बा—उमरपाड़ा रेल लाइनों पर पुनः रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा . . .	12
(छह) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कटंगी और तिरोड़ी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	12-13
(सात) स्वास्थ्य क्षेत्र में पी एच आर डी विश्व बैंक अनुदान का उपयोग करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	13

विषय	कॉलम
(आठ) दक्षिण कर्नाटक में उदुपी को पृथक जिला दूरसंचार केन्द्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विनय कुमार सोराके	13-14
(नौ) निजी हेलीकाप्टरों और छोटे विमानों में हवाई सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया	14-15
(दस) कर्नाटक में बागलकोट को एक पृथक दूरसंचार जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. एस. पाटिल	15
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्मराज सिंह पटेल	15-16
(बारह) महाराष्ट्र में बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नन्दन सेगा रेलवे स्टेशन पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	16
(तेरह) उड़ीसा में कटक के बाराबती किले में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	16-17
(चौदह) सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर राज्य में एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ बूथ चलाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री भान सिंह भौरा	17-18
(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य	18
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री अजय चक्रवर्ती	19-23
श्री ई. पोन्नुस्वामी	23-28
श्री एस. बंगरप्पा	28-33
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	33-41
श्री रामजीलाल सुमन	41-48

विषय	कॉलम
श्री एच. डी. देवगौड़ा	48-55
श्री रामजीवन सिंह	55-59
श्री ए. सी. जोस	59-66
श्री थावरचन्द गेहलोत	66-75
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार	75-80
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	80-83
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	83-88
श्री दलित इजिलमलाई	88-90
डा. सी. कृष्णन	90-92
श्रीमती रेणूका चौधरी	92-97
श्री रामदास आठवले	97-99
श्री सुकदेव पासवान	99-101
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	101-104
श्रीमती रेनु कुमारी	104-107
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	107-116
नियम 193 के अधीन चर्चा	
अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति	116-214
श्री एस. जयपाल रेड्डी	117-126
श्री खारबेल स्वाइं.	126-133
श्री सोमनाथ चटर्जी	133-150
श्री अरूण जेटली	150-169
श्री के. येरननायडू	169-172
श्री रामजीलाल सुमन	172-174
कुमारी ममता बनर्जी	174-179
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	179-185

विषय	कॉलम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	185-189
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	189-193
श्री प्रभुनाथ सिंह	193-195
श्री प्रबोध पण्डा	195-197
श्री जी. एम. बनातवाला	198-201
श्री ए. कृष्णास्वामी	201-203
श्री मोहन रावले	203-210
श्री रामदास आठवले	210-211
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	211-214
प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक	216-219
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बसुदेव आचार्य	216
प्रो. रीता वर्मा	216-218
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	218-219
खंड 2 से 7 और 1	219
पारित करने के लिए प्रस्ताव	219
पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक	219-222
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बसुदेव आचार्य	219
श्री उमर अब्दुल्ला	219-221
खंड 2, 3 और 1	221
पारित करने के लिए प्रस्ताव	222

लोक सभा

शनिवार, 16 मार्च, 2002/25 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

याचिका समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

घरेलू एल.पी.जी. की कीमतों में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी, 2002 को अपने बजट भाषण में इस सम्माननीय सदन में डीजल की खुदरा कीमतों में लगभग 50 पैसे प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की थी। घरेलू एल. पी. जी. की खुदरा कीमत में प्रति सिलेण्डर लगभग 40 रुपए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल की कीमत में लगभग 1.50 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की भी घोषणा की गई थी। कीमतों में ये परिवर्तन तेल कम्पनियों द्वारा 1 मार्च, 2002 से अमल में लाये गए हैं।

उपभोक्ता कीमतों में संशोधन के बाद जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राजनैतिक दलों और उपभोक्ता ग्रुपों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने घरेलू एल. पी. जी. की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर पड़े बोझ को कम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अब घरेलू एल. पी. जी. की खुदरा बिक्री कीमत को 20 रुपए प्रति सिलेण्डर तक घटाने का निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, सभी राजनीतिक दल कीमतों में वृद्धि वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इससे खाना बनाने के लिए रसोई गैस का प्रयोग करने वाले 6.3 करोड़ शहरी और ग्रामीण घरों को लाभ प्राप्त होगा। कीमतों में कमी 16/17 मार्च, 2002 की मध्य रात्रि से लागू होगी।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले कुछ सप्ताहों से तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ब्रेण्ट कच्चे तेल की कीमतें जो फरवरी, 2002 के अंतिम सप्ताह में 20 डालर प्रति बैरल थीं अब 23 डालर प्रति बैरल से अधिक हैं। पिछले तीन सप्ताहों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खाना पकाने के लिए एल. पी. जी. का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के विचार से कीमतों में कमी करने का निर्णय लिया, जिसकी घोषणा मैंने अभी अभी की है। कीमतों में इस कमी से वर्ष 2002–2003 के दौरान राजसहायता का बोझ लगभग 700 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5197/2002)

श्री के. येरननायडू : हम रसोई गैस और केरोसीन की कीमतों की वृद्धि को वापस कराना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, माननीय मंत्री ने वक्तव्य दे दिया है।

श्री के. येरननायडू : मैं वक्तव्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। मैं अपनी तेलगू देशम पार्टी की ओर से निवेदन कर रहा हूं। कृपया मुझे दो मिनट दीजिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। हमारी इस सभा में, वक्तव्य दिए जाने के बाद स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं है। आप मेरी अनुमति के बिना स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे। मंत्री जी ने मेरी अनुमति ले ली है और उन्होंने वक्तव्य दे दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैंने बोलने के लिए श्री बंसल का नाम पुकारा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : केवल 20 रुपए की कमी क्यों की गई है? जितने रुपए बढ़ाए गए हैं वह पूरे वापस क्यों नहीं किए गए? हमें माननीय मंत्री जी का उत्तर चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, क्या आप चाहते हैं कि उन्होंने यह जो 20 रुपए कम किए हैं वे इसे भी वापस ले लें?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे पूरे के पूरे 40 रुपए वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। अब श्री बंसल बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : रसोई गैस और केरोसीन के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, जब सामान्य बजट आए तब आप इस पर बोल सकते हैं। हमने मंगलवार को चर्चा के लिए सामान्य बजट रखा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है। मैं आपको कोई स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं देता हूं। उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। इन्होंने इस सरकार को सत्ता में बनाए रखा है। घटक दलों का क्या दृष्टिकोण है? हम यह जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, अब आपको अनुमति देने का कोई नियम नहीं है। आपको यह पता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री के. येरननायडू : मैं एक निवेदन कर रहा हूं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब वक्तव्य दे दिया गया तो दे दिया गया। हम सामान्य बजट पर चर्चा करने वाले हैं। यदि किसी को कुछ कहना है तो वह उस समय कह सकता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : येरननायडू जी, यदि आप कोई निवेदन करते हैं तो उन्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी या वक्तव्य देना पड़ेगा।

श्री के. येरननायडू : खैर, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने अभी-अभी वक्तव्य दिया है। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रसोई गैस और केरोसीन गरीब आदमी के उपभोग की चीज है। पेट्रोलियम मंत्री ने पहले ही देश के सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख दिए हैं जिनमें उनसे अपने-अपने राज्यों में 'दीपन पाठकम्' कार्यान्वित करने को कहा गया है। यही कारण है कि हमने उनसे कभी भी डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करने को नहीं कहा। हमने उनसे कभी भी रसोई गैस या केरोसीन की कीमतें बढ़ाने को नहीं कहा। सभी राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों और जनता की मांग पर विचार करते हुए उन्होंने किसी न किसी तरह 20 रुपए कम कर दिए। महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि विशेषतः रसोई गैस और केरोसीन के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। हमारा यह अनुरोध है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केरोसीन आयल और एल. पी. जी. पर जो दाम बढ़ाए गए हैं उन्हें पूरा का पूरा वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। मंत्री जी को

इसका जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)* **यह सम्पूर्ण सभा की मांग है...***(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि नायडू जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें केरोसीन आयल को भी जोड़ दिया जाए। इस देश में बिजली की समस्या है और मिट्टी के तेल से गरीब लोग जलावन का काम करते हैं। यह देश के 40 प्रतिशत लोगों से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की आधी आबादी को आज भी बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है और वह अपना काम मिट्टी के तेल से ही चलाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र यादव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मंत्री महोदय, जब आप अपना वक्तव्य पढ़कर सुनाएं तो इसे 20 रुपए प्रति सिलेण्डर पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मैंने इसे संशोधित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसे संशोधित कर लिया है और यह संशोधित पाठ है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : परंतु मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह 15 रुपए है। उन्हें इसे ठीक करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें अब संशोधन कर दिया गया है और वह इसे ठीक कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : कुछ भी परिचालित नहीं किया गया है। प्रतियां तैयार की गई थीं परंतु सदन में आते समय मंत्री अधिक उदार हो गए और उन्होंने रियायत 15 रुपए के स्थान पर 20 रुपए कर दी। इसलिए उन्होंने जो भी कहा वही अंतिम था...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उन्होंने कितनी विवेकपूर्ण उदारता दिखाई है? आपको इसे पूरी तरह वापस ले लेना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पांच रुपए अधिक जोड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : वक्तव्य पढ़ते समय भी मैंने इसे 20 रुपए पढ़ा था। मैंने इसमें संशोधन कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने जो वक्तव्य है उसमें 15 रु. प्रति सिलेण्डर की बात है। मैंने मंत्री को 20 रुपए कहते हुए सुना है और इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण चाहा था।

श्री राम नाईक : महोदय, आपने जो सुना वह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर विचार करेंगे। श्री आचार्य सदन का समय बर्बाद नहीं करें। अब यह मामला निपट चुका है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 40 रुपए की पूरी वृद्धि को वापस लेने के बारे में क्या हुआ? महोदय, ये 40 रुपए, जिसकी वृद्धि की गई है को कम कर दिया जाए और यथास्थिति बनाए रखी जाए, जैसा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी द्वारा भी सुझाव दिया गया था। मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें इस मुद्दे को समाप्त करना चाहिए।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

[अनुवाद]

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
वापस लिया गया

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया था, को वापस लिए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया था, को वापस लिए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

श्री पवन कुमार बंसल इस पर आपत्ति उठाना चाहते हैं। श्री बंसल सामान्यतया हम विधेयक को वापस लेने संबंधी किसी आपत्ति को उठाने की अनुमति नहीं देते हैं। पर मैंने आपको अनुमति दे दी है। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैंने मद सं. 3 पर बोलने की अनुमति दिए जाने के लिए नोटिस दिया है।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक प्रत्यक्ष असंगति है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री बंसल आप बोलिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, पहले के वक्तव्य में एक विसंगति है। यही मामला माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के साथ भी है। पैरा 3 और 4 के बीच एक प्रत्यक्ष असंगति है। पैरा 3 में उन्होंने विधेयक में कुछ हितकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता की बात कही है, जो 1986 में पेश किया गया था। जबकि पैरा 4 में कहा गया है कि भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2002 का उद्देश्य केवल कूरियर सेवाओं के पंजीकरण के लिए प्रावधान करना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार का इरादा क्या है? क्या यह केवल एक त्रुटि है या सरकार केवल इतना ही करना चाहती है?

पुनः अंतिम पैरा में, जिसमें उन्होंने इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया है। उसमें बस यह कहा गया है कि अब प्रस्तावित संशोधन अनंतिम हैं। "अनंतिम" का अर्थ अस्थायी प्रकृति का होना है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस मुद्दे को स्पष्ट करें...*(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि सरकार को किस तरह काम करना चाहिए?...*(व्यवधान)* इस मामले को इस प्रकार हल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : मंत्री को इस त्रुटि को ठीक करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आपकी गलती में कल सुधार कर दिया गया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, अब हम अगली मद पर चर्चा कर रहे हैं,

कार्यवाही—वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मिट्टी का तेल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। आज भी देश की आधी जनसंख्या को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वह मिट्टी के तेल पर निर्भर है। इसलिए मिट्टी के तेल पर बढ़े हुए दाम वापस लेने का काम करें।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1982 सातवीं लोकसभा में पुरः स्थापित किया गया था। वह लोक सभा भंग हो गई और इस कारण विधेयक व्यपगत हुआ। वर्ष 1986 में दूसरा संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। उसे संसद की दोनों सभाओं ने पारित कर दिया था परंतु दुर्भाग्यवश यह माननीय राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त नहीं कर सका और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 111 के अधीन इसे राज्य सभा को वापस कर दिया। यह वहां पिछले 16 साल तक पड़ा रहा। अब सरकार की मंशा एक सौ वर्ष से भी अधिक पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की है।

---

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इसे कब पेश कर रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन : बहुत जल्दी, यदि आप मुझे इसे पेश करने की अनुमति दें।

जिस नए विधेयक का यहां संदर्भ दिया गया है वह बस प्रारूप मात्र है और यह विधेयक का विवरण नहीं है क्योंकि विधेयक अभी पुरःस्थापित नहीं किया गया है। यह मंत्रिमंडल के पास है और जैसे ही मंत्रिमंडल इसे अनुमोदित करेगा इसे सभा में पुरःस्थापित कर दिया जाएगा। विधेयक वापस लेने के कारणों के बारे में बताने से सदस्यों को नए विधेयक की रूपरेखा का ही पता चल सकता है। इसलिए विधेयक को वापस लेते समय सरकार स्पष्ट कर रही है कि नए विधेयक का स्वरूप किस प्रकार होने की संभावना हैं परंतु इसका अंतिम स्वरूप मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही सामने आएगा। तत्पश्चात् यह इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है यह एक व्यापक विधेयक है, निश्चित रूप से यह स्थाई समिति के पास समिति की राय के लिए जाएगा और उसके बाद हम इसे पारित करेंगे। इसलिए जो चीजें यहां बताई गई हैं उनका उद्देश्य एक रूपरेखा प्रस्तुत करना मात्र है क्योंकि जब मैं यह विधेयक पुरःस्थापित करूंगा, कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या कोई नया विधेयक लाया जा रहा है इसलिए मैं नए विधेयक की बस रूपरेखा भर प्रस्तुत कर रहा हूं। जब इस विधेयक को मंत्रिमंडल अनुमोदित कर देगा, तब मैं इसे पुरःस्थापित करूंगा। इससे पहले मुझे इस विधेयक को वापस लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा राज्यसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया था, को वापस लिए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) गुजरात में पालनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरांचल एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : महोदय, ओखा–देहरादून के बीच रेल सेवा उत्तरांचल एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। ये रेल सेवा द्वारिका एवं हरिद्वार तीर्थस्थलों को जोड़ती है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र पालनपुर से समय से पूर्व आती है। मेरे क्षेत्र में हरिद्वार तथा द्वारिका में आस्था रखने वाले बहुत तादाद में रहते हैं। अगर इसका स्टापेज पालनपुर कर दिया जाए तो मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा को ही नहीं अपितु साबरकांठा एवं बाड़मेर जैसे क्षेत्रों के तीर्थ यात्रियों को लाभ मिलेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश लोग द्वारिका एवं हरिद्वार निजी वाहनों से यात्रा करते हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तरांचल एक्सप्रेस रेल सेवा का स्टापेज पालनपुर शीघ्र बनाया जाए।

(दो) गुजरात में बांसजालिया और राजकोट के बीच नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री जी. जे. जावीया (पोरबंदर) : महोदय, मेरे मतक्षेत्र के एक पिछड़े हुए विभाग से करीब 600 गरीब लोग धंधा रोजगार के लिए राजकोट तक आते जाते हैं। कोई कच्चा माल लाने के लिए कोई पक्का माल बेचने के लिए आते जाते हैं और इस प्रकार 600–700 परिवार गुजारा चलाते हैं।

मुश्किल यह है कि इनकी ज्यादातर कमाई बस के किराए में चली जाती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रेवल्स बसों का किराया इतना ज्यादा है कि ये गरीब लोग नहीं उठा सकते।

---

*सभा–पटल पर रखे माने गए।

[श्री जी. जे. जावीया]

यदि यहां एक छोटी सी ट्रेन, जो सुबह 6 बजे बांसजालिया से चले और 11 बजे राजकोट पहुंचे और शाम को राजकोट से वापस आ जाए तो इन गरीब फेरी वालों को काफी राहतें मिलेंगी।

वहां मीटर गेज लाइन है, बाकि वहां सारी सुविधा है। पांच डिब्बे की एक छोटी सी ट्रेन आसानी से चल सकती है। रेलवे का कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। रोजगार भी कम होते जा रहे हैं।

अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि बांसजालिया तथा राजकोट के बीच रेल सेवा शीघ्र शुरू की जाए।

[अनुवाद]

(तीन) कंजूर मार्ग जंक्शन पर उपरिपुल के शीघ्र निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय की भूमि मुम्बई नगरपालिका निगम को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : रक्षा मंत्रालय का ध्यान कंजूर मार्ग जं. मुम्बई पर उपरिपुल के पूर्ण होने और निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के लिए स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में हो रहे विलंब की ओर आकर्षित किया जाता है। सिविलियन कालोनी, नेवी कंजूर मार्ग जंक्शन पर उपरिपुल के शीघ्र पूर्ण होने और निर्माण के लिए मुम्बई नगर पालिका निगम और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई भूमि आसानी से दे सकती है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

(चार) गुजरात में उधना-बारदोली और भुसावल रेल सेक्टर के विद्युतीकरण तथा रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : महोदय, दक्षिण गुजरात की सूरत उधना बारदोली एवं भुसावल रेलवे लाइन में जो रेल लाइनों का विद्युतिकरण हो रहा है, उसका कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सूरत में कई क्षेत्रों से लोग रोजगार के लिए आते जाते हैं। उनकी विद्युतीकरण से ई. एम. यू. रेल सेवा चलाने में मदद मिलेगी, उसके बाद यहां के लोगों को सूरत आने जाने में काफी सुविधा होगी और इन रेल लाइनों के सेक्टरों में यातायात समय के साथ बढ़ रहा है। दूसरी बात यहां पर एकहरी लाइन है और यातायात के बढ़ने के कारण कई सालों से इन रेल लाइन के सेक्टरों पर दोहरी लाइन बनाने हेतु मांग की जा रही। यह दोनों कार्यों की मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाना यहां के आदिवासी लोगों के लिए अत्यंत हितकर होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन रेल सेक्टरों के विद्युतीकरण की समीक्षा करके इस कार्य में तीव्र गति लाई जाए और दोहरी लाइन के कार्य को तत्काल मंजूरी दी जाए।

(पांच) गुजरात में अंकलेश्वर-झगड़िया-राजपीपला और कोसम्बा-उमरपाड़ा रेल लाइनों पर पुनः रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में 1968 में बाढ़ आई थी, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंकलेश्वर से झगड़िया होकर राजपीपला और कोसम्बा और उमरपाड़ा के बीच जो रेलवे लाइन थी, वह टूट गई थी। इस कारण इन रेलवे लाइनों पर रेल सेवा को बंद कर दिया। तब से यहां पर रेल सेवा शुरू नहीं की जा सकी। इन रेलवे लाइनों के आसपास के गांवों के लोग मजदूरी करने के लिए भरूच और अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्रों में आते जाते हैं। इन रेलवे लाइनों पर रेल सेवा न चलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और यहां का क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। इन रेलवे लाइनों पर रेल सेवा न चलने से यहां का पिछड़ापन दूर नहीं हो पा रहा है। पहले यहां पर कई सालों से रेल सेवाएं चलती थीं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों रेलवे लाइनों पर रेल सेवा जल्द से जल्द शुरू की जाए, जिससे यहां के आदिवासी लोगों को विकास के अवसर मिल सकें।

(छह) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कटंगी और तिरोड़ी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आजादी के पूर्व से कटंगी नैरोगेज रेल लाइन है। कटंगी से 14 किलोमीटर आगे बालाघाट में ही तिरोड़ी में तुमसर ब्राडगेज रेल लाइन है। ऐसी स्थिति में बालाघाट

से कटंगी तक अमान परिवर्तन का कार्य होने वाला है तब कटंगी से तिरोड़ी के बीच रिक्त स्थान में रेल लाइन बिछ जाए तो गोंदिया से बालाघाट होकर कटंगी–तिरोड़ी–तुमसर का रेल मार्ग पूरा हो जाएगा। बालाघाट जिला मुख्यालय में कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र नहीं है।

[अनुवाद]

(सात) स्वास्थ्य क्षेत्र में पी. एच. आर. डी. विश्व बैंक अनुदान का उपयोग करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव बनाने की पहल की है। राज्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर जैसे कुछ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सूचक अत्यधिक बने हुए हैं। इसने कुछ विशेषज्ञों और गैर–सरकारी संगठनों वाला कार्यबल बनाया है जिसने विशेषतः प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण अंतरालों का पता लगाया है। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अभिसारी रणनीति अपनाना चाहती है तथा इस परियोजना का आशय एक ऐसी एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की स्थापना के लिए नए दृष्टिकोण पर बल देना है जिसमें सुचारु रेफरल व्यवस्था सहित स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण सेवाएं हों। नई प्रस्तावित परियोजना अभी कार्यान्वित हो रही स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना का तर्कपूर्ण अनुसरण है। परियोजना का अनुमानित आकार 800 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तकनीकी सहायता अनुदान का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्य विभाग को पहले ही भेज दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे इसे तुरंत स्वीकृति दे दें ताकि कर्नाटक परियोजना तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता के लिए 3.17 करोड़ रुपए का पी. एच. आर. डी. विश्व बैंक अनुदान का उपयोग कर सके।

(आठ) दक्षिण कर्नाटक में उदुपी को पृथक जिला दूरसंचार केन्द्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : दक्षिण कर्नाटक में मेरे जिले और निर्वाचन क्षेत्र उदुपी ने दूरसंचार सेवाओं के विकास में तीव्र प्रगति का है। तत्कालीन दक्षिण कन्नड़ जिले का विभाजन मंगलोर और उदुपी में हो जाने के पश्चात् भी अनेक लोक उपभोग सेवाओं के जिला कार्यालय अभी भी मंगलोर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार उदुपी अभी भी मंगलोर में चल रहे जिला दूर संचार कार्यालय के अधीन आता है।

उदुपी जिले में बहुत से वाणिज्यिक, धार्मिक और शिक्षा केन्द्र हैं और यहां की बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मणिपाल को आयुर्विज्ञान शिक्षा, चिकित्सा और बैंकिंग का महत्त्वपूर्ण केन्द्र माना जाता है।

उदुपी में दूर संचार सुविधाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि मंगलोर जिला दूरसंचार व्यवस्था के कार्यक्षेत्र में से बांटकर वहां एक स्वतंत्र जिला दूर संचार प्राधिकरण बनाया जाए। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मेरे जिले की दूरसंचार के क्षेत्र में हुई वृद्धि को देखते हुए वहां स्वतंत्र जिला दूरसंचार प्राधिकरण बनाने के दावे को स्वीकार करे।

(नौ) निजी हेलीकाप्टरों और छोटे विमानों में हवाई सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया (गुना) : विगत दो वर्ष में निजी हेलीकाप्टरों और छोटे विमानों की दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारे देश में सावधानीपूर्वक बनाए गए नेताओं को खोने की जोखिम है जोकि दुआओं पर ही विमानों में यात्रा करते हैं। इससे उड़ान सुरक्षा विनियमों और पायलटों, मशीनों और उनके अनुरक्षण की त्रुटियों का प्रश्न उठता है।

इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष, श्री सुनील अरोड़ा के अधीन छोटे विमानों के अनुरक्षण और प्रचालन की प्रणाली और प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात् निष्कर्षों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया था। वास्तविकता यह है कि जांच समितियां बिना किसी वांछित प्रभाव के गठित की जाती हैं और जीवन–हानि लगातार हो रही है। यदि हमें सुरक्षित हवाई यात्रा की तरफ कदम बढ़ाना है तो किसी भी विनियामक एजेंसी से पृथक राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की तरह दुर्घटना/घटना बचाव की स्वायत्त जांच एजेंसी की तुरंत आवश्यकता है।

स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं खराब मौसम, मानवीय त्रुटि, विमान पुराना होने या तकनीकी कमी के कारण होती हैं। आजकल मौसम की रिपोर्ट पायलटों को 2–3 घंटे बाद भेजी जाती है। यदि ऐसी सूचना को और दक्षतापूर्वक तथा समय से दिया जाए तो विशेषतः हेलीकाप्टरों जैसे विजुअल

[श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया]

फ्लाइट रेटेड विमानों में महत्त्वपूर्ण अंतर आ सकता है। यदि प्रौद्योगिकी की उन्नति के हिसाब से ही पायलटों को प्रशिक्षण, फेडरल एविएशन एजेंसी के मानकों के अनुसार खराब मौसम के लिए आवधिक प्रशिक्षण और अनुरक्षण पर कठोर नियंत्रण और रोक रखी जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं की सम्भावना कम हो सकती है।

माननीय नागर विमानन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इन समितियों की सिफारिशों और इनके कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में इस सभा को बताएं।

(दस) कर्नाटक में बागलकोट को एक पृथक दूरसंचार जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. एस. पाटिल (बागलकोट) : कर्नाटक में बागलकोट जिले में लगाए गए टेलीफोन बीजापुर जिले के अन्तर्गत आते हैं। महोदय, अब राज्य में बागलकोट पृथक राज्य है। केन्द्र और राज्य दोनों को ही इस नए राज्य के विकास के लिए और अधिक निधियां आवंटित करनी होंगी। दरअसल पहले हमने माननीय संचार मंत्री जी को पत्र लिखकर बागलकोट जिले को पृथक दूरसंचार जिला बनाने का अनुरोध किया था। यह एक उचित अनुरोध है तथा बीजापुर क्षेत्र के लिए अधिकांश राजस्व (दूरसंचार) बागलकोट जिले के तालुकाओं से आता है। उपभोक्ताओं को भी अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें छोटे से काम के लिए भी बीजापुर तक जाना पड़ता है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता बिल जमा करने जैसे कामों के लिए बीजापुर जाने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमारे बार–बार अनुरोध करने के बावजूद बागलकोट में एक लेखा अधिकारी बिठाकर लेखा कार्यालय भी आज तक स्थापित नहीं किया गया है। अतः बागलकोट को एक पृथक दूरसंचार जिला बनाने की तुरंत आवश्यकता है।

अतः माननीय संचार मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि बिना और विलंब के बागलकोट को एक पृथक दूरसंचार जिला घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, हमारे फूलपुर संसदीय क्षेत्र में बहादुरपुर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले गांवों, विशेषकर लीलापुर गांव तथा जमुनीपुर कोटवा के पास कई गांवों में गंगा नदी के पानी के कटाव के कारण कृषि योग्य जमीन, गांवों की बस्तियां, खेत–खलिहान गंगा के पानी के कटाव के चपेट में आते जा रहे हैं व हजारों एकड़ जमीन खराब होती जा रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त गांवों के पास गंगा के पानी के कटाव को रोकने के लिए पक्का बांध बनाया जाए या कोई अन्य उपाय किए जाएं ताकि इस कटाव को रोका जा सके और इस क्षेत्र में लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(बारह) महाराष्ट्र में बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नन्दन सेगा रेलवे स्टेशन पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : मैं, सरकार की जानकारी में बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, (महाराष्ट्र) में नन्दन सेगा (मध्य रेलवे) पर उपरिपुल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता को लाना चाहता हूं। नन्दन सेगा केन्द्रीय रूप से स्थित एक महत्त्वपूर्ण नगर है तथा स्थानीय लोगों की इस रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल के निर्माण की मांग लम्बे समय से लम्बित चली आ रही है। सभी महत्त्वपूर्ण एक्सप्रेस/सुपर फास्ट रेलगाड़ियां यहां रुकती हैं तथा इस प्रकार इस रेलवे स्टेशन पर यात्री/माल यातायात अत्यधिक है। उक्त पुल के न होने से अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक उपरिपुल इस रेलवे स्टेशन पर यात्री/माल यातायात की आबाजाही को नियमित करने में अत्यधिक सहायक होगा। यह लोक महत्त्व का मामला है तथा सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किए जाने की आवश्यकता है। अतः यह अनुरोध है कि इस मामले पर तुरन्त विचार किया जाए।

(तेरह) उड़ीसा में कटक के बाराबती किले में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कटक का बाराबती किला उड़ीसा की विगत की शान, पराक्रम तथा बलिदान का मूक साक्षी है। उड़ीसा साम्राज्य का गढ़ राष्ट्रीय महत्त्व के कई

उतार–चढ़ावों का साक्षी रहा है जो 10वीं शताब्दी से आज तक हजारों वर्ष से अधिक अवधि का है। इस किले का इतिहास गत एक सहस्त्राब्दी का उड़ीसा का इतिहास है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने किला क्षेत्र में कुछ खुदाई की थी और यह प्रमाणित हो चुका है कि किला 10वीं शताब्दी ई. पू. से काफी पुराना है।

बाराबती किला केवल उड़िया शासकों की शक्तियों का ही गढ़ नहीं था किन्तु बाद में जब उड़ीसा को मुस्लिम शासकों द्वारा पराजित कर दिया गया था, तब भी इतने समय की रेत पर अपने पदचिह्न छोड़े हैं। इसी प्रकार मुगलों, मराठाओं तथा अंग्रेजों के समय भी यह गढ़ तना रहा। किला शानदार स्वतंत्रता संग्राम का मूक दर्शक भी रहा, जो 1807 से किले के प्राचीर पर 15 अगस्त, 1947 को तिरंगा फहराए जाने तक लगातार रहा था।

बाराबती किले के ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं, जो न केवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को कटक की ओर आकर्षित करेगा अपितु लोगों को भी उनके संघर्ष, बलिदान तथा शक्ति के बारे में भी शिक्षित करेगा।

(चौदह) सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य में एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ. बूथ चलाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : केन्द्र सरकार ने यह बताते हुए कि एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ. बूथों का आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, सुरक्षा कारणों से सम्पूर्ण जम्मू एवं कश्मीर राज्य में इन्हें चलाने की अनुमति वापस ले ली है।

किन्तु इसके विपरीत, स्वयं केन्द्र सरकार उदारवादी आधार पर व्यक्तियों/निजी मकानों को आई. एस. डी./एस. टी. डी. की सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आतंकवादियों के पास संचार के अपने चैनल हैं, जिनके माध्यम से वे संचालन करते हैं। अतः एस. टी. डी./आई. एस. डी. बूथों को बन्द करने के कारण इन बूथों से केवल संबंधित व्यक्ति, विशेष रूप से बेरोजगार युवा बेरोजगार हो जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, चूंकि व्यापार का बड़ा भाग उधार पर आधारित है, लाखों रुपयों की वसूली नहीं हो सकी क्योंकि अब बूथ नहीं चल रहे हैं।

अतः मैं सरकार का ध्यान स्थिति की समीक्षा करने तथा आवश्यक अनुमति प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, ताकि ये बूथ पुनः संचालित हो सकें और इनसे संबंधित युवा अपनी रोजी–रोटी कमा सकें।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार में बसी "हाटी" जनजाति में सम्मिलित सभी उपजातियों के लोग पिछले लगभग 25 वर्षों से अपने इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग शांतिप्रिय ढंग से उठा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाटी जनजाति की प्रस्तावित जातियों में वे सभी लक्षण मौजूद हैं, जिन्हें समाजशास्त्रियों, विद्वानों और विशेषज्ञों ने किसी समुदाय/जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक माना है। इनमें विशेषतः देहरादून जिले का जोंसार–बाबर क्षेत्र का जनजातीय क्षेत्र घोषित होना और गिरिपार क्षेत्र के "हाटी" जन समुदाय को इस प्रकार का दर्जा न देना इस मांग का मुख्य आधार है। इन दोनों क्षेत्रों में रहन–सहन, कला–संस्कृति, वेशभूषा, खानपान, रस्म–रिवाज, बोल–चाल और मेले त्यौहार एक दूसरे के अनुरूप हैं।

इसके अतिरिक्त "हाटी" समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़ी जनजाति है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता होने पर भी यहां कोई उद्योग नहीं है। यह मामला लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार के समाज कल्याण विभाग में लम्बित है।

मान्यवर, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने हेतु संवैधानिक संशोधन करवाने की कृपा करें।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप हमें बता सकें कि उत्तर कब दिया जाएगा तथा मतदान कब होगा, तो यह सदस्यों के लिए सुविधाजनक रहेगा कि वे उस समय सभा में उपस्थित रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने अनन्तिम रूप से अपराह्न 3.00 बजे का समय निर्धारित किया है, क्योंकि हमें अपराह्न 4.00 बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी होगी।

श्री प्रमोद महाजन : लगभग अपराह्न 3.00 बजे प्रधानमंत्री उत्तर देंगे और तत्पश्चात् मतदान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

हम कल वक्ताओं की सूची समाप्त करना चाहते थे। इसी बीच श्री पवन कुमार बंसल द्वारा एक सुझाव दिया गया था, जिसका डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा समर्थन किया गया था। यदि उन्होंने कल रात्रि 11.00 बजे तक चर्चा की होती तो चार अथवा पांच और अधिक वक्ताओं को शामिल कर लिया गया होता। अब ज्यादा वक्त नहीं है। अतः आज सभा को अपना भोजनावकाश समाप्त करना पड़ेगा। क्या इसके लिए सभा की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कल श्री अजय चक्रवर्ती बोल रहे थे। वे अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल बोलना शुरू किया था और जब सभा स्थगित हुई थी मैं अयोध्या विवाद के बारे में बोल रहा था। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि अयोध्या विवाद के संबंध में सरकार यथास्थिति बनाए रखने पर दृढ़ है और सरकार न्यायालय के आदेश को भी मानेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस सम्माननीय सभा में यही बात दोहराई थी। प्रधानमंत्री जी ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी मानेगी। किन्तु यह बताते हुए मुझे दुःख है कि उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ। भारत सरकार के महान्यायवादी श्री सोली सोराबजी उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उच्चतम न्यायालय से पूजा करने की अनुमति मांगी। हमें खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महान्यायवादी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

महान्यायवादी ने दलील दी थी कि यह उन्होंने भारत सरकार की ओर से नहीं कहा था बल्कि निजी तौर पर आग्रह किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि महान्यायवादी महाधिवक्ता या अन्य कोई सक्षम वकील अपनी मर्जी से न्यायालय के समक्ष बहस नहीं कर सकता। उन्होंने भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ही न्यायालय के समक्ष अपनी बहस की थी। इस मामले में श्री सोराब जी न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। यदि उन्होंने भारत सरकार की बात या नीति से परे कुछ कहा है तो उन्हें अपने पद से हटाया जाना चाहिए। यह अखबारों और दूसरे मीडिया में भी आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी, विधि मंत्री जी से गुप्त बैठक की और हर बात पर चर्चा की। मेरा इस सभा के समक्ष यह निवेदन है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी और विधि मंत्री जी के अनुदेशों के अनुसार बहस की थी। यह कहते हुए मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने इस सभा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गुमराह किया है।

कल अपना भाषण शुरू करते समय मैंने कहा था कि यह सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है जैसे कि कृषि, बेरोजगारी, उद्योग इत्यादि। जहां तक इसकी कृषि संबंधी नीति की बात यह है, किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। अनेक राज्यों में जिनमें उच्च तकनीक वाले राज्य भी शामिल हैं, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उर्वरकों पर इसी बजट में नहीं बल्कि पहले भी राज सहायता कम की गई है। उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है फिर भी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है।

जहां तक उद्योगों की बात है, हमारे देश के उद्योगों

के प्रति इस सरकार का क्या रवैया है? इसने विनिवेश विभाग बना दिया है। विनिवेश के नाम पर ये एक–एक कर सार्वजनिक क्षेत्र की सारी इकाइयों को निजी क्षेत्र में भेज रहे हैं।

अब यह सरकार वर्षों पूर्व जनता के पैसे से हजारों रुपए की लागत से बनाए गए सार्वजनिक क्षेत्र को ढहा रही है, मार रही है और दूसरे मार्ग पर ले जा रही है। लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भी बेची जा रही हैं, ढहाई जा रही हैं और देश का मूल ढांचा समाप्त किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने इंडियन आयरन स्टील कंपनी का उल्लेख किया था, केवल यही नहीं बल्कि सलेम स्टील, विज़ाग स्टील उद्योग और उर्वरक कारखाने भी इस सरकार द्वारा बंद किए जा रहे हैं।

पिछले चुनावों में इन्होंने अपने घोषणापत्र में कहा था कि हम बेरोजगार युवाओं के लिए एक करोड़ नौकरियां देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कहां हैं ये नौकरियां? इसके विपरित इन्होंने नौकरियां छीन ली हैं। विभिन्न उद्योगों और अन्य संस्थाओं में काम करने वाले कामगारों और कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली गई हैं। सैकड़ों उद्योग बंद किए जा रहे हैं और हजारों कामगारों की नौकरियां जा रही हैं जिससे उनकी रोजी–रोटी समाप्त हो रही है। यह है सरकार की औद्योगिक नीति।

इन्हें आम आदमी की चिन्ता नहीं है, ये जनता की उपेक्षा कर रहे हैं। इन्हें बड़े औद्योगिक घरानों की बहुत चिंता है और ये इन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं। मुझे बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि यह बजट सी. आई. आई., ऐसोचैम, फिक्की और अन्य बड़े घरानों के अनुदेशों पर बनाया गया था। ये रिलायंस, टाटा और अन्य बड़े घरानों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये इस देश की आम जनता को संतुष्ट करना नहीं चाहते।

अभी–अभी श्री राम नाईक ने इस सभा के समक्ष वक्तव्य दिया था कि सरकार रसोई गैस की कीमत में 20 रुपए कम कर रही है। हमें खुशी है कि सरकार ऐसा कर रही है। किंतु श्री येरननायडू और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने जैसा कहा है कि रसोई गैस और केरोसीन की कीमतों में जितनी वृद्धि हुई है वह पूरी वापस होनी चाहिए। केरोसीन का उपभोग गांवों, अर्ध शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोगों, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। इस सरकार ने केरोसीन की कीमत बढ़ाई है और मैं समझता हूं कि केरोसीन और रसोई गैस की कीमत में हुई वृद्धि को पूरा वापस करने की मांग बहुत ही जायज मांग है।

महोदय, सरकार की शिक्षा नीति भी इसी प्रकार है। इनका रवैया यह है कि ये देश की पूरी शिक्षा प्रणाली का ही भगवाकरण करना चाहते हैं। इन्होंने ज्योतिष, वैदिक गणित इत्यादि शुरू किया है जो न तो कला है और न विज्ञान है तथा ये देश के इतिहास और भूगोल को भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछ दिन पहले श्री प्रमोद महाजन ने इस सभा को गुमराह किया और बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र द्वारा लिखित गुरु तेग बहादुर के बारे में पाठ का अर्थ निकाला। इस पर सभा में चर्चा करने का समय मेरे पास नहीं है किंतु मैं इस सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि गुरु तेग बहादुर के बारे में श्री चंद्रा द्वारा लिखे पाठ के बारे में श्री महाजन ने जो कुछ भी कहा है वह पूर्णतः गलत है और इसका गलत अर्थ निकाला गया है।

उन्हें खुशी होगी कि श्री सतीश चन्द्र इस सभा के सदस्य नहीं हैं। यदि वह इस सम्मानित सभा के सदस्य होते तो हम श्री प्रमोद महाजन के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाते। मैं उदाहरण दे सकता हूं। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह तथ्य नहीं था। किंतु समय की कमी के कारण मैं इन सभी बातों का वर्णन नहीं कर सकता। इस तरह, यह सरकार पूरी तरह से असफल रही है।

गुजरात के बारे में कल मुझे बताया गया था कि कल भी वहां एक हत्या हुई थी। एक माननीय सदस्य के भतीजे को दंगाइयों ने मार दिया था। यह सरकार आम आदमी के हित की नहीं है। इसलिए चार राज्यों के परिणामों को देखते हुए हम आसानी से मान सकते हैं कि इन चार राज्यों ने भा. ज. पा. के नेतृत्व वाली इस एन. डी. ए. सरकार को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है।

अंत में, मैं भा. जा. पा. के नेतृत्व वाली इस एन. डी. ए. सरकार की नीति के बारे में कहना चाहता हूं। जनता बड़ी उत्सुकता से इस सरकार के गिरने का इंतजार कर रही है। यदि यह सरकार चलती रही तो देश में तनाव होने की सम्भावना है। मैं एन. डी. ए. के मित्रों और घटक दलों से आगे आने का आग्रह करता हूं। क्या आप नहीं मानते कि आपकी सरकार

[श्री अजय चक्रवर्ती]

जन विरोधी नीति अपना रही है। ये जनविरोधी नीति चला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : यही कारण है कि मैं डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं और इसका निरनुमोदन करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट की गई सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करता हूं। महोदय, डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहूं, मैं पांच या छह मिनट के लिए आपका और अपने माननीय सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल सभी लोग विस्तार से अपनी बात कह रहे थे। इस कारण हम लोग सभा की कार्यवाही समय पर समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए मैं एक तैयार सामग्री टंकित कराके लाया हूं और इसे पढ़ना चाहता हूं।

महोदय, अपने नेता डा. रामदास के त्याग के प्रति निःस्वार्थ, ईमानदारी और समर्पण के भाव से ही मैं प्रजातंत्र के इस सम्माननीय मंदिर में प्रविष्ट हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 62 वर्ष की उम्र में मैं इसका सदस्य बनूंगा और वह भी एक मंत्री के रूप में। जी हां, मेरे नेता, डा. रामदास ने अचानक मुझे राजनीति में आने के लिए मेरा आह्वान किया, तब तक मैं एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, लेखक, अनुवादक आदि था और उन्होंने मुझे संसद सदस्य और उससे भी अधिक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मंत्री बना दिया।

हमारा प्रजातंत्र एक ऐसी अद्भुत चीज है जो अमीर और गरीब, ऊंचे और निचले तबके दोनों को समान अवसर प्रदान करता है जिसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं जो आपके सामने इस सम्माननीय सभा में खड़ा है, जिसे अपने आरंभिक वर्षों में भोजन, कपड़े और पुस्तकों के बिना रहना पड़ा और जिसे अछूत कहकर समाज की मुख्यधारा से बहुत दूर रखा गया। मेरे प्रिय नेता, डा. रामदास ने मुझे पहचान दी और डा. अम्बेडकर ने मुझे आवाज दी। मेरे गैर-दलित नेता जैसे- महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और कई अन्य ने गरीब तथा कमजोर लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया।

महोदय, मैं यहां कोई उपदेश देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, बल्कि अपने माननीय सहकर्मियों से और अधिक सीखने के लिए खड़ा हुआ हूं ताकि इस सम्माननीय सभा के भीतर और बाहर स्थितियों को बेहतर करने के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकूं।

परंतु मेरे दिल में कहीं एक दर्द और अपराध बोध है कि हम अपनी कार्यवाही को समय पर पूरा करने और अपनी कार्यसूची को पूरा करने में भी सफल नहीं रहे हैं। यद्यपि हममें से हरेक ने आम लोगों की चिंता को आवाज देने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है, फिर भी मुझे संदेह है कि आप लोगों से किए गए वायदों को पूरा करते हुए क्या हम प्रतिनिधियों के रूप में नियमों और अनुशासन का पालन कर रहे हैं। वास्तव में मैं यह महसूस करता हूं कि हम इस सभा में, चाहे सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में, इस पक्ष में बैठकर अपनी बात और विपक्ष के बहुमूल्य सुझावों को सुनकर सीख सकते हैं और अपना धैर्य प्रदर्शित कर सकते हैं।

पहले सोलह महीनों में मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला है क्योंकि मैं राज्य मंत्री था और यह दूसरी बार है जब मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। जब मुझे पिछली बार बोलने का मौका मिला था मुझे दो मिनट में ही अपनी बात खत्म करनी पड़ी। दो मिनट के समय में मैं अपना भाषण पूरा नहीं कर सका। अतः इस सम्माननीय सभा से मेरा एक विनम्र निवेदन है। परिवर्तन के रूप में क्यों नहीं छोटे दलों को उनकी सदस्य संख्या के बढ़ते हुए क्रम में अपने विचार पहले रखने के लिए प्राथमिकता दी जाए न कि घटते हुए क्रम में जैसी कि वर्तमान प्रथा है? इस प्रकार हम आराम से अपनी बात रख सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं और चर्चा या वाद-विवाद के आखिरी क्षणों में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए, मैं अपना लिखित भाषण तैयार कर के लाया हूं ताकि मैं दी गई समय-सीमा के भीतर अपनी बात पूरी कर सकूं। यह मुश्किल से तीन से चार मिनट में समाप्त हो जाएगा।

मैं यह नोट कर अत्यन्त प्रसन्न हूं कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्र की भावनाओं

की प्रतिध्वनि मिलती है। भारत के सम्मुख आ रही वर्तमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उनका संकल्प और निश्चय प्रशंसनीय और सराहनीय है।

मैं भी सीमा–पार आतंकवाद की विध्वंसकारी गतिविधियों की निंदा करता हूं और सरकार को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपना पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं चाहे यह कश्मीर में हो या पूर्वोत्तर में या नेपाल में। हमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए जो आज पहले की तुलना में और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

भारत का अपना एक सांस्कृतिक चरित्र और परम्परा रही है जो हमारे बहुधर्म समाज में विविधता में एकता को प्रतिबिम्बित करती है और मैं वस्तुतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने अयोध्या में हितों के टकराव के संबंध में इस संकट की घड़ी में साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव वापिस लाने और बनाए रखने के लिए कई उपाय बताए हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने एक अयोध्या प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा की है जो इस समस्या का स्थाई और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ़ने के लिए सरकार की तत्परता को दर्शाता है। महामहिम राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर तथा नागालैण्ड में शांति प्रक्रिया में बातचीत के द्वारा समझौते की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है जिसके लिए उस क्षेत्र के विकास हेतु एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है।

महामहिम राष्ट्रपति ने आर्थिक सुधारों में और अधिक तेजी लाने और उन्हें व्यापक बनाने के लिए सरकार के संकल्प को भी व्यक्त किया है परंतु हमें आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के साथ–साथ देश में सर्वत्र गरीब लोगों की उपेक्षा की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें सम्पन्नता के बीच बढ़ती हुई गरीबी और निर्धनता की स्थिति से बचने के लिए सुरक्षोपाय करने चाहिए।

यद्यपि, भारतीय अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान निराशाजनक प्रदर्शन के कारण अधिक महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है, फिर भी एक सहयोगी वातावरण के निर्माण, विशेषकर अवसंरचनात्मक और सामाजिक क्षेत्र के विकास से परिकल्पित उच्च विकास दर संभव है।

हमारे दुर्भाग्यशाली और असहाय किसानों द्वारा 210 मिलियन टन की भरपूर फसल का उत्पादन करने से हम अर्थव्यवस्था की 5.4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। इस प्रकार तार्किक रूप से उन्होंने कृषि, जो अब तक उपेक्षित रहा है और जो भारत के भीतरी प्रदेशों में उत्पादकता, रोजगार और खाद्य पदार्थ की कुंजी है, के महत्त्व को रेखांकित किया है। मैं कृषि वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने के सरकार के कदम की सराहना करता हूं जिससे निश्चित तौर पर किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

भारतीय कृषि को पूर्व की बाधाओं से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का इरादा, गन्ना उत्पादक किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाना सुनिश्चित करना, किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना, ये सभी कृषि विकास की गति में तेजी लाने के लिए सोचे समझे उपाय हैं। अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में उभरते हुए गतिरोध की स्थिति, कृषि में फसल की पैदावार से पहले और पैदावार के बाद होने वाला नुकसान और गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर भी महामहिम राष्ट्रपति ने समुचित ध्यान दिया है।

तथापि यह और अधिक उपयुक्त होता यदि राजस्व की बिगड़ती हुई स्थिति, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) में 5.3 प्रतिशत का विशाल राजकोषीय घाटा और बढ़ता हुआ लोक ऋण और अन्य मौद्रिक समस्याओं से स्पष्ट है, की ओर भी सरकार द्वारा इशारा किया जाता।

यद्यपि हमने पिछले वर्ष दोहा में हुए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपने आर्थिक हितों की रक्षा की है फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वास्तविक लाभ भारत को मिल पाता है ताकि भारत प्रतियोगात्मक अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे में भागीदार बनने में सक्षम हो सके। कोई भी समझौता न्यायसंगत नहीं माना जाएगा यदि पश्चिमी देश अपने उद्योगों का संरक्षण जारी रखेंगे और भारत को यह उपदेश देंगे कि भारत अकेले अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त करे जिसका दोहन पश्चिमी हितों के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने अवसंरचनात्मक सुधारों और उसके परिणाम–स्वरूप दूर संचार सेवाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद् की स्थापना जैसी विभिन्न सेवाओं से जुड़ी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के

[श्री ई. पोन्नुस्वामी]

संवर्द्धन को उजागर किया है। साथ ही उन्होंने प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त करने, वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के सृजन और नई पर्यटन नीति का भी जिक्र किया है।

जब हम ग्रामीण सड़कों के निर्माण की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 1,400 गांवों में से 1,000 गांवों तक सड़क सम्पर्क नहीं है और वहां पैदल जाने लायक सड़क भी नहीं है।

यद्यपि महामहिम राष्ट्रपति ने सरकारी क्षेत्र के विनिवेश को सही रेखांकित किया है फिर भी लगता है कि सरकारी क्षेत्र में विनिवेश के परिणामों पर विशेष बल नहीं दिया गया है। विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान उभरते हुए निजी उद्योगों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के नियोजन की गारंटी दी जानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों के लिए सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र होना चाहिए। मेरा विचार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता को राष्ट्र की कीमत पर कम नहीं किया जाना चाहिए और हमें श्रमजीवी वर्ग के व्यापक विरोध और संकेतों की वास्तविकता को समझना चाहिए।

उनके भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार लाने, त्वरित निपटान न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की स्थापना करने, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां सौंपे जाने संबंधी उपाय भी अन्तर्विष्ट हैं। जनसंख्या वृद्धि की निगरानी हेतु शक्ति प्राप्त कार्रवाई समूह के सृजन, वर्ष 2002 को "अच्छी शिक्षा के वर्ष" के रूप में घोषित करने, निर्मल भारत अभियान, एक वन आयोग, "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, माइक्रो वित्तपोषण कार्यक्रम, सभी 1,14,000 जनजातीय गांवों को कवर करने संबंधी अन्न बैंक योजना के फलस्वरूप निस्संदेह रूप से लोगों का सामाजिक विकास होगा। युद्ध की विभीषिका झेल चुके अफगानिस्तान की सहायता करने के संकल्प तथा नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, रूस, चीन, दक्षिण एशियाई देशों, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीका के साथ संबंधों में सुधार लाने की सरकार की विदेश नीति की हम प्रशंसा करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पोन्नुस्वामी, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अंत में, राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के भाषण में भारत में वस्तुतः जो स्थिति है उसकी वास्तविकता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। परंतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता की फरियाद करने वाले गरीबों, पीड़ितों और दलितों से संबंधित गंभीर मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है ताकि निर्धनता की प्रक्रिया को मोड़ा जा सके। हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत का दिल गांवों में धड़कता है तथा भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास संबंधी हमारी रणनीति का मुख्य भाग गांवों का उन्नयन करना है।

महोदय, मैं राबर्ट फ्रोस्ट की एक कविता का पैरा उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं :

"वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप
माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।"
इसे नेहरू जी और हम सब ने पसंद किया है

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का कुछ मुद्दों के संदर्भ में विरोध करता हूं क्योंकि अभिभाषण में राष्ट्रीय हित से संबंधित कुछ मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कई बातों का जिक्र नहीं है। मुझे बोलने का जो समय दिया गया है, उसके अन्तर्गत मैं केवल तीन अथवा चार मुद्दों का ही उल्लेख करना चाहूंगा।

पहला मुद्दा न्यूक्लियर मिसाइल रक्षा प्रणाली से संबंधित है। दूसरा मामला विश्व व्यापार संगठन के बारे में है। तीसरा मामला धर्मनिरपेक्षता का है तथा अंतिम मुद्दा इस मंत्रालय के गठन का होगा जिसका सृजन भा. ज. पा. के नेतृत्व में संविधान के अन्तर्गत किया गया है तथा यह मुद्दा कि क्या वह राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देने में सक्षम है अथवा समाज के जरूरतमंद लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा एकता से नहीं जुड़ा है।

मैं रेलवे बजट अथवा आम बजट जैसे किसी भी विषय

पर बात नहीं कर रहा हूं। वस्तुतः, मैं अपने अन्य मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे उन मुद्दों का उल्लेख करें। जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का संबंध है, अब मैं न्यूक्लियर मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में कह रहा हूं। इस प्रणाली की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा की गई थी। परंतु उससे काफी पहले, जब श्री बिल क्लिंटन सं. रा. अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने यह बात उठाई थी। परंतु 11 सितंबर को अमेरिका के दोनों टावरों पर हुए हमले के बाद, सं. रा. अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश इस न्यूक्लियर मिसाइल रक्षा प्रणाली पर कार्य करने की जल्दी में हैं जो मेरे अनुसार विश्व शांति के लिए हानिकारक है। अनेक न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने इस विचार का विरोध किया है। वास्तव में, हमें अपने न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने पोखरण मरुस्थल में न्यूक्लियर यन्त्रों का परीक्षण किया है। परंतु इस सरकार को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। यह उपलब्धि श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों के दौरान हासिल हुई थी। वस्तुतः हमने सभी उपकरणों तथा माचिस की डिबिया को भी तैयार रखा है। गठबंधन सरकार में भा. ज. पा. के हमारे मित्रों ने उस समय जो किया, वह यह था कि उन्होंने पहले की उपलब्धि की चर्चा नहीं की। स्पष्टतः यही सब उपलब्धियां इस सरकार की रही हैं।

परंतु वस्तुतः पोखरण मरुस्थल में इस साधन के परीक्षण के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने दो उपकरणों शाहीन और गौरी का परीक्षण किया। बाद में, हमने भी अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया। हमें इसके लिए अपने न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए। परंतु संपूर्ण विश्व इस न्यूक्लियर खतरे पर झूल रहा है जो न केवल पूरे देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व पर मंडरा रहा है।

विश्व में न्यूक्लियर क्लब के सदस्य कौन हैं? ये देश सं. रा. अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन हैं। जब श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश ने इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की, तब इसका विरोध उनके अपने ही मित्र देशों जैसे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस तथा परंपरागत विरोधियों जैसे चीन और रूस ने किया। परंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने इतनी शीघ्रता से इसका स्वागत किया। मैं इसे समझ नहीं सकता। इस सरकार द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल रक्षा प्रणाली का तुरंत स्वागत किया जाना इस सरकार की कठोरता और गैर–जिम्मेदारी को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भा. ज. पा. के नेतृत्व वाली यह गठबंधन सरकार कितनी लापरवाह है। बाद में सं. रा. अमेरिका के परंपरागत मित्रों जैसे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा दिए गए वक्तव्य का विरोध किए जाने के बाद इस सरकार ने अपनी बात वापस ले ली।

निश्चय ही, स्वाभाविक रूप से, चीन और रूस ने इसका विरोध किया है। इसी कारण से मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी सरकार एक बड़ी और गंभीर गलती कर रही है और यह गलती श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश के वक्तव्य का स्वागत कर की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा पूरा विश्वास बनाए रखते हुए सावधानी नहीं बरती गई है। सरकार ने अपने पूर्व कथन को दुहराया है और इससे इस सरकार की गैर जिम्मेदारी का पता चलता है। यही मेरा पहला मुद्दा है।

ऐसा क्यों है कि श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश इसकी बात कर रहे हैं? शीत युद्ध के पश्चात्, पूर्व सोवियत गणराज्य (रिपब्लिक आफ यू. एस. एस. आर.) का विभाजन रूस, कजाखस्तान, यूक्रेन, उजबेकिस्तान इत्यादि के रूप में हो गया। यह स्वतंत्र देशों के रूप में बंट गया। परंतु रूस अब तक पूरे विश्व में एक बड़ी न्यूक्लियर शक्ति है।

मैं सोचता हूं कि अमेरिका इस बात को जानता है। वे हमारे मित्र हैं। अमेरिका भी हमारा मित्र है। कोई समस्या नहीं है।

हमने अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र (वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर) की ट्विन टावरों पर कुछ लोगों द्वारा किए गए हमले कि निंदा की।

इसी प्रकार हम अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में चलाए गए सैन्य अभियान, जिसमें 'नाटो' की सेनाओं ने भी सहयोग किया, के कारण अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की निन्दा करते हैं। किसी भी चीज की सीमा होनी चाहिए। वस्तुतः हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की निंदा करते हैं। हम अपनी संसद पर 13 दिसम्बर को किए गए हमले की निंदा करते हैं। हम जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा मुस्लिम मित्रों और सभी हिन्दू मित्रों की हत्या की निन्दा करते हैं परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि

[श्री एस. बंगरप्पा]

अमेरिका के नेतृत्व में और 'नाटो' की सेनाओं द्वारा समर्थित गठबंधन अपने सैन्य अभियान में अफगानिस्तान की निर्दोष महिलाओं और बच्चों तक की हत्या कर सकता है।

महोदय, इसलिए यदि हम एन. एम. डी. एस. को आगे बढ़ने दें जैसा कि श्री जार्ज. डब्ल्यू. बुश चाहते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका विश्व की सम्पूर्ण नाभिकीय शक्ति पर नियंत्रण करने जा रहा है और वह अन्य शांतिप्रिय देशों के हितों के विरुद्ध कार्रवाई करने में समर्थ होगा। वस्तुतः गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की शुरूआत पं. जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के अब्दुल गमेल नासिर द्वारा की गई परंतु इस सरकार ने इसे पूरी तरह त्याग दिया है। महोदय, इसलिए यह एन. एम. डी. एस. 1972 की एन्टी बैलेस्टिक मिसाइल संधि के अधीन किए गए प्रावधानों के विरुद्ध है। यदि इस संधि का पालन नहीं किया जाता है तो मेरे विचार में यह विश्व शांति के लिए खतरा होगा। मेरे मुताबिक यह निश्चित रूप से विश्व शांति के लिए खतरा बनने जा रहा है।

वे अंतरिक्ष में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। वे वहां पहुंच गए हैं और वे अंतरिक्ष को हथियारों में लैस कर देना चाहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी क्योंकि पूरे आकाश में इस तरह के यंत्र लगे हुए हैं कि वे धरती पर एक पिन तक को ढूंढ़ सकते हैं। यह नवीनतम नाभिकीय प्रौद्योगिकी है। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से इस सभा से अपील करता हूं कि हमें इस एन. एम. डी. एस. का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस विषय पर भी कुछ सीमाएं लगाई जानी चाहिए।

इसका रूस और चीन ने विरोध किया है। रूस के पास 2,000 नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र हैं जिनमें नाभिकीय वार हेड्स लगे हैं। यह संख्या अमेरिका के पास उपलब्ध संख्या से कम है। चीन के पास लगभग 20 नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र हैं। पाकिस्तान और भारत के पास दो से पांच के बीच नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा घोषित एन. एम. डी. एस. का समर्थन नहीं करें। क्योंकि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाखों अन्य लोग, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और शांति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, द्वारा दिखाए गए शांति के रास्ते के विरुद्ध है। यह विश्व शांति से जुड़ा हुआ है। इसलिए महोदय, अब मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं कि आप सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह श्री जार्ज बुश से कहे कि वह एन. एम. डी. एस. योजना को लागू नहीं करें क्योंकि अमेरिका अंततः इस देश के सम्पूर्ण सैन्य क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है जो सारे विश्व के लिए खतरा साबित होगा।

महोदय, चूंकि मुझे बहुत कम समय दिया गया है इसलिए मैं विश्व व्यापार संगठन के मामले के विस्तार में नहीं जा सकता। मैं जानता हूं। हमारी प्राथमिक अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है जो कृषि–जलवायु की स्थितियों पर निर्भर है। मेरा मुद्दा यह है। हाल में, कतर में एक बैठक आयोजित की गई थी और हमारे वाणिज्य मंत्री इस बैठक में भाग लेते के लिए वहां गए थे। हम उस बैठक के निष्कर्षों के बारे में जानना चाहेंगे। वस्तुतः इस सभा को इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है।

महोदय, खुले बाजार में एक भी कृषि वस्तु की उचित कीमत नहीं मिल रही है! आप धान का उदाहरण लें, आप सुपारी का उदाहरण लें। हम सुपारी बेच रहे थे। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमोगा में उगाया जाता है इसी प्रकार यह तमिलनाडु, केरल और देश के कई अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। हम सुपारी को देश के उत्तरी क्षेत्रों जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश और कई अन्य देशों को निर्यात करते हैं। अब यह पूरी तरह रुक गया है व्यापारी सब कुछ बेचकर वापस चले गए हैं। धान या कई अन्य कृषि वस्तुओं का भी ऐसा ही मामला है। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था कहां टिकेगी जब हमारे गरीब किसानों को सरकार द्वारा पूरी तरह विपत्ति में छोड़ दिया गया है?

तीसरे, हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अयोध्या का मामला लें, गुजरात का मामला लें, जम्मू कश्मीर का मामला लें और देश के अन्य भागों में होने वाली घटनाओं को भी लें। इससे हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने पर पूरी तरह खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मेरी मांग है कि यह सरकार अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के अनुकूल ढाले जो कि डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व वाली समिति द्वारा बनाए गए संविधान के मुख्य स्तंभों में से एक है। यह अन्य पहलू है।

अब मैं इस मंत्रिमंडल के गठन पर आता हूं। इस मंत्रिमंडल

में कई अन्तर्विरोध, शिकायतें और मतभेद हैं और इसका नेतृत्व वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया जा रहा है। फिर भी हमारे मन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अत्यधिक सम्मान है। पर मुद्दा यह है कि वे कई वर्ष से मंत्रिमंडल के सभी विरोधी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं और कुछ मुद्दों पर समझौते पर भी पहुंचे हैं। महोदय मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह अपने मंत्रिमंडल को चला पाएंगे, क्या वे वास्तव में मंत्रिमंडल के अन्तर्विरोधी वर्गों को लेकर इसका नेतृत्व कर पाएंगे?

वास्तव में, हमें उन पर तरस आता है पर राष्ट्रीय हित की कीमत पर हम उन पर तरस नहीं खा सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रालय के ठीक–ठीक गठन के बारे में सही वक्तव्य दें क्योंकि ये अन्तर्विरोधी गुट सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह एक दूसरे से झगड़ने में लगे रहते हैं। इसलिए कोई मतैक्य नहीं है। वे इस देश में शासन करने में असफल रहे हैं क्योंकि वे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत तथा संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाए हैं।

श्री वाजपेयी की उम्र काफी हो गई है। हमने श्री वाजपेयी को कार्य करते देखा है और हमारे मन में उनके प्रति अत्यधिक सम्मान है। श्रीमती श्यामा सिंह, अपने जन्मदिन पर प्रति वर्ष प्रधानमंत्री कई मोमबत्तियां जलाते हैं। मैं सोचता हूं अब उन्हें मोमबत्तियों को जलाना केक की कीमत से भी अधिक महंगा पड़ता होगा। इसलिए मुझे उन पर तरस आता है, बल्कि मैं उनकी निंदा करता हूं। वे आम आदमी, गरीब आदमी द्वारा सामना की जा रही राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण जरूरी मुद्दों की ओर अपने मंत्रिमंडल को जागरूक करने में असफल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष जी, 25 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के केन्द्रीय कक्ष में जो अभिभाषण दिया गया, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन की बहुत पुरानी परम्परा और मर्यादा है। मुझसे पहले अनेक वरिष्ठ सदस्य, अनुभवी राजनेता अपनी बात कह चुके हैं। मैं अपना भाषण परम पूज्य श्री बाबा श्री की वाणी से आरम्भ करना चाहता हूं। हमने कल जो दिन–भर भाषण सुने, उनसे मुझे यह कहना जरूरी हो गया कि सदन में हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको आज विचार करना पड़ेगा कि व्यक्ति के स्वभाव और आदत में जमीन–आसमान का अंतर है। स्वभाव बुरा नहीं होता, आदत बुरी हो सकती है लेकिन अगर स्वभाव आदत बन जाए तो न उस व्यक्ति का और न ही समाज का भला हो सकता है। इस प्रवृत्ति से आज हम सभी लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। इसलिए अभिभाषण की जो परम्परा है उसमें निहित नीति पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन हम इसे अपने पूर्वाग्रहों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना चुके हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा पर पैराग्राफ 13 में जोर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है। संघ सरकार, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से देशभर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती रही है। आज आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद और संगठित अपराध से सबसे ज्यादा खतरा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं जिस जिले से आता हूं वह नक्सलवाद से प्रभावित जिला है। वहां पर आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हुआ है और वहां की स्थिति को आप लॉ एंड आर्डर की स्थिति नहीं कह सकते। आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

यदि इससे लड़ना है तो केन्द्र सरकार के संकल्प से कुछ नहीं होगा, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकारों में इच्छाशक्ति का यदि अभाव रहता है तो आंतरिक सुरक्षा की रक्षा नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)* हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उसके अनुपालन में राज्य सरकारों की कितनी हिस्सेदारी है? इस तरह से यह सवाल पैदा होता है कि यह सदन इस बात पर विचार करे कि केन्द्र और राज्यों के बीच आज जो संबंध हैं, वे दलीय पूर्वाग्रह के कारण ऐसे बन जाएंगे जिससे किसी नीति का कार्यान्वयन करना कठिन हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा ऐसा ही मामला है। यह केवल लॉ एंड आर्डर की समस्या है। राज्य सरकारों की आलोचना इस सदन में बैठ कर करें, क्या उससे किसी समस्या का समाधान हो जाएगा? दोनों का बराबर उत्तरदायित्व है। केन्द्र और राज्य जब तक किसी नीति के बारे में बराबर के

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक इस पर सफलता नहीं पाई जा सकती है।

आंतरिक सुरक्षा में राम जन्म भूमि का मुद्दा भी जुड़ गया है। कल दिन भर इस बात पर अपने-अपने ढंग से बात कही गई। मैं यहां यह भी आग्रह करना चाहूंगा हम जब इसकी बात कहते हैं, राम जन्म भूमि पर जो विवाद चल रहा है, उस पर यदि निजी राय रखते हैं या अपने दल के आधार पर राय रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस समस्या की तरफ आगे नहीं जा रहे हैं। कल वहां शिलादान का जो कार्यक्रम हुआ, मैं उसके लिए सरकार, राम जन्म भूमि न्यास, विश्व हिन्दू परिषद् को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शांति के साथ एक ऐसे अवसर को देश के सामने रखा जिससे कुछ हद तक जो आशंकाएं थीं, जो हमने अपने भाषणों में कटुता पैदा की थी, जो आशंकाएं सारे समाज और देश भर में पैदा कर दी थीं उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगा है, पटाक्षेप हुआ है। जहां तक राम जन्म भूमि का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एन. डी. ए. की सरकार चल रही है, उसने यथास्थिति बनाए रखने की बात की है। हमने जो भाषण सुने, उनमें दल के आधार पर जो बातें कही गई हैं वे मेल नहीं खाती हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की उस घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो 22 और 23 फरवरी को घटी है। उसमें सदन की सम्मानित नेता प्रतिपक्ष स्वयं गई थीं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री खुद उस आयोजन के कर्ता-धर्ता थे। प्रदेश सरकार ने वहां कार्ड छाप कर यह घोषणा की कि वह संत सम्मेलन होगा, वहां राम जन्म भूमि का फैसला होगा। एक शंकराचार्य उसकी पैरवी कर रहे थे, जयन्त सरस्वती जिन्होंने अभी मध्यस्थता की है, वह उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। पुरी के शंकराचार्य वहां मौजूद थे। वह पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कार्ड छाप कर उस व्यवस्था को अंजाम दिया था और प्रतिपक्ष की नेता उसमें गईं। यह अलग बात है कि वहां शंकराचार्य नहीं थे और धर्म संसद जैसी कोई चीज नहीं हो सकी। "टाइम्स आफ इंडिया" के 22, 23 और 25 तारीख के अंक देखें तो उसमें ऐसे लेख छपे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग स्वयं ऐसे कार्यक्रमों पर दूसरी तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। वह इस देश और सदन को कितना गुमराह करना चाहेंगे? क्या उस बात का उल्लेख करना उचित नहीं होगा? क्या यह मुद्दे को उलझाने की प्रवृत्ति नहीं है? ऐसी परिस्थितियों में देश और सदन को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। हमारी इतनी लम्बी लोकतंत्र की यात्रा पूरी हो गई है। होना यह चाहिए था कि हम और अच्छी तरह ठहराव लाते लेकिन लगता है हम विसंगति के दौर से गुजर रहे हैं । हम किसी भी बात पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। आज जिस परिस्थिति में एन. डी. ए. की सरकार चल रही है, वह लोकतंत्र की मजबूती का कारक हो सकती है। हम उसे दोनों प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं लेकिन हम उसे अपनी सुविधाओं के हिसाब से परिभाषित न करें। बहुत से दलों की मिली-जुली सरकार जिन का अपना घोषणा पत्र है, जिन की अपनी मान्यता है, सोच है। उनमें मतभेद थे लेकिन यह लोकतंत्र की मजबूती का एक अच्छा लक्षण है।

ये दोनों अवसर दिए जाते हैं जैसे कोई भूकम्प की आपदा आती है। सब की अपनी सोच होती है। हर आदमी कहता है कि आपदा है। लेकिन मैं इसे आपदा नहीं मानता क्योंकि यह प्राकृतिक परिवर्तन है जो होते रहेंगे। हर वह व्यक्ति, जो अपने आपको नेता कहता है, उसकी परीक्षा का काल होता है। अगर वह उस विषम परिस्थिति में से उस समाज को निकाल दे तो वह सफल नेता होता है और यदि नहीं निकाल सका तो उस व्यक्ति, नेता और समाज के लिए वह आपदा बन जाती है। यह परिस्थिति आज भी है। आज यह सरकार जिस परिस्थिति में चल रही है और जिस प्रकार के मुद्दे हमारे सामने हैं, यहां राजनैतिक दलों में मतैक्य नहीं है। सरकार ने अयोध्या के मामले में जिस तरह से देश को इस समस्या से बाहर निकाला और इस सदन और इस सदन के बाहर जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, उन्हें नकारते हुए हमने सफलता अर्जित की है, सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है। यह अलग बात है कि हम दलीय कारणों से सरकार को धन्यवाद न दें लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र में इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम राष्ट्रीय एकता को भूला बैठें, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों को धन्यवाद दिया है। संस्कृत में कहा गया है, "अति सर्वत्र वर्जयेत" हम आज अनाज की कमी से ग्रसित नहीं हैं, हम अनाज की अधिकता से ग्रसित हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या हम इस बात पर विचार करके केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराएं, ऐसा ठीक नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला से आता हूं जहां धान की पैदावार

बहुत ज्यादा होती है। वहां 50 प्रतिशत पैदावार की खरीदी नहीं जा सकी। वहां भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं और राज्य सरकार पूरी तरह से यह व्यवस्था नहीं दे सकी। अगर हम इस बात की आलोचना करने बैठ जाएं तो बात नहीं बनेगी। हमें तय करना होगा कि किसानों का जो फसल–चक्र है, अगर उस पर यह सदन विचार नहीं करता तो हम एक–दूसरे की असफलताएं गिनाते रहेंगे, आलोचनाएं करते रहेंगे और किसानों को धन्यवाद देते रहेंगे तो किसानों को उसके अधिकतम उत्पादन का मूल्य नहीं मिलने पर वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता रहेगा तथा लुटता–पिटता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों के फसल–चक्र पर यह सदन विचार करे जिससे किसान भी बचा रहे और यह देश भी बचा रहे तभी किसानों की समृद्धि तय होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि यहां पशु–धन की बात कही गई है कि हम पशु आयोग बनाएं। क्या सदन इस बात पर विचार नहीं करेगा? हम सब लोग धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाते रहते हैं। जहां तक गो–वंश या पशु–धन का सवाल है, इससे सिर्फ धार्मिक आस्था का सवाल नहीं है। कृषि ढांचा या अपनी कृषि नीति और पर्यावरण के संतुलन पर जोर देकर उससे मेल बैठाता है। अगर हम इस बात को नकार देंगे या इसे अलग स्वर से नहीं लिया तो हम लोग कितने गर्त्त में चले जाएंगे? इसलिए सदन इस बारे में विचार करेगा या नहीं, यह अलग बात है। अगर कोई एन. जी. ओ. या कोई संगठन काम करता है तो वह भिन्न बात है। अगर राष्ट्रीय नीति के तहत इस पर विचार नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि यह चर्चा निरर्थक होगी, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और लोगों का परम्पराओं के प्रति विश्वास कम होता जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 1951 में एक हजार व्यक्तियों के पीछे 438 पशुओं की संख्या थी जो 1991 में घटकर 257 और 2001 में 50–60 रह गई है। अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 1947 में देश की आजादी के समय इस देश में 36 करोड़ पशु थे जो आज घटकर 8–10 करोड़ रह गए हैं। जहां हमारी जनसंख्या 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, वहां पशु–धन एक–चौथाई रह गए हैं। यह असंतुलन इस देश के लिए उचित नहीं, क्या इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए? हम निर्यात की बात करते हैं, कत्लखाने खोलने की बात करते हैं। जब हम इस बात को कहते हैं तो विरोध होता है और कहा जाता है कि मजहबी मामला है, वी. एच. वी. तथा बजरंग दल का मुद्दा है। इसे हम राष्ट्रीय मुद्दा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारी गलत सोच का परिणाम है कि हमने जो आदतें बना ली हैं, जो हमारे स्वभाव में नहीं है। न इससे पार्टी का भला होने वाला है और न ही इससे देश का भला होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारे बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हम कैसे सुधरें, कैसे ठीक करें लेकिन केन्द्रीय सरकार पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहने से सफलता नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए पंचायती राज अधिनियम जो इस सदन में पारित किया गया था, उसके तहत राज्यों को उसे क्रियान्वित किए जाने की जिम्मेदारी दी गई। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आता हूं जहां जिला सरकार नाम का नया सिस्टम चालू हो गया है। मेरे जिले में जिला सरकार बनी हुई है जिसमें हमारे दल का प्रचंड बहुमत है और प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी जिसके मुखिया का समर्थन करने वाला कोई सदस्य नहीं। सारे सदस्य विरोधी पक्ष के हैं। परिणाम यह होता है कि उस जिला सरकार की कोई उप–समिति नहीं बन सकी और अगर कोई सभापति होगा तो वह विरोधी पक्ष का होगा जिसे बी. जे. पी. का समर्थन है। वहां ढिंढोरा पीटा जाता है कि पंचायती रात सफल परवान पर चल रहा है। यह अच्छा लक्षण नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल पूर्वाग्रह का नहीं। अगर यह मानते हैं कि जन–प्रतिनिधियों को वास्तव में हक मिलने वाला है, उस पर विचार कौन करेगा। केन्द्र ने कानून बना दिया, कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला बालाघाट नक्सलवाद से ग्रसित है। लोग आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मैं भी लगाता हूं लेकिन राज्य सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाला, वे चाहे विरोध की विचारधारा मानने वाले हों, सब से पहले उन्हें इस बात का फैसला करना होगा कि अगर नक्सलवाद से लड़ना चाहते हैं तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आप वोटों के समर्थक हैं, वोट से सत्ता पाने के समर्थक हैं, उससे पहले हमें आपस की लड़ाई को बंद करना पड़ेगा कि एक अकेला व्यक्ति नक्सलवाद से नहीं लड़ सकता। हमारे बालाघाट जिले में एक अच्छी पहल की गई है। वहां एस. पी., डी. आई. जी. और आई. जी. की नियुक्ति

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

की गई है क्योंकि बालाघाट जिला नक्सलवाद के कठिनतम दौर से गुजरने वाला जिला है। आई. जी. ने पैदल यात्रा शुरू की थी। तारीख 17–28 तक नक्सलवादियों ने ऐलान कर दिया कि इस यात्रा में कोई जन–प्रतिनिधि और जनता शामिल नहीं होनी चाहिए। आप सब को जानकर आश्चर्य होगा कि उस यात्रा में मैं शामिल हुआ। उस क्षेत्र के 8 विधायक हैं जो शामिल होने का साहस नहीं कर सके। यह उल्लेखनीय बात है कि वहां लोगों ने मौत देखी है और 17–17, 20–20 कत्ल होते देखे हैं। वे लोग नक्सलवादी हिंसा का शिकार हुए हैं फिर भी यात्रा में 100 प्रतिशत लोग मौजूद थे। इससे यह साबित होता है कि मौत का भय काल्पनिक रूप से हो रहा है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को चाहे वे जनता द्वारा चुने हुए हों, वे मौत की सीमा पर सच बोलने के आदी हों। वहां कहीं न कहीं भय का भ्रम पैदा किया जा रहा है। लोग हम पर टिप्पणी करते हैं, हमारा मजाक करते हैं जिससे हमारे विश्वास को ठेस पहुंचती है तो हमें दुखी होने की बजाय इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे भयमुक्त वातावरण बनाएं। आज आम लोगों का विश्वास हम पर से उठता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह लोक सभा नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग सिर झुका कर मानने को इसलिए तैयार हैं कि हमने अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं किया। वास्तव में वह अवमानना है लेकिन इस सदन में यह आवाज नहीं उठ सकती क्योंकि जो चित्र सामने जा रहा है, जनता हमें देख रही है, उससे हमारा पक्ष मजबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मामले को जिस दायरे में रखा कि हमें कैसे यह स्थिति कायम रखनी है, हमें कल का दिन निकालना है और जो विवादित भूमि थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि सदन के भीतर गहरे मतभेद हैं, हम टिप्पणी नहीं कर सके, उस बारे में विचार नहीं कर सके। यह जो परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली नहीं है। यह विचारणीय है कि सदन के भीतर जो बातें तय होनी चाहिए, न्यायालय अपने ऊपर ऐसा मानता है कि उसकी स्वेच्छाचारिता और एकाधिकार है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते इस बात पर विचार करना होगा। चाहे हम इस बात पर टुकड़ों में बात कर लें लेकिन इस सारी बहस का कोई औचित्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पहली बार नहीं हुआ है। हमारी मान्य परम्परा है जो आने वाले समय में भी होता रहेगा। इसके प्रति जिस प्रकार से विश्वास और आस्था घट रही है, उसे पुनर्जीवित करने का काम इस सदन को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस अभिभाषण में विकास के अनेक मुद्दे हैं जिनमें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी हैं।

चाहे बायो–डाइवर्सिटी बिल हो, प्लान्ट वैरायटीज बिल हो, यदि हम इन पर विचार करें तो जो आज से 10 से 12 वर्ष पहले इस देश में कानून बन जाने थे, जो नहीं बन सके। परंतु आज बने हैं और वे इस सरकार ने बनाए हैं। सड़कों का जो चक्र था, वह सरकार ने बनाया है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने पिछले रेल बजट में कहा था कि क्या रेलवे में गोल्डन क्लास नहीं बन सकती है, अवश्य बन सकती है। हम लोग आखिरकार जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात का कोई औचित्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वहां की एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले पचास वर्षों में जो भी उद्योग नीति बनी है, मेरा इस सदन में आरोप है कि उसमें पावर पोलिटिक्स की गई। हम अगर किसी क्षेत्र से आते हैं तो उद्योग लगाने के लिए हमने अपना क्षेत्र चुना। उससे लम्बे समय के बाद इस देश को लाभ होगा या नहीं होगा, हमने इस बात की परवाह नहीं की। इसका एक जीता–जागता उदाहरण हमारे यहां हिन्दुस्तान कापर कम्पनी लि. का मलाजखंड का एक प्रोजेक्ट है। इतने वर्षों के बाद कम्पनी घाटे में चल रही है। लेकिन मलाजखंड का वह प्रोजेक्ट आज भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम कीमत पर तांबे का उत्पादन कर रही है। इस शर्त पर जब कि देश के बाहर का जो ओर है उसमें से सौ किलो में से आठ किलो तांबा निकलता है और शेष चांदी, सोना निकलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बाद पांच मैम्बरों के नाम बाकी हैं। उन लोगों को चान्स नहीं मिलेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं कापर की बात कर रहा था। जहां देश से बाहर का ओर सौ किलो में से सात किलो तांबा निकालता है और सोना, चांदी निकालता है लेकिन हिन्दुस्तान का मलाजखंड का प्रोजेक्ट सौ किलो में से केवल 2.7 किलो तांबा निकालता है। उसके बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हम दुनिया के मूल्य

से कम कीमत में निकालते हैं, क्या यह महत्त्व की बात नहीं है। निश्चित रूप से यह महत्त्व की बात है। लेकिन स्मैल्टिंग प्लान्ट खेतड़ी में होगा, जहां पर ओर नहीं होगा। ये जो गलत फैसले हुए हैं, उन्होंने हमें पुनर्वापसी के लिए मजबूर किया है। ये गलत फैसले नहीं होने चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि इन क्षेत्रों के अनुसार हम उन उद्योगों को लगाएं।

अंत में आपको धन्यवाद देते हुए, श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात ऐसी नहीं है जिसे यह सरकार अपनी उपलब्धि बता सके। सरकार कितने दिन चली है, सरकार का कार्यकाल कितना है, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। हम कितना चले हैं, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि हम किस दिशा में चले हैं और जिस दिशा में यह सरकार चली है, सरकार के काम करने का जो तौर–तरीका रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के आम आदमी को इस सरकार ने निराश किया है। राष्ट्रपति जी महज औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन सही मायनों में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीति–रीति का बखान होता है। सरकार आगे आने वाले एक वर्ष में क्या करना चाहती है, उसका खुलासा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रपट प्रस्तुत की गई थी। उसमें कहा गया है कि दलितों पर अत्याचारों की संख्या में वृद्धि हुई है। किसान परेशान हैं। हम लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन जहां एक ओर एफ. सी. आई. के गोदामों में गेहूं भरा रहा, सड़ता रहा, वहीं दूसरी तरफ लोग भूख से दम तोड़ते रहे, आम की गुठलियां खाने को मजबूर हुए। इन सब चीजों पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। पिछली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था तो उस अभिभाषण में यह जिक्र था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी।

1998 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आने वाले दस वर्षों में दस करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस बार के अभिभाषण में बेरोजगारों को रोजगार देने का कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने श्री मौन्टेक सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में एक कार्यदल गठित भी कर दिया तथा कहा था कि उन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, उस आहलूवालिया कमेटी की सिफारिश में रोजगार बढ़ाए जाने की संभावनाओं पर नहीं, रोजगार घटाने की संभावनाओं पर विचार हुआ है। हमारे देश में 2.29 प्रतिशत वार्षिक दर से रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़ी है जबकि देश में जो रोजगार उपलब्ध है, वह लगभग 1 फीसदी है। हिन्दुस्तान के लोगों को रोजगार कैसे मिले, शिक्षित लोग रोजगार कैसे पाएं, इसके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कृषि के संरक्षण की बात सरकार करती है तो हिन्दुस्तान में 1971 से लेकर आज तक गेहूं का समर्थन मूल्य 7 गुना बढ़ा और उत्पादन लागत 15 गुना बढ़ी, यानी कोई तालमेल समर्थन मूल्य और उत्पादन लागत में नहीं है। जो विकास का आधारभूत ढांचा है, उस आधारभूत ढांचे में सिंचाई का कहीं उल्लेख नहीं है। यहां सिंचाई मंत्री बैठे हैं, जल संसाधन मंत्री बैठे हैं। तमाम पानी समुद्र में बह जाता है, लेकिन उसको इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां एक तरफ इस सरकार ने आम आदमी का विश्वास तोड़ा है, वहीं सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में जो भाईचारा है, सामाजिक सौहार्द है और जो धार्मिक सहिष्णुता है, उसे समाप्त किया जा रहा है हर आदमी यह सोचता है कि यह सरकार सांप्रदायिक सौहार्द को कायम नहीं कर पाएगी।

महोदय, इस सदन में गुजरात पर चर्चा हुई। हमारे तमाम लायक दोस्तों ने उस पर अपनी बात कही। मैं आपके द्वारा इस सरकार से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री जी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने बिल्कुल ठीक काम किया है और आडवाणी जी तो हर काम ही ठीक करते हैं, मैं जानता चाहता हूं कि राज्य की अवधारणा क्या है? राज्य क्यों अस्तित्व में आया? राज्य क्यों बना? राज्य का काम है अराजकता को रोकना, राज्य का काम है लोगों की जान–माल की सुरक्षा करना, राज्य का काम है लोगों की मान–मर्यादा सुरक्षित रहे और इसलिए राज्य अस्तित्व में आया था। गुजरात में जो कुछ हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री

[श्री रामजीलाल सुमन]

और मुख्य मंत्री के पद पर बैठता है, उसका क्या मिजाज है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके सोचने का तरीका क्या है, उससे ही समाज की हरकतें बनती और बिगड़ती हैं। जिस दिन नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री बने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद्, उसी दिन से समझने लगे थे कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी का समय उनके लिए स्वर्णिम समय है। मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि आज स्थिति क्या है। गुजरात की सरकार में दो मंत्री हैं श्री अशोक भट्ट एवं श्री पुरुषोत्तम सोलंकी। ईसाइयों पर जो हमला हुआ और जब बाइबल को जलाया गया उस समय श्री सोलंकी की भूमिका संदिग्ध थी और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुम्बई में जो दंगे हुए और उसके बाद श्री कृष्ण आयोग गठित हुआ, उसमें भी पुरुषोत्तम सोलंकी के नाम का उल्लेख हुआ था।

मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह के लोग सरकारों में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। राजभवनों को आर. एस. एस. का केन्द्र बना दिया गया है। राज्यपालों की भूमिका जिस तरह की है उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे सही काम करेंगे? गुजरात में जो कुछ हुआ है, वहां 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, लोगों की इज्जत–आबरू गई। कहां था राज्य? 200 टेलीफोन किए अहसान जाफरी के धर से कि हम खतरे में हैं, हमें बचा लीजिए। आज भी अहमदाबाद में तनाव है, हिंसा का दौर जारी है। क्या काम है राज्य का? क्या राज्य उस तरफ अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जो स्थिति है उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी बंगलौर में संघ की बैठक चल रही है। गोधरा घटना के तत्काल बाद देश के गृह मंत्री ने कहा कि यह तो गोधरा की प्रतिक्रिया है और आज जो बंगलौर में संघ की बैठक चल रही है, उसमें भी ऐसी ही बात कहने की कोशिश की जा रही है।

महोदय, हिन्दुस्तान में चाहे हिन्दू मरता है या मुसलमान मरता है, हम कहते हैं कि वह भारत माता की संतान मरती है। उस पर हम सबको बराबर तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि गोधरा की घटना की हमने निन्दा नहीं की। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस दिन गोधरा की घटना हुई उससे अगले दिन सदन में कार्य–स्थगन प्रस्ताव हमारा लगा हुआ था, लेकिन पूरे देश में ऐसी फिजा पैदा करने का काम किया जा रहा है कि गोधरा की घटना की हम लोगों ने निन्दा नहीं की।

महोदय, गोधरा में जो कुछ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, डेढ़–दो हजार लोग इकट्ठे हो गए, कैसे इकट्ठे हो गए, कहां चला गया इनका खुफिया तंत्र? मेरे कहने का अर्थ यह है कि गुजरात में जो घटना हुई, गुजरात में जो दंगे हुए, वह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित घटना थी और इसके अलावा और कुछ नहीं था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गोधरा की घटना के बाद, गुजरात में अल्पसंख्यक लोगों पर हुए हमले के बाद यहां कुछ हमारे मित्र लोग इस सदन में नारे लगा रहे थे कि "जो हिन्दू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा" मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 1857 से लेकर नौसैनिक विद्रोह तक तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सेना बनाई। इस देश को आजादी मिली महात्मा गांधी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के नीचे हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब लोग इकट्ठे हुए और पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ तब आजादी मिली। क्या उस समय ये लोग लड़े, क्या शिव सेना लड़ी, क्या बजरंग दल के लोग लड़े क्या विश्व हिन्दू परिषद् लड़ी? हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में इस देश के हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोगों ने योगदान दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो हिन्दू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो क्या इनका मतलब यह है कि बाकी सबको समुद्र में फेंक दो, ईसाइयों को समुद्र में फेंक दो, सिक्खों को समुद्र में फेंक दो, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो। क्या इस प्रकार से ये देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से विनम्रता से निवेदन है कि ये देश के दुश्मन हैं। जो हिन्दुस्तान की सारी शक्तियों को साथ लेकर नहीं चल सकता, जो हिन्दुस्तान के सभी वर्गों और धर्मों को साथ लेकर नहीं चल सकता, वह लंबे समय तक हिन्दुस्तान में टिक नहीं सकता। "हयात लेके चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे चमाने को साथ ले के चलो" जब तक सारे जमाने को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक देश मजबूत नहीं बन सकता।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी

पार्टियों को लेकर चल रहे हैं मगर बाकी सारे धर्मों को साथ में नहीं लिया जा रहा है, यही फर्क है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अभी बंगलौर में (संघ) की बैठक हो रही है। उसमें धर्म परिवर्तन पर भी चर्चा हो रही है और जब कभी धर्म परिवर्तन का मुद्दा आता है, तो ये लोग बहुत चीख्ते–चिल्लाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से विनम्रता से बताना चाहता हूं कि ये लोग क्यों चीखते–चिल्लाते हैं और हिन्दुस्तान में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और बाद में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि कोई हिन्दू धर्म समानता का प्रतीक्र नहीं बन सकता है, तो मैं चाहूंगा वह धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं लोग आज इनसे अलग क्यों हो रहे हैं और पहले अलग क्यों हुए, उसके लिए इनका स्वयं का व्यवहार और आचरण जिम्मेदार है। ये वर्ण–व्यवस्था के पक्षधर हैं।

महोदय, इनका दर्शन भी अलग किस्म का आलीशान दर्शन है। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं उसमें रहकर ये जिस आदमी से अपना मंदिर निर्माण करा लेते हैं फिर उसी आदमी से कहते हैं कि तुम मंदिर में मत घुसना क्योंकि हमारा भोले नाराज हो जाएगा। जिस आदमी से कुआं खुदवा लेते हैं और जब पानी निकलने लगता है तो उसी से कह देते हैं कि तुम कुएं के पास मत जाना नहीं तो हमारा पानी अपवित्र हो जाएगा। आज हिन्दुस्तान में जो धर्मान्तरण हो रहा है वह इन्हीं के कुकर्मों के कारण हो रहा है। इसलिए मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, वे ही हिन्दू धर्म को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इन्हें और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश में हमारे मित्रों ने जिक्र किया। 7 मार्च को 14 एम. पीज. ने अयोध्या के मुद्दे पर प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। ये देश की एकता को कैसे कायम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उस पत्र की दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि खेद है कि स्थिति और खराब होती जा रही है। लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका क्षोभ अब मुखरित हो रहा है और वे सरकार के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका संयम टूटेगा और जन आंदोलन बनकर शासन अथवा एक वर्ग विशेष के प्रति आक्रामक हो जाएगा तो वहां की स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसका मोटा मतलब है कि प्रधानमंत्री स्थिति नियंत्रण में रखें और उसके मुताबिक काम करें, वरना लोग यदि आक्रामक हो गए तो मुसलमानों को मार डालेंगे। हिन्दुस्तान जैसे देश में जिस देश में सभी वर्गों और धर्मों के लोग रहते हैं जब कभी भी इस देश में परीक्षा हुई है, जब कभी भी देश की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, उस समय हिन्दुस्तान के मुसलमानों का योगदान किसी से कम नहीं है। यह धौंस दी जाती है। इनका दोहरा चरित्र है। ये हर मामले में जान–बूझकर इनका जो गुप्त एजेंडा है, उसको लागू करने का काम करते हैं।

मैं एक बात आपके मार्फत जरूर कहना चाहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं? नेशनल कांफ्रेंस का कोई आदमी यहां नहीं है। श्री विनय कटियार इनके बहुत आलीशान सांसद हैं। वे इस बात में लगे हुए हैं कि किसी तरह अयोध्या में झगड़ा हो जाए तो अच्छा है। वे बजरंग दल में काम करते हैं जबकि वे भाजपा के सांसद हैं। हालांकि हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि बजरंग दल, शिव सेना और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कोई अलग–अलग हैं ये सब एक ही बीमारी हैं। दूसरा कोई चक्कर नहीं है, एक ही बात है। आज पूरे जम्मू–कश्मीर में तनाव है। इनके सांसद श्री विनय कटियार ने यह बयान दिया कि हजरत बल में रखा गया बाल पैगम्बर मोहम्मद का नहीं बल्कि किसी बाबा का है। आप जानते हैं कि नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में तनाव है। वहां दंगे भड़के हैं। ये दंगे भड़काने का काम कौन कर रहा है? यह बहुत गंभीर मामला है। हमारा यह आरोप है कि इस सरकार के चलते हिन्दुस्तान में भाईचारा कायम नहीं रह सकता, साम्प्रदायिक सौहार्द कायम नहीं रह सकता। अभी श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कटियार ने कुछ नहीं कहा। मीडिया के लोगों ने कहा कि हमारे सामने कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा कुछ ज्यादा ही तिकड़मबाजी करते रहते हैं। इनकी तकलीफ का हमें पता है क्योंकि ये बेचारे मंत्री नहीं बने इसलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। शायद इसी वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनसे प्रसन्न हो जाएं। हमारे कहने का मतलब यह है कि आज जो माहौल बना हुआ है, पूरे हिन्दुस्तान का जो वातावरण है, उस वातावरण को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधान मंत्री जी का आचरण दोहरा है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

एक अजीब तमाशा है। पिछली बार प्रधानमंत्री जी दो साल पहले अमरीका गए थे। अमरीका में इनका नागरिक अभिनंदन हुआ। उस अभिनंदन में एक भी संस्था न तो ईसाइयों की थी और न ही मुसलमानों की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री की हैसियत से विदेश जाते हैं या संघ के नेता की हैसियत से विदेश में जाते हैं? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या हिन्दू नेता हैं। वे स्वयं सेवक संघ के सेवक हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? जहां पर भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जाना हुआ और उनका नागरिक अभिनंदन हुआ, उन नागरिक अभिनंदनों में हमारे देश के लोग चाहे क्रिश्चियन्स हों या माइनोरिटी के लोग हों, उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता। एक साल पहले जब वे गए तो विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यक्रम में जाकर साधु संतों के बीच में बैठ गए। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराया है। एक प्रधानमंत्री जी से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज ये लोग पूरे देश में एक व्यवस्थित प्रयास दंगा कराने का कर रहे हैं। इनके पास न कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम है। राजनीति जज्बात से नहीं चलती। राजनीति भावनाओं को भड़काकर नहीं चल सकती। धर्म और जाति के नाम पर एक बार लाभ मिल सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है लेकिन हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में वही सियासी जमात, वही राजनीतिक पार्टी लम्बे समय तक टिकेगी जिसके पास अपना दर्शन हो, जिसके पास नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम हों। भाजपा का कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसी सदन में 1985 में भारतीय जनता पार्टी के दो लोग लोक सभा के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 16 लोग थे। कौन से किसानों के सवाल पर, कौन से मजदूरों के सवाल पर ये हकूमत में आ गए?

हिन्दू भावनाओं को भड़का कर लोग ताकत में आए थे और इनकी मजबूरी है, कहें कुछ भी लेकिन किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद्, आर. एस. एस. नाराज न हो। एक तरफ एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं। न्यायालय के आदेश का पालन हो जाए, विश्व हिन्दू परिषद् इनसे खफा न हो, सहयोगी दल खफा न हों और यह सरकार भी चलती रहे।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बिल्कुल ऐसी है मैं उसके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा।

मैं खाली जाम रख कर
इसलिए आंसू बहाता हूं
तुम्हारी बात रह जाए
मेरा पैमाना भर जाए।

यह काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जरूर कर रहे हैं।

मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के रहते भाईचारा कायम नहीं रह सकता, सामाजिक सौहार्द कायम नहीं रह सकता, किसानों, मजदूरों की लूट होगी, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय हिन्दुस्तान में रोजगार घटाए जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया है, का मैं विरोध करता हूं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रिय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जी. एम. सी. बालयोगी तथा उन वीर जवानों, जिन्होंने इस महान लोकतांत्रिक संस्थान की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

मैं अपने–आपको हाल की घटनाओं तक सीमित रखना चाहूंगा। मैं विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, जो अब राष्ट्र के समक्ष हैं, पर विचार–विमर्श नहीं करना चाहता। सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा देश की एकता को बनाए रखने का है चाहे एकता किसी भी कीमत पर बनाए रखी जा रही हो अथवा राष्ट्र की एकता को वर्तमान सरकार द्वारा हानि पहुंचाई जा रही हो।

मैंने गत वर्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने अयोध्या के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। किन्तु जब राष्ट्रपति ने 25 फरवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया था, जिसमें उन्होंने अयोध्या मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख किया था, तो उत्तर–प्रदेश तथा अन्य तीन राज्यों के चुनाव–परिणाम निकल चुके थे। मैं उनके अभिभाषण को उद्धृत नहीं करना चाहता जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने उनके अभिभाषण के पैराग्राफ 14 को पहले ही उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता के बंधनों को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में कहा था। मुझे सन्देह है कि क्या राष्ट्रीय एकता को अब मजबूत किया जा रहा है अथवा उसे कमजोर किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त मोर्चा सरकार के ढह जाने के बाद 19 मार्च, 1998 को सत्ता में आए। मैं भी लगभग साढ़े दस माह तक सत्ता में था। मैं स्वयं के लिए श्रेय नहीं लेना चाहता। समस्त संयुक्त मोर्चा सरकार इस राष्ट्र में साम्प्रदायिक मैत्री बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी। हमारे सभी आन्तरिक मतभेदों के बावजूद हमने मंत्रिमंडल में हमारी एकता को परिलक्षित करने का प्रयास किया तथा हमारे बीच किसी खुले मतभेद का प्रश्न ही नहीं था।

जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहता किन्तु गत चार वर्षों में कार्यनिर्वाहक सरकार के लगभग साढ़े चार महीनों, जिसका नेतृत्व भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, को छोड़कर उनकी सत्ता की कुल अवधि लगभग चार वर्ष है। उपलब्धियां क्या हैं? एक मुद्दे को छोड़कर, जिसमें वे चार वर्षों के लिए सरकार चलाने में सफल रहे हैं, मैं सभी मोर्चों पर तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ सरकार की असफलता सिद्ध कर सकता हूं। इसका श्रेय हमें अवश्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाहिए। उन्होंने सरकार चलाई है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में गत दो वर्षों में मैं यहां नहीं था और कनकपुरा के लोगों ने मुझे एक बार पुनः इस सभा में आने और उनकी भावनाओं, न कि मेरी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर दिया है।

मैं पता लगाना चाहूंगा कि अयोध्या का मुद्दा राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन के बने रहने के लिए नहीं अपितु भाजपा के बने रहने के लिए एक प्रमुख मुद्दा क्यों है। 1984 में भाजपा को इसी सभा में 2 सीटें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी और उन्हें राजनीति में धर्म को घुसाने का प्रयास करना चाहिए। इस देश के लोगों के दिमाग में धर्म को घुसाने के प्रयास का उन्हें अच्छा लाभ मिला। 1989 में, उन्होंने एक संकल्प पारित किया। जहां तक मन्दिर मुद्दे का प्रश्न है पहली बार भाजपा ने विश्व हिन्दू परिषद् का समर्थन करने के लिए एक संकल्प पारित किया। 1996–97 अथवा 1998–99 के चुनावों में अन्ततः वे इस सभा में लगभग 182 सीटों की शक्ति के साथ पहुंचे। कुछ राज्यों, विशेष रूप से जहां से मेरे भूतपूर्व साथी श्री बालू जो यहां बैठे हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, में चुनावों के परिणाम जानने के बाद तथा जहां का प्रशासन डा. करुणानिधि जैसे परिपक्व नेता चलाते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मैं अन्य लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। अब उन्होंने अनुभव किया कि वे घबरा रहे हैं।

महोदय, मैं सभा का ध्यान 28 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मन्दिर का मुद्दा एक राष्ट्रीय भावना है। दस दिन बाद वह आराम करने के लिए केरल गए थे। वहां उन्होंने यह कह कर उसे सही करना चाहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने अपना मत ठीक करने का प्रयास किया क्योंकि शायद वे धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध थे और अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के साझेदारों को संतुष्ट करना चाहते थे। मैं उनके विरोधाभासों को बताना जारी नहीं रखना चाहता। एक स्तर पर उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा कुमारी उमा भारती बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए अयोध्या गए थे। मैं प्रधानमंत्री से ऐसा सुनकर अचम्भित था। वह एक परिपक्व व्यक्ति तथा एक वरिष्ठतम नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। आपातकाल के दौरान हम जेल में थे। श्री अटलजी, श्री आडवाणी तथा मैं, हम सब एक साथ थे। वह थोड़ी अवधि के लिए वहां थे और अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण दिल्ली आ गए थे।

उनमें राष्ट्र को बताने का साहस था कि ये तीन नेता मस्जिद की रक्षा के लिए गए थे। यदि उनका इरादा अपनी अन्तर्रात्मा के प्रति सच्चा था, यदि वे राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहते थे, तो उसी विवादित स्थान में समस्याएं पैदा करने के लिए पुनः प्रयास क्यों किया गया है मैं वि. हि. प. को दोष नहीं दे रहा हूं और मैं रा. स्व. सं. को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि यही वे लोग हैं, जिन्होंने आपको सत्ता दी। सत्ता वि. हि. प. तथा रा. स्व. सं. से प्राप्त हुई थी। आप उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। यही उनकी योजना है। यह उनकी प्रतिबद्धता है कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। भाजपा ने अन्य सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को संतुष्ट करने के लिए शासन हेतु राष्ट्रीय कार्यसूची को स्वीकार किया है। मैं तृणमूल कांग्रेस अथवा द्रमुक जैसे गठबंधन साझेदारों को दोष नहीं दे रहा हूं, जो कहते हैं कि वे इस प्रकार की धर्मान्धता के प्रति वचनबद्ध हैं। हमने एक साथ कार्य किया है और हम जानते हैं कि वे क्या हैं। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पैतृक संगठनों को संतुष्ट करना पड़ेगा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है या तो वह उन्हें विरोधी बनाकर अपनी कुर्सी छोड़ दें या उन्हें संतुष्ट करके अपनी सत्ता बनाए रखें। अब दूसरे सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे चुनावों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई राज्यों के चुनावों

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

का परिणाम जानने के बाद वे चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं उनकी मनोव्यथा समझ सकता हूं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने इस सरकार का समर्थन करके और उसी कुर्सी, जहां हम बैठे हैं, से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए वादों पर विश्वास करके गलती की है। उन्होंने राष्ट्र से वायदा किया था कि वह शासन संबंधी कार्य सूची का पालन करूंगा, वह तीन मुद्दों, जो मुख्य रूप से भाजपा के मुद्दे हैं, को छोड़ देंगे उन मुद्दों को आस्थगित करूंगा तथा अन्तर्रात्मा के साथ राष्ट्र पर शासन करूंगा। उन्होंने यह वायदा किया है। मैं उन शब्दों को नहीं भूला हूं, जो उन्होंने अपने स्थान से इस सभा में बोले हैं।

कल प्रधानमंत्री के दूत आयोध्या गए और वे पत्थर शिलाएं प्राप्त कीं। इससे किस बात का संकेत मिलता है? यह क्या संदेश देता है?

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : यह तो केवल राष्ट्र में खून-खराबे को रोकने के लिए था।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : महोदय, मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किन मुद्दों को उठाना है। मुझे इसको समझने के लिए कम से कम इतना अनुभव तो है।

कल दोपहर तक मीडिया में ऐसा लग रहा था कि फैजाबाद के आयुक्त को शिला प्राप्त करनी थी। किन्तु उन्होंने मना कर दिया। मेरे विचार से उनमें इंकार करने का साहस था। तत्पश्चात् प्रधानमंत्री का दूत वहां गया और शिलाएं प्राप्त कीं। उन शिलाओं को मन्दिर के गर्भगृह में नमूने तथा वास्तुकला के अनुसार लगाया जाना है। वि. हि. प. ने कहा कि हम प्रतिदिन पूजा करने जा रहे हैं। ये शिलाएं कहां लगाई जाएंगी? अब ये शिलाएं कहां हैं? ये शिलाएं किसकी अभिरक्षा में हैं? क्या ये शिलाएं पुलिस की अभिरक्षा में हैं? अथवा क्या ये प्रधानमंत्री के कार्यालय की अभिरक्षा में हैं। वे शिलाएं कहां हैं? लोग पूजा कैसे करेंगे? क्या प्रधानमंत्री उन शिलाओं, जो वि. हि. प. तथा सन्तों द्वारा दी गई हैं, की प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति देंगे? 2 जून की अन्तिम समय सीमा दी गई है। मुश्किल से 70 दिन का समय है। क्या समस्या का समाधान न्यायालय द्वारा किया जाएगा अथवा उनसे बातचीत करके किया जाएगा? अथवा 2 जून इस राष्ट्र के लिए एक और काला दिवस है? ये कुछ मुद्दे हैं जो कल की घटना के बाद हमारे दिमाग में आए। अतः माननीय प्रधानमंत्री अपने उत्तर में स्थिति स्पष्ट करें। अन्यथा हमारे लिए सरकार की नेकनीयति पर विश्वास करना अत्यन्त कठिन है।

गोधरा मुद्दे पर मैंने क्रमशः 6 तथा 10 मार्च को एक एक पत्र लिखा जिनमें प्रधानमंत्री से मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की मांग की गई है। मैं इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचा था क्योंकि राज्य सरकार ने निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही नहीं की है। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार उसने पक्षपात किया है। इसी कारण मीडिया ने अपने मत व्यक्त किए हैं। उस दिन मुख्य मंत्री ने अपने सरकारी तंत्र को अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए मना किया।

यह एक राज्य प्रायोजित आतंकवाद है या गुंडागर्दी है या आप चाहे जिस किसी नाम से इसे पुकारें। मैं राम भक्तों को या कार सेवकों को किसी असंसदीय नाम से नहीं पुकारना चाहता। परंतु यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गुजरात सरकार ने उन लोगों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है या वह पूरी तरह संवेदनाहीन या उदासीन है और उसने इस प्रकार के आगजनी, लूट और हत्याओं को सहयोग देने की कोशिश की। पीड़ित चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम, मैं किसी का पक्ष लेने नहीं जा रहा हूं। परंतु जो हानि हुई है वह बहुत बड़ी है। कोई भी इस हानि का आकलन नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे 3000 करोड़ रुपए बताते हैं जबकि कुछ लोग इसे 4000 करोड़ रुपए के लगभग बताते हैं। कौन इन पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करेगा? क्या राज्य सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने और उनका पुनर्वास करने जा रही है? या क्या केन्द्र सरकार यह भार अपने ऊपर लेने जा रही है? इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे जब वे इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

जांच के संबंध में, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है क्या वे न्याय कर पाएंगे? जबकि उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश जिनका नाम श्री खादरी या ऐसा ही कुछ है जिनकी 80 वर्ष की मां है, को अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोस के घरों में भागना पड़ा, फिर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की क्या स्थिति होगी? जब इस प्रकार की स्थिति है, क्या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को स्वतंत्र निर्णय देने की अनुमति दी जा सकती है? इसी कारण मैंने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे जांच आयोग अधिनियम के अधीन

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जांच के लिए नियुक्त करने की मांग की गई थी जिसकी सहायता केन्द्रीय जांच आयोग जैसी निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा की जाए। यह अत्यन्त आवश्यक है।

अब, मैं संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को उद्धृत करना चाहता हूं। ये उपलब्धियां एक या दो बातों से संबंधित होंगी। यह मेरा आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़े सरकार द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित किए गए हैं। मुझे खेद है, उनकी अनुमति के बिना मैंने ये आंकड़े उद्धृत किए हैं। वे वहां बैठे थे। मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं अभी बजट भाषण पर यहां चर्चा नहीं करना चाहता। बजट पर चर्चा के दौरान मैं अन्य मुद्दों को उद्धृत करूंगा।

असली मुद्दे पर आते हुए मैं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में विकास को इंगित करूंगा। 1996 में हम यहां पर बहुत कम अवधि ग्यारह अथवा साढ़े दस महीने के लिए थे।

इसका वर्णन आर्थिक सर्वेक्षण 2001–2002 के पृष्ठ 186 में तालिका सं. 8(1) में है जिसमें 1992–93 से लेकर 2001–02 तक के आंकड़े दिए गए थे। 1996–97 के लिए उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) का विकास 7.8 प्रतिशत; जी. डी. पी., कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 9.6 प्रतिशत; और खाद्यान्न उत्पादन का विकास 10.5 प्रतिशत दिखाया था। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा प्रकाशित और सभा में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज है। बाद के वर्षों में 1997–98 के लिए यह 4.8 प्रतिशत, 1998–99 के लिए 6.5 प्रतिशत, 1999–2000 के लिए 6.1 प्रतिशत और 2001–02 के लिए 4.0 प्रतिशत और 2001–2002 के लिए 5.4 प्रतिशत थी।

कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 1994–95 में यह 7.3 प्रतिशत, 1993–94 में 5.9 प्रतिशत और 1992–93 में 5.1 प्रतिशत था। मैं केवल इन आंकड़ों को उद्धृत करना चाहता था क्योंकि कुछ लोगों ने यह बताने की कोशिश की थी कि इस बार कृषि को अधिक महत्त्व दिया गया है। ऐसा नहीं है। जब मैं बजट पर बोलूंगा तो मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा कि किस प्रकार पिछले चार वर्षों के दौरान इस सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।

मैं सरकार का ध्यान बेरोजगारी की ओर दिलाना चाहता हूं। बेरोजगारी दूर करने के बारे में सरकार उदासीन है। प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार दिलाने का वादा किया है। पिछले चार वर्षों के दौरान—मैं 1999 के बाद के वर्षों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वे 19 मार्च, 1998 को सत्ता में आए थे और उन्होंने लगभग चार वर्ष पूरे कर लिए हैं—आज तक इस दिशा ने कोई प्रगति नहीं हुई है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के पास विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित गतिविधियों में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह देश की एकता के लिए खतरनाक है। आप उन्हें उग्रवादी या आतंकवादी या किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इन बेरोजगार युवाओं के पास जीने का कोई साधन नहीं है और उनके पास रोजगार का कोई अवसर नहीं है। इन्हें गुमराह किए गए युवा कहा जा सकता है। वे राष्ट्र के लिए और, राष्ट्र की शांति के लिए सबसे बड़े बोझ हैं। आपको 6.1 करोड़ बेरोजगार युवाओं जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, के लिए कोई समाधान ढूंढ़ना है। समस्या यही है। मैं प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने की अपील करता हूं क्योंकि अब हम विनिवेश कर रहे हैं; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर रहे हैं। इससे एक ओर तो बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत करवाया है और दूसरी ओर हम अधिक से अधिक लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं जो विनिवेश के कारण अपनी नौकरी खो रहे हैं। सरकार ने विनिवेश को कार्यान्वित करने में अत्यधिक सक्रियता दिखाई है।

राष्ट्र की एकता परम महत्त्वपूर्ण है। हम सबों को अपने विवेक से कार्य करना है। मैं मंदिर निर्माण का विरोध नहीं कर रहा हूं। समस्या यह है कि हम किस तरीके से ऐसा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इन दोनों समुदायों के बीच बातचीत द्वारा समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। इसे मूर्त रूप नहीं दिया गया है। एक ओर वे यह कहते हैं कि वे न्यायालय के फैसले का पालन करेंगे। आज बंगलौर में विश्व हिन्दू परिषद् तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है। हम इन सभी चीजों को समझ सकते हैं। जब तक वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद् के नेताओं को यह इरादा छोड़ने के लिए राजी करने का प्रयास नहीं करते और सरकार समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं करती, दोनों समुदायों के नेताओं के बीच आपसी बातचीत या न्यायालय के फैसले का पालन करके, दोनों ही बातें बहुत मुश्किल हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दें—उन्होंने 2 जून का दिन रखा है।

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

अपराह्न 1.00 बजे

मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने दूत को शिला ग्रहण करने के लिए भेजने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अपने सभी सहयोगियों से सम्पर्क किया होगा। मैं स्थिति को समझ सकता हूं । वे क्या कर सकते हैं? वे असहाय हैं। परंतु किसी भी तरीके से यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश की एकता सुदृढ़ हो और उसे कोई हानि न हो।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस पर माननीय प्रस्तावक ने जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति की है उनमें से मैं भी अपनी सहमति जाहिर करता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जिन तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करता हूं। पिछले महीने चार राज्यों में चुनाव हुए। निर्वाचित विधायकों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने बधाई दी। उनकी बधाई और उन शब्दों के साथ मैं भी अपने को जोड़ता हूं और यह अपेक्षा रखता हूं कि निर्वाचित विधायक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अधीन काम करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इस अवसर पर उन राज्यों में जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुए, उसके लिए चुनाव आयोग और संबंधित राज्यों के प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। उनसे यह भी अपेक्षा रखता हूं कि भविष्य में भी वे इसी तरह की भूमिका निभाने का कार्य करेंगे।

महोदय, 1952 से, जब से देश में प्रथम आम चुनाव प्रारम्भ हुए, मुझे चुनावों को बड़ी नजदीकी से देखने का मौका मिला। उस समय मैं भी अपनी पार्टी का कार्यकर्त्ता था। मेरी उम्र 20 या 21 वर्ष की थी। पार्टी का अखबार बेचता था, पर्चे, पोस्टर बांटने का काम करता था। उस समय चुनावों में प्रत्येक पार्टी अपने घोषणा-पत्रों और नीतियों को लेकर चुनाव मैदान में जाती थी और उन्हीं घोषणा-पत्रों और नीतियों के आधार पर उनके नारे बनते थे, गीत गाए जाते थे। लेकिन आज रीति बिलकुल विपरीत बन गई है, परिवर्तन हो गए हैं। जब चुनाव हुआ उसकी प्रक्रिया और चुनाव अभियान को देखा। छोटी-छोटी, पार्टियों को छोड़ दें, जिनके पास कोई राजनीतिक पूंजी नहीं होती है, लेकिन जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री बनने और बनाने का दावा करने वाली पार्टियां हैं वे भी जब इन चुनावों में नायक और नायिकाओं को घुमाती हैं तो बड़ा दुख होता है।

महोदय, मैं कला की कद्र करता हूं, कलाकारों को इज्जत देता हूं। उनका अपना स्थान है, जहां लोग टिकट कटा कर देखने जाते हैं। चुनाव मंच कभी भी उनके लिए मौजूं नहीं रहा है। जो पार्टियां उन्हें घुमाती हैं, लगता है कि उन पार्टियों को अब अपनी नीति और नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्हें घुमा कर उन पर भरोसा करना चाहती हैं। आप क्यों चुनाव को महफिल बना रहे हैं? चुनाव को महफिल मत बनाओ, इसकी गरिमा को कायम रहने दो, नहीं तो लोकतंत्र में आस्था नहीं रह जाएगी।

महोदय, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन सकी। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी यहां बैठे हैं, उनमें भी कई साथी बैठे हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं, उनके साथ हमें वर्षों-वर्ष समाजवादी आंदोलन में काम करने का मौका मिला है। वहां सरकार नहीं बनी, इसके लिए उन्हें दुख है और दुख होना स्वाभाविक है, "का दिखाई प्रभु काह दिखावा।" महोदय, जो सरकार चलाने की बात कर रहे थे वे आज सड़कों पर चल रहे हैं, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। अभी अखिलेश जी चले गए। वह अच्छा है वे यहां आए हैं। वे मेहनत करते हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूं। कल यह बड़े गुस्से का इजहार कर रहे थे कि वहां जो बड़ा दल था उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। इन्होंने कहा था कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने का मौका मिला था तो फिर इनका जो बड़ा दल था उसे भी सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?

बात तो ठीक है लेकिन माननीय अखिलेश सिंह जी अगर होते तो मैं कहता कि अखिलेश जी, रामायण का आपने एक ही अध्याय पढ़ा है, दूसरा पढ़ा होता तो पता चलता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को 8 मिनट मिले हैं, 6 मिनट खत्म हो गए हैं, इसलिए अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

कृपया अब बाधा नहीं डालें।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह : माननीय प्रधानमंत्री जी को जब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था तब उसमें हमारे दल के लोग भी थे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाकर क्या-क्या

बातें कही थीं लेकिन एक प्रयोग हुआ और बड़े दल को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया गया। लेकिन वह सरकार 13 दिन में ही गिर गई। फिर 1998 में एक एलाइंस बना और उस एलाइंस को, भाजपा गठबंधन को चुनाव में बहुमत मिला था। फिर भी राष्ट्रपति भवन से उन्हें तब तक निमंत्रण नहीं मिला था जब तक कि सहयोगी दलों से समर्थन का लिखित पत्र नहीं ले लिया था। आपको याद होगा कि सुश्री जयललिता जी ने सरकार को दो दिनों तक समर्थन नहीं दिया था जबकि वह इसी एलाइंस की थीं और देश उस समय बड़ी विकट स्थिति में रहा। इसी तरह से एस. आर. बोम्मई केस का उदाहरण दिया जाता है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को वर्ष 2000 में विधान सभा में सरकार बनाने का मौका दिया गया लेकिन वह सरकार भी गिर गई। हम लोग लाख प्रयास करते रहे। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूं कि भले गिनती सदन के अंदर होती है लेकिन गिनती का गणित सदन से बाहर बनता है। यह सच है कि 403 में से 203 सदस्य जिसके पास होंगे सरकार उसी की बनेगी। जितने भी दल थे उनको मिलाकर के स्पष्ट संख्या नहीं बन रही थी। सदन बुलाकर या तो दल–बदल होता या और कुछ काम हो सकता था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीवन सिंह, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको बोलना है। आपसे भी इस प्रकार के उलझन वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, एक तर्क और दिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों किया गया।

अपराह्न 1.09 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

कहा जाता है कि सैक्यूलर फोर्सेज को जनता ने समर्थन दिया था। आप मानते हैं कि वहां पर भाजपा गठबंधन की सरकार थी और आप मानते हैं कि यह तथाकथित कम्युनल पार्टी है। उसको जनता ने हराया है। लेकिन 1996 में माननीय नरसिंह राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तमाम पार्टियां नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं और कांग्रेस माइनोरिटी में आई थी लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाने को कहा जाता रहा। उस समय कहा जाता रहा कि जनता ने सैक्यूलर फोर्सेज को जिताने का काम किया है। लड़ाई लड़ी गई कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस कम्युनल पार्टी नहीं थी तो किसको हराने का जनता ने काम किया था? फिर जब सरकार बनाने का सवाल आया तो जिस कांग्रेस को जनता ने हराने का काम किया था उसकी मदद से ही सरकार बनाने का काम किया गया और उस समय हमारी पार्टी ने भी अवसरवादिता का काम किया। चुनाव से पहले जो एलाइंस होता है उसके पीछे एक आस्था होती है लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई एलाइंस बनता है तो यह अवसरवादिता है। आस्था के पीछे चरित्र होता है और अवसरवादिता के पीछे चालाकी होती है। चालाकी से व्यक्ति को और चरित्र से देश और समाज को फायदा होता है। इसलिए देश के साथ लोकतंत्र के साथ ऐसा मत करो।...*(व्यवधान)* सभी जानते हैं कि 24 महीनों में दो सरकारें गिर गईं, इसलिए ऐसा न करो।...*(व्यवधान)* मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि समाजवाद के नाम पर या कम्युनलवाद के नाम पर इस तरह की चीज को ज्यादा समय तक मत चलाइए। देश की बहुत सी बुनियादी समस्याएं हैं। उन बुनियादी समस्याओं पर विचार करने का काम करें।...*(व्यवधान)* जो बुनियादी सवाल हैं, उन्हें उठाने का काम करें। कोई ऐसा काम न करें जिससे गलतफहमी पैदा हो। मैं अपने भाजपा के साथियों से भी कहूंगा कि प्री–इलेक्शन जो समझौता हुआ, जो नेशनल एजेंडा बना, उस पर वह चलें और जो लोग आपके शुभेच्छु हैं, जो अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहते हैं, वे ऐसे मुद्दों को उठा कर देश में जो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, उससे देश का नुकसान हो रहा है। आज गोधरा और गुजरात के दूसरे हिस्से जल रहे हैं। कल अयोध्या में शांतिपूर्वक जो आयोजन हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन उसकी चिंगारी देश में फैली और उसका गुजरात में फिर प्रभाव पड़ा है। मैं एक प्रसंग का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगा।...*(व्यवधान)* एक दिन यमपुरी में यमराज के निकट उसके दूत घबराते हुए गए और कहा कि यमराज, पृथ्वी पर गजब हो रहा है। यमराज ने पूछा कि दूत क्या हो रहा है? दूत ने कहा कि महाराज,

[श्री रामजीवन सिंह]

अब पृथ्वी में लोग धर्म–अधर्म, विश्वास–अंधविश्वास का भेद समझने लगे हैं। यदि वे इस भेद को समझ जाएंगे तो यमपुरी में कोई नहीं आएगा। यमराज ने कहा कि घबराओ मत, मंदिर के महन्त, मस्जिद के मुल्ला और चर्च के पादरी सभी हमारे एजेंट हैं, वे लोगों को धर्म–अधर्म का, विश्वास–अंधविश्वास का भेद समझने नहीं देंगे। ऐसे में लोग भटकते हुए यमपुरी में आते रहेंगे। मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति को महन्त और मुल्ला लोगों के हाथ में मत दो। यदि ऐसा करोगे तो देश और लोकतंत्र नहीं रह सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आरंभ में मैं उन सैकड़ों परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने हाल के सप्ताह में गुजरात में हुई घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो दिया है।

गुजरात की घटना हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर एक गहरा काला धब्बा है। गुजरात राज्य में कायरतापूर्ण हत्याएं हुई हैं, जिस राज्य में हमारे राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था जिन्होंने वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष किया और उसी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मुझे अत्यधिक दुःख है और मैं वेदना के साथ कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री की प्रतिक्रिया हत्याओं से भी अधिक स्तब्धकारी है। मुख्य मंत्री ने कहा है कि वहां पर न्यूटन का नियम कार्य कर रहा है अर्थात प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत दिशा में होती हैं।

महोदय, किस प्रकार एक प्रशासक, एक निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्य का प्रधान, जिसे हरेक व्यक्ति को सुरक्षा देना सुनिश्चित करना है इस प्रकार का गैर–जिम्मेदाराना वक्तव्य दे सकता है कि वहां पर न्यूटन का नियम कार्य कर रहा है? यही कारण था कि हमारी विपक्ष की माननीय नेता ने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। वह वहां के पीड़ितों को न्याय नहीं देंगे। अल्पसंख्यकों को यहां रहना है।

मैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की पूर्व–संख्या पर महामहिम राष्ट्रपति के सम्बोधन से कुछ शब्द ले रहा हूं। उन्होंने कहा है :

"स्वामी विवेकानन्द ने घोषणा की थी कि भारत के अधःपतन का मुख्य कारण इस देश की पूरी शिक्षा और बुद्धि पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार होना रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें राष्ट्र को इसकी खोई हुई एकत्व की पहचान वापस दिलानी है और आम लोगों को ऊपर उठाना है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी ने उन्हें पददलित किया है।"

यदि आप अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास, निष्ठा और सुरक्षा की भावना न ला सकें, तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। अतः, सर्वप्रथम सरकार से मेरा यह नम्र निवेदन है कि अल्पसंख्यक अब स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनमें विश्वास पैदा किया जाना चाहिए।

हम वेस्टमिन्स्टर संसदीय लोकतंत्र का अनुकरण कर रहे हैं। हर वर्ष, हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष, जो देश के प्रमुख होने के साथ–साथ संविधान के अभिरक्षक भी हैं, संसद के दोनों सदनों में आते हैं और अभिभाषण देते हैं जिसमें अगले एक वर्ष के लिए सरकार चलाने हेतु दिशा प्रदान की जाती है। यह श्री के. आर. नारायणन का अभिभाषण न होकर मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार तैयार किया गया अभिभाषण होता है जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यदि उसमें कोई सुधार करना होता है तो राष्ट्रपति उसे वापस कर देते हैं और अंततः मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अतः राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के अगले एक वर्ष के लिए शासन चलाने संबंधी दिशा और लक्ष्य होता है।

महोदय, मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की कोई दिशा अथवा लक्ष्य प्रतिबिम्बित होता है? सरकार और राष्ट्र की अब और क्या परेशानियां हैं? यह सरकार हमारे देश को कहां ले जा रही है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट नहीं है।

इस देश की मूल समस्या क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि गरीबी की समस्या है। हर व्यक्ति को यह मालूम है कि हमारा देश विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है तथा 40 प्रतिशत से अधिक लोग–यह बात विवादास्पद है कि यह 30 प्रतिशत है अथवा 35 अथवा कम से कम 35–40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह सरकार गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रही है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है। हम इस देश की पहले से चली आ रही समस्या अर्थात गरीबी को किस प्रकार दूर करने जा रहे हैं?

राष्ट्रपति कृषि के बारे में बोलते हैं अथवा उन्हें बोलने को कहा जाता है। राष्ट्रपति किसानों को बधाई देते हैं तथा हमारे किसानों ने इस वर्ष 210 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। सबसे पहले हमें यहां गर्व से यह कहना चाहिए कि इस बार जो यह बम्पर फसल प्राप्त हुई है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों का परिणाम है? स्वतंत्रता के पश्चात पिछले 40 वर्षों के कांग्रेस शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों के फलस्वरूप हमारी कृषि की यह नींव पड़ी। और उसके परिणामस्वरूप ही इस बार किसानों ने 210 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया। क्या आप कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिससे 210 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करने में इस सरकार के किसी योगदान का पता चलता हो? हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं।

इस संबंध में मोटा आकलन तो यह है कि हमारे यहां 2.25 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न तो बाहर ही पड़ा हुआ है। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम यह है कि अब भी हमारी जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। अधिकतर लोग भूखे ही सो जाते हैं। इसलिए, यह सरकार हमारे किसानों द्वारा उत्पादित ऐसे अतिरिक्त खाद्यान्न के संबंध में क्या कर रही है जिसके लिए राष्ट्रपति ने बधाई दी है? वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतने खाद्यान्नों के होते हुए भी, पूरे देश में आत्महत्याएं हो रही हैं।

मैं एक ऐसे राज्य का हूं जहां भारत की नकदी फसल का उत्पादन होता है। हमारे पास पर्याप्त नारियल है। 'केरलम' शब्द 'केरा' से निकला है। केरा का संस्कृत में अर्थ है नारियल। केरा का भंडारगृह केरलम है। इसी कारण से, नारियल हमारी जीविका का साधन है। परंतु हमें उसके लिए कोई कीमत प्राप्त नहीं होती है। कीमतें घट रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष 200 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। हमने इस सरकार से आग्रह किया है कि कुछ करना होगा। श्री राजीव गांधी के शासन के दौरान नारियल मिशन की परिकल्पना की गई थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने केरल से अपने चिंतन में भी इसे दोहराया था कि इस नारियल मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा।

इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। केरल में, देश का 95 प्रतिशत रबड़ का उत्पादन होता है परंतु अब हम भूखों मर रहे हैं क्योंकि रबड़ के लिए कोई कीमत तय नहीं की गई है। माननीय वित्त मंत्री ने बजट में इस बात का जिक्र किया है कि रबड़ के लेटेक्स को रियायत दी जाएगी। यह बात ठीक है किन्तु रबड़ के लेटेक्स को दी जाने वाली रियायत कुछ ऐसे रबड़–उत्पादकों के लिए ही लागू होगी जो लेटेक्स का उत्पादन करते हैं जबकि प्रत्येक रबड़–उत्पादक रबड़ की शीटों का उत्पादन करता है। अब रबड़ का आयात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। जब तक कि रबड़ की शीटों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा, रबड़ उत्पादकों को लाभ नहीं होगा।

कृषि के क्षेत्र में, हमारी स्थिति विरोधाभासी है। यद्यपि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, गरीबी भी बढ़ रही है। फिर भी आप जितना भी लाभ प्रदान करें, यह गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उनकी कोई क्रय–शक्ति नहीं है।

आज दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है। मैंने राष्ट्रपति का संपूर्ण अभिभाषण पढ़ा है। इस अभिभाषण में इस देश में बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। भारत में लगभग एक बिलियन अथवा सौ करोड़ लोग हैं। उनमें से 40 करोड़ युवा लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ करने की क्षमता है। आप इन युवाओं को रोज़गार प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। अतः 40 करोड़ युवा लोग काम की तलाश में सड़कों पर घूम रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे अपने उत्तर के दौरान यह बताएं कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर सरकार की यही नीति है कि सभी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अलग कर दिया जाए तो जब तक सरकारी क्षेत्र में निवेश नहीं होगा तब तक रोजगार का सृजन भी नहीं हो सकता है। हमने अपने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अत्यधिक निवेश किया है। हमने सरकारी क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा उसके परिणामस्वरूप रोजगार का सृजन हुआ है। अब कौन सा निवेश किया जा रहा है?

सरकार इस समय किए जा रहे विदेशी निवेशों के बारे में बात कर रही है। अधिकतर विदेशी निवेशक वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, ऋणदाता कंपनियां और मुचुअल फंड हैं जो इस देश में कोई रोजगार सृजित नहीं कर सकते हैं। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा सबसे बड़ा विषय क्या है जिसके बारे में इस देश में पिछले तीन वर्षों से अधिक वाद–विवाद होता रहा है?

[श्री ए. सी. जोस]

वह यह है कि मंदिर का निर्माण कौन करेगा और मस्जिद कौन बनाएगा। वह गरीब लोगों के बारे में नहीं है। हम भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार और दोषी हैं। सदन से देश का भाग्य जुड़ा है किन्तु हम उन आर्थिक समस्याओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो इस देश को झेलनी पड़ रही हैं।

पिछले सत्र में, हमने संविधान में एक संशोधन कर शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है। इस स्थिति में, मुझे विषय से हटकर कहना होगा कि मेरा राज्य केरल अपनी शत–प्रतिशत साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे राज्य में कला के अध्ययन के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में महाविद्यालय हैं परंतु वहां तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : वे वहां विद्यालयों को बंद कर रहे हैं।

श्री ए. सी. जोस : वह दूसरा मुद्दा है। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे।

हमारे राज्य में पर्याप्त संख्या में विद्यालय हैं किन्तु अब हम चाहते हैं कि वहां तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरी कालेजों और मेडिकल कालेजों की व्यवस्था की जाए। इस सदन को यह जानने की दिलचस्पी होगी कि हर वर्ष केरल के विद्यार्थी पड़ोसी राज्यों में जाते हैं और इंजीनियरी, नर्सिंग, पैरा मेडिकल और मेडिकल कालेजों में लगभग 300 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं। इस वर्ष, नई सरकार के गठन के बाद, हमने निजी क्षेत्र में भी प्रत्येक विद्यार्थी को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है। अनेक निजी क्षेत्र के कालेजों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में हमारे लिए निराशाजनक बात यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद केरल में नए तकनीकी और मेडिकल कालेज खोलने संबंधी हमारे मार्ग में अनावश्यक रूप से बाधाएं डाल रहे हैं। हमें वस्तुतः यह भी संदेह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद में कोई लाबी कार्य कर रही हैं। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है तथा उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, न्यायालय ने स्वयं ही इसके और अन्य परिषदों के मामलों की देखभाल करने के लिए किसी की नियुक्ति की है। इसलिए, परिषद नए कालेजों को मंजूरी देने की राह में अनेक आपत्तियां और अवरोध खड़ा कर रहा है। 34 कालेजों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में कार्यरत कुछ नौकरशाह, जो किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं हैं, मंत्री अथवा सरकार के तर्कों को नहीं सुन रहे हैं। वे हर तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप इस वर्ष हम किसी भी कालेज में पढ़ाई आरंभ नहीं कर सके हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पुनः हमारे विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं।

हमारे अनुसार वहां एक ऐसा वर्ग है जो केरल में उच्च शिक्षा के विरुद्ध कार्य करता है क्योंकि केरल से विद्यार्थी विभिन्न राज्यों में हर तरह की शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। यदि हम निजी (प्राइवेट) कालेज आरम्भ करते हैं, तो अन्य राज्यों में कार्यरत कई प्राइवेट कालेजों को विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। अतः हम महसूस करते हैं कि वहां एक ऐसा ख़ास वर्ग है जो केरल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जिसके कारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद केरल को अनुमति नहीं दे रहे हैं।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ा। यदि आप पृष्ठ 7 से 17 को देखें, तो आप पाएंगे कि वहां इस राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं के बारे में एक भी शब्द नहीं है।

अगली बात मैं पोषण के बारे में कर रहा हू। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारे नवजात–शिशु कुपोषित हैं। हमारे 40–50 प्रतिशत से अधिक बच्चे बिना किसी आहार अथवा किसी और चीज के बहुत कम पोषण पाते हैं अथवा अपर्याप्त पोषण पाते हैं। राष्ट्रपति ने इस देश में स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिति के बारे में एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अयोध्या पर पूरे एक पैराग्राफ में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा अयोध्या अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा है :

> "अयोध्या विवाद राष्ट्र के समक्ष एक विवादास्पद मुद्दा है। इसका सौहार्दपूर्ण ढंग से त्वरित समाधान साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए निर्णायक है।"

इस सरकार के आगमन के बाद गत तीन वर्षों से यह देश कुछ नहीं कर रहा है केवल अयोध्या के बारे में चर्चा कर रहा है। परसों सम्पूर्ण राष्ट्र इस बात से अत्यधिक उत्तेजित था कि क्या शिलान्यास होगा अथवा नहीं और वे कहते हैं

कि सरकार का स्वरूप स्पष्ट रूप से धर्म–निरपेक्ष है, इत्यादि। वह यह कहते रहते हैं। किन्तु मैं आपको बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय का एक अधिकारी, प्रधानमंत्री का एक दूत अयोध्या जाता है तथा लोगों से शिला स्वीकार करता है। यह क्या है? क्या यह धर्मनिरपेक्ष देश है? प्रधानमंत्री का दूत विशेष रूप से अयोध्या भेजा जाता है। उसका तात्पर्य है कि सरकार इन सभी कार्यकलापों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। इस बात से अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश जाता है कि सरकार उनका पक्ष ले रही है। यह उस स्थिति के ठीक विपरीत है जिसका प्रधानमंत्री द्वारा यहां इस सभा में खुलकर उल्लेख किया गया है कि वे पूर्णतः निष्पक्ष हैं, वे न्यायालय के आदेशों का पालन करते रहेंगे। क्या न्यायालय के आदेश का पालन किया जाता है अथवा नहीं, वह अत्यंत तकनीकी मुद्दा है, किन्तु आज सामने क्या आया है कि प्रधानमंत्री का विशेष दूत अयोध्या भेजा गया था और एक सहमत स्थान पर उसने शिलाओं को स्वीकार किया है।

इससे तो ऐसा लगता है कि मन्दिर के लिए शिलाएं सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं। यह क्या है? अपने अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति कहते हैं कि...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : सरकार की मंशा की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने देश में खून–खराबा होने से रोका है। इसकी सम्पूर्ण देश में सराहना की जा रही है...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं। सरकार की मंशा उस ब्लाक में मन्दिर के निर्माण का पक्ष लेना है। चूंकि न्यायालय ने बीच में हस्तक्षेप किया है, चूंकि आप उच्चतम न्यायालय से डरते हैं, चूंकि आप राष्ट्र से डरते हैं, इसलिए आज अपने आप को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप आए तथा कहा, "हम न्यायालय के आदेशों का पालन करते रहेंगे।" किन्तु कुछ तकनीकी कारणों से सरकार की मंशा सिद्ध हो गई थी।

सभापति महोदय : श्री जोस, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है।

श्री ए. सी. जोस : जी, हां। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं विशेष रूप से यह कह रहा हूं कि इस सरकार की मंशा साम्प्रदायिक थी, इस सरकार की मंशा उन लोगों के एक विशेष वर्ग की मदद करने की थी, जहां से वे लोग आए हैं, अभी भी हमारे गृहमंत्री उस रथ पर बैठे हैं, जिस पर वे कुछ समय पहले सवार थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 15 में उल्लेख किया है कि, "भारत सरकार सांविधिक प्राप्तकर्त्ता होने के नाते कर्त्तव्यबद्ध है..."

यह मंशा नहीं है। वे ऐसा करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें धर्म–निरपेक्ष होना चाहिए किन्तु वे कर्त्तव्यबद्ध हैं...*(व्यवधान)*। मैं किसी और मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं। मैं विशेष रूप से एक मुद्दे का उल्लेख करूंगा और तत्पश्चात मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

यह विनिवेश के बारे में है। वे हर चीज का विनिवेश कर रहे हैं। केरल में कोचीन शिपयार्ड (जहाज का कारखाना) है जो जहाज–निर्माण में दक्षिण भारत के बेहतरीन औद्योगिक संस्थानों में से एक है तथा साल दर साल लाभ कमा रहा है। वे अब इसे विनिवेश करने जा रहे हैं। साथ ही, केरल में बिनानी जिंक फैक्टरी भी है। सरकार ने कच्चे माल के साथ ही निर्मित उत्पाद पर भी शुल्क लगा दिया है, जिसके कारण कारखाना बंद होने के कगार पर है। इसका परिणाम यह है कि चाहे यह विनिवेश के कारण है अथवा चाहे शुल्क लगाने अथवा शुल्क काटने अथवा किसी भी कारण है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कारखाने के दरवाजे बन्द हैं, उत्पादन घट रहा है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त है।

चाय के बारे में भी मुझे यही कहना है कि हमारे पास चाय बागान हैं। वे भी अब संकट के दौर से गुजर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव इस बारे में कुछ और बोलेंगे।

मैं कह रहा हूं कि माननीय राष्ट्रपति का यह अभिभाषण केवल निराशाजनक स्थिति दर्शा रहा है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सर, थावरचन्द में "थ" थाईलैंड वाला है या आप "थापा" यानी जनरल थापा वाला "थ" समझ लीजिए। सर, आपको मेरा नाम अच्छी तरह याद रहे इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र में "थावर" शनिवार को कहते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको एडवांस में धन्यवाद देता हूं।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने 25 तारीख को जो संसद के केन्द्रीय कक्ष में अभिभाषण दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए माननीय विजय कुमार मल्होत्रा ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और श्री अनन्त गीते ने जिसका समर्थन किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, कल से आज तक, जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं एक दो को छोड़कर बाकी किसी भी सदस्य ने अभिभाषण में जो कहा गया है उस पर नाराजगी व्यक्त नहीं की है और न ही उसका कोई विरोध किया है, अपितु धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध अवश्य कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। संसद की परम्परा है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष जो काम किए गए थे उनका उल्लेख किया है और अब सरकार आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है, इन सब बातों का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है।

ये धन्यवाद प्रस्ताव समर्थन योग्य है। आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में समस्याएं एक नहीं अनेक हैं, अनन्त हैं। समस्याओं का कभी अंत नहीं होना है। परन्तु वर्तमान सरकार ने देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए जो प्रयास किए हैं, जिसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस सदन को उसकी सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

सभापति जी, आतंकवाद के बारे में बहुत सारी बातें इस सदन में कही गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है और इस सरकार ने आतंकवादियों को नेरतनाबूद करने के लिए एक नहीं अनेक कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष कारगिल का युद्ध भी सेना और सरकार के माध्यम से जीता गया है। इस वर्ष भी सैन्य बल को सुदृढ़ करने के लिए बजट में भारी प्रावधान किया गया है। इस देश की एकता-अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए पिछले वर्ष कई परमाणु परीक्षण भी किए गए। इस वर्ष मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके लिए मैं वैज्ञानिकों और सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

मैं एक बात इस संबंध में कहना चाहूंगा। यहां समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, तो इस सदन में समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो मजबूरी में पाकिस्तान को भी परमाणु परीक्षण करने पड़े। इसके लिए पाकिस्तान के दो हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि भारत सरकार पाकिस्तान को दो हजार करोड़ रुपए दे। ये शर्मनाक कथन, शर्मनाक मांग इस देश के समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव सरकार से करते हैं। यह कितना ठीक है, यह हम सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मैं इस बात की, उनकी इस मांग की, कथन की निंदा करता हूं।

सभापति महोदय, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारे देश में सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। इस सरकार ने पोटो कानून बनाने के लिए निर्णय लिया और जब यहां विधेयक प्रस्तुत किया तो उस विधेयक पर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, उनका रवैया कैसा था, वह असंसदीय था। मैं उस बात की निंदा करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, भले ही वे देश की आजादी के समय की हैं, वे ठीक नहीं थीं। वहां धारा 370 लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी जब अपने मेनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने इस बात का प्रावधान किया था कि धारा 370 समाप्त किए बिना जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने में सक्रिय सहायता नहीं मिल सकती। आज वह हमारे एलायंस के एजेंडे का विषय नहीं है परन्तु मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। इस कारण से वहां आतंकवादी आते रहते हैं और उनको संरक्षण मिलता रहता है। इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि आतंकवादी गतिविधियों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने में मदद मिल सके।

सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता पर बहुत बातें कही गई हैं। यहां पर अयोध्या की चर्चा की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एलायंस के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये साम्प्रदायिक विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एलायंस सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। अगर इस देश में कोई साम्प्रदायिक वैचारिक दृष्टि से लेकर चलने वाली कोई पार्टी

Scanned by CamScanner

हो सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी है। देश को आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो निर्णय लिए, वे साम्प्रदायिकता के आधार पर लिए।

देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने यह कभी नहीं सोचा था कि आजाद होने के बाद भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने, तत्कालीन समय में जो नेतृत्व था, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद हथियाने के लिए या फिर ऐसी मजबूरी हो गई थी कि जातीय आधार पर देश के दो टुकड़े कर दिए। कह दिया कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए परन्तु उस पर अमल नहीं हुआ और उसके कारण इस देश में कटुता के वातावरण की शुरूआत हुई। इतना ही नहीं, इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए परन्तु उन सरकारों ने समान नागरिक कानून लागू नहीं किया। यह भी कटुता के वातावरण का एक कारण बना।

हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी एक वर्ग को एक सुविधा दी है तो दूसरे वर्ग को भी वह दी जानी चाहिए। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हज यात्री मक्का–मदीना हज करने के लिए जाते हैं तो भारत सरकार की ओर से उनको सबसिडी दी जाती है। वर्तमान सरकार ने उस सबसिडी में निरंतर वृद्धि की है। मैं उस वृद्धि का विरोध नहीं करता, मैं चाहता हूं कि जो जिस धर्म को मानता है, वह अपने अराध्य देव के दर्शन करने के लिए जाए, स्वयं के पैसे से जाए, यह धर्म कहता है परन्तु अगर उसकी स्थिति स्वयं पैसा खर्च करके जाने की नहीं है तो सरकारी मदद से भी जाए। हज यात्रा पर जाने के लिए तो सबसिडी दी जाती है परन्तु यदि कोई हिन्दू कैलास मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है तो उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाता, उसकी मेडिकल जांच होती है और कई बार उसे अनफिट कर दिया जाता है कि तुम पहाड़ी चढ़ने लायक नहीं हो, इसलिए वहां नहीं जा सकते। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस बात पर भी विचार किया जाए और कैलास मानसरोवर की यात्रा करने जाने वाले लोगों को भी अनुदान देने की व्यवस्था की जाए।

भारतीय जनता पार्टी के एजैंडा में, जब वह एलायंस के साथ नहीं थी, चुनाव लड़ने के समय हमने राम मंदिर निर्माण की बात कही थी। भावनात्मक आज भी हम उस बात से जुड़े हैं परन्तु जब सरकार में आए तो वे सब बातें छोड़ दीं और एन. डी. ए. ने जो एजैंडा तय किया, उसके अनुरूप अक्षरशः सरकार चलाने में समर्थ रहे हैं, सरकार चल रही है। मैं अटल जी की तारीफ करना चाहूंगा। अटल जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि हम एन. डी. ए. के एजैंडे का अक्षरशः पालन करेंगे और उस एजैंडे में इस बात का प्रावधान है कि अयोध्या मंदिर निर्माण के समय कोर्ट जो फैसला देगी, उसे हम मानेंगे या अगर चर्चाओं के माध्यम से कोई समाधान हो जाएगा तो उसे स्वीकार करेंगे। आज मैं दावे से कह रहा हूं, अटल जी की प्रशंसा कर रहा हूं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं।

अयोध्या की स्थिति कल हमने देख ली। कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करवाया गया है। विरोधी लोग सोच रहे थे कि 15 तारीख आएगी, अयोध्या में गड़बड़ हो जाएगी, विश्व हिन्दू परिषद, आर. एस. एस. सरकार से नाराज हो जाएंगे, अटल जी को दोहरा नुकसान होगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। परन्तु उनकी कल्पना निराधार सिद्ध हुई और बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटा। कल जो लोग जो सोच रहे थे, उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।...*(व्यवधान)* मैं थोड़े समय में बैठने वाला हूं। आप जानते हैं, पांच मिनट का समय ज्यादा दे दें।

कल किसी सदस्य ने कहा कि सरकार कुम्भ के मेले में बहुत सा धन खर्च करती है और जो यात्री कुम्भ के मेले में जाते हैं, उनको पैसा देती है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कुम्भ के मेले में आवागमन की दृष्टि से या अन्य प्रकार से सरकार व्यय करती है परन्तु वहां जाने वाले किसी साधु, संत या दर्शनार्थी को एक पैसे का अनुदान नहीं दिया जाता और न ही किसी प्रकार की सहायता दी जाती है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : साधु, संत बिना टिकट के जाते हैं, वे पैसा कहां खर्च करते हैं?

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप कौन सी टिकट लेकर जाते हैं। मैं रघुवंश बाबू को छेड़ता नहीं हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इनको सांसद के रूप में पत्नी और कम्पैनियन ले जाने की अनुमति है लेकिन मुझे जानकारी है कि ये 6–6, 8–8 लोगों को साथ ले जाते हैं। ये कौन सी टिकट लेकर जाते हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। इनको इस प्रकार आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने सांसदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हम लोगों को भी इनकी करतूतों के कारण भला–बुरा सुनना पड़ता है, पब्लिक हमको बुरा बनाती है। यह इनके कारनामों के कारण है।

Scanned by CamScanner

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मेरी चुनौती है, सारे एन. डी. ए. वालों को और भा. ज. पा. वालों को कि इसकी जांच हो जाए। मैं इन्हें चुनौती देता हूं। उन पर जुर्माना हुआ, जो बिना टिकट के चलते हैं। एन. डी. ए. को मेरी चुनौती है, इसकी जांच हो जाए।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : इन्होंने मेरी आलोचना की। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेले जहां–जहां आयोजित होते हैं, सरकार को उससे इन्कम होती है। हजारों लाखों रुपए की आय होती है। मेले पर सरकार कोई खर्च नहीं करती, किसी व्यक्तिगत आदमी को अनुदान नहीं देती।

यहां चुनाव की बातें की गईं, लोकतंत्र की बातें की गईं। उत्तर प्रदेश में और बाकी 3–4 राज्यों में चुनाव हुए। हमने चुनाव की व्यवस्था को देखा, चुनाव प्रचार के तरीके को देखा, यह घोर आपत्तिजनक और चिन्ता का विषय है। कुछ राजनैतिक दलों को उनके नेताओं के व्यक्तित्व पर उनकी विश्वसनीयता खत्म होने पर शंका हुई कि अब चुनाव नहीं जीता जा सकता तो फिल्मी हीरो को लाए। फिल्मी हीरो अगर उस पार्टी के हों और मर्यादा में रहकर राजनीतिज्ञों की तरह भाषण दें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी अमिताभ बच्चन को लाई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गेहलोत, आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : वे इस संसद के सदस्य रह चुके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं अमिताभ बच्चन की कलाकारी को सम्मान देता हूं, परन्तु वह एक समय था जब वे कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस की ओर से लोक सभा में सदस्य के रूप में चुनकर आए थे। इस बार वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्यों गए, यह विचारणीय प्रश्न है। इस शंका में एक बात हमने देखी कि चुनाव के पीरियड में दो करोड़ 61 लाख रुपए का एक चैक प्रसार भारती को जो उनको कर्जा देना था, वह देने के लिए इनकी पार्टी के नेता श्री अमर सिंह उनके साथ गए और आज तक आदि सभी टी. वी. में वह चैक देते हुए दिखाया गया। एक तरफ तो अमर सिंह जी ने उस चैक को पकड़कर रखा था और दूसरी तरफ से अमिताभ बच्चन ने, जैसे वे करोड़पति कार्यक्रम में दिखाते थे, इस प्रकार दिखाया गया। यह हमको क्या दिखाता है कि आपने दो करोड़ 61 लाख रुपए के बदले अमिताभ बच्चन से आपकी पार्टी का समर्थन करवाया। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, सरकारी खर्च पर चुनाव किया जाना चाहिए, नहीं तो सेवाभावी लोग इस सदन में चुनकर नहीं आ सकेंगे, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। सरकार यह विधेयक लाए कि सरकारी खर्च पर चुनाव हों, आप प्रस्ताव लाइए, हम आपका समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अमिताभ बच्चन अब इस सभा के सदस्य नहीं हैं। आप ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं जो इस सभा का सदस्य नहीं है क्योंकि वह यहां अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया, परन्तु इनकी पार्टी के प्रचार के लिए जो एक बड़े जाने माने फिल्मी हीरो आए थे, उन्हें प्रसार भारती का कोई कर्जा देना था, दो करोड़ 61 लाख रुपए का चैक श्री अमर सिंह जी ने और उन दोनों ने पकड़कर प्रसार भारती को दिया और सारे देश की जनता ने ही नहीं, सारी दुनिया ने उसको टी. वी. पर देखा कि वे चैक दे रहे हैं। आखिर वे क्यों दे रहे हैं और आज भी हिन्दुस्तान में इन्कम टैक्स का जो बकाया है, सबसे ज्यादा उनके ऊपर है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आपने पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए हेमा मालिनी को बुलाया। हेमा मालिनी को आपने कितना पैसा दिया?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपके साथ अधिकतम न्याय किया

है। आप अपने समय से ज्यादा बोल चुके हैं। आपको आवंटित समय समाप्त हो गया है। अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं इस अवसर पर अब आपका संकेत समझकर कम से कम बोलने की कोशिश करूंगा। कृषि के क्षेत्र में और इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से और जो औद्योगिक मंदी का वातावरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका असर भारत पर भी है। भारत में इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए केन्द्र की सरकार ने एक नहीं, अनेक निर्णय किसानों के हित में लिए हैं, लघु उद्योगों के हित में लिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में देश में इन दो सालों में दो करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाकर 30 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।

वह 30,000 करोड़ रुपए कृषि के क्षेत्र में निवेश करने का अवसर प्रदान किया है। इतनी बड़ी धनराशि पहले किसी भी सरकार ने किसानों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए नहीं दी थी।

कुंवर अखिलेश सिंह : इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहा है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आत्महत्या तो आपकी सरकार और आपसे पहली वाली सरकारों की गलत नीतियों के कारण की गई हैं। पिछले दो सालों में नहीं की गईं और न ही इसका कोई समाचार मिला है। किसान जो पहले से कर्जदार था, उसने आत्महत्या की थी। यह आपकी सरकार की कमियों का परिणाम रहा है।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। जो लघु उद्योगों के मालिक हैं, संचालक हैं, उनको भी सुविधा प्रदान की जा रही है। लघु उद्योगों को वसुंधरा राजे जी के विभाग की ओर से क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की गई है। ये दोनों योजनाएं इस सरकार ने देश की औद्योगिक मंदी दूर करने के लिए शुरू की हैं।

कृषि प्रधान देश में कृषि को संरक्षण देने के बिना इस देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने, उस समय के कांग्रेस के शासन ने अनुच्छेद 48 में स्पष्ट प्रावधान किया था कि गोवंश की हत्या नहीं हो और इस बात की व्यवस्था करने का काम केन्द्र की सरकार द्वारा किया जाएगा। मुझे दुख है कि पिछले 50 वर्षों में जिनकी सरकार रही है, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 पर अमल करने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने डब्ल्यू. टी. ओ. में भी देश का पक्ष किसानों के हित में रखा है और किसानों को लाभ हुआ है। इस देश में औद्योगिक मंदी को दूर करने के लिए सरकार ने एक नहीं, अनेक निर्णय लिए हैं। निजीकरण के माध्यम से भी जो बीमार या बंद उद्योग हैं, उनको चालू करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के लोगों को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कृषि के बजाय उद्योगों की तरफ ध्यान दिया, पूंजीवादी व्यवस्था देश में कायम की। लेकिन किसी कांग्रेसी ने उस समय कोई विरोध नहीं किया। इसी तरह जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने सारे देश में राष्ट्रीयकरण की बात की।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री थावरचन्द गेहलोत, आपकी पार्टी के चार सदस्य और हैं, जिन्होंने बोलना है तथा माननीय प्रधानमंत्री को अपराह्न 3.00 बजे वाद-विवाद का जवाब देना है। अतः कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : फिर नरसिंह राव जी आए, मनमोहन सिंह जी आए। इनके सब सदस्य उनकी हां में हां मिलाते रहे। हम तो इस बात के हामी है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, प्रशासन चलाना है। हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि देश की सरकार व्यापारी, देश की जनता भिखारी। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि सरकार व्यापार या व्यवसाय का काम करे। हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसलिए विनिवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टि से मौलिक अधिकारों को छोड़कर संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है। जो संविधान 50 साल से लागू है, उसकी मंशा के अनुरूप काम क्यों नहीं हुआ, क्या इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामी रही है या संविधान की शब्दावली जो लिखी है, उसमें कोई खामी है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यह अनुसूचित जाति

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

और जनजाति के हितों के विरुद्ध होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में होगा। इसी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है और इसके संविधान में संशोधन भी किया है। इसके अलावा एक नहीं, अनेक ऐसी बातें हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए वाल्मीकि सुधार योजना और निर्मल अभियान योजना चलाई गई है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अगर पुरानी सरकारें यह काम कर देतीं तो फिर सारा देश साक्षर हो जाता और विकसित देशों में अग्रणी होता। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। पिछली सरकारों ने देश के विकास के लिए सिर्फ भ्रम फैलाने का ही काम किया है।

सभापति जी, एक नहीं अनेक ऐसे बिंदु हैं, जिनका मैं उल्लेख कर सकता था, लेकिन समयाभाव के कारण यह सम्भव है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उससे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अटल जी बधाई देता हूं कि इतने कम समय में, इतना अच्छा काम करके दिखाया, जो दो तिहाई बहुमत वाली सरकार भी नहीं कर सकती।

[अनुवाद]

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे राष्ट्र में अब उपस्थित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठाया गया है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारतीय संसद पर 13 दिसम्बर को हुए हमले के संबंध में जिक्र किया गया है। तदन्तर इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर टावर के ढहने के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में मन्दी तथा सरकार द्वारा आतंकवाद का सामना करने की आवश्यकता के संबंध में भी कहा गया है। किन्तु कुछ ऐसे पहलू हैं, जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में वास्तव में जिक्र नहीं किया गया है।

ग्राम विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण शिक्षा के संबंध में एक प्रमुख मुद्दा तथा ज्वलंत समस्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की चिन्ता का कारण है वितरण के रूप में बहुत सी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी तरह की बहुत सी चीजों को रद्द करने की भी बात की गई है। मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान, निसन्देह, 210 मि. टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, सरकार के प्रयासों के लिए धन्यवाद नहीं बल्कि यह तो स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदृष्टि के कारण था कि हम आत्मनिर्भर हैं तथा हमारे पास खाद्यान्न का अतिरिक्त स्टाक भी है; दूसरा ऐसा किसानों के प्रयासों के कारण हुआ है, जिन्होंने स्वयं यह कार्य कर दिया है।

आज पर्याप्त भण्डारण सुविधा की कमी के कारण खाद्यान्न की बहुत बड़ी मात्रा या तो नष्ट कर दी जाती है तथा समुद्र में फेंक दी जाती है। शीतगृह के मोर्चे पर हम अन्य आधुनिक देशों की तुलना में बहुत पिछड़ गए प्रतीत होते हैं। कृषि श्रमिकों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए आवश्यक पर्याप्त अवसंरचना जुटाना हमारा कर्त्तव्य है।

ग्रामीण स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वच्छता बहुत महत्त्वपूर्ण है। हर समय हम विभिन्न संक्रामक बीमारियों के फैलने के बारे में सुनते रहते हैं जो विशेष रूप से पर्याप्त स्वच्छता की कमी के कारण होता है। मैंने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है और मैंने कई जगहों पर पाया है कि साफ–सफाई की स्थिति बहुत खराब है और जलापूर्ति अपर्याप्त है। सभी ग्रामीणों की मांग यह है कि उन्हें पर्याप्त जलापूर्ति और समुचित साफ–सफाई की आवश्यकता है। यह सरकार के साथ–साथ हम सबों का कर्त्तव्य है कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयासों पर विचार करें। ग्रामीण विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों का शहरी क्षेत्रों में प्रवर्जन हो रहा है। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हमारे किसी भी शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से इतने बड़े पैमाने पर पलायन करने वाले लोगों को जगह देने की क्षमता नहीं है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार बहुत महत्त्वपूर्ण है और हमें इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

ग्रामीण स्वास्थ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूं कि जब तक हम इस मुद्दे को

निटाएंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार हम यह पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य इकाइयां हैं पर उनमें चिकित्सक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, कार्मिक या कम्पाउन्डर या अन्य सहायक नहीं हैं जो चिकित्सकों की मदद कर सकें।

अपराह्न 2.00 बजे

यहां तक कि कुछ के पास जांच प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार को इस विशेष मुद्दे को सुलझाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए।

आजकल प्रचलित बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट–अटैक और मधुमेह ग्रामीण भारत में भी पाई जाती हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा का उल्लेख किया गया है पर यह पर्याप्त नहीं है। सरकार ने 30,000 रुपए प्रतिवर्ष बीमा राशि अथवा 2000 रुपए चिकित्सा व्यय का प्रस्ताव किया है जो काफी कम है। आजकल एक साधारण चिकित्सकीय प्रक्रिया या ओपन–हार्ट सर्जरी में आपको डेढ़–दो लाख के बीच खर्च होता है। इसमें दवाइयों और अस्पताल में रहने का खर्चा भी शामिल है। इसलिए सरकार को चिकित्सा व्यय के लिए बीमा की सीमा 3 लाख रुपए से अधिक की सीमा तक करने के बारे में सोचना चाहिए, जितना कि अमूमन खर्च होने की संभावना होती है, और यह राशि किसानों या कृषि श्रमिकों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भुगतान किया जाना चाहिए या प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यदि सरकार को यह राशि जुटाने में कोई समस्या आ रही है तो प्रत्यक्ष कर पर अधिभार लगाकर या अन्य प्रकार के कर लगाकर धनराशि जुटायी जानी चाहिए। नगर निगम द्वारा पहले ही स्वास्थ्य कर या अन्य करों के रूप में ऐसे कर लगाए गए हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि सरकार भारत के आम लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए एक विशेष निधि नहीं जुटा सकती है।

अपराह्न 2.01 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू जिसको सुलझाना है वह जलापूर्ति है। मैं सोचता हूं नलकूप खोदना अच्छा नहीं है अत्यधिक नलकूप खोदे जाने से भूकम्प आने का खतरा रहता है। हमने उड़ीसा में महाचक्रवात और गुजरात में क्या हुआ उसे देखा है। इससे पता चलता है कि जहां तक आपदा प्रबंधन का सवाल है, हम उसमें अत्यधिक पीछे हैं। हमारे देश में आपदा प्रबंधन के लिए कोई एजेंसी नहीं है। बेशक, प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन दल के प्रधान हैं पर कृषि मंत्रालय, मुख्य मंत्री और जिला प्रमुख भी इसमें शामिल हैं। परन्तु कौन सी एजेंसी आपदा नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करेगी। मेरा विचार है कि राज्यों में एक स्वतंत्र अग्निशमन सेवा या अग्निशमन दस्ते को इसके लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले तथा ग्रामीण स्तर पर पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी को आपदा प्रबंधन में सहायता तथा सहयोग के लिए स्वतंत्र प्रभार दिया जाना चाहिए। उन्हें आपदा प्रबंधन के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए और सभी आवश्यक उपस्करों से लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अग्निशमन विभाग उपयुक्त एजेंसी होगी जिसके माध्यम से इस प्रकार के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा की जाती है। हमने सैन्य बलों को असैन्य बलों के साथ मिलाने के बारे में भी बात की है। दुर्भाग्यवश हमारे असैन्य बल पर्याप्त रूप से लैस नहीं हैं और उनके पास बहुत पुराने हथियार हैं। उनमें से कई सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि यह आवश्यक है कि पुलिस को अच्छे हथियारों से सुसज्जित होना चाहिए। अमेरिका से हमें मानव जीवन, विशेष रूप से रक्षा कार्मिकों के जीवन के मूल्य के बारे में सीखना चाहिए और यह भी कि उन्हें आवश्यक रूप से सुसज्जित किया जाना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि असैन्य बलों एवं पुलिस को उपस्करों का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें गन, सुरक्षित बख्तर, जैसे हथियारों और ऐसी अन्य चीजों से लैस कर आधुनिक बनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उग्रवादियों से लड़ने में मदद मिल सके।

घुसपैठ और आतंकवाद के संबंध में हम आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियों द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शायद ही कोई कदम उठाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि हमारी आसूचना एजेंसियों के पास केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आसूचना अधिकारी होने चाहिए जो आसूचना एकत्रित करने और आसूचना देने में प्रशिक्षित हों। उन्हें सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि आसूचना नियमित रूप से एकत्रित की जा सके और विभिन्न संगठनों को यह सूचना दी जा सके ताकि उन्हें यह पता रहे कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस समय प्रशिक्षित कर्मचारियों वाले एक स्वतंत्र आसूचना एजेंसी की अत्यधिक आवश्यकता है। बेहतर आसूचना और चौकसी

[श्री एस. डी. एन. आर. वडियार]

के लिए शहर के सभी महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं, शापिंग तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में जहां लोग आते जाते रहते हैं और अन्य सभी संवेदनशील क्षेत्रों में रिकार्डिंग के लिए वीडियो कैमरे होने चाहिए ताकि हम जान सकें कि क्या हो रहा है। यह कुछ हद तक बोझ को कम करेगा। यहां तक कि रेलवे स्टेशनों में भी इसी विशेष तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्वान दलों का उपयोग निगरानी के लिए तथा बमों और विस्फोटकों का ढूंढ़ने के लिए किया जाना चाहिए। हमें इस दिशा में भी कार्रवाई करनी है इन मामलों में हम अभी तक असफल रहे हैं।

सरकार वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम की भी बात करती है। परंतु दुर्भाग्य से, प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण अच्छे जन परिवहन प्रणाली का अभाव है। यहां जो जन परिवहन प्रणाली है वह केवल बस के रूप में ही है। जब तक हमारे पास अच्छी जन परिवहन प्रणाली नहीं होगी, हमारे देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा जिससे विभिन्न बीमारियां पैदा होंगी। सरकार को सड़क अवसंरचना के मामले में भी सोचना चाहिए। उन्हें अच्छे जन परिवहन प्रणाली पर भी विचार करना चाहिए ताकि स्कूटरों, कारों और अन्य वाहनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

मेरा सुझाव है कि अब यह जरूरी हो गया है कि सरकार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पुनरीक्षण करना चाहिए। हम पाते हैं कि अच्छे वृक्षों, वन्य जीवों, औषध वनस्पतियों और अन्य वन सम्पदा की बड़े पैमाने पर चोरी या उनका शिकार होता है। इसलिए पर्याप्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस प्रकार के अपराध करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कदंम उठाए जाने चाहिए।

सरकार ने चतुष्कोणीय सड़कों और इस प्रकार की अन्य चीजों की बात की है। मैं सोचता हूं कि जब तक निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होती, सड़कों को अच्छी और उपयोगी हालत में बनाए रखना संभव नहीं है। निःसन्देह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है पर फिर भी मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है और यह भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं कर सकेगा। जैसा कि मैंने कहा, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। यह आवश्यक है कि हम उन्हें अच्छी सड़कें और पर्याप्त सम्पर्क सड़कें मुहैया कराएं। कई राज्यों के राजमार्ग बुरी हालत में हैं क्योंकि सड़कों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन आंतरिक मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था।

आखिर में, मैं महसूस करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के ऊपर हमें सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, शिक्षा बड़े और शहरी क्षेत्रों में संकेन्द्रित हो गई प्रतीत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलतः सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं। कई बार इस प्रकार के विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड, शिक्षक, बैठने की जगह और कुछ के पास तो पुस्तकें भी नहीं होती हैं। एक तरफ तो ऐसी स्थिति है और आप साक्षरता और बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि यह तभी सार्थक होगा यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां पर शिक्षक, ब्लैकबोर्ड, बैठने की जगह, यूनिफार्म, खेलने का मैदान और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए जाएं जो ग्रामीण लोगों के लिए शिक्षा को सार्थक बनाने हेतु अपेक्षित हैं।

महोदय, कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं की गई है। मैं उन पर चर्चा करना चाहता था। परंतु महोदय दुर्भाग्य से आप मुझे यह बताने के लिए घंटी बजा रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करता हूं कि इसमें देश के लिए समस्या बन रही विभिन्न महत्त्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों की चर्चा नहीं की गई है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, जिस तरह से परम्परा है, प्रथा है कि वर्ष के प्रारम्भ में, बजट सत्र के शुभारम्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण के द्वारा सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं तथा सरकार ने पिछले वर्षों में देश की जनता के लिए क्या किया है और आने वाले वर्षों में सरकार की मंशा क्या है, सरकार देश के नागरिकों के लिए क्या करना चाहती है-वह सब महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण में देश के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहां पर परम्परा के अनुसार उस पर चर्चा होती है और चर्चा पर देश के लोगों की निगाहें होती हैं कि सत्ता पक्ष के लोग क्या कहना चाहते हैं और विपक्ष के लोग क्या-क्या कमियां निकालते हैं। उन कमियों की महत्ता क्या है और विभिन्न पार्टियों के लोग उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।

सभापति जी, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है और जिस प्रकार से अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह देश की सीमाओं पर देश

की सुरक्षा करे और साथ ही देश के अंदर लोगों की आंतरिक सुरक्षा के प्रति भी वह सजग रहे। मुझे खुशी है कि सरकार ने अपने इस दायित्व को बड़ी कृतज्ञता और संकल्प के साथ दोहराया है और अपनी जिम्मेदारी को समझा है और वह देश की सीमाओं की सुरक्षा रखने में कामयाब है। देश के अंदर भी लोगों में प्रेम और भाईचारा बनाने का जो उसने संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए भी वह तैयार है।

सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह आम आदमियों की मूलभूत जरूरतों को कैसे पूरी करे और सामाजिक एकता को कैसे निभाए। जहां इस चीज को निभाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है वहीं सरकार को यह भी देखना होता है कि देश में विकास कैसे हो और देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो ताकि एक सामंजस्य देश के लोगों के बीच और देश के विकास के बीच बना रहे।

मान्यवर, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को भलीभांति जानता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें मुहैय्या कराई जाती हैं वह देश के किसानों के द्वारा ही कराई जाती हैं। समाज का हर वर्ग देश के किसान से जुड़ा हुआ है। मैं पंजाब और हरियाणा प्रदेश के किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी मेहनत और लगन ने देश के लोगों की जरूरतों को पूरा किया है और आज सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि अनाज के मामले में, खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर है तथा देश में खाद्यान्नों के भंडार भरे पड़े हैं। यह किसानों की मेहनत का ही फल है। लेकिन इसके साथ–साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हम उस खाद्यान्न को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं कोई कमी है। यदि हम दालों और तेल की बात करें तो वह हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। किसान हमें बहुत कुछ दे सकता है इसलिए सरकार को किसानों की हर सम्भव मदद करनी चाहिए। यदि उसे अपनी उपज का लागत मूल्य नहीं मिल पाएगा तो बेचारा किसान कहां जाएगा? मेरा अनुरोध है कि देश के किसानों के लिए जिस तरह हर वर्ष समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, उसी प्रकार इस वर्ष भी इसकी घोषणा की जाए। सरकार ने अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। देश के किसानों को उपज का लागत मूल्य मिल सके और कृषि एक लोकप्रिय उद्योग बन सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। किसानों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। उसे सिंचाई, पानी और बिजली की जरूरत पड़ती है। जिस तरह खाद, डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसका असर किसानों पर पड़ता है। इसे कंट्रोल करके किसानों की स्थिति को सुधारा जाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों की इसमें मदद की जाए। जब तक हम किसानों की मदद नहीं करेंगे, फायदे में नही रहेंगे। इस बारे में विस्तार से एक नीति बनाई जाए। कृषि नीति की कई बार चर्चा हुई लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक उसे सही रूप नहीं दिया गया। आज जगह–जगह चर्चा होती है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार इस तरफ ध्यान देकर जो मजबूरियां किसानों की हैं, उन्हें दूर करने का काम करे। आज बहुत सी परियोजनाएं खास तौर पर सिंचाई परियोजनाएं कई वर्षों से लंबित पड़ी हैं। जो कीमत उस समय उनके निर्माण कार्यों में खर्च होनी थी, वे चार–पांच गुना बढ़ गई हैं। उदाहरण के तौर पर मैं सतलुज यमुना लिंक केनाल का जिक्र करना चाहता हूं। इस बारे में अब माननीय न्यायालय का यह फैसला आ गया है कि उसे एक साल में पूरा करना चाहिए। हालांकि उसकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश को मानते हुए और उसमें पहल करते हुए एक साल में पूरा कराया जाए।

सरकार भेदभाव किए बिना गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। मुझे खुशी है कि सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलने वाले अनाज की मात्रा को बढ़ा कर 25 किलो प्रति परिवार कर दिया है। कई बार देखने को मिलता है कि गरीब आदमी की गरीबी का जो मापदंड अपनाया जाता है, उसमें भेदभाव किया जाता है। यदि हरियाणा, पंजाब की तुलना पूर्वोत्तर राज्यों या बिहार से करें तो फर्क देखने को मिलेगा। पीले, गुलाबी रंग के कार्ड देने के बारे में जो मापदंड अपनाया गया है, वह अलग–अलग है। आज हरियाणा में गरीब से गरीब आदमी को ऐसी चीजें मुहैय्या कराई जा रही हैं जिससे वे ईंटों का मकान बना सकें। बिजली लगा सकते हैं लेकिन मापदंड में यह है कि जिसका मिट्टी का मकान है, बिजली का बल्ब जलता है, वह गरीब आदमी है। हो सकता है कि बिहार में ऐसा...

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण 3 बजे होना है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : सभापति महोदय, हमारी

[डा. सुशील कुमार इन्दौरा]

पार्टी के पांच सदस्य हैं और उन पांचों में से मैं ही अकेला बोलने वाला हूं। हमारे साथ यह भेदभाव न किया जाए।

सभापति महोदय : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : सभापति महोदय, अगर हम किसानों के हितों की बात करें या उनकी आत्महत्या किए जाने की बात कहें तो हमें समय नहीं दिया जा रहा है जबकि श्री गेहलोत जी ने काफी समय बोला है।

सभापति महोदय : 3 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब होना है, इसलिए समय नहीं है। आपकी पार्टी के लिए 7 मिनट का टाइम था और आपने 15 मिनट ले लिया है। आपको डबल समय दे चुके हैं...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मैं कनकलूड कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप आधा मिनट में समाप्त कीजिए। श्री शाहीन...

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मेरा भाव यह है कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसकी दर ज्यादा है जबकि विकास की दर कम है। इस गंभीर मामले की ओर सरकार ध्यान दे ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। सरकार ने स्वयं माना है कि 70 हजार करोड़ रुपया अनाज के उत्पादन, परिवहन, वितरण और अर्थ-व्यवस्था पर...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इन्दौरा जी, हम श्री शाहीन को बुला चुके हैं। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस वाद-विवाद के आखिरी क्षणों में मैं अपने आप को उनके अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में उसकी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और कुछ अन्य संबंधित मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। इस सम्माननीय सभा में हमने माननीय संसद सदस्यों के कई ज्ञानवर्द्धक भाषणों को सुना और उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मैं उन सभी संसद सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के बारे में चर्चा की और वहां के लोगों के कष्ट के बारे में बोला जो आतंकवादी हिंसा और कई अन्य दबावों के भारी बोझ तले दबे हुए हैं।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के पैरा 8 में यह उल्लेख किया गया है कि जम्मू और कश्मीर की आंतरिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार की स्पष्ट रणनीति है। जहां तक जम्मू और कश्मीर की आंतरिक स्थिति का संबंध है लोग तीन या चार कारकों से दुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारी आवाज राज्य के भीतर और विभिन्न लोकतांत्रिक मंचों, जिसमें यह सभा भी शामिल है, में घुट कर रह जाती है। महोदय, यदि आप इस सभा की कार्यवाहियों का सन्दर्भ लें, तो नेशनल कांफ्रेंस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे बोलने का समय दिया है। मैं आपका ध्यान जम्मू और कश्मीर की आंतरिक स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। इसकी आंतरिक स्थिति सीमापार से आतंकवादी हिंसा के कारण दुर्भाग्यपूर्ण हालात से गुजर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य पिछले लगभग बारह वर्षों के दौरान अतिवादी धार्मिक रूढ़िवादियों के द्वारा बनाया गया है। दूसरा कारक राज्य की आर्थिक अभावग्रस्तता है। इसकी जड़ें इतिहास में मौजूद हैं।

तीसरा कारक वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो सुरक्षा बलों को तैनात किए जाने की विवशता से उपजी है। कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की आलोचना हुई है और यह भी कश्मीर के लोगों की पीड़ा है कि निर्दोष लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ता है।

चौथा कारक युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है। आठवें पैराग्राफ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने तीन बातों की चर्चा की है, अर्थात् एक, आतंकवाद का सफाया करना; दूसरा, राज्य के तीनों प्रान्तों के आर्थिक विकास पर जोर; और तीसरा, जम्मू और कश्मीर के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढ़ना।

जम्मू और कश्मीर सरकार के सूचना विभाग द्वारा 20 अगस्त, 2001 को जारी प्रेस नोट के अनुसार आतंकवादी हिंसा में अब तक 29,000 नागरिकों की जान गई है, 21,000 लोग घायल हुए हैं जिनमें से अधिकांश अपने गंभीर घावों के कारण असहाय हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस हालत में पहुंच गए हैं कि वे मानव के रूप में सामान्य जीवन नहीं जी सकते। यह हमारे हृदय में बसी पीड़ा है। परन्तु अब तक हमारे सीमा पर हालात स्थिर नहीं है।

मैं माननीय संसद सदस्यों का ध्यान अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले और जम्मू और कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर नापाक हमलों के बाद की हाल की स्थितियों की ओर दिलाना चाहूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि परिदृश्य बदल गया है। परंतु कश्मीर में यह नहीं बदला है। हमारे यहां सीमा पार से आतंकवाद मौजूद है। वहां पर सीमा पार से घुसपैठ हो रही है। वहां पर आतंकवादी हिंसा के सारे संकेत मौजूद हैं। यह कुछ समय के लिए थमा हुआ हो सकता है। इसलिए वहां इसकी आशंका और इसका खतरा मौजूद है।

मैं बाहरी खतरे की चर्चा करना चाहूंगा पर मेरे पास बहुत कम समय बचा है और इस कारण में इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। परन्तु मैं आपका ध्यान अफगानिस्तान की घटनाओं के बाद हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के केवल एक पैरा की ओर दिलाना चाहूंगा। यह एक अमरीकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था जो ओएक ब्रुक, इलिओनिस, अमेरिका से प्रकाशित हो रहा है। उसमें यह लिखा हुआ है कि :

"द गनफायरस् वार ट्रेस्ड टू अफगान रिफ्यूजी सेट्लमेंट्स"

यह उन गनफायरों के बारे में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हेलीकाप्टरों और युद्धक विमानों पर पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान से किए गए थे। यह पैराग्राफ उससे संबंधित है :

"यह पता लगाया गया था कि गनफायर अफगान शरणार्थी बस्तियों पर किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह युद्ध की अवधि के दौरान उनको किसी अन्य स्थान पर भेज दे। पाकिस्तान ने इन शरणार्थियों को पाक-अधिकृत कश्मीर में भेज दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि जिन्हें वहां भेजा गया है वे शरणार्थी हैं। परन्तु हमारे पास यह आसूचना है कि ये लोग प्रशिक्षित अफगान लड़ाकू हैं। पाकिस्तान के आंतरिक कार्य मंत्रालय ने रात्रि में इन लड़ाकूओं को ट्रकों से पाक-अधिकृत कश्मीर भेज दिया। उन पर पुलिस के बजाय इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई एस आई) एजेंटों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का भय है कि पाकिस्तान उन्हें कश्मीर में प्रविष्ट करा देगा ताकि तालिबान के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका का समर्थन करने के कारण उन्हें अपने खिलाफ होने से रोका जा सके।"

मैं अपने वक्तव्य को इससे अधिक लम्बा नहीं करूंगा क्योंकि इस सम्माननीय सभा में ऐसे माननीय सदस्य हैं जो विदेशी मामलों तथा हमारी सीमाओं से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक जिसकी वजह से हम जम्मू एवं कश्मीर में स्वयं को असहाय महसूस करते हैं, वह है हमारे अपने ही लोगों की तथाकथित कृपालुता; अनुच्छेद 370 के संबंध में दी जाने वाली अनावश्यक विशेषज्ञ सलाह; हजरतबल की पवित्रता के बारे में दिए जाने वाले दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य तथा हमारे राज्य से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में वक्तव्य।

हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो अपनी दृढ़ धारणा के लिए सीमा पार से भड़काई जा रही हिंसा और अत्याधुनिक 'गनों' के खतरे का सामना कर रहा है। मेरी पार्टी के 9,483 से अधिक सक्रिय कार्यकर्त्ताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों की इसी तरीके से हत्या की गई है परन्तु हमने इन सबका सामना किया है। हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्त्ता और समर्थक अपने जीवन की परवाह न करते हुए भारतीय लोकतंत्र के ध्वज को ऊंचा बनाए रखने के लिए चुनावी मैदान में जाते हैं। जब हम चर्चाएं करते हैं तो हमारे मित्र कहते हैं कि हमारे यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है? अवश्य ही, हम उसका समर्थन करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ है कि हमें आतंकवादी हिंसा का भय नहीं होना चाहिए था तथा यह कि हमारे कार्यकर्त्ताओं, संबंधियों, मित्रों और अन्य लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए था। परन्तु इस संबंध में क्या किया जा सकता है? जब हम ऐसे विभिन्न समूहों, जो धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़े हुए हैं, की ओर से प्रकाश में लाए गए अहमदाबाद और अन्य स्रोतों की ओर ध्यान देते हैं, तो पता चलता है कि दुर्भाग्यवश धर्मान्धता के कीड़ों ने कहीं से आकर स्थिति को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। ऐसी स्थिति में हम अपनी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के कार्य में अव्यवस्थित रूप से इधर-उधर भटकते हैं।

इस अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विभिन्न शिष्टमंडल इस देश की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभिन्न देशों में गए हैं। मैं ऐसे ही एक शिष्टमंडल का सदस्य था तथा जब कुछ लोगों, जो 'इंडिया वाचर्स', पत्रकार और अन्य हैं, ने मुझसे बात की तो उन्होंने बार-बार मुझसे एक ही प्रश्न पूछा कि "भारत में ऐसी विविध स्थिति में आप एक साथ कैसे रहते हैं?" परन्तु मैंने गर्व के साथ यह कहा

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

कि विविधता में एकता भारत की महानता है और हमारे लोकतंत्र की महानता है। कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता है। तत्पश्चात् मुझे उनके मन से यह धारणा निकालनी पड़ी थी कि कश्मीर एक छोटा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मुझे यह स्पष्ट करना पड़ा था कि हमारी तीन सांस्कृतिक पहचान हैं, अलग प्रांत हैं जहां सभी तरह के लोग अर्थात् मुसलमान, हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख और अन्य धर्मावलंबी रहते हैं। यह लघु भारत है। यही कारण है कि हमारे महान नेता, इतिहास पुरुष स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मेरे जीवनकाल के दौरान जीवित थे, ने पूर्ण विश्वास के साथ यह निर्णय लिया था कि हम किसी भी मूल्य पर लड़ाई लड़ेंगे किन्तु धर्मनिरपेक्ष उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था का साथ देंगे।

मेरा विनम्र निवेदन है कि आरोप और प्रत्यारोप हमारे लिए मददगार नहीं हो सकते हैं; इस देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं कर सकते हैं तथा हमारे देश के बाहर के उन लोगों का भय दूर नहीं कर सकते हैं जो हमारे महान देश और महान लोकतंत्र से ईर्ष्या करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि यदि कुछ विकसित देश, जिनकी जनसंख्या कम है, ऐसा कहें कि हम इतने बड़े लोकतंत्र को कैसे संभालते हैं और हम इसे कैसे बनाए रखते हैं? मैंने उन्हें बताया कि हम ऐसा कर लेते हैं। परन्तु अब अहमदाबाद आदि के संबंध में क्या कहा जा सकता है—अब क्या हो रहा है? इस वक्त हमारे समक्ष सभी तरह की समस्याएं हैं जो अत्यंत विकट हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस अभिभाषण में जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया जाना एक बड़ी कृपादृष्टि है। मैं इस कृपादृष्टि के लिए धन्यवाद देता हूं। पिछले बारह वर्षों से जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को दुर्भाग्यवश हताशा और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती रही हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त, योग्य लड़के और लड़कियां अपने रोजगार को लेकर निराश और हताश हैं।

हम इस अभिभाषण में भारत के राष्ट्रपति से आशा कर रहे थे कि जम्मू एवं कश्मीर में इस तरफ के लोग तथा उस तरफ (पाकिस्तान) के लोग सीमा पर ऐसे स्थान जहां चौकसी होते हुए भी आसानी से आना जाना होता है, के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं तथा वार्तालाप कर सकते हैं और अपने लिए यह विचार कर सकते हैं कि दोनों देशों की एकता और सम्प्रभुता कैसे अक्षुण्ण बनाई रखी जा सकती है। हम इस मुद्दे पर बात कर सकते थे और उसका समाधान कर सकते थे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। परन्तु इस संबंध में आशा की एक किरण विद्यमान है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने इसका उल्लेख किया है। अब, मैं यह महसूस करता हूं कि पाकिस्तान में श्रीमती बेनजीर भुट्टो और अन्य ऐसे जोशीले राजनीतिज्ञों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि हमें स्पष्ट रूप से समस्याओं का समाधान करना चाहिए और भारत तथा पाकिस्तान की संप्रभुता को भंग किए बिना एवं इस देश में तथा उस देश में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की प्रतिष्ठा का अतिक्रमण किए बिना उचित रुख अपनाने पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री दलित इजिलमलाई, कृपया दो या तीन मिनटों में अपना भाषण समाप्त कीजिए क्योंकि आपके नेता ने आपकी पार्टी के लिए आवंटित समय से अधिक समय तक भाषण दिया है।

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली) : सभापति महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में कम से कम दो मिनट का समय देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। मैं स्वयं को केवल दो अथवा तीन बातों तक ही सीमित रखूंगा। मेरे अनेक माननीय मित्रों ने विभिन्न विषयों पर पहले ही बोल लिया है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण, जिसमें 76 पैराग्राफ हैं, में सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। कुछ ही मिनट पहले, डा. सुशील कुमार इन्दौरा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को एक ऐसा दूरदृष्टि पत्र बताया जिसमें सरकार की उपलब्धियों और प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। जो भी हो, जैसी भी उपलब्धियां हासिल की गई हों, वे एक तरफ हैं परन्तु दूसरी ओर, सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस बात का जिक्र नहीं कर पाई है। मैं उस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, वर्तमान सरकार कम से कम किसी भी सदस्य द्वारा विरोध किए बिना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में संविधान में संशोधन करने का श्रेय अर्जित कर सकती है। यह एक भिन्न मामला है कि यह प्रभावी है अथवा अप्रभावी अथवा पूरी तरह लागू है। परन्तु फिर भी सरकार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाई है और उसे पारित कर दिया है। हम सबने उस संशोधन को अपना समर्थन दिया है। मैं सोचता हूं कि सरकार को राष्ट्रपति के

अभिभाषण में संविधान के उस संशोधन के पारित होने का उल्लेख करना चाहिए था।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 55 में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सरसरी तौर पर उल्लेख है। देश की कुल जनसंख्या में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत 35 से ज्यादा है और पिछड़े वर्गों का प्रतिशत लगभग 52 है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का यह एक बहुत बड़ा सामाजिक भाग है, परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका सीमित जिक्र किया गया है। उन्होंने उनका जिक्र करते वक्त कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को तीव्र कर दिया है। ये तीन समूह अनिवार्य रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। जब यह हमारी जनसंख्या के इन तीन समूहों पर आता है, तो न केवल इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, अपितु पिछली सभी सरकारों के दौरान आज तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित प्रत्येक कानून और नियम का उल्लंघन किया गया है।

हाल ही में, गुजरात में नरसंहार के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह राष्ट्र पर कलंक है। जब 1977 में बिहार में नरसंहार हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही थी। यहां पर यह संदर्भ आया है कि देश एक घण्टे में हजारों टेलीफोन कनेक्शन देने में सक्षम है। एक ओर यह एक उपलब्धि है जबकि दूसरी ओर एक घण्टे में आज हमारे देश में कई सौ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बलात्कार किया जाता है, उन्हें सामान्य अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित किया जाता है और हम देखते हैं कि कई सौ लोगों को जिन्दा जलाया जाता है तथा हजारों घरों को बर्बाद किया जाता है। भारतवर्ष में 104 करोड़ लोग रहते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच 35 प्रतिशत लोग लगातार इन असमानताओं को सहन करते हैं किन्तु सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्हें बहुत ही कम स्थान दिया है।

महोदय एक ओर, मैं संविधान में संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और कहता हूं कि यही वह सरकार है, जिसने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सुरक्षा का समर्थन किया है। किन्तु दूसरी ओर, हमारे पास यहां देखने को कुछ भी नहीं है। यह सब क्या है? जब जनसंख्या 35 प्रतिशत है, तो कम से कम, अपने आवंटन में आपको यह अवश्य दिखाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के उद्धार के लिए इतना ही आवंटन किया जा रहा है।

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। धन्यवाद।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। समय समाप्त हो चुका है।

श्री दलित इजिलमलाई : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें...*(व्यवधान)* अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सभी जगह वे दावा करते हैं कि उनका स्तर है, चारित्रिक महत्ता है तथा वे अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बीच बचाव करते जा रहे हैं। किन्तु हमारे देश में लगातार क्या हुआ है। नदी जल-विवाद पिछले कई दशकों से चल रहा है। 1924 से उन्होंने इस विवाद का निपटारा नहीं किया है।

सभापति महोदय : मैं अगले माननीय सदस्य को बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान गृहण करें।

श्री दलित इजिलमलाई : प्रतिदिन हमारे मछुआरों को सप्ताह दर सप्ताह पड़ोसी देशों द्वारा मारा जा रहा है। मछुआरों को समुद्र के बीच में मारा जा रहा है क्योंकि हमने लोगों की सहमति के बिना पड़ोसी देशों को कच्छाथीवु टापू दे दिया है। सम्बद्ध राज्य से परामर्श किए बिना वह टापू दिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना स्थान गृहण करें।

श्री दलित इजिलमलाई : एक ओर हम सरकार के तरीके की सराहना करते हैं। किन्तु दूसरी ओर हमें खेद है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित लोगों को बहुत ही कम महत्त्व दिया जा रहा है।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं, माननीय सदस्य डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिए जाने के लिए

[डा. सी. कृष्णन]

मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभिभाषण 25 फरवरी, 2002 को दिया गया था।

सीमा–पार से आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमें अपने सभी प्रयासों के साथ सीमा–पार आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। आतंकवाद भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित तथा वित्त पोषित है। 13 दिसम्बर, 2001 को, उन्होंने संसद, जो भारतीय लोकतंत्र का मन्दिर है तथा जिसकी हमारे द्वारा पूजा की जाती है, के अहाते में प्रवेश किया।

हमें दिल से उन सात बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने हमारी संसद तथा उस समय सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह हमला 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्विन टावर पर हुए आतंकवादी हमले से अभिन्न था।

हम निश्चित रूप से पूर्ण उत्साह के साथ आतंकवाद से लड़ेंगे। हम कोलकात्ता हवाई अड्डे पर हुए हमले के मुख्य दोषी को सौंपने के लिए निश्चित रूप से यूनाईटिड अरब अमीरात की सराहना करते हैं। मैं मांग करता हूं कि इस्लामाबाद को हमारी सरकार द्वारा पहचान किए गए तथा नाम दिए गए 20 आतंकवादियों को हमारे देश को सौंप देना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में भयंकर अपराध किए हैं और अब वे पाकिस्तान में आश्रय लिए हुए हैं। इस संबंध में, आन्तरिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अविवादित अनिवार्यता बन गई है। इस संदर्भ में आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 को लागू करना निसंदेह समय की अनिवार्यता है।

इसके अतिरिक्त, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर साम्प्रदायिक सद्भाव तथा शान्ति बनाए रखनी होगी। यह हमारे महान लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।

भगवान का शुक्र है कि अयोध्या मुद्दे को सरकार द्वारा बिना किसी खून–खराबे के सौहार्दपूर्ण ढंग से तथा आसानी से संभाला गया है। इस अयोध्या मुद्दे ने, आज देश में अन्य सभी वर्ग के लोगों को उपयोगी आशा दी है, वास्तविक साम्प्रदायिक सद्भाव के साथ भारत में रहने की अच्छी आशा जगाई है।

इसी संदर्भ में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1 मार्च, 2002 को गोधरा में पांच रेलवे बोगियों को जलाना मुझे बहुत बुरा लगा। गुजरात में आगे जो कुछ हुआ, उसकी निन्दा की जानी चाहिए तथा सरकार को उस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए।

महोदय, मुझे गर्व है तथा मैं, यह नोट करके खुश हूं कि भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे किसान पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं। यह गरीब किसानों के लिए लाभोपार्जक होना चाहिए तथा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का गठन एक स्वागत–योग्य कदम है। सरकार, व्यापक तथा अभूतपूर्व पैमाने पर सड़क विकास का संवर्द्धन कर रही है। चार महानगरों अर्थात् उत्तर–दक्षिण गलियारे के बीच दिल्ली–मुम्बई–बैंगलौर–चेन्नई–कोलकात्ता तथा श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से गोवाहाटी के बीच पश्चिम–पूर्व गलियारे को जोड़ने वाला गोल्डन चतुर्भुज हमारे देश की भावी जनसंख्या के लिए योजनाओं की महान जीत है।

महोदय, निसन्देह भारत हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री, श्री वाजपेयी जी की अध्यक्षता में अपने सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं, एम. डी. एम. के. की ओर से बोल रहा हूं, जिसके अध्यक्ष तमिलनाडु के हमारे प्रिय नेता श्री वैको हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सत्र के आरंभ होने के पहले राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देती हूं। आज हम यहां एक साथ बैठे हैं तथा यह भी आशा करते हैं कि हम आत्म परीक्षण करेंगे, इस अवसर का उपयोग यह देखने के लिए करेंगे कि हमें ऐसी किन दिशाओं में जाना है जिनके बारे में हम जानते हैं परन्तु जिनका उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं यह देखकर हैरान हो गई कि हमने उन लोगों का जिक्र तो किया है जिन्होंने संसद की रक्षा में अपने जीवन का अर्पण किया तथा उन सभी साहसी पुरुषों और महिलाओं, जिन्होंने संसद भवन की रक्षा की, के प्रति हमने अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। परन्तु उन अनेक सैनिकों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है जिन्होंने लाखों अज्ञात भारतीयों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गवां दिए। ऐसे परिवारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिन्होंने

इस देश के लिए अन्न उपजाया, परन्तु जिनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, ऐसी अनेक महिलाओं के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है जिन्हें अन्य किसी वस्तु की तुलना में अनावश्यक समझे जाने के कारण मरने के लिए बाध्य किया गया है। मैं इस अवसर पर ऐसे सभी लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने उन समस्याओं, जिनका उल्लेख किया गया है तथा कार्यों, जिन्हें नहीं किया गया है, के कारण इस देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया है।

मुझे यह देखकर भी निराशा हुई कि राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद का उल्लेख किया और कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना तथा हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का पालन करना हमारे राष्ट्रीय आचार का मूल सिद्धांत है।

क्या तब ऐसा है कि यह सरकार यह सुविधा की राजनीति, समझौतों का यह गठबंधन जो सामूहिक रूप से सत्ता में निर्वाचित होकर आने की बजाय जोड़–तोड़ से सत्ता में आई है। अब शासन संचालन नहीं कर पा रही है तथा भारत को एकीकृत राष्ट्र के रूप में देखने में अक्षम पा रही है? यहां कुछ लोग इस बात के लिए शाबाशी प्राप्त करना चाहते थे कि कल का दिन शांतिपूर्वक बीत गया, कितनी दुःखद बात है, किस हद तक गिरावट आ गई है! कल कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी; यह नैतिक ह्रास था, एक ऐसी अशोभनीयता थी जिसे इस राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि हम लोग जैसी कि हमें संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त है, हम भारतीय, अब इस संसद के पटल पर दोहरी भाषा बोलते हैं, हम मुसलमानों और हिन्दुओं के विरुद्ध अत्याचारों की बात करते हैं किन्तु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो विभाजन हो रहा है हम उसकी बात नहीं करते हैं।

इस सरकार की पहली विफलता वहीं से शुरू होती है कि जिस प्रकार यह सरकार शासन चलाना चाहती है, उस संबंध में कोई सम्मति, कोई समझ की स्थिति नहीं रही है। शासन का सिद्धांत है, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। आप यहां सेवा के उद्देश्य से आए हैं, शासन के लिए नहीं और इसलिए आप भूल से कुशासन कर रहे हैं। चारों ओर से हमारी सीमाओं पर शत्रु हमें धमकी दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने का साहस मिल रहा है। इस सरकार के सत्ता में रहते हुए वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि वे हमारी व्यवस्था की अन्तर्निहित कमियों को जानते हैं। यदि वे इन कमियों को नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें अच्छी तरह सूचित कर देते हैं।

अयोध्या ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को न केवल आंतरिक रूप से बल्कि बाहरी रूप से भी मलिन किया है। पूरे विश्व से लोगों ने भारत में हो रही घटनाओं के बारे में पूछा है। हम आतंकवाद को नियंत्रित करने के संबंध में बात कर रहे हैं। क्या यह हमारे संगठनों द्वारा मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने और खंभों को ले जाने का समय है जबकि हम अपने शत्रुओं को अपनी ओर बढ़ते देख रहे हैं? क्या राष्ट्र के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था इसी प्रकार की है? क्या आप अपने उन विद्यार्थियों को इसी प्रकार का आश्वासन देने जा रहे हैं जो लगभग आधे प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने के योग्य नहीं हो सकेंगे? क्या हम अपने युवाओं के लिए इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली का प्रसार कर रहे हैं? हमने जिस दिन देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के बारे में विचार करना बन्द किया, इस देश में सामाजिक जिम्मेदारियों और शासन करने के तात्पर्य को हम भूल गए।

अभिभाषण में महिलाओं की 50 प्रतिशत जनसख्या का थोड़ा ही उल्लेख है। हम यह नहीं चाहते कि महिलाएं संसद में पुरुषों का स्थान लें क्योंकि उसका यही अर्थ होगा कि हमारे अंदर महत्त्वाकांक्षा की कमी है। हम निर्णय लेने के कार्य में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। यह कैसा शासन है कि वे 50 प्रतिशत जनसंख्या को निर्णय लेने संबंधी कार्य से अलग रखते हैं और पुरुष ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे हमारे जीवन पर प्रभाव पडता है? आप अनुसूचित जातियों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। आप अनुसूचित जनजातियों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। आप अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा नहीं करते हैं किन्तु आप महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं। आप आधे देश को छोड़ देते हैं तथा संसद में उन्हें शक्तियां प्रदान नहीं करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति ने पंचायत में शामिल महिलाओं का उल्लेख किया। महोदय, इसका श्रेय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को जाता है जिन्होंने अपने कहे अनुसार कार्य किया। उन्होंने कहा था, "महिलाओं को निर्णय–लेने के कार्य से जुड़े क्षेत्र में आने की आवश्यकता है।" पंचायती राज चुनावों के दौरान एक मिलियन (दस लाख) महिलाओं ने चुनाव लड़ा। आज देश में निचले स्तर पर महिलाएं निर्णय लेने संबंधी कार्य में भाग ले रही हैं तथापि संसद में महिला अधिकारिता विधेयक पारित नहीं हो रहा है। ये महिलाएं ही हैं जिनके 16.5 मिलियन बच्चे जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं।

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

यह महिला ही हैं जिनके विरुद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी पक्षपात किया है तथा एमनियोसेंटेसिस यह सुनिश्चित करता है कि मादा भ्रूण हत्या होती रहे, कि बालिकाओं का जन्म ही नहीं होने दिया जाता है जिसके फलस्वरूप लिंग अनुपात में कमी आ गई है। आज देश में कुछ वर्ष पहले की तुलना में कम महिलाएं हैं। महिलाओं को ही सम्पत्ति संबंधी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। महिलाओं को ही ससुराल भेजा जाता है और उन्हें हस्तांतरण योग्य वस्तुओं के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के ही विरुद्ध हर वर्ष बढ़ते अनुपात में अपराध होता है। उच्चतम न्यायालय को महिलाओं की इस अवस्था का संज्ञान लेकर भारत सरकार के बजाय महिलाओं को बच्चों का स्वाभाविक अभिभावक घोषित करना चाहिए। महिलाओं की यही स्थिति है और राष्ट्रपति जी प्रासंगिक संदर्भ देकर यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि हम इस देश की जनसंख्या का आधा भाग हैं, कि हम प्रधान मंत्रियों के पोषक और राजनीतिज्ञों की माताएं हैं। इसके साथ ही, हम अपने बच्चों और इसी प्रकार इस देश के युवाओं को संभालती हैं।

इस अभिभाषण में युवाओं का जिक्र ही नहीं किया गया है। हमारे देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के समक्ष अपने राष्ट्र के अंदर ही विस्फोटक स्थिति पैदा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। एक करोड़ नौकरियों की बात तो हम भूल जाएं, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किए जाने अपने देश के अंदर एफ. डी. आई. निवेशों की कमी, रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग की स्थापना न किए जाने तथा निश्चित रूप से स्वरोजगार के संबंध में जानकारी न होने संबंधी स्थितियां लाकर सरकार ने एक करोड़ नौकरियां छीन ली हैं। आपने युवाओं को भी इस प्रकार शिक्षित नहीं किया है कि वे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इतिहास में परिवर्तन करने और संशयात्मक ऐतिहासिक तथ्य लिखने के बजाय ऐसा क्यों है कि आपने बी. ए. और एम. ए. को समाप्त नहीं किया, जो अप्रचलित हैं? ऐसा क्यों है कि आपने युवाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा परामर्श देने सहित बेरोजगारी का उल्लेख नहीं किया है? ऐसा क्यों है कि एम. पी. एल. ए. डी. एस. निधियों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं वाले स्व–सहायता समूहों के लिए मध्यम प्रकार के ऋण के रूप में नहीं किया जा सका? ऐसे क्यों है कि हमारे द्वारा महिलाओं को माइक्रो ऋण दिए जाने के समान ही हम उन्हें भी ऋण नहीं दे सकते? इन मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यहां जिस बेरोजगारी का उल्लेख किया जा रहा है, वह इसका उत्तर नहीं है। हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाहते हैं। यह उद्योग के लघु उद्योग क्षेत्र पर आधारित है। लघु उद्योग क्षेत्र को कृषि संबंधी संपर्कों हेतु प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था बनाए रख सकें। यही इस समस्या का उत्तर होगा और आपको कुछ समाधान मिलेगा।

जब हम कृषि की बात करते हैं तो यह हास्यप्रद होता है कि लोग बफर स्टाक को देखकर खुश होते हैं। इस सरकार को यह भी पता नहीं है कि कितनी हेक्टेयर भूमि को खाद्य फसलों से नगदी फसलों में अंतरित किया गया है। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके इरादे और स्थितियां आपके बजटों में स्पष्ट नहीं होती हैं। आज कृषि के लिए जो अल्पराशि आपने दी है, वह राष्ट्रीय शर्म की बात है। आप चाहते हैं कि कृषक विश्व व्यापार संगठनों के अनुसार कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार करें किन्तु उन्हें अभी भी कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, उन्हें अभी भी सड़क के किनारे खड़े होकर ऐसे ट्रकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो उनके पके फसलों के ऊपर चलाए जाएं ताकि वे उन्हें एकत्र कर काट सकें क्योंकि उनके पास कोई अन्य सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो महिलाएं ऋण प्राप्त नहीं कर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में फरवरी महीने में ही बहत्तर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या इस सरकार ने किसानों के साथ घटित इन घटनाओं के पीछे उन सामाजिक–आर्थिक कारणों पर ध्यान दिया है?

अपराह्न 3.00 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

जब आपको केवल नजदीक से ही दिखता हो, जब आप सच्चाई को नहीं देख सकते हों और जब आप वास्तविकता पर ध्यान न देते हों तो हम वस्तुतः ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर हैं। संभवतः राम को ही इस सरकार के बने रहने का औचित्य सिद्ध करना होगा क्योंकि जनता नहीं चाहती कि यह सरकार सत्ता में बनी रहे।

हम सभी नियति के बच्चे हैं, किन्तु अपने जीवन काल में हम इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं।

आपको शासन करने के लिए शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। आप सब मिलकर यह अधिनियम लाए हैं, ताकि आप अपने सीमित राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस देश के लोगों को बेवकूफ बना सकें। आप नहीं जानते कि इस देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का क्या अर्थ है। आप तो यह भी बहुत कम जानते हैं कि इस देश की महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाए। आपका व्यवहार, आपके शासन का प्रतिबिम्ब मात्र है और हम मन्दिरों में, चर्चों में और मस्जिदों में आपके भविष्य को देख सकते हैं क्योंकि इस देश में भारतीय एक–साथ पूजा करते हैं, वे एक–साथ त्यौहार मनाते हैं तथा वे एक–साथ मरते हैं। सत्य बना रहे 'सत्यमेव जयते'। जयहिन्द।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का जिस तरह से मैं विरोध करने के लिए खड़ा हूं, उसी तरह से कल अयोध्या में और पूरे देश में शांति बनाए रखने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि हमारा देश सैकुलर देश है? नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए हम यहां आए हैं और प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर समस्या ऐसी है कि हाऊस में उन्हें 24 पार्टीज ने घेर लिया है और बाहर भी जाते हैं तो वी. एच. पी. और संघ परिवार घेर लेता है तो वह तो कुछ करना भी चाहते हैं, वह गरीबों की भलाई करना चाहते हैं,

अटल जी गरीबों की चाहते हैं भलाई,
तो आपको करनी होगी अमीरों की कलई,
समता, ममता, टीडीपी और डीएमके को ही,
आप दे रहे हैं सारी मलाई,
इसलिए अटल जी, ढाई साल तक आपने सरकार चलाई,
अगर ये मलाई न देते तो सरकार भी नहीं चल पाती,
आपने तो ढाई साल सरकार चलाई,
मगर ढाई साल में वीएचपी और संघ परिवार ने,
आपकी अस्मिता मिट्टी में मिलाई,
क्योंकि वे नहीं चाहते आपकी भलाई।

मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सब लोग यहां आए हैं और चार साल से मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, राष्ट्रीय एकता की बात हम लोग करते हैं और इतना होने के बावजूद भी अपनी पार्लियामेंट पर 13 दिसम्बर को हमला हुआ। हम सब लोगों द्वारा मिलकर विरोध करने से, बातें करने से इसका हल नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो आतंकवाद हमारे देश में बढ़ाया है, इसके लिए हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसलिए अटल जी, जो आर्मी वहां है, उसको काम दिया जाए, वे लोग खाली बैठकर क्या करेंगे? आपने आर्मी वहां भेज दी है और पाकिस्तान के आतंकवादी यहां पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में आकर हमारे देश में हमला करने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब हमारे देश की अस्मिता पर हमला कर दिया और इसके बावजूद भी इतने दिन हो रहे हैं, तीन महीने हो रहे हैं, हम लोग चुपचाप हैं। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है।

पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई चाहते हैं, तो सोनिया जी हों, मुलायम सिंह जी हों, सोमनाथ चटर्जी जी हों या मैं, सब लोग आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो हम सब लोग ताकत देकर आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपको कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए हम एक हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं :

"सरकार को चलाते–चलाते, अटल जी आपको हो गए साढ़े तीन साल।
और साढ़े तीन साल में देश का हो गया है बुरा हाल।
अगर हम एक साथ मिलकर चलेंगे, बहुत बड़ी चाल।
तो एनडीए के कुछ मित्रों पर, हम डाल देंगे अपना जाल।"

महोदय, अयोध्या के बारे में हमारा इतना ही कहना है, राम मंदिर से हमारा कोई विरोध नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि हम राम–मंदिर का विरोध करते हैं, हिन्दुओं का विरोध करते हैं। अगर हम हिन्दुओं का विरोध करेंगे, तो राज कैसे चलेगा। हिन्दुओं का विरोध करके हम राज नहीं चला सकते हैं। हमारा विरोध हिन्दुत्व से है, जातिवाद से है। अगर आप

[श्री रामदास आठवले]

लोग राष्ट्रीय एकात्मता चाहते हैं, एक भारत चाहते हैं, तो गांव–गांव में होने वाले अत्याचारों को खत्म करिए। जातिवाद को खत्म करने का नारा, अटलजी, आप दे दीजिए। जातिवाद को खत्म करते हुए, सब लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है। अगर कोर्ट का फैसला नहीं है, तो उस जगह राम–मंदिर नहीं बना सकते हैं। अगर आप राम मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम पूरे देश के मुसलमानों को लेकर जाएंगे, वहां मस्जिद बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हमारा विरोध राम–मंदिर से नहीं है। राम–मंदिर बनाइए, लेकिन मस्जिद को तोड़कर राम–मंदिर का निर्माण करना भारतीय संविधान के खिलाफ है। अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 1947 में वहां मस्जिद थी, तो वहां पहले बुद्धिष्ट थे, इसलिए वहां बुद्ध विहार हो सकता है। इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि वहां राम मंदिर था, तो उपाध्यक्ष महोदय, राम का जन्म वहां हुआ, इसका कोई प्रूफ है? राम का जन्म अयोध्या में हुआ और बाल्मीकी रामायण एक हिस्ट्री है, आप लोग राम को मानते हैं, तो मानें, मानने का अधिकार आपको बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दे दिया। आप राम को मानें, कृष्ण को मानें, किसी अन्य को मानें, लेकिन आपको राम के इतिहास के बारे में सोचने की आवश्यकता है। खाली झगड़े से काम चलने वाला नहीं है। हमको झगड़ा नहीं करना है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आप रामचन्द्र परमहंस, अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर इनको समझाइए, क्योंकि ये दाढ़ी वाले हैं और मैं भी दाढ़ी वाला हूं। राम–मंदिर बनाएंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक आप राम मंदिर नहीं बना सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दुनिया के सबसे अच्छे और गौरवशाली भारतीय लोकतंत्र पर 13 दिसम्बर को जो हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में नौ वीर जवानों ने अपनी आहुति दी, उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लोक सभा के लोकप्रिय अध्यक्ष स्वर्गीय बालयोगी जी की असामयिक मृत्यु से पूरा देश मर्माहत हुआ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वे सभी कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से अधिकांश घाटे में चल रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। हिन्दुस्तान में जितने भी पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जिस तरह पूर्व में झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसी तरह बिहार राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अब बिहार राज्य शेष बचा है। नेपाल से जो नदियां आती हैं, वहां जो भी फसल लगी होती है, रोड, पुल–पुलिया है, उन सभी को प्रतिवर्ष निश्चित रूप से हजारों–करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। नेपाल से जो पानी आता है वह पूरे बिहार को क्षतिग्रस्त कर देता है। वहां न बिजली की व्यवस्था ठीक है, न कोई अन्य व्यवस्था ठीक है। इसलिए बिहार को निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, नीतीश जी के राज्य बिहार से जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो उनके नेतृत्व में बिहार के जितने सांसद थे वे सभी मिल कर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि बिहार को निश्चित रूप से एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि बिहार का जो पिछड़ापन है, उसमें उसे आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमें सहयोग आवश्यक है। लेकिन अभी तक उस पैकेज के विषय में कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं बिहार के विषय में कहना चाहता हूं कि वहां जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति मिली थी, उन विद्यालयों की 20–25 साल के बिहार में कोई स्वीकृति नहीं हुई। आबादी दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है लेकिन बिहार में एक भी विद्यालय की स्वीकृति नहीं हुई। इसलिए गांवों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें किस प्रकार से शिक्षा मिलेगी? किसानों की जो दुर्दशा है, पंजाब और हरियाणा में किसानों की स्थिति मजबूत है लेकिन बिहार और अन्य प्रदेशों में किसान संगठित नहीं है। हम भी किसान परिवार से आते हैं, आज किसान की फसल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। पिछले साल किसान के धान को परचेज करने वाला कोई नहीं था। हमने लोक सभा में आवाज उठाई कि बिहार में भी क्रय केन्द्र एफसीआई के द्वारा स्थापित हों। किसी भी सरकारी संस्था द्वारा किसानों के धान का परचेज हो, लोक सभा में हमें आश्वासन भी मिला, जिला हैड क्वार्टर कहीं–कहीं खुला, लेकिन वहां किसी न किसी कारणवश क्रय केन्द्र न खुलने से किसानों को धान बेचने में कितनी परेशानी हुई, उसका लेखा–जोखा नहीं किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे की जो स्थिति पूरे देश में है, खास

कर बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनके 30 से 40 प्रतिशत नाम उस सूची में नहीं हैं। केन्द्र सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि सभी प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर करने वाले लोग हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन बिहार में उनका सूचीबद्ध नहीं हो पाया। इसलिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उन सभी का नाम सूची में नहीं आ पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों को दो करोड़ रुपए मिलते हैं, बिहार में तथा कई प्रदेशों में विधायकों को एक–एक करोड़ रुपया मिलता है, हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि निश्चित रूप से पांच–पांच करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को मिलें ताकि गांवों का ठीक से विकास हो सके। अयोध्या में 15 मार्च को जो घटना घटने वाली थी, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच गई।

अयोध्या में 15 मार्च को राम–सेवकों को घुसने नहीं दिया गया। श्री रामचंद्र परमहंस, विश्व–हिन्दू परिषद, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार के सहयोग से वहां एक भी बाल–बांका नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार को, विश्व–हिन्दू–परिषद को और वहां के सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान तनाव से बच गया। लोगों के फोन आते थे कि 15 तारीख को अयोध्या में क्या होने वाला है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से एनडीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। घटना घटने से बच गई और पूरा देश साम्प्रदायिकता के तनाव से मुक्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने दल की ओर से बोलने वाला पहला व्यक्ति हूं, इसलिए दो मिनट का समय देना हमारे लिए अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैं अन्याय से आपको दो मिनट देता हूं। आपका सारा टाइम एगजास्ट हो गया है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : उपाध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। डा. मल्होत्रा जी ने चुनाव सुधारों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनाव प्रणाली है वह पूर्ण–रूपेण धनबल और बाहुबल की गिरफ्त में आ गई है।

उत्तर प्रदेश के चुनावों में तकरीबन एक हजार बाहुबलियों ने चुनाव में हिस्सा लिया और देश की जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपराधियों को टिकट देने में हिचक नहीं की। जहां तक अपराधियों और राजनीतिज्ञों के तालमेल की बात है तो यह बोगस मतदान और बूथ–कैपचरिंग करने के लिए और जीत कर आने के लिए होता है। यह राजनीतिज्ञों की लाचारी है। अगर बाहुबलियों को वे टिकट नहीं देंगे तो उनकी संख्या नहीं बनेगी। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से तथा अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि आप बोगस मतदान और बूथ–कैपचरिंग पर अंकुश लगाएं। लेकिन जो पद्धति है उसमें आपके साथ लाचारी है। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में ही चार बूथों पर पुनः मतदान हुआ। वहां गोली चली और लोगों को वहां जाने से रोका गया। तब भी 83.5 प्रतिशत मतदान हो गया। मेरे कुछ सुझाव हैं जिन्हें मान लिया जाए और जिसमें कानून को भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब तो इलैक्ट्रोनिक सिस्टम से वोटिंग हो रही है। पहचान पत्र को एक बक्से में डाला जाए और उसके बाद वोटिंग मशीन का बटन दबाया जाए। गिनती के समय जितने पहचान–पत्र उतने वहां पर वोट गिनने चाहिए। इससे बोगस मतदान नहीं होगा और जितनी आप फोर्स रखते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

दूसरा कारण है बूथ का रिप्लेसमेंट। बूथ का रिप्लेसमेंट जाली मतदान का कारण हो जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ। बूथ गांव से काफी दूर था और गांव वालों को जाने नहीं दिया गया। उनको बीच में ही रोक दिया। वहां पर गोली चली और एक आदमी घायल हो गया जिसे अस्पताल ले जाया गया। बूथ का रिप्लेसमेंट होना चाहिए।

आइडेंटिटी–कार्ड जरूरी किया गया है। साल भर तक अगर आइडेंटिटी–कार्ड बनते रहें–इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जब चुनाव आता है तब चुनाव के दिन से एक महीने पूर्व तक पहचान–पत्र बनते रहें, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे एमपीज और एमएलएज इस्तीफा देते हैं वहां पर चुनाव न हो। बल्कि गत चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त जो प्रत्याशी है, उसे एमएलए या एमपी माना जाए। कहीं चुनाव होते हैं तो विभिन्न पार्टियां सैंटर से प्रत्याशी थोप देती हैं चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरी कोई पार्टी हो। इसलिए किसी के इस्तीफे के बाद जो दूसरा स्थान प्राप्त प्रत्याशी है, उसे एमएलए या एमपी मान लिया जाए। चुनाव कराने से बेवजह सरकार का खर्चा

होता है। ऐसी व्यवस्था होने से खर्चा बच जाएगा। पांच साल तक लोक सभा, विधान सभा चले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मध्यावधि चुनावों को रोकने के लिए दलबदल कानून में परिवर्तन लाना जरूरी है। जिस समय सरकार बनाई जाती है उस समय जितनी भी पार्टियां या निर्दलीय मिल कर सरकार बनाते हैं, उन्हें एक यूनिट मानिए। जिस पार्टी की संख्या सबसे अधिक हो, उसे सत्ता पक्ष मानिए। अगर लोक सभा में किसी पार्टी के 272 एमपी होते हैं तो वहां उस पार्टी की सरकार बनती है। यदि 91 एमपी एक साथ अलग होंगे तो वह दलबदल कानून के अन्तर्गत आ जाएंगे। 91 एमपी के हट जाने का मतलब सरकार बेकार है। वे इधर से हटेंगे तो उधर जाएंगे और उधर सरकार बन जाएगी। ऐसे में मध्यावधि चुनाव होने का कोई सवाल नहीं उठेगा। दलबदल कानून के अन्तर्गत पांच साल प्रधानमंत्री या मुख्य मंत्री को अपना दल सम्भालते गुजर जाते हैं। कभी कोई नाराज होकर चला जाता है। ऐसे में वे जन हित का काम करने में लाचार होते हैं। मैं चाहता हूं कि दलबदल कानून के अर्न्तगत संशोधन लाना अनिवार्य है।

जहां तक संसद की सिक्योरिटी का सवाल है, आपने बहुत से गेटों में सिक्योरिटी गाड्‌र्स खड़े किए हैं लेकिन आपने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इस सदन में बहुत से रिटायर्ड ज़नरल हैं जो जीत कर आए हैं। आपको उन लोगों से राय लेनी चाहिए थी। आपने इन्नर गेट की साइड पर निश्चित तौर पर बहुत व्यवधान डाला है लेकिन आउटर साइड पर जो गेट है वह एकदम खुला है। जब आतंकवादी आएंगे तब आपसे परमिशन नहीं लेंगे। वे इन्नर गेट पर आसानी से जा नहीं सकते हैं लेकिन अगर आउटर गेट से एंटर करते हैं तो सीधे संसद पहुंच जाएंगे। जो मुम्बई में आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने कहा था कि संसद पर हमला करने की योजना है। आपको पहले से इसकी जानकारी थी लेकिन आपने कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिस अधिकारी को इसकी सूचना थी उसने सिक्योरिटी टाइट करने के लिए क्यों नहीं कहा? अब एनेक्सी में गाड़ी से उतर कर एमपीज को काफी पैदल चलना पड़ता है। एमपीज को तंग करने के लिए ये सब किया जा रहा है। 80–90 साल के एमपीज गाड़ी से उतर कर कैसे पैदल चलेंगे। आप सिक्योरिटी के नाम पर एमपीज को तंग करना चाहते हैं। एअरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निषाद, हम सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं या राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया विषय पर ही बोलें।

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है या दूसरी कोई बात हो, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखित हो या न हो, वह हिन्दुस्तान की भलाई के लिए होता है इसलिए मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। साथ ही मैं लोकसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष स्व. श्री बालयोगी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं जिनका अकस्मात् निधन हो गया। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर हमारे जिन–जिन भाई–बहनों ने अपनी जान की कुरबानी दी है, मैं उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगी। आज देश के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वह गुजरात में गोधरा व अहमदाबाद में हों, चाहे अयोध्या में हों, वे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। यहां हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने मंदिर–मस्जिद के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे हिन्दुस्तान का हर एक व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, वे आपस में भाई हैं, हमारे साथी और दोस्त हैं। जिसका भी खून बहेगा, वह हिन्दुस्तानी भाई का खून बहेगा जो उचित नहीं। राम, रहीम, मोहम्मद पैगम्बर और ईसा ये सब महामानव रहे हैं। कौन जानता है कि ये सारे भगवान हैं, अल्लाह हैं जो हमारे कहने से दर्शन दे देंगे और हमारे कहने से इच्छित वस्तु पूरी कर देंगे। इन्होंने समाज और देश के लिए एक आदर्श कायम किया और उन्होंने समाज को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर किया है। इकबाल की एक पंक्ति याद आती है, "मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना" अगर इकबाल साहब कहीं भी होंगे तो उनकी आत्मा इस बात की

दुहाई दे रही होगी कि किस तरह हिन्दुस्तान के लोग झगड़े में लगे हुए हैं और खून बहाने में लगे हुए हैं। मुझे कबीर की एक पंक्ति हिन्दुओं के लिए याद आ रही है;

"पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़
तासे तो चाकी भली, जाका पीसा खाय संसार।"

इसी तरह मुसलमानों के लिए भी एक पंक्ति कबीर ने कही :

"कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाय,
ता चढ़ि मुल्लां बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज गरीबों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं। गरीबी, बेरोजगारी मिटाने के लिए, निरक्षरता दूर करने के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना देने वाला कोई नहीं। आज जम्मू कश्मीर की समस्या हमारे लिए नासूर बनी हुई है। उसके हल के लिए कोई इस सदन में प्रस्ताव नहीं लाता कि इसका हल किस तरह से होगा? लोकतंत्र लाठीतंत्र के रूप में ले लिया गया है। बिहार में कानून–व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आए दिन अपहरण की घटनाएं होती रहती हैं। कल ही मेरे क्षेत्र खगड़िया में, एक डाक्टर अशोक कुमार जैन का अपहरण कर लिया गया है। दस दिन पहले बेगुसराय में एक डाक्टर का अपहरण कर लिया गया। इसके विरोध में आवाज उठाने वाला कोई नहीं। बिहार से सरकार संभल नहीं रही है। ये अपहरण हत्याओं का रूप ले लेते हैं। इस बात के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे कोई नहीं जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। क्या इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। महिलाओं के लिए केवल एक महिला ने आवाज उठाई लेकिन किसी पुरुष ने आवाज नहीं उठाई। क्या महिलाओं के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना नहीं देना चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की बात कही गई है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। श्वेत क्रांति, ब्लू क्रांति और हरित क्रांति बढ़ाने के लिए इस देश में जो कुछ होना चाहिए था, पक्ष और विपक्ष की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विषय में कहा गया है। मैं कहना चाहती हूं कि बिहार में पिछले साल का पैसा खर्च नहीं हुआ है और इस साल का भी बिहार के पास पैसा पड़ा हुआ है। इस योजना में राज्य सरकार के लिए कोई राज्यांश नहीं देना है।

लेकिन वहां की निकम्मी सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाती है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि उस पैसे को वहां के सांसदों को खर्च करने की इजाजत दे दी जाए, ताकि उस पैसे से जो सड़कें बनाने की बात है, उन सड़कों का निर्माण हो सके। हर साल बिहार को पैसा मिलता है, लेकिन वहां निकम्मी सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाती है...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार के सभी 60 सांसदों ने मिलकर आर्थिक पैकेज के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला। ...*(व्यवधान)* बिहार से जो यहां मंत्री हैं वे सब नौकरी कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला।...*(व्यवधान)* बिहार के साथ अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे बिहार मत बनाइए। अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रेनु कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को हर साल नेपाल से निकलने वाली नदियों की बाढ़ तबाह करती है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वह नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या को सुलझाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हर विधायक को अपने विधान सभा क्षेत्र के डेवलपमैन्ट के लिए हर साल एक करोड़ रुपये की राशि मिलती है, जबकि हमें विधान सभा क्षेत्र के लिए मात्र 33 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि बहुत कम राशि है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि या तो इस राशि को बढ़ा दें अन्यथा दो करोड़ रुपए की राशि को भी रख लें। ऐसी राशि की हमें जरूरत नहीं है।

अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हिन्दुस्तान में सभी के लिए कानून बराबर होने चाहिए। यहां एक तरह की सभ्यता, एक तरह की संस्कृति और एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए और हिन्दुस्तान की धरती में इस तरह के बीज बोने चाहिए जिससे

[श्रीमती रेनु कुमारी]

कि हमारी आने वाली संतान जो फसल के रूप में उगेगी वह न हिन्दू बनेगी, न मुसलमान बनेगी, इंसान की औलाद है इंसान बनेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सबसे पहले मैं लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री बालायोगी जी की पवित्र स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मुझे इस दुखदायी अवसर पर उनके जन्म स्थान पर जाने का मौका मिला। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि संसद का कुशलता से संचालन करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए भी समय निकाला और बहुत अच्छा काम किया। वे हमारे लिए एक उदाहरण हैं। उन जवानों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर संसद को बचाया, संसद सदस्यों को बचाया।

13 दिसंबर के हमले को 90 दिन हो गए। कभी–कभी मुझे लगता है कि कहीं हम उस हमले को भूल तो नहीं रहे हैं। संसद भवन पर आघात संपूर्ण देश के लिए चुनौती था, हमारी संप्रभुता के लिए एक आह्वान था। सारे संसार में उसकी निन्दा हुई, लेकिन जो अपराधी हैं, वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। हमारे प्रयत्न जारी हैं। विश्व में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है। उस आवाज को हम बल प्रदान कर रहे हैं। उन प्रयत्नों को और भी तेजी से चलाना होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ 25 फरवरी को और 27 फरवरी को गुजरात की त्रासदी हो गई। बाद में अयोध्या का विवाद उठ खड़ा हुआ। देश में रोष और चिन्ता की लहर दौड़ गई। क्या भारत अपने रास्ते से भटक जाएगा? क्या हम अपने बलिदानों से अर्जित स्वतंत्रता की अखंडता की रक्षा नहीं कर पाएंगे? लेकिन यह संतोष का विषय है कि देश संकटों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन पर विजय पा रहा है। यह देश की आंतरिक शक्ति है। इसका श्रेय कोई एक दल न ले और न एक दल की आलोचना से जो परिवर्तन आया है, उसका महत्त्व कम हो सकता है।

आज गुजरात में सबसे बड़ी आवश्यकता है पुनर्वास की। हजारों लोग कैम्पों में हैं। संसद सदस्यों का जो दल गुजरात गया था, उसने वहां की स्थिति देखी है। लोग घर जा नहीं सकते क्योंकि घर टूट गए हैं या लूट लिए गए हैं। शिविरों में पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं। मैंने गुजरात की सरकार को सुझाव दिया है कि वह राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन करे और जो लोग कैम्पों में रह रहे हैं, उनके लिए तत्काल समुचित प्रबंध करे। अब स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है मगर पर्याप्त नहीं है। जो भी कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी हमने अपना योगदान देने का निश्चय किया है। गुजरात को भूकंप की विपत्ति सहनी पड़ी थी। जैसे उस समय सारी मानवता भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दौड़ पड़ी थी, उसी तरह से सारे भारत को गुजरात की त्रासदी को ठीक करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए।

इस संबंध में हम इस विवाद में न जाएं कि कैसे हुआ। जो गोधरा में हुआ, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसका औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। एक अपराधी, दूसरे अपराधी को दूध का धुला साबित नहीं कर सकता। प्रतिहिंसा का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात के संबंध में हम लगातार निगरानी रखें और केन्द्र तथा प्रदेश, दोनों सरकारें राहत और पुनर्वास की दिशा में प्रयत्नशील हों।

मेरा एक निवेदन है कि गुजरात का वर्णन करते समय थोड़ा शब्दों के चयन में सावधानी बरती जाए। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आदत पड़ गई है जिनका अर्थ वे तो जरूर समझते होंगे, मगर बाकी नहीं समझते। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यह भावनाओं के प्रकटीकरण का स्थान है। यह शब्दों के विद्वतापूर्ण प्रदर्शन की जगह नहीं है।

मैं प्रतिपक्ष की नेता से भी कहूंगा कि गुजरात के बारे में "जैनोसाइड" शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। जैनोसाइड की व्यापकता अलग है। एक जाति या राष्ट्र का नाश किया जाता है, तब इस शब्द का प्रयोग होता है। गुजरात में हिन्दू मरे, मुसलमान भी मरे। पुलिस की गोली से दोनों तरफ के लोग मरे। मैं शब्द की बात कह रहा हूं। उसके भाव को जानने की कोशिश कीजिए। इस शब्द का अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयोग हो सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हमने आपके नेता की बात तन्मयता

से सुनी। अब आप जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है। मैंने उस दिन विशेष ध्यान रखा। हमें भी कई बातों पर आपत्ति थी, जो उन्होंने कहा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे इस सदन के नेता भी हैं। यह सही तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अब स्थिति सुधरी है और देश अपने अन्तर्बल के ऊपर संकटों की घाटी पार करके आगे बढ़ रहा है। अयोध्या का मामला हल हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : शिला–दान अब हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इस पर आपत्ति है?

उपाध्यक्ष महोदय, पुराने अनुभवों से लाभ लेकर, हमने नीतियां निर्धारित कीं। जहां कठोरता की आवश्यकता थी वहां कठोरता दिखाई और जहां जनभावनाओं का सम्मान करने की जरूरत थी, वहां जनभावनाओं का सम्मान किया।

हमने अपने दल के पार्लियामैंट के मैम्बरों को अयोध्या जाने से रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं जानता हूं कि मेरे दल के सदस्य सुखी नहीं हैं लेकिन कर्त्तव्य है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : श्री विनय कटियार चले गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विनय कटियार ने तो वहां जाकर रचनात्मक भूमिका अदा की है। मुझे भी बहुत गालियां खानी पड़ीं। संसद भवन में पर्चे बंटे...*(व्यवधान)* हिटलरशाही नहीं चलेगी। कौन हिटलरशाही चला रहा है और कौन हिटलरशाही चला सकता है? मगर संविधान का हमने पालन कराया और पालन किया। इसके साथ शिला पूजन भी हो गया। जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कुछ भेंट चढ़ाते हैं। कोई सोना–चांदी चढ़ाता है तो कोई फल–फूल चढ़ाता है। अब अगर किसी ने शिलालेख शिला को चढ़ा दिया तो फिर उसको लेना जरूरी था। वह कहां रखा जाएगा, इसका प्रबंध करना जरूरी था।...*(व्यवधान)* श्री परमहंस जी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने मुझसे बात करने से इंकार कर दिया लेकिन फिर उनकी नाराजगी कम हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, कई साल तुम्हारी सरकार चलेगी। ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता की आशीर्वादों का कितना असर होता है लेकिन जब मैंने सोनिया जी को शंकराचार्य जी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा तो मुझे लगा कि इस आशीर्वाद में अवश्य ही कोई गुण है, इससे मुझे वंचित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के विवाद को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण ह कि वे पिछले चुनाव में विजयी हुईं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या के विवाद को हल करना होगा। अदालत में तेज़ी से मुकदमा चले, सुनवाई हो, इसका प्रबन्ध करना होगा। अदालत के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर यह समस्या कैसे हल की जाए क्योंकि यह देश में साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने में बाधक हो रही है। चुनाव में मुद्दा बन जाता है। अब चुनाव में उससे न लाभ होता है, न हानि होती है। लोग समझ रहे हैं लेकिन कोई फोड़ा पकता रहे, यह ठीक नहीं है। नासूर नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, हम उनकी सफलता चाहते हैं। उसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ विवाद एटार्नी जनरल की भूमिका को लेकर हुआ है। उसकी शाम को चर्चा होगी इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। चर्चा अन्य विषयों तक फैली थी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विशद् रूप से देश की परिस्थिति और सरकार की नीतियों का विवेचन था। कई पहलू ऐसे हैं जिन पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। विरोधी दल की नेत्री ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का उल्लेख किया है और कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अभी तनाव बाकी है। सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों का तांता बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। बर्फ पिघलने पर क्या स्थिति होती है, यह देखना पड़ेगा। अगर आतंकवादियों का प्रवेश नियंत्रण रेखा पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी पूरी तरह से बंद होगा तो ऐसा वातावरण बन सकता है जिसमें सार्थक बातचीत के लिए रास्ता खुल जाए।

श्रीमती गांधी ने पूछा था कि बीस लोग, जिनकी पाकिस्तान

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

से वापसी मांगी जा रही थी, उसमें कोई प्रगति हुई है या नहीं हुई है। हमारे प्रयास जारी हैं मगर उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वह भी एक कसौटी है कि सचमुच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का इरादा है या नहीं है। हम दुनिया वालों से भी कहते हैं कि आप बार–बार हमसे यह आग्रह करते हैं, दबाव डालते हैं कि हम बातचीत शुरू करें। बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पहले से बातचीत करते रहे हैं, उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन बातचीत के बाद क्या है। क्या जो कुछ आपत्तिजनक कार्य होते थे, वे फिर होते रहेंगे? इस सवाल पर अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन हमें मिलता है और जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां रुकनी चाहिए।

हम सार्क के सदस्य के नाते पाकिस्तान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अभी सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में श्रीमती सुषमा स्वराज जी गई थीं। अपनी पाकिस्तान की यात्रा में उन्होंने भारत के पक्ष को बहुत सफलता के साथ रखा है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दादा, आप अच्छा काम कभी–कभी करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमेशा अच्छा काम करें, कभी–कभी में मुश्किल होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पाकिस्तान के शासक का काम करने का एक ढंग है। पहले हमने काठमांडू में देखा और अभी इस्लामाबाद में देखा। वे ऐन वक्त पर कोई सरप्राइज घोषणा कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है कि हम हवाई उड़ानें जारी करने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए। सुषमा जी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की मंत्री हूं। हमारे यहां अभी मिलिट्री शासन नहीं है और मुझे औरों से सलाह करनी पड़ेगी, उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर मैं चलती हूं। अगर कोई ठोस प्रस्ताव हो तो उसे दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। प्रचार की लड़ाई में वे बाजी मारना चाहते हैं। अब हम भी होशियार हो गए हैं।

अभी गरीबी के सवाल पर सार्क देशों के मंत्रियों की बैठक होगी। यह सिलसिला चलता रहेगा और हम आशा करते हैं कि आगे जाकर पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो अवरोध आ गया है, उस को दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं इस संबंध में श्रीलंका का भी उल्लेख करना चाहता हूं। श्रीलंका में एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन का स्वागत किया गया है। हमने आशा व्यक्त की है कि इससे वहां स्थायी शान्ति का पथ प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीलंका के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी है, सांस्कृतिक संबंध हैं, धर्म की कड़ियां भी जुड़ी हैं। वक्त पर हमने श्रीलंका की सहायता की है, अपने जवानों को खतरे में डालकर भी श्रीलंका की अखंडता सुरक्षित रहे, इसका प्रयास हुआ था। हम चाहते हैं कि श्रीलंका में समस्या सुलझे और कोई रास्ता निकले, जिससे अखंडता की रक्षा करते हुए और सब भाषा–भाषियों के लिए समान अवसर देने के साथ श्रीलंका प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ आर्थिक प्रश्न भी उठाए गए हैं, जो स्वाभाविक है। वैसे तो बजट आ रहा है और उस अवसर पर सदन को आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सोमनाथ जी ने एक प्रश्न उठाया और हमेशा की तरह बड़े जोरदार ढंग से उठाया। श्रीमती गांधी के भाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो अगर फायदे में चल रहे हैं तो उन्हें क्यों बन्द किया जा रहा है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जो फायदे में चल रहे हैं, उन्हें हम केवल इसलिए बन्द नहीं कर रहे कि वित्त मंत्री को अपना घाटा पूरा करने के लिए धन चाहिए, यह धारणा गलत है। इसके पीछे सोचने का एक तरीका है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट सब घाटे के कारखानों का ही हो तो कौन खरीदेगा?

श्री सोमनाथ चटर्जी : माडर्नाइजेशन कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माडर्नाइजेशन के लिए धन चाहिए और धन इकट्ठा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसकी खबर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जानते हैं कि आयरन एंड स्टील कम्पनी को फिर से रिवाइव करने के लिए मैंने मास्को तक में बात की और प्रयास किया। हम नहीं चाहते

कि कोई कारखाना बन्द हो। हम नहीं चाहते कि मजदूर किसी मुसीबत का शिकार बनें, लेकिन अर्थव्यवस्था भी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे कर दीजिए।,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो कई बार मजदूरों की सोचते हैं और हम सारे समाज की सोचते हैं, लेकिन हम मजदूरों को भी समझाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कुछ दिखलाइए तो। यह तो कर दीजिए, हां बोल दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आज आप घोषणा कर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सवाल पर सचमुच में एक आम राय होनी चाहिए। आर्थिक सुधार हमने प्रारम्भ नहीं किए थे, हमें उत्तराधिकार में मिले हैं। आज तो राम नाईक जी ने गैस के बारे में कोई घोषणा की है, जहां तक मुझे बताया गया है, लेकिन आपने उसका स्वागत नहीं किया।... *(व्यवधान)* आप तो बहुत चाहते है कि सरकार न चले, चलेगी कैसे? आप पश्चिम बंगाल में उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनका हम यहां कर रहे हैं और उनका सामना करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी ज्यादा पावर है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम कोई अलोकप्रियता अर्जित करके आर्थिक सुधारों के पीछे थोड़े ही पड़े हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अलोकप्रिय है, वह कल लोकप्रिय होगा। आज जिसके लिए कठिनाई अनुभव की जा रही है, वह कठिनाई आगे जाकर लोगों की समझ में आ जाएगी कि वास्तव में वह कोई कठिनाई नहीं थी। इस कठिनाई के कारण कारवां रुकना नहीं चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह रुपया मिल जाएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, अगर सब दलों की सहमति हो, हम विधेयक लाने के लिए फिर से तैयार हैं। हम तो लाए थे, लेकिन उस समय एक सुझाव आया कि आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, घटा दीजिए, 33 प्रतिशत नहीं, थोड़ा कम करिए, उस पर एक राय बन सकती है। उसको सोनिया जी के सामने रखने में देर हुई थी। मैं उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर रहा हूं और महिलाओं के लिए आरक्षण वाले विधेयक को फिर से सदन के सामने पेश करूंगा, प्रचार के लिए नहीं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि कुछ लोगों ने कोई अलग प्रतिशत सुझाया है तो उन्हें संशोधन लाने दीजिए। सदन उस पर निर्णय लेगा। आप इस पर सदन से बाहर निर्णय नहीं ले सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसे सदन के समक्ष लाएं और फिर हम सब मिलकर तय करेंगे कि कौन सा संशोधन, कौन सा प्रतिशत पारित होता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपकी सलाह को 100 फीसदी मानता हूं। जरा बाईं तरफ भी आप नजर डाल लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने पीछे वालों को कहें।

श्री प्रमोद महाजन : ये पीछे वालों को बोलेंगे तो वे सुनेंगे, लेकिन आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, वे नहीं सुनेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : आप पिछड़ों और दलित वर्ग की महिलाओं को इसमें आरक्षण दे दें, हम समर्थन कर देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम पाखंड की बात कर रहे हैं। हमारी मंशा नहीं है, हमारा इरादा नहीं है। लेकिन महिलाओं को आरक्षण से लाभ हुआ है। पंचायतों में, स्थानीय संस्थाओं में वह लाभ हमें दिखाई दे रहा है। संसद और विधान मंडलों के लिए तो महिलाओं का नेतृत्व पहले से तैयार है। स्वतंत्रता के संग्राम में जो उनमें जागृति पैदा हुई थी, उसके कारण उन्होंने योग्यता अर्जित की है। हम चाहते है कि इस विधेयक को लाएं और आप सबके सहयोग से यह विधेयक पारित हो।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मैं विजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। आप सब उसका साथ दें, सहयोग करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कई संशोधन प्रस्तुत किए गए। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं या क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को मतदान के लिए अलग से रखना चाहते हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : मैं अपने संशोधन सं. 1054 को अलग से मतदान के लिए रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा पेश संशोधन को छोड़कर बाकी सभी संशोधन मतदान के लिए एक साथ रखूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैंने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया था :

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी डेल्टा, जहां फरवरी, 2002 के पहले सप्ताह में हुई भारी बेमौसम वर्षा से कटी हुई और तैयार फसलें बुरी तरह नष्ट हुई हैं, के किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।"

महोदय, कावेरी डेल्टा में किसानों को ग्रीष्म कुरुवाई मौसम के दौरान जो नुकसान हुआ वह कावेरी अधिकरण पंचाट का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण था। बेमौसम की भारी बरसात के कारण शीतकालीन सांबा फसल को गंभीर क्षति पहुंचाई। कटी हुई फसल और सांबा फसल जो कटाई के लिए पक कर तैयार थी वह नष्ट हो गई। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ किसानों को 2500 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से बहुत थोड़ी धनराशि मुआवजे के रूप में दी जबकि उनका नुकसान इसका दस गुना हुआ था, केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया ...*(व्यवधान)* मैं इसे अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल दो वाक्य कहूंगा। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं किया है। जब उन्होंने इसे पंजाब के लिए दिया, तो वे इसे तमिलनाडु के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? केन्द्रीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ इतने व्यस्त हैं कि वे तमिलनाडु नहीं जा सके हैं। इसलिए मैं उनसे स्थिति को स्वयं देखने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 1054 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1054 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप कृषि संबंधी स्थाई समिति के सभापति हैं...*(व्यवधान)* यह किसान विरोधी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रखे गए सभी अन्य संशोधनों को, सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2002 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.08 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद नियम 193 के अधीन चर्चा है। माननीय सदस्यो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के

बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा श्री मणि शंकर अय्यर के नाम से स्वीकार की गई है। उन्होंने मुझसे उनकी ओर से इस चर्चा को उठाने के लिए श्री एस. जयपाल रेड्डी को अनुमति देने का अनुरोध किया है। मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी को यह चर्चा शुरू करने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें। माननीय सदस्य बाहर जा सकते हैं अथवा सभा में बैठे रह सकते हैं, किन्तु वे कार्य में विघ्न न डालें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं 14 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा शुरू करने के लिए खड़ा हुआ हूं...*(व्यवधान)* किन्तु, महोदय तब से काफी कुछ हो चुका है। 15 मार्च को, अर्थात कल हम बहुत कुछ होने की आशंका कर रहे थे। यह एक महत्त्वपूर्ण दिन था इसे शेक्सपियर के प्रसिद्ध शब्दों में "द आइड्स आफ मार्च" कहा गया है किन्तु 15 मार्च का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में गौरवशाली दिन के रूप में बीत गया। यह हमारे लिए खुशी की बात है।

15 मार्च को कानून की सर्वोच्च सत्ता की जीत हुई और हालांकि आज के दौर में खतरनाक रूप से ही सही लेकिन शांति की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारतीय लोकतंत्र की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए जो हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का अंतिम रक्षक बन गया है।

इससे पहले कि मैं शिलादान, जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है का निहितार्थ बताऊं, मुझे समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री काफी लम्बे समय तक जटिल पहेली बने रहे, "उनकी...में गहरा अन्तर, भारी अन्तराल और गहरी खाई है।"

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है आपको "ह्यमंगोअस" शब्द अधिक पसन्द है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उनकी सार्वजनिक छवि और निजी वास्तविकता में गहरी खाई है। हमारे प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि क्या है? वे ठीक ठाक किस्म के नरमपंथी हैं। वास्तविकता क्या है? मेरे विचार से मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं?

श्री वैको (शिवकाशी) : आप हमेशा गलत होते हैं। श्री एस. जयपाल रेड्डी मेरे विचार से उनकी छवि लचीले कट्टरपंथी की है। मैंने इसे किसी भी मूल्य पर कभी नहीं माना और इस तथ्य को लम्बे समय से मानना छोड़ दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री एक लचीले नरमपंथी हैं।

महोदय, हर बार जब भी वे बोलने के लिए खड़े होते हैं, वह राजग के एजेंडे की बात करते हैं, मानो कि यह एक रामबाण दवा है। पिछले चार वर्षों के दौरान राजग एजेंडे को छोड़ कर सब कुछ कार्यान्वित किया गया है। भाजपानीत सरकार अपना समानांतर एजेंडा अर्थात तथाकथित छुपा एजेंडा जो ज्यादा छुपा भी नहीं है, लागू करती रही है।

महोदय, कुछ दिन पहले जब मैंने 6 दिसम्बर का संदर्भ दिया था, तो मैं 6 दिसम्बर, 1992 का संदर्भ नहीं दे रहा था। मैं 6 दिसम्बर, 2001 का संदर्भ दे रहा था। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने मुखर होकर कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय भावनाओं का प्रकटीकरण है, जिससे एक नया विवाद पैदा हो गया था और जिस कारण इस सभा में गर्मागर्म तथा लम्बी बहस हुई थी। किन्तु उस समय हमारे प्रधानमंत्री को संघ परिवार द्वारा एक वर्ष की मोहलत दी गई थी। तब उन्होंने कहा था : "मैं अब से एक वर्ष में यह समस्या सुलझा लूंगा।" उस समय उन्होंने इस मोहलत का विश्वास दिलाया और जब वह एक वर्ष पूरा हो गया तो विश्व हिन्दू परिषद श्री जार्ज फर्नांडीज के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास गई, जो कि सभी अवसरों पर काम के आदमी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा : "वह विधि मंत्री को 1994 के निर्णय का उल्लेख करेंगे।" महोदय कृपया नोट करें, उन्होंने यह नहीं कहा : "वह विधि मंत्रालय को उल्लेख करेंगे।" मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में बहुत सी प्रेस रिपोर्ट आई थीं। सरकार का यह मत था कि सांकेतिक पूजा की अनुमति दी जा सकती है। इनमें से किसी भी रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया गया था। चुप्पी साजिश का संकेत देती है।

तत्पश्चात श्री विष्णु कांत शास्त्री सामने आए। मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। मैं उन्हें संवैधानिक अत्यौपचारिकता का आदर्श व्यक्ति और राज्यपालीय बुद्धिमत्ता का अवतार कहने का बुरा नहीं मानता...*(व्यवधान)* चूंकि मुझे नकारात्मक भाव व्यक्त करने से बचने के लिए कहा गया है, मैं पूरी तरह सकारात्मक

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

भाव व्यक्त कर रहा हूं। वह प्रधानमंत्री से मिले और बाहर आए। उन्होंने पांच मिनट का भी वक्त नहीं गंवाया। वह सभी टी.वी. पत्रकारों और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय, भाषाई प्रेस के सामने गए और कहा : "पूजा करने में क्या बुराई है?...*(व्यवधान)* किसी को कैसे रोका जा सकता है?" मैं श्री विष्णु कांत शास्त्री के बीते समय की बात नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह हमारा क्लास फ्रेंड था।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री सोमनाथ चटर्जी कहते हैं, "वह उनका क्लास फ्रेंड था।" मैं नहीं जानता कि क्या वह आहत महसूस करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक वह मेरे साथ थे वह एक अच्छे आदमी थे

[हिन्दी]

वहां जाकर बर्बाद हो गया।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री विष्णु कांत शास्त्री इस मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई के एक दिन पहले गए। जैसा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, उन्होंने साफ तौर पर और दो टूक शब्दों में बताया था कि शिला पूजन किया जा सकता है।

अपराह्न 4.19 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

अब सबको पता था कि सरकार क्या करना चाहती है। किंतु जिस तरह से महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय में जिरह की थी उसके बाद, श्री सोराबजी ने प्रेस से क्या कहा था? उन्होंने कहा था : "उन्होंने यह साफ किया था कि वह किसी के विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं, न तो सरकार के और न विश्व हिन्दू परिषद के।" मैं 14 मार्च के अखबार द हिन्दू में से उदधृत कर रहा हूं। ये उनके अपने विचार थे।

मैं 14 मार्च के ही 'द हिन्दू' में से और उद्धरण देना चाहता हूं। महान्यायवादी ने उस दिन न्यायालय में बहस की थी। यह प्रधानमंत्री जी की बात है। "प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज स्पष्ट किया कि महान्यायवादी सोली सोराबजी ने अयोध्या में अधिगृहीत भूमि पर सांकेतिक पूजा की अनुमति के मामले में उच्चतम न्यायालय में सरकार का विचार रखा था।"

इस प्रकार, महान्यायवादी न्यायालय से बाहर अधिक और न्यायालय में कम बहस कर रहे थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस को एक घंटे से अधिक समय तक संबोधित किया। उन्हें टी. वी. पर सीधे बोलते हुए देखा जा सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि ठीक कौन था। महान्यायवादी देश को गुमराह कर रहे थे या माननीय प्रधानमंत्री जी?

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। 13 मार्च को विधि मंत्री जी ने राज्य सभा में जो कहा था उसमें भी ऐसा ही विरोधाभास था और मैं बताता हूं कि विधि मंत्री जी ने क्या कहा था।

श्री वैको : वे दूसरी सभा की कार्यवाही में से उद्धृत नहीं कर सकते।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नियम 345 के अधीन मैं मंत्री द्वारा दिए गए किसी भी नीति संबंधी वक्तव्य का उल्लेख कर सकता हूं। मैं नियम का उद्धरण दे रहा हूं। मैं श्री वैको के व्यवस्था के प्रश्न के लिए तैयार था।

13 तारीख को विधि मंत्री जी ने राज्य सभा में यह कहा था। "महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से उपस्थित हुए थे, न्यायालय द्वारा सरकार के मत के बारे में पूछे जाने पर कहा, सरकार के अवलोकन पर, अविवादित भूमि के अस्थायी प्रयोक्ता फारुखी के मामले में निर्णय का निर्वचन, संक्षिप्त पूजा करना निषिद्ध नहीं था।" यह विधि मंत्री का मामला था कि वे यह बताते कि सरकार की यह स्थिति थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निःसंदेह ऐसा होना ही चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : तथापि, महान्यायवादी कह रहे थे कि वे सरकार के मामले में बहस नहीं कर रहे थे बल्कि न्याय मित्र अर्थात न्यायालय के मित्र के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जब पूरी सभा और पूरे देश ने इस विरोधाभास पर उंगली उठाई तो प्रधानमंत्री ने 14 मार्च को जब सभा में वक्तव्य दिया तो यह कहा :

"किसी कानून या न्यायालय के निर्णय का निर्वचन करना महान्यायवादी का संवैधानिक कर्त्तव्य है। न्यायालय ने जब ऐसा करने को कहा तभी महान्यायवादी ने ऐसा किया था। जब उच्चतम न्यायालय ने कल उनसे पूछा, अयोध्या में अविवादित भूमि पर प्रतीकात्मक पूजा भी अनुमेय थी।"

विधि मंत्री ने राज्य सभा में जो कहा और अगले दिन प्रधानमंत्री ने लोक सभा में जो कहा उसमें विरोधाभास है। महोदय, बहुत विरोधाभास है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

मैं जानता हूं। मेरे विद्वान मित्र श्री अरूण जेटली उठेंगे और कहेंगे, "श्री जयपाल रेड्डी, आपको समझ नहीं है, आपको विवादित भूमि और अधिगृहीत भूमि के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में नहीं आता है।"

एक पढ़े-लिखे आम आदमी के रूप में इन कानून के ज्ञाताओं से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार विवादित और अधिगृहीत दोनों ही स्थलों की रिसीवर होती है। आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा था। आप कानूनी रिसीवर हैं इसलिए आप यथास्थिति बनाए रखेंगे। यथास्थिति बनाए रखने का वह वादा दोनों ही स्थानों पर समान रूप से लागू होता था और यह अंतर संदिग्ध ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था।

सरकार और इसके महान्यायवादी की कलाबाजियों और चतुराई के बाद राजग के घटक परित्यक्त प्रेमियों की तरह प्रतिक्रिया कर रहे थे। राजग को गंभीरता से नहीं लिया गया। देश के साथ खिलवाड़ किया गया। हम विगत चार वर्ष से यह कहते आ रहे हैं। मैंने 1998 में यह कहा था।

एक माननीय सदस्य : क्या तब आप कांग्रेस में थे?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नहीं। मैं अपनी बात का पक्का रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था। मैं जनता दल में था और यह कहा था। यह राजग कोई प्रेम विवाह नहीं है। हमारी परम्परा में प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। यह तो जबरदस्ती किया गया विवाह है। यह राजीनामे से किया गया विवाह नहीं है। यह मजबूरी में किया गया विवाह है। मजबूरी में किए गए विवाह को हमारी परम्परा में राक्षस विवाह कहा गया है।

हमारे प्रधानमंत्री जी शिकायत कर रहे थे कि मैं बड़े अंग्रेजी मुहावरों का प्रयोग करता हूं। जब मैंने हैदराबाद में तेलगु या संस्कृत मुहावरे का प्रयोग किया तो तेदेपा और भाजपा के मेरे मित्र विद्रोह करके खड़े हो गए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : बिहार में आपका कौन सा विवाह है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मुझे एक बात का स्पष्टीकरण चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं। राक्षस विवाह का क्या अर्थ है? राक्षस का अर्थ होता है असुर। कृपया इस शब्द को वापस लीजिए। श्री जयपाल रेड्डी जैसे संसदविद् के लिए यह ठीक नहीं है।

अपराह्न 4.28 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

आपका यह कहना ठीक नहीं है कि राजग के घटक दलों ने राक्षस विवाह किया है। यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमारे प्रधानमंत्री स्वयं संस्कृत के विद्वान हैं...*(व्यवधान)* हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार इसे राक्षस विवाह कहा गया है। यदि यह वाक्यांश हमारी वैदिक परंपरा में अनुमेय है तो मुझे नहीं पता कि यहां इसकी अनुमति क्यों नहीं है।

श्री टी. आर. बालू : नहीं, यह बिल्कुल असंसदीय है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : श्री जयपाल रेड्डी कांग्रेस के साथ आपके विवाह को क्या कहें? यह राक्षस विवाह है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। यदि यह असंसदीय हुआ तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : अब तक आप जनता दल में थे। कांग्रेस के साथ आपके विवाह को क्या कहें?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, कृपा कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : पिछले वर्ष इन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदविद् का पुरस्कार मिला था। किन्तु ये भद्दी भाषा प्रयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : वे यह नहीं कह सकते कि राजग राक्षस है...*(व्यवधान)* वे इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। अन्यथा इन्हें बोलने नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री वैको : इन्हें गंधर्व विवाह का शौक है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, यदि यह असंसदीय होगा तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप विवाह की बात मत कीजिए, बच्चों की बात कीजिए।

श्री वैको : इन्हें पार्टियां बदलने का शौक है। ये अक्सर पार्टियां बदलते रहते हैं...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : वे सबके लिए अपशब्द कैसे कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं। यदि यह असंसदीय है तो मैं इसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैं इसको देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया कुछ कोचिंग की व्यवस्था की जाए। मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वह असंसदीय है और परसों भी इन्होंने जो शब्द कहा, उसका भाव यही है और इन्होंने गलत कहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि जो आब्जैक्सनेबल शब्द होगा, उसे मैं एक्सपंज करूंगा।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, ये हीन भावना से ग्रसित हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह केवल एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, उन्होंने 'राक्षस' शब्द दिया है...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि हम बलपूर्वक संगठित हुए थे। जबकि हम स्वयं एकजुट हुए हैं। हम पूर्ण प्रेम तथा सद्भावना के साथ संसक्तिशीलता द्वारा संगठित हुए हैं, किन्तु बिहार में श्री लालू प्रसाद के साथ उनके संबंधों के बारे में क्या कहा जाए। उन्हें स्पष्ट करने दें कि...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अपने पुराने दोस्त श्री बालू तथा ममता दीदी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी रा. ज. ग. साझेदारों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी प्रतीकात्मक भाषा में रा. ज. ग. का वर्णन किया था ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आप अब शब्दों के जाल में न फंसाएं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या आप रूपक अलंकार तथा अर्थालंकारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री वैको : उन्होंने कल बहुत बुरा शब्द प्रयोग किया था तथा आज उन्हें बोलने की अनुमति दी गई है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं कि मैंने किसी भी रा. ज. ग. साझेदार पर राजनीतिक लांछन लगाने के रूप में कुछ नहीं कहा है। मैंने तो केवल रा. ज. ग. नामक इस अजीब से प्राणी पर टिप्पणी की थी।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : आप अधिकतर राज्यों में सी. पी. आई. (एम) के साथ अपने गठबंधन की व्याख्या कैसे करते हैं? आप पहले यह व्याख्या करें और तत्पश्चात आप रा. ज. ग. साझेदारों के बारे में बात करने आएं...*(व्यवधान)*

श्री वैको : इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को एक नाजी पार्टी कहा था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : सबसे पहले, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं इसका खंडन करता हूं कि...*(व्यवधान)*

हमारे महान्यायवादी को पदम विभूषण से सम्मानित किया गया है। उच्चतम न्यायालय में 13 तारीख को उनके आश्चर्यजनक अदालती उपलब्धि के लिए मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाए।

हम जिस तरह के भी भाषण यहां देते हैं, उनसे राज्यों में कोई अशान्ति नहीं होगी। मेरे मित्र श्री विनय कटियार यहां नहीं हैं। मेरी यहां कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। हममें से कोई भी किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। मैं वास्तव में उनके भाषण की शक्ति की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने एक भड़काने वाली टिप्पणी की तथा शान्त वातावरण को उत्तेजित कर दिया। जयपाल रेड्डी के अलंकृत भाषणों अथवा सोमनाथ चटर्जी के लंबे-चौड़े पण्डिताऊ भाषणों से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा!

अतएव, हम बहुत कमजोर हैं। हम नम्र लोग हैं। हम विनय कटियार जैसे शक्तिशाली लोग नहीं हैं। हम यज्ञ के विरुद्ध नहीं हैं। इस देश की प्रगति के लिए शान्ति तथा साम्प्रदायिक सद्भावना हेतु 'महायज्ञ' की आवश्यकता है। कृपया यज्ञ कीजिए, हम सभी उसमें भाग लेंगे...*(व्यवधान)*

मैं अब शिलादान पर आता हूं। कल जो शिलादान हुआ कोई भी उसके विरुद्ध नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, मैं इसके विरुद्ध हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यदि सामुदायिक नेताओं के बीच धार्मिक समूहों के नेताओं के बीच, निजी नागरिकों के बीच ऐसा होता है, तो यह पूरी तरह से ठीक है। चूंकि यह अधिगृहीत भूमि के बाहर हुआ है, इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश शामिल नहीं थे। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है तथा मैं इसे दोहराता हूं कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह भारतीय लोकतंत्र के शानदार गरिमा से बढ़ाता है। किन्तु अड़चन यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अयोध्या प्रकोष्ठ को देखने वाला एक अधिकारी वहां जाकर इसे प्राप्त करता है। अतः शिलादान को गैर-कानूनी कार्यकलाप के द्वारा दूषित कर दिया गया। केवल इतना ही नहीं है। महोदय, यह न केवल एक गंभीर अवैधानिक कार्यकलाप है बल्कि इससे एक और दुश्चक्र प्रारंभ हो गया है। मुझे भय है कि यह शिलादान इस सरकार के गले का एक और भारी बोझ बन जाएगा। मेरे नेता कहते हैं कि नहीं, यह तो सरकार के गले का एक और फंदा है। अतः मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि यह सरकार के गले का एक भारी बोझ है, तो हम इसकी चिन्ता नहीं करेंगे। कृपया देखें कि यह राष्ट्र के गले का भारी बोझ न बन जाए।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री को उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए उनके द्वारा लिए गए अत्यंत उचित निर्णय के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य है, जिसका आदेश सर्वोच्च है। मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री ने जब माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए तथा अयोध्या मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से उत्तर देते हुए अपना अभिभाषण दे दिया है, तो किसी वाद-विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। इसे बेकार में खींचा जा रहा है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, तो इसके बाद चर्चा करना पूर्णतः अनुपयोगी, अनावश्यक हो गया है। किन्तु इसे खींचा ही जाना है क्योंकि यहां विपक्ष के माननीय सदस्य भी हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा विक्टोरियाई अंग्रेजी पर अपना आधिपत्य दिखाना होगा। लोगों को फौ पा. हमगस गारगैन्ट्यूअन गल्फ, पंक टिलिअस आदि जैसे अपने अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना होगा।

उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री संतोष मोहन देव जैसे लोग भी उन्हें समझ न पाएं...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वह स्वयं भी नहीं समझ पाते...*(व्यवधान)* यही तो समस्या है। आप उनसे वर्तनी पूछें...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : अतः राष्ट्र पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए * जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तब प्रेस कहेगी : 'ओह, अंग्रेजी में कितने सिद्धहस्त हैं!'

श्री वैको : महोदय, वे टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दी गई हैं। टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : नहीं, उन्हें कार्यवाही–वृत्तांत से नहीं निकाला गया है।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिए गए हैं। आप कार्यवाही–वृत्तांत देखें...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मेरा यह कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति कहेगा, अंग्रेजी मीडिया कहेगा, 'अंग्रेजी में कितने दक्ष हैं, वह इस देश के प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने इस बारे में क्षमायाचना भी नहीं की हैं।' महोदय, यह केवल अपना सम्मान स्वयं बढ़ाने वाली बात है तथा यह साबित करने का ही प्रयास है कि 'मैं अंग्रेजी में अत्यंत दक्ष हूं, मुझे विक्टोरियन इंगलिश की जानकारी है तथा मैं उसका उपयोग कर सकता हूं और मैं हर व्यक्ति को मूर्ख बना सकता हूं।' यही बात है। अन्यथा, उन आडम्बरपूर्ण शब्दों को छोड़कर मुझे ऐसे एक भी वाक्य, एक भी शब्द कोई महत्त्व का नहीं लगा जोकि बाहर नहीं बताया गया है, जोकि राज्य सभा में नहीं बताया गया है अथवा जोकि यहां भी नहीं बताया गया

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि संपूर्ण देश में आक्रोश उत्पन्न हो गया। मैं "आक्रोश" शब्द के प्रयोग के बारे में सावधान हूं। महोदय, मैं आपको "दि इंडिया टुडे" नामक पत्रिका के 4 फरवरी, 2002 का अंक दिखाऊंगा। मैं अभी उसी में उद्धृत करूंगा। उसका शीर्षक है : 'मूड आफ द नेशन, रिटर्न आफ द मिलिटेंट हिन्दू।' अब, 'इंडिया टुडे' से जुड़े ये लोग लगभग हर पांच या छह महीनों में जनमत कराते हैं और वे राष्ट्र की मनोवृत्ति बताते हैं। यहां, "मूड आफ द नेशन" संबंधी लेख में जो प्रश्न पूछा गया था, वह यह था : "वि. हि. परिषद ने 12 मार्च से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने की धमकी दी है। क्या आप चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण तुरंत किया जाए?" तैंतालीस प्रतिशत लोगों ने इसका समर्थन किया है। न्यायालय द्वारा इस मामले का समाधान करने संबंधी प्रश्न के बारे में 20 प्रतिशत लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। इस प्रश्न के संबंध में कि सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए, 16 प्रतिशत लोगों ने समर्थन व्यक्त किया तथा इस प्रश्न के संबंध में कि क्या बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाए, इसका पांच प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया है। 'यथास्थिति बनाए रखने के प्रश्न के संबंध में, केवल चार प्रतिशत समर्थन था। मैं दोहराता हूं कि यथास्थिति बनाए रखने के प्रश्न पर केवल चार प्रतिशत समर्थन था। आक्रोश नहीं है। देश में इस बात को लेकर खुशी थी कि हिन्दू भावना का सम्मान किया गया है तथा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महान्यायवादी दोनों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए इस वाक्य से पूरी तरह सहमत हूं जब उन्होंने गर्व के साथ पहले यह कहा था कि राम जन्मभूमि राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह सत्य है। मैं कहता हूं कि 85 प्रतिशत हिन्दुओं और यहां तक कि सिक्खों, बौद्ध धर्मावलम्बियों, कुछ ईसाईयों तथा यहां तक कि कुछ मुसलमानों ने भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात का समर्थन किया है।

यह आक्रोश नहीं है। यह आक्रोश विपक्ष में बैठे कुछ लोगों के साथ हो सकता है जो स्वयं को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। यह देश की विचारधारा नहीं है। यह इस देश के लोगों की विचारधारा नहीं है।

मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि मान लो यदि हम उस बात को लें कि महान्यायवादी ने 1994 में फारुकी के मामले के संबंध में विधि की क्या व्याख्या की है। महान्यायवादी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है :

> "पूजा करने के उद्देश्य से अविवादित निकटवर्ती भूमि के अस्थायी उपयोग को स्वतः प्रतिषिद्ध नहीं किया गया था तथा इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित यथापूर्व स्थिति का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि यथापूर्व स्थिति संबंधी यह आदेश युक्तियुक्त था, जो अर्जित भूमि के बजाय केवल विवादित स्थल के लिए ही निर्दिष्ट था।"

क्या यह असत्य है? क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 1994 में यह निर्णय नहीं दिया गया था? यदि ऐसा है, तो निषेधाज्ञा के संबंध में, माननीय जयपाल रेड्डी ने कहा कि माननीय विधि मंत्री ने जो कहा, महान्यायवादी ने जो कहा और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा, उन सब में विभेद है। विभेद क्या है? उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा थी। वह निषेधाज्ञा क्या है? निषेधाज्ञा के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि :

> "जब तक कि सभी वाद का अंततः निपटारा न कर लिया जाए, इस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। जब तक कि मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, संपत्ति का कोई अंतरण नहीं होगा।"

मैं इस बात से सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय ने केवल इसी तरह का ही निर्णय दिया था। परंतु संपत्ति का क्या अर्थ है? न्यायनिर्णयन होने तक अंतरण संबंधी निषेधाज्ञा केवल विवादित क्षेत्रों से ही संबंधित है जबकि आधिक्य वाले क्षेत्र के किसी भाग का अंतरण...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं जानता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी एक बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। यद्यपि कोई भी उनकी सलाह नहीं मांगता है, तथापि वे अन्य लोगों को उकसाते ही रहते हैं। मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे उच्चतम न्यायालय में बड़े अधिवक्ता होंगे। मुझे उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपसे यह अपील करूंगा कि वे मुझे इस सदन में हमेशा परेशान करते हैं क्योंकि मैं कभी–कभी उनका विरोध करता हूं। कृपया उन्हें सही ढंग से व्यवहार करने को कहें। वे बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती है...*(व्यवधान)* ऐसा इसलिए है कि मैं भी यह जानता हूं कि कब क्या बोलना है और उन्हें विगत में मेरे द्वारा कही गई बातों की जानकारी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, आप संबंधित विषय पर ही बोलिए।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप उनसे शांत रहने को कहें।

बात यह है कि न्यायनिर्णयन होने तक अंतरण संबंधी निषेधाज्ञा केवल विवादित भूमि से ही संबंधित है जबकि आधिक्य भूमि के किसी भी भाग का अंतरण जिसका प्रतिधारण विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन तक आवश्यक न हो, उसे तब तक रोके नहीं रखा जाता है। वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2000 तक इतनी सरकारें रही हैं। कोई भी सरकार उस अर्जित भूमि का अंतरण राम जन्मभूमि न्यास को कर सकती थी। राम जन्मभूमि न्यास उस संपत्ति का एकमात्र स्वामित्व है जिसे भारत सरकार द्वारा अर्जित किया गया है। जो भी हो, इसे किसी भी सरकार द्वारा अंतरित नहीं किया गया है। परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि 67 एकड़ का यह क्षेत्र अविवादित क्षेत्र है? 13 मार्च के इस निर्णय विशेष के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? मैं केवल यह उद्धृत कर रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय ने इस बार यह भी कहा :

"इस समय, यद्यपि यह 1994 के आदेश का सही पठन है, हम ऐसी किसी पूजा की अनुमति नहीं देंगे जिससे स्थिति बिगड़ती हो।"

इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कानूनी रूप से सरकार सही है परंतु चूंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी है। और महान्यायवादी भी पूरी तरह ठीक कह रहे थे जब उन्होंने भी उसकी व्याख्या इस प्रकार से की।

महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि महान्यायवादी कोई सचिव नहीं है; वह कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है; वह संवैधानिक हस्ती है; वह संवैधानिक प्राधिकारी है। वह न्यायालय में भी जा सकता है और यह कह सकता है कि विधि के संबंध में यही उसकी सही व्याख्या है। उसे हमेशा सरकार के कहे अनुसार निर्देश नहीं दिया जा सकता है। वह हमेशा यह कह सकता है कि यही कानून है। महान्यायवादी न केवल सरकार का विधि अधिकारी है बल्कि वह देश का विधि अधिकारी भी है; वह राष्ट्र का विधि अधिकारी होता है; वह इस देश के लोगों का विधि अधिकारी है। उसे विधि की व्याख्या करने का स्वतंत्र अधिकार भी प्राप्त है तथा उसने उसकी व्याख्या अपने तरीके से की है। उसने टेलीविजन पर भी यही बताया है। उसने विदेशी मीडिया और हर व्यक्ति के समक्ष अपनी टिप्पणियां की हैं तथा कहा कि उसने विधि की व्याख्या उस तरीके से की थी। अतः, मेरा कहने का यह अर्थ है कि भारत के महान्यायवादी द्वारा की गई व्याख्या पूर्णतः सही है क्योंकि उसने लोगों के विचारों को पहले ही जान लिया है।

महोदय, अंततः महान्यायवादी ने ऐसा क्यों कहा, उस संबंध में मैं आपके समक्ष एक कारण प्रस्तुत करना चाहता हूं। विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य कहते हैं कि समस्त देश इसके विरुद्ध है, समस्त देश में क्रोध व्याप्त है। क्या मैं उनसे यह प्रश्न कर सकता हूं, "तब हम कैसे सत्ता में आ गए?" उन सबने हमारा विरोध किया है, उन्होंने हमें अस्पृश्य बना दिया, वे हमारे विरुद्ध हो गए तथा उन्होंने हमारे विरुद्ध मुसलमानों के वोट इकट्ठा करना चाहा। उसी वजह से मुसलमानों ने सदैव चतुराई से किए जाने वाले मतदान का सहारा लिया। हमें कौन हरा सकता है? वे उनके लिए मतदान करते रहें और वही ठीक है।

उन्होंने देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि इस देश के बहुसंख्यक समुदाय ने सोचा कि यही एक ऐसी पार्टी है, जो कम से कम स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या के पक्ष में बात कर रही है।

[श्री खारबेल स्वाइं]

महोदय, मुझे हिन्दू होने का गर्व है। एक विदेशी, एक बाहरी आक्रमणकारी ने हम पर हमला किया, हमारे सर्वाधिक इष्ट आराधना स्थल को नष्ट किया और उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया। हम शांत रहे क्योंकि हम उस समय प्रत्याक्रमण नहीं कर सके। यह ढांचा हमारी भारतमाता पर कलंक है। यह शर्म की बात है कि ऐसा ढांचा वहां था। एक हिन्दू के रूप में, मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह एक शर्म की बात थी।

मैं आपको एक सहज उदाहरण दूंगा। जब रूसियों ने अधीनता के लंबे समय के बाद पोलैंड को आजाद कर दिया तो क्या आप जानते हैं पोलैंडवासियों ने क्या किया? उन्होंने रूसियों द्वारा निर्मित चर्च को नष्ट कर दिया। पोलैंडवासी भी ईसाई हैं और चर्च एक ईसाई धार्मिक संस्थान है।

तथापि, पहले तो पोलैंडवासियों ने इसे नष्ट किया क्योंकि वे समझते थे कि यह राष्ट्रीय अपमान था, यह पोलैंड राष्ट्र एक धब्बा था। यही कारण है कि उन्होंने इसे नष्ट किया।

माननीय अटलजी यहां पर उपस्थित हैं, माननीय आडवाणीजी यहां पर हैं। उन्होंने कहा है कि यह शर्म की बात है क्योंकि हम ढांचे को इस तरह गिराना नहीं चाहते थे। मैं इस बात से सहमत हूं। वे नेता हैं। किन्तु देश के लाखों-करोड़ों हिंदुओं के लिए तो यह एक साकार होता सपना था, यह बड़े गर्व की बात थी कि ऐसा धब्बा धुल गया है। मैं इस सभा में यह कह सकता हूं कि मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि ऐसा हुआ।

मैं एक वाक्य में अपनी दूसरी बात पूरी करूंगा कि इस देश की जनता ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को राजग के 25 अन्य घटक दलों के साथ इस देश पर शासन करने का जनादेश दिया है। हमें जनादेश मिला है। हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। वे इसके अनुसार ही देश पर शासन कर रहे हैं और वे राजग की कार्यसूची के अनुसार ही देश पर शासन करते रहेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय सर्वोच्च होते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय भी सर्वोच्च होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : महोदय, क्या हम जान सकते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन उठाया जा रहा है? कृपया हमें नियम बताइए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नियम यह है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : कौन सा नियम? कृपया नियम उद्धृत कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नियम यह है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी समुदाय विशेष पर आरोप नहीं लगा सकता और इससे भी ज्यादा क्या वे बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने को उचित ठहरा रहे हैं जिसे कि अपराध माना गया है कानून और...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, आप उनसे नियम पूछिए। मेरे पास नियम पुस्तक है, उन्हें नियम बताने दीजिए...*(व्यवधान)* मैं इन दो सीधे से सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने न्यायालय में अपील की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात हुई है तो मैं उसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : किन्तु एक हिंदू सबसे प्यार करता है। वैदिक अध्ययन में कहा गया है कि एक हिंदू को सबसे प्यार करना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि सरकार ने अयोध्या मामले

पर रोजाना सुनवाई करने और अपना निर्णय सुनाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील कर दी है। इस सभा के माध्यम से मैं भी माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि वे इस मामले को लेकर बैठे न रहें बल्कि निर्णय दें। यह चाहे हिंदुओं के पक्ष में हो अथवा किसी अन्य के, न्यायालय अपना निर्णय दे।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी को बातचीत की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बातचीत की जो प्रक्रिया कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य महाराज ने शुरू की थी वह जारी रखी जानी चाहिए। बातचीत की उस प्रक्रिया के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार राम जन्मभूमि मुद्दे का न्यायपूर्ण निपटारा करा सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी–अभी इस सभा के अन्दर भी जो जहर फैलाया गया है वह भा.ज.पा. के एक सदस्य ने फैलाया है। उन्होंने ये बातें सभा के नेता, भारत के प्रधान मंत्री, भा.ज.पा. के एक और बड़े नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, भारत के गृह मंत्री तथा भा.ज.पा. के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कही हैं तथा उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की और न ही विरोध किया। मैं इसका खंडन करता हूं। मैं इस घिनौने प्रयास का खंडन करता हूं जो इस सभा के माध्यम से सांप्रदायिकता, घृणा और कट्टरवाद का कैंसर फैलाने के लिए किया जा रहा है। मैं बस अपने उन मित्रों से अनुरोध कर सकता हूं जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं–भले ही वे किसी भी पक्ष में हों, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं–कि वे इस पर विचार करें और स्वयं निर्णय करें कि वे देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा मामला नहीं है। भले ही श्री जयपाल रेड्डी ने प्रधान मंत्री जी को लचीला कट्टरपंथी कहा हो फिर भी हम उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। यह पहली बार हुआ है कि इस संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर सरकार द्वारा प्रायोजित, सरकार द्वारा व्यवस्थित सीधा प्रहार किया गया हो जिसमें केन्द्र सरकार गर्दन तक डूबी हुई हो। हम सबको पता है कि विवाद कहां से पैदा हुआ है। यह 6 दिसम्बर, 1992 के राष्ट्रीय शर्म के कृत्य में कैसे परिणत हुआ?

गृह मंत्री महोदय ने दूसरे दिन ही अमृतसर में सरेआम कहा था कि उन्होंने जो रथ यात्रा की थी उसी के कारण वे भारत के गृह मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा था कि रथ यात्रा के परिणामस्वरूप ही भाजपा इस देश की सत्ता में आई। वे इसका गुणगान कर सकते हैं। किन्तु यह इसलिए है कि आज भारत की संसद, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निकाय इस विशिष्ट प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है कि इस देश का भविष्य क्या होगा, क्या यह देश एक रह पाएगा अथवा नहीं?

यह क्या हो रहा है? जब मामला न्यायाधीन है तो इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? प्रधान मंत्री जी ने या सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता जताई है। फिर हमें इस पर पुनः चर्चा करने की क्या जरूरत है?

अपराह्न 5.00 बजे

फिर हमें इस पर पुनः चर्चा करने की क्या जरूरत है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आश्वासनों के विरोधी होते जा रहे हैं। जहां तक इन मुद्दों का संबंध है, यह सरकार कुछ कहती है किन्तु करती इसका बिलकुल उलटा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसे जिन्दा रखना चाहते हैं। यही वह मुद्दा है जिससे इन्हें सत्ता के स्वाद का पता चलता है। उन्हें पता है कि कब उचित समय पर इस मुद्दे को संशोधित करके पुनः हवा देनी है। कभी वे इसे शांत रखते हैं और कभी वे दिखाते हैं कि हमने अपना वास्तविक एजेंडा छोड़ दिया है ताकि सभी दलों को एक साथ रखा जा सके। किन्तु वे समय–समय पर कभी विहिप के माध्यम से, कभी न्यास के माध्यम से तो कभी बजरंग दल के माध्यम से भड़काते रहते हैं। ऐसा बार–बार हो रहा है।

महोदय, हाल ही की घटनाओं के बारे में पूरे देश में इतनी चिन्ता क्यों है, केन्द्र सरकार को अयोध्या में कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अर्धसैनिक बल क्यों भेजने पड़े? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं सुनेंगे।

कल ही विहिप के एक प्रतिनिधि ने कहा था : "हम उच्चतम न्यायालय के आदेश से बंधे हुए नहीं हैं।" वे प्रधान मंत्री जी से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। 13 तारीख के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद कल ही विहिप ने ऐसा कहा था। एक पूज्य व्यक्ति महंत परमहंस ने आत्महत्या करने की धमकी दी क्योंकि वह न तो उच्चतम न्यायालय के

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आदेश से और न ही सरकार की बात से संतुष्ट थे। विहिप के अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है : "ठीक है, तथापि, हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने के पश्चात् हमेशा वचनबद्ध हैं।" यह विहिप के अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कृपया मेरी बात को ठीक कर दीजिए।

इसलिए अत्यधिक सावधानी बरती गई। निश्चित रूप से श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में एक और 6 दिसम्बर, 1992 घटित होने का खतरा नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ऐसा हुआ तो उनकी सरकार एक दिन में चली जाएगी, चाहे आपस में उनका कितना भी संबंध क्यों न हो, वे यह जानते हैं।

इसलिए आपको असाधारण एहतियाती उपाय करने पड़े और यह यथास्थिति बनाए रखने की इच्छा से नहीं बल्कि सरकार को बचाए रखने के लिए करना पड़ा। प्रधान मंत्री महोदय, हम आपसे बार–बार अनुरोध कर रहे थे कि किस आधार पर आपने इस देश की जनता को यह आश्वासन दिया कि 12 मार्च, 2002 तक इस मुद्दे का समाधान कर लिया जाएगा? ...*(व्यवधान)*...यह इस सदन के कार्यवाही–वृत्तांत में है कि आप पहले से ही कई लोगों से विचार–विमर्श कर रहे थे। क्या आपको इसका समाधान होने की उम्मीद है? आपने इसका समाधान ढूंढ़ने की आशा प्रकट की थी। मैं इसका समाधान करने की आशा की बात छोड़ देता हूं? परन्तु आपकी आशा के लिए कुछ आधार होना चाहिए। हमने उसी दिन यहीं पर आपसे पूछा था कि "प्रधान मंत्री महोदय, आप किससे बात कर रहे हैं? आप कैसी आशा कर रहे हैं और आपकी आशा का आधार क्या है?" परन्तु आपने इसके बारे में नहीं बताया और हमने इसके लिए जोर नहीं डाला क्योंकि हमने सोचा कि प्रधान मंत्री के रूप में आपको इसका प्राधिकार होना चाहिए, ऐसा करने का पूरा अवसर होना चाहिए, सदन के नेता के रूप में और सरकार के प्रधान के रूप में आपके पास जानकारी होनी चाहिए और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से दल हैं या कौन से संगठन हैं, जिनसे बात करनी है। परन्तु उसके बाद हमें कभी भी यह सूचना नहीं दी गई कि बातचीत से किसी समाधान की कोई उम्मीद नहीं है खास तौर से जब तक कि प्रधान मंत्री महोदय आपने 15 फरवरी, 2002 को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक चुनाव सभा में कहा कि बातचीत के माध्यम से समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए केवल एक ही रास्ता बचा था—जैसा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया था—यह या तो बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए या इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से आपके द्वारा स्पष्ट रूप से कहे जाने के बाद भी विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, न्यास आदि अधिगृहित भूमि के भीतर शिला पूजा जैसी चीज करने की खुली धमकी दे रहे थे। जहां तक विवादित भूमि, जहां पर मस्जिद थी जिसे बेरहमी से गिरा दिया गया था का संबंध है, उसके बारे में न्यायालय के आदेश का आदर कर रहे हैं पर शिलापूजन अवश्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ नींव रखी जाएगी। स्वाभाविक रूप से पूरे देश ने इस पर चिन्ता व्यक्त की। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दृढ़तापूर्वक की गई घोषणाओं के बावजूद हम इस देश में एक और विध्वंस की ओर बढ़ रहे हैं? सभी लोग चिन्तित हैं। प्रधान मंत्री आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चिन्ता करने की जरूरत नहीं है; न्यायालय के आदेश का सम्मान सभी संगठनों द्वारा किया जाएगा, जो उनके साथी रहे हैं और अभी भी विद्यमान हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहली प्राथमिकता देने की बात कभी नहीं छुपाई यहां तक कि उन्होंने भारत सरकार की गद्दी जिस पर वे बैठे हैं उसकी तुलना में भी इसे अधिक प्रधानता दी। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से खुले तौर पर कहा कि पहले वे स्वयंसेवक हैं, प्रधान मंत्री की गद्दी तो आती–जाती रहेगी—इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए उनकी प्राथमिकताएं भी सुस्पष्ट हैं। परन्तु किस प्रकार—उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में स्पष्ट कानूनी और संवैधानिक स्थिति के बावजूद ये धमकियां दी गयीं? जब 13 तारीख को हमारे पास उच्चतम न्यायालय का आदेश आ गया यह उन पर ही उल्टा पड़ गया।

जैसा कि मैंने कहा है—श्री सोली सोराबजी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से एक हैं; हम एक दूसरे को जानते हैं परन्तु यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि उन्होंने—किसलिए, मैं नहीं जानता—भारत के महान्यायवादी के पद की गरिमा के साथ समझौता किया। मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊंगा।

अचानक 'शिला पूजन' 'शिला दान' हो गया। ये किसके विचार थे? हम इसके बारे में 13 मार्च से पहले से ही सुन रहे थे। यह कोई नया या कोई अनूठा समाधान नहीं था जो महान्यायवादी द्वारा इस निर्णय के उनके तथाकथित कानूनी

व्याख्या के माध्यम से अचानक ढूंढ़ा गया। हम इसके बारे में सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कम से कम शिला दान किया जाना चाहिए। और देखिए शिला दान हो गया।

प्रधान मंत्री ने कुछ कहा; मैं उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जो हमने आज कहा है उस पर इस देश के लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा

[हिन्दी]

शिला को चढ़ा दिया—लेना तो जरूरी था। क्यों, आप क्यों लेंगे? आपका लेना क्यों जरूरी था? उनके शब्द मैंने हिन्दी में नहीं, बंगाली स्क्रिप्ट में लिख लिये। लेना तो जरूरी था, कहां छोड़ेंगे, वह तो कहीं रखना है और आप कैसे उसके बीच में आते हैं?

[अनुवाद]

राम के भाई के नाम का उन्हें कम से कम एक व्यक्ति मिला और उन्होंने श्री शत्रुघ्न सिंह को भेजा। यह अद्‌भुत बात है! मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उन्हें उसी दिन, अर्थात् परसों एक पत्र भेजा था। मैंने सोचा कि शायद उन्हें नहीं बताया गया होगा, कुछ उनसे छिपाया गया होगा या यह सब उनके पीछे से हो रहा होगा। इसलिए मैंने तत्काल अपराह्न 2.40 बजे एक पत्र लिखा। मैंने उस पर समय भी अंकित किया और उसे तत्काल उनके कार्यालय में यह कहकर भेजा कि उनके कर्मचारियों को कहा जाए कि यह अत्यन्त अविलम्बनीय पत्र है। मैंने लिखा कि अभी–अभी मैंने टेलीविजन में यह सुना है, कृपया देखें कि ऐसा नहीं हो क्योंकि यह अनुमेय नहीं है। परन्तु उसे कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। ऐसा हुआ और हमने इसके बारे में सुना। कुछ लोगों ने विशेष योजना के तहत कार्य किया और उसे कार्यरूप दिया।

क्या यही सरकार का कर्त्तव्य था? वास्तव में पूजा की जाती रही। मैं नही जानता कि क्या यह पवित्र या देवत्व पूर्ण शिला है परन्तु अब इसका विशेष महत्व हो गया है क्योंकि महंत जी ने इस पर कुछ पूजा की है। यह पवित्र या देवत्व वाली शिला ही है क्योंकि कल अपने आप इस पर पूजा शुरू हो गई। आजकल सभी कुछ दिखाया जाता है। वह अधिकारी जो वहां गया ने भारत सरकार की ओर से अभिवादन किया। क्या एक सरकारी अधिकारी का यह कार्य है? क्या वे अपने सरकारी कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे थे? यह कल्पना से परे है। इसलिए लचीलेपन का प्रश्न नहीं है।

वे एक अवसरवादी कट्टरपंथी हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि वाजपेयी जी आपने इस देश के लोगों को एक गहरा सदमा दिया है। अब इसे कहीं रख दिया गया है क्योंकि आप किसी मंदिर की तलाश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

छोड़ना तो होगा, कहां छोड़ेंगे, रखना जरूर है।

[हिन्दी]

आपका क्या उत्तरदायित्व है? या तो अधिनियम के अधीन या भारत के संविधान के अधीन, क्या यही आपकी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है कि आप इस देश में धार्मिक समारोहों में भाग लें। वाजपेयी जी, आपको हमें बताना है कि अब से कौन पूजा करेगा। किस व्यवस्था के अधीन भारत सरकार नियमित पूजा किए जाने की व्यवस्था में शामिल एक पक्ष था। क्या अब वहां पूजा होगी या पूजा नहीं होगी? कुछ पुजारियों को वहां होना चाहिए। उन्हें कौन वेतन या प्रणामी, जो भी कहें, कौन देगा?

पूरी विनम्रता के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप वहां एक मुस्लिम, एक ईसाई या एक सिक्ख अधिकारी भेज सकते थे? भारत सरकार को इस कार्य को करने के लिए एक विशेष धर्मावलम्बी अधिकारी को चुनना पड़ा। आप राक्षस विवाह पर आपत्ति कर रहे हैं। मैं भी इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। बालू गारु आपकी अपनी आपत्तियां हैं। क्या आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती नहीं है? आप उस सरकार में मंत्री हैं जो धार्मिक समारोहों में शामिल होने के लिए धनराशि खर्च कर रही है। सरकार की ओर से आपने तथाकथित पवित्र शिला को पकड़ा हुआ है। यह पूरी तरह से आप लोगों के लिए है। कम से कम आप तो धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं।

इसलिए मैं कहूंगा कि यह संविधान और भारत सरकार के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर जानबूझकर किया गया हमला है। मैंने यह पहले भी कहा है और मैं पुनः यहां दोहराता हूं कि यह संवैधानिक विद्रोह है और प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्री जिन्होंने भारत के संविधान के अनुपालन की शपथ ली है उन्होंने अपनी शपथ तोड़ी है। आजकल धर्मनिरपेक्षता की बहुत सारी व्याख्याएं और परिभाषाएं दी जा रही हैं। इसका एक नमूना

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हमने थोड़ी देर पहले देखा है। यदि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय यह है तो मैं यह कहूंगा कि संविधान ने अपनी सारी प्रासंगिकता खो दी है। यदि मैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताऊंगा तो आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सभी प्रकार की बनावटी अभियुक्तियां दी जा रही हैं।

महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय में से कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। विधि मंत्री महोदय, आपके पास सभी प्रतियां हैं। मैं उच्चतम न्यायालय के पेज के खण्ड–छह, 1994 के पृष्ठ 401 से उद्धृत कर रहा हूं जहां एस. आर. बोम्मई के मामले से एक उद्धरण है। लिए गए पाठ का संदर्भ देने के बाद उसमें कहा गया है :

"धार्मिक सहिष्णुता और सभी धार्मिक समूहों से समान व्यवहार और उनके जीवन और सम्पत्ति और उनके पूजास्थलों की सुरक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित धर्मनिरपेक्षता का एक आवश्यक अंग है। हमने यह लक्ष्य केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह हमारी ऐतिहासिक विरासत है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है वरन् सार्वभौमिक बंधुत्व और मानवीयता का भी सिद्धान्त है। यही हमारी मूलभूत आस्था है। कोई व्यवसाय और कार्य जो उपरोक्त मत के विरुद्ध जाता है, हमारे संविधान के उपबंधों के विरुद्ध आचरण का प्रथम दृष्टया सबूत है।"

प्रधानमंत्री महोदय, आप वह कार्य करने के दोषी हैं। अब मैं पृष्ठ 402 से पढ़ता हूं। इसी मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने बताया :

"धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता न केवल ईश्वर की बल्कि आदमी आदमी में आपसी समझदारी की कल्पना प्रथमतः दिखाई देती है। संविधान में धर्म–निरपेक्षता ईश्वर विरोधी नहीं है और कई बार स्वतंत्र समाज में भी इसका विश्वास किया जाता है। वे मामले जो पूरी तरह धार्मिक हैं व्यक्तिगत तौर पर छोड़ दिए गए हैं और धर्म–निरपेक्षता राज्य द्वारा जनहित व्यवस्था और सामान्य कल्याण कार्य के आधार पर ले ली जाती है। राज्य व्यक्तिगत और कारपोरेट धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और नागरिक की आस्था और धार्मिक विश्वास की परवाह किए बिना समान व्यवहार करता है और न तो धर्म विशेष को बढ़ावा देता है और न ही अन्य के विरुद्ध वरीयता देता है। अतः धर्म–निरपेक्ष राज्य की अवधारणा सरकार के लोकतांत्रिक रूप में सफलता–पूर्वक कार्यकरण वांछनीय है। कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता यदि धर्मनिरपेक्ष विरोधी ताकतों को विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को बांटने और एक दूसरे का गला काटने की अनुमति दी जाती है।"

महोदय, इसी के अगले पैराग्राफ में इन्हीं न्यायमूर्ति राधास्वामी के निर्णय में कहा गया है :

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान ने व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास और तत्संबंधी धर्मनिरपेक्षता के बीच सीमा रेखा खींची। राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देता है, राज्य न तो धर्म विशेष का पक्षपाती है और न ही धर्म विशेष का विरोधी है। यह तटस्थ रहता है, दूसरे शब्दों में धार्मिक मामलों मे तटस्थता बनाए रखता है और नियमाधीन सभी धर्मों की रक्षा करता है और धर्मनिरपेक्षता के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है।"

अतः धर्म के साथ करने के लिए कुछ नहीं है। उसी संदर्भ में एक निर्णय में न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने बताया :

"यद्यपि इस देश के नागरिकों को ऐसा धर्म, आस्था अथवा विश्वास जो वे चुनते हैं को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने को स्वतंत्र हैं, फिर भी जहां तक राज्य का संबंध है अर्थात् राज्य के विचार से किसी व्यक्ति का धर्म, आस्था अथवा विश्वास महत्त्वहीन है। इसके लिए सभी समान हैं और सभी समान समझे जाने के पात्र हैं। यह समान व्यवहार कैसे संभव है, यदि राज्य धर्म, नस्ल अथवा जाति विशेष को वरीयता अथवा बढ़ावा देता है, जिसका अनिवार्यतः अर्थ है अन्य धर्मों, नस्लों और जातियों को कमतर मानना।"

निर्णय में आगे कहा गया है :

"इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहनशीलता के अकर्मण्य सोच से अधिक है। यह सभी धर्मों के समान व्यवहार की सकारात्मक अवधारणा है।"

15 मार्च को क्या हुआ? क्या यह एक धर्म अथवा समूह विशेष का पक्ष लेना नहीं था, ऐसा धर्म विशेष जो खुले तौर पर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध था?

इसके पक्षपाती विश्व हिन्दू परिषद है। उन्होंने अपनी अल्पसंख्यक विरोधी भावना को छुपाने का कभी कोई प्रयास

नहीं किया। क्या ऐसा नहीं है कि आज भारत सरकार ने धर्म विशेष का पक्ष लिया है। यह प्रधान मंत्री कार्यालय से उद्भूत हुआ है। यह स्थल पर डरे हुए किसी कनिष्ठ अधिकारी की प्रतिक्रिया नहीं थी। यह कार्य काफी सोच-विचार के बाद किया गया है। क्योंकि यह स्पष्टतः साधुओं अथवा न्यास अथवा विश्व हिन्दू परिषद के साथ मिली भगत थी। विशेष प्रबंध किए गए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप कम से कम शिलादान कर सकते हैं; हम प्रबंध करेंगे। इसीलिए मैं समझता हूं मेरे अच्छे मित्र श्री सोली सोराबजी ने अपनी जिन्दगी में सबसे बड़ी गलती की है। मुझे विश्वास है वे इस गलती को महसूस करते हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा ने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी को उद्धृत करते हुए पृष्ठ 403 पर इस प्रकार कहा :

"इस संवैधानिक नीति के असंगत उठाया गया कोई कदम साफ शब्दों में असंवैधानिक है।"

यही मेरा विनम्र निवेदन है। यह सरकार गंभीर किस्म के असंवैधानिक कार्य की दोषी है। यहां अन्य उद्धरण और बहुत महत्वपूर्ण परिच्छेद है, किन्तु मैं उनका उद्धरण करते हुए सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। कम से कम विधि मंत्री उन्हें पढ़ चुके हैं।

अब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के कानून सलाहकार के रूप में महान्यायवादी के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से दिए गए बयान का आश्रय ले रहा है, मानो वह प्रवक्ता है। मैंने अभी-अभी सुना है कि वह भारत के लोगों के महान्यायवादी हैं। व्यक्तिगत धारणाएं बनाई जा रही हैं। वह भारत सरकार के ही महान्यायवादी है। उसका कार्य क्या है?

"महान्यायवादी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।"

यह कहां बताया गया है कि महान्यायवादी कानून की अपनी ओर से व्याख्या कर सकता है और यह कि वह इस देश के लोगों पर लागू होगा? कल्पित अभिप्राय व्यक्त किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि "बहुत अच्छा, यह उसका कर्त्तव्य है।" हमारे विधि मंत्री मानसिक व्यथा में हैं, यह मैं जानता हूं। वह अपने ही जाल में फंस गए हैं। उसने भी उसकी सलाह को गड़बड़ा दिया है क्योंकि उस मामले में वह भी एक पार्टी थे। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें और महान्यायवादी को बुलाया यदि निर्णय करने के लिए सब कुछ महान्यायवादी पर छोड़ दिया गया था और उन्हें भारत सरकार की सलाह का पालन करने की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने महान्यायवादी को क्यों बुलाया? यही हमें बताया गया है। वह सब की उपेक्षा कर सकते थे। वह कानूनी मामलों में सक्षम हैं। वह एक मुवक्किल की ओर से वहां उपस्थित हो रहे हैं और मुवक्किल है भारत सरकार। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें निष्पक्ष परामर्शदाता के रूप में, न्यायालय का मित्र जैसा कहा जा रहा है, नियुक्त नहीं किया है। वह वहां सरकार के अपने मुवक्किल के वकील के रूप में भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे। भारत के विधि मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह भारत सरकार की ओर से कहा गया था और उन्होंने उच्चतम न्यायालय को कोई अनुचित सलाह नहीं दी है। किन्तु हमें बताया गया है, "उन्होंने अपनी ओर से कानून की व्याख्या की है। आप कैसे एतराज कर सकते हैं?"

महोदय, किस कानून में कहा गया है कि 56 साधु अन्दर जा सकते हैं? कौन सा कानून कहता है कि आप वहां तीन घंटे तक रह सकते हैं? कौन सा कानून कहता है कि यह केवल शिलादान होगा? ये तथ्यों से संबंधित अनिवार्यतः निर्देश है और कोई वकील, यहां तक कि सबसे कनिष्ठ वकील भी जानता है कि कानून की व्याख्या क्या है और तथ्यों का विवरण क्या है। स्पष्टतः हम मुवक्किलों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्देश लेते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि विधि मंत्री और महान्यायवादी की गरिमा की तुलना में मेरा अनुभव बहुत ही तुच्छ है। हम जानते हैं कि मुवक्किल से निर्देशों का क्या तात्पर्य है। हम कुछ कार्यवाहियों पर वास्तव में तथ्यों संबंधी निर्देश लेते हैं। किन्तु मैं क्या तर्क दूंगा तथा कानून में भी क्या तर्क दिया जाएगा, यह स्पष्ट है कि मैं साधारण मुवक्किल से निर्देश नहीं लूंगा। हमने साधारण मुवक्किल तथा व्यावसायिक मुवक्किलों के बीच अन्तर किया है। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय में सोलिसिटर प्रणाली थी, तो हम बैरिस्टर के रूप में सोलिसिटर के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकते थे और सोलिसिटर एक व्यावसायिक मुवक्किल है क्योंकि उसे मेरा शुल्क देना पड़ता है। किन्तु, निसन्देह हम उनके साथ कानून की चर्चा करते

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हैं। जब हम कनिष्ठ वकील थे, तो बहुत वरिष्ठ सोलिसिटर हमें बताया करते थे कि कानून के ये मुद्दे हैं, जिन पर आप तर्क कर सकते हैं, किन्तु मैं जानता हूं कि कोई भी नामी वकील साधारण मुवक्किल से कानून के संबंध में निर्देश नहीं लेगा। किन्तु कम से कम तथ्यों को जाने बिना आप तथ्यात्मक स्थिति पर तर्क कैसे कर सकते हैं? और उच्चतम न्यायालय यही तो जानना चाहती है कि आपके मुवक्किल की तथ्यात्मक स्थिति क्या है। क्या यह कानून का मामला है कि 50 अथवा 60 अथवा 200 अथवा 2000 लोग पूजा के लिए अन्दर जाएंगे?

सरकार में एक ओर प्रतिष्ठित वकील श्री मुखर्जी हैं। मैं बहुत खुश हूं और मुझे गर्व है कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में तथा भारत में भी अंग्रेजी वकीलों में से एक हैं। यह सोचना अत्यन्त अनाड़ीपन होगा। यह कुछ भी नहीं है किन्तु मुझे यह छवि प्रदान करता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी सम्पूर्ण गरिमा के बावजूद एटार्नी जनरल के कार्यालयाधीन आश्रय अथवा कवर लेने का प्रयास कर रहे हैं। और यह और कुछ नहीं अपितु इस बात का भय है कि लोग क्या कहेंगे।

अब, यह 14 तारीख को उनके द्वारा पढ़े गए वक्तव्य में बहुत भारी चूक है।

> "सरकार की ओर से कोई शपथपत्र अथवा लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह तो याचिकादाता के वकील के तर्कों के निष्कर्ष के बाद ही केवल न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर महान्यायवादी ने निवेदन किया था कि..."

विधि मंत्री द्वारा क्या कहा गया था तथा प्रधानमंत्री द्वारा क्या कहा गया था? "सरकार के मत पर न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर" शब्द वक्तव्य से गायब हैं। मेरा संदेह करने का कोई विचार नहीं है कि यह जानबूझकर की गई चूक है और मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वे इस सभा और देश को गुमराह कर रहे हैं। उनसे किस बारे में पूछें? किसकी कानूनी व्याख्या पूछें? कौन-से निर्णय के बारे में पूछें? क्या निर्णय में किसी शिलादान अथवा पूजा के बारे में कोई संदर्भ है?...*(व्यवधान)* मैं वह जानता हूं और मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। आपको दांत दिखाने की जरूरत नहीं है श्रीमान विधि मंत्री जी। मैं जानता हूं कि आप किसका संदर्भ देने जा रहे हैं तथा मैं स्वयं ही उसे पढ़ दूंगा। मैं संगत पाठ को ही पढूंगा न कि असंगत भाग क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ सदस्यों को वह भाग पढ़ने के लिए उकसा रहे हैं, जो वे पढ़ाना चाहते हैं। विधि मंत्री ने दूसरी सभा में इस प्रकार कहा था, "सरकार के मत तथा सरकार के मामले पर न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर।" प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य, जिसका अभी तक खंडन नहीं किया गया है, में कहा कि महान्यायवादी सोली सोराबजी ने प्रतीकात्मक पूजा की अनुमति के मामले में उच्चतम न्यायालय में सरकार के मत को उपस्थित किया है। प्रतीकात्मक पूजा करने का विचार किसका था?

प्रतीकात्मक पूजा करने का विचार वि. हि. प. का था। क्या यह कानून का मामला है? अचानक सोली सोराबजी में कुछ ईश्वर भक्ति जागी, उनमें प्रेरणा जागी कि उन्होंने कहा आइए हम पूजा करें, चाहे वह प्रतीकात्मक हो अथवा अन्यथा। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वक्तव्य को इस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा गया है। यह जानबूझकर छिपाया गया है। कुल मिलाकर आप मुवक्किल से परामर्श किए बिना महान्यायवादी की ईश्वरीय अनुचित सलाह को सीमित करना है। एक ओर प्रयास किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने इस अधिगृहीत सम्पति के निपटान को नहीं रोका है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें किसी भी समय, जैसा चाहे, जो चाहे करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय को जानबूझकर गलत पढ़ना है। अन्यथा, अपनी इस मानसिक व्यथा में, वे कोई और उपाय नहीं ढूंढ सकते हैं। अतः उन्होंने निर्णय की गलत व्याख्या कर दी। मुझे तो उस समय आश्चर्य हुआ था जब मैंने टेलीविजन पर विधि मंत्री का भाषण सुना, जिसमें वे समाधान देने का प्रयास कर रहे थे और विधि मंत्री की प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना कि कभी-कभी आप अच्छा काम करते हैं, का जिक्र कर रहे थे। आपने मुझे पहले सलाह क्यों नहीं दी? मैंने ऐसा कर दिया होता। कभी-कभी वकील इस सरकार के लिए उपयोगी बन जाते हैं तथा कभी-कभी रा. ज. ग. के सहयोगी दल इस सरकार के लिए उपयोगी बन जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान चटर्जी, विधि मंत्री आपका अनुपालन करने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मुझे तो सन्तुष्ट होने दें कि मैंने यह चीजें सभा के समक्ष रखी हैं।

अब मुझे पैराग्राफ 45 पर आने दें, जो आपका मनपसंद पैराग्राफ है। आप हर जगह इन दो पैराग्राफों 45 और 46

को निर्दिष्ट कर रहे हैं। यह अस्थायी प्रावधान है। योजना यह है कि सरकार ने भूमि अधिगृहीत की है। वास्तविक विवाद यह है कि क्या मस्जिद, जिसे ढहा दिया गया था हिन्दुओं से संबंधित थी अथवा मुस्लिमों से। यह बात निर्धारण पर निर्भर करेगी। किन्तु वास्तविक ढांचे का जो बनेगा, या तो मस्जिद अथवा मन्दिर उचित मजा उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय मन्दिर अथवा मस्जिद के उचित प्रयोक्ता के संबंध मे निर्णय दे सकता है। जब तक उच्चतम न्यायालय निर्णय लेगा तब तक भारत सरकार, यदि यह उचित समझती है तो केवल इस कार्य के उद्देश्य हेतु न कि पूर्णतः किसी भी उद्देश्य के लिए उसे किसी भी पार्टी को दे सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय इसे कैसे पढ़ रहा है। मैं इसे पढ़ूंगा :

"जैसा कि हमने पढा है धारा 7 एक अस्थायी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य विवाद के संकल्प पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने तक विवादित क्षेत्र में यथा स्थिति बनाए रखना है। यह उस हस्तान्तरण के उद्देश्य को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए है तथा इसे अर्थपूर्ण बनाने ताकि इस बीच के समय के दौरान विवादित क्षेत्र की विद्यमान स्थिति में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस कार्य को बेकार होने की संभावना से बचाया जा सके...*(व्यवधान)*"

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए यह चेतावनी है कि अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं सोचता कि इस तरह के कार्य से मुझे रोका जा सकता है। मैंने यह महसूस नहीं किया था। इसके आगे :

"जब तक यथा स्थिति को बनाए रखना सुनिश्चित नही किया जाता है तब तक विवाद के संकल्प पर निकाला गया अन्तिम निष्कर्ष विवादित क्षेत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन के बेकार हो सकता है, जो जीती हुए पार्टी के पक्ष में परिणाम के कार्यान्वयन को बेकार और निरर्थक बना सकता है।"

तत्पश्चात्, मैं आपका ध्यान पृष्ठ 407 की ओर आकर्षित करता हूं। कृपया उस पर आएं। मेरे युवा मित्र आप अधीर न हों। महोदय ये मुझसे बहुत छोटे हैं। हो सकता है कि ये मुझसे ज्यादा विद्वान हों। इसके आगे :

"जिस सम्पत्ति का टाइटिल विवादित नहीं है उसे शामिल करते हुए अधिक क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए यह औचित्य दिया जाता है कि यदि विवादित स्थल पर मुसलमानों का हक सिद्ध होता है तो उस स्थिति में विवादित ढांचे के आस–पास हिंदुओं की सम्पत्ति होने से न्यायनिर्णयन का अंतिम परिणाम निरर्थक न हो जाए–यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक है।"

इससे आगे यह कहा गया है :

"स्पष्टतः, न्यायनिर्णयन का अंतिम परिणाम आने पर सफलता का उचित लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सफल पक्ष को उपलब्ध कराने हेतु आसन्न क्षेत्र को भी इसके जि । भाग को आवश्यक समझा जाता है, अधिगृहीत किया गया है। स्पष्ट है कि आसन्न सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने का एक प्रयोजन यह है कि यदि मुसलमान मुकदमे में जीतते हैं तो विवादित स्थल का भरपूर उपयोग वे करें तथा आसन्न क्षेत्र का अधिग्रहण मुख्य प्रयोजन से संबंधित है तथा इसे अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।"

यह तो जो भी जीते उसके लिए विवादित स्थल का उचित उपयोग करने की दृष्टि से है। यह विवादित स्थल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से है।

ऐसा कहा गया था कि विवाद तो केवल उस भूमि का था और सरकार ने इतनी भूमि क्यों ले ली थी। उच्चतम न्यायालय इस सवाल का जवाब दे रहा है। यह विवादित स्थल के उचित उपयोग की दृष्टि से है। अंततः यदि यह मुस्लिम समुदाय को मिलती है तो यह आवश्यक है और उचित है कि यह अधिग्रहण किया जाए।

महोदय, कृपया पैराग्राफ 50 देखिए जिसमें कहा गया है कि :

"तथापि, बाद में जब अधिगृहीत किए गए ठीक–ठीक क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकता है, जिसकी कि अधिग्रहण के प्रयोजन की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है, तब यह अनुमेय ही नहीं बल्कि वांछनीय भी होगा कि ऊपर का अधिक क्षेत्र अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए और इसके पूर्व स्वामी को वापस कर दिया जाए।"

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

यह तब की स्थिति है जबकि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय कर दिया है ठीक–ठीक कितने अधिगृहीत क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

अतः, इसमें कहा गया है कि जब भी यह पता लगता है कि अधिगृहीत क्षेत्र के किसी भाग की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायनिर्णयन पहले ही किया जा चुका है तो इसे मुक्त किया जा सकता है तथा इसे मुक्त किया जाना चाहिए। सरकार इसे क्यों रखे?

इसमें आगे यह कहा गया है :

"आसन्न क्षेत्र के किसी भाग के अधिग्रहण को इस आधार पर कि विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद के निपटान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह अनावश्यक है, दी गई चुनौती की जांच इस स्थिति में नहीं की जा सकती है। यदि प्रयोजन के लिए आवश्यक क्षेत्र का अंतिम रूप से निर्धारण होने के बाद भी अतिरिक्त क्षेत्र इसके स्वामी को वापस नहीं किया जाता तो ऐसी किसी सम्पत्ति का स्वामी अतिरिक्त अधिग्रहण को अधिग्रहण के प्रयोजन से असम्बद्ध होने के नाते चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।"

उच्चतम न्यायालय कहता है कि जब तक इसका अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है।

मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह मुसलमानों की है और यदि उन्हें आवश्यकता हो कि उन्हें 40 एकड़ जमीन और दी जाए तो इसका निर्णय किया जाएगा। यह 25 एकड़ हो या 27 एकड़ या जो भी हो, यदि इसे वापस नहीं दिया जाता है तो इसका स्वामी न्यायालय में जा सकता है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट इरादा है। "निष्कर्ष" शीर्षक में कुछ पैराग्राफ और दिए गए हैं। इन पैराग्राफों में क्या कहा गया है? यह पूर्णतः स्पष्ट है। कृपया पृष्ठ 423 पर पैराग्राफ 10 देखिए...*(व्यवधान)* यदि आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आपको जो गलत जानकारी दी गई है उस पर मत जाइए...*(व्यवधान)* उप–पैराग्राफ (6) में आसन्न क्षेत्र के बारे में कहा गया है। यह किसी और द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायाधीशों द्वारा दिए गए इस फैसले के निष्कर्ष का सार है।

पैराग्राफ 6 में कहा गया है :

"अधिनियम द्वारा अधिगृहीत विवादित क्षेत्र के अलावा आसन्न क्षेत्र पूर्णतः केन्द्र सरकार का है।"

एक प्रश्न है। वे कहते हैं कि वे जब भी चाहें इसे दिया जा सकता है तथा पूर्व स्वामी के सभी अधिकार बने रहेंगे तथा इस पर जोर से बहस चल रही है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बचा ही क्या है। माननीय सदस्य जिन बातों को कह रहे हैं, उनका इन बातों से कोई संदर्भ नहीं और न ही उनसे जुड़ता है। जब कोर्ट का फैसला हो ही जाना है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां विधि मंत्री भी हैं। वे उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, सबने पढ़ लिया है और सब को पता है तो लकीर पीटने से क्या मतलब है? संसद का समय कीमती होता है और यह समय ऐसे ही जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें आगे यह कहा गया है :

"जब तक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय अथवा न्यासियों में इसे आगे निहित नहीं किया जाता तब तक अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अनुसार इसके प्रबंधन और प्रशासन के अधिकार के साथ इसका निहित होना परम है। इसके अधिग्रहण के उद्देश्य की दृष्टि से अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, विवादित क्षेत्र के अलावा, आसन्न क्षेत्र का और आगे निहित होना बताए गए समय पर रीति से किया जाना है।"

पता नहीं प्रधानमंत्री जी का ध्यान पैराग्राफ 9 की ओर आकर्षित किया गया है या नहीं। इसमें कहा गया है :

"आसन्न क्षेत्र के किसी भी भाग के अधिग्रहण को इस आधार पर दी गई चुनौती की जांच इस स्थिति में नहीं की जा सकती है कि यह लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को हल करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनावश्यक है।"

क्यों नहीं? विख्यात वकील कह रहे हैं कि इस स्थिति में अर्थात् फैसले के पश्चात् इसकी जांच की जा सकती है। इसमें आगे कहा गया है :

> "तथापि, विवाद के न्याय निर्णयन पर निर्धारित किए जा रहे प्रयोजन के लिए आवश्यक ठीक–ठीक क्षेत्र से अधिक पाए गए क्षेत्र को अविवादित स्वामियों को दे दिया जाना चाहिए।"

विवाद के निर्धारण पर यदि कोई भूमि अतिरिक्त है तो उसे स्वामी को वापस किया जा सकता है।

अब, ऐसा कहा जा रहा है। कभी भी, आने वाली सरकारें अतिरिक्त भूमि को वापस न करने में असफल रही हैं। सरकार निर्णय कैसे ले सकती है जबकि मामला न्यायालय के समक्ष है? इस अर्जन अधिनियम को ठीक माना गया है। आसन्न क्षेत्र के अधिग्रहण की आवश्यकता को ठीक माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह आवश्यक है और इस स्थिति में इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। विवाद का अंतिम निर्धारण होने पर ही इसका निर्धारण हो सकता है। फिर ये सब विचार कहां से आ रहे हैं? यह संगठित अभियान कैसे चलाया जा रहा है? कहा गया है कि इसे आसानी से वापस किया जा सकता था। आने वाली सरकारें उन्हें वापस नहीं कर पाई हैं तथा वे इसमें से एक इंच भी नहीं छू सके। यह कानून का मामला बन गया है, आप इसे पसंद करें या न करें। क्या आप गैर–कानूनी निर्वाचन कर सकते हैं? आप विधिसम्मत या कानूनी निर्वचन करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, जानबूझकर देश के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को किसी भी स्थिति में इसे बिना निर्धारण के जिसे चाहे उसे देने का अधिकार था, और अब उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट कर दिया है। इसलिए, कम से कम इस समय तो उच्चतम न्यायालय ने देश को अलग–अलग होने से बचा लिया। मैं आरोप लगाता हूं कि इस सरकार ने जानबूझ कर, मर्जी से एक धर्म के साथ समझौता किया है, धार्मिक अनुष्ठानों मे सक्रिय भाग लेकर, साम्प्रदायिक तत्वों के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए कि वे अपनी तरह का 'हिंदुत्व' चलाना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हीं के समर्थन पर जी रहे हैं।

बहुसंख्यक और हिन्दू भी ऐसा कह रहे हैं कि काला धब्बा हटना चाहिए। क्या यह बहुवादी समाज नहीं है? प्रधानमंत्री दिन–रात कहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है तथा हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है तथा सरकार इसे बनाए रखने के लिए बाध्य है।

क्या इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा जा रहा है? क्या आप अल्पसंख्यकों की सोच रहे हो? गुजरात में फिर आग लग गई है। यह इस फैलाए जा रहे ज़हर का ही परिणाम है, यह इस समझौते का–असंवैधानिक, अनैतिक, अनाचारी समझौतों का ही परिणाम है जो सत्ता में बने रहने के लिए किए जा रहे हैं। वाजपेयी जी, इस देश को बचाइए, अपने आपको इन कट्टरवादियों के हवाले मत कीजिए। देश आपको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगा।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस वाद–विवाद के बीच में बोलने की अनुमति दी। मूलतः यह चर्चा 14 तारीख को दूसरी तरीके से होनी थी पर यह उस दिन नहीं हो पाया और तत्पश्चात् कल 15 ता. को यद्यपि सर्वनाश के कुछ भविष्य द्रष्टाओं ने कयामत की भविष्यवाणी की थी परन्तु अयोध्या में सारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। स्वाभाविक रूप से हमने सोचा कि कल अयोध्या में समारोहों के शांतिपूर्वक सम्पन्न होने के बाद सम्पूर्ण मामले पर, कम से कम इस समय आगे किसी वाद–विवाद की आवश्यकता नहीं है परंतु प्रतिपक्ष के भाषणों को सुनने के बाद मुझे लगा कि उन्हें इस बात से अत्यन्त निराशा हुई है कि कल कुछ नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

महोदय, श्री जयपाल रेड्डी का भाषण सुनने के बाद मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि वे अत्यन्त निराश हैं। वे अत्यन्त निराश इसलिए भी थे क्योंकि सामान्यतया किसी ने भी यह सोचा होगा कि यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सदन को शनिवार अपराह्न इकट्ठः होना पड़ेगा और शनिवार संध्या को देर रात तक हमें बैठना पड़ेगा–कुछ ऐसा जो हम सामन्यतया नहीं करते हैं–और मैं उनसे अत्यधिक जोरदार तर्कों की उम्मीद कर रहा था। परंतु शब्दाडंबर कभी तर्क का स्थान नहीं ले सकता है। आज वे न केवल उन मुद्दों की तलाश करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बल्कि राई के स्थान पर पर्वत खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कल कुछ नहीं हुआ और उन्होंने जो किया वह बाल की खाल निकालना था और फिर उन्होंने दो मुद्दे उठाए।

[श्री अरूण जेटली]

पहला यह था कि क्या महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से उपस्थित हो रहे थे? क्या महान्यायवादी की भूमिका एक न्यायमित्र के रूप में थी? क्या महान्यायवादी कानून की अपनी खुद की व्याख्या दे रहे थे या वह 13 तारीख को राज्यसभा में मेरे वक्तव्य पर आधारित था। क्या वे भारत सरकार की ओर से व्याख्या करने के लिए कहे जाने पर अपना वक्तव्य दे रहे थे? वे केवल बाल की खाल निकाल रहे थे और अचानक उन्हें राजग के इस अनूठे गठबन्धन से ईर्ष्या हो गई जो उनके शब्दों में राजग के साझेदारों के बीच हुआ है।

महोदय, उन्होंने इसे अवसरवादी विवाह, समझौतावादी विवाह, विवशता में किया गया विवाह कहा और इसके बाद संभवतः एक राक्षसी विवाह की कल्पना कर डाली। हम राजग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं। हम इसे राजग का कार्यक्रम कहते हैं। हम इस औपचारिक समझौते पर, पूरे देश के समक्ष सार्वजनिक रूप से यह कहने के बाद पहुंचे हैं कि हम राजग के कार्यक्रम का शब्दशः पालन करेंगे। यह एक राजनीतिक गठबंधन है जो आखिरी चुनावों से पहले अस्तित्व में आया है और हमने विशेष रूप से कहा–प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा–कि हम इस कार्यक्रम में कहे गए हरेक शब्द पर कायम रहेंगे। परन्तु मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि जब राजनीतिक दल जो देश के लिए उत्तरदायी हैं, किसी विशेष कार्यक्रम पर एक मत होते हैं, तो यह प्रतिज्ञा है जो वे देश के साथ करते हैं।

हमारी स्थिति उनकी स्थिति में बहुत भिन्न है। वे उस राजनीतिक दल से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य से अचानक गायब हो गई।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

श्री अरूण जेटली : आप उतनी बातें कह सकते हैं जितना राजग के बारे में कहा था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : प्रधानमंत्री ने यह बात उठाई थी। मैंने आपातकाल के खिलाफ 1974 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। आपने इसकी सराहना नहीं की। अब आप क्यों पलटा खा रहे हैं? मुझे इसकी तार्किकता समझ में नहीं आई...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विधि मंत्री के बोलने में बाधा नहीं डालें।

श्री अरूण जेटली : मैं अपने मित्र की प्रशंसा करता हूं और उनकी स्थिति से सहानुभूति भी रखता हूं। आपातकाल में जो हुआ उसके खिलाफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। हम इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। आपातकाल एक महान राजनीतिक घटना थी। वे उस मामले में हमसे सहमत थे न कि अपने सहयोगियों से 1984 में क्या हुआ? संभवतः आप हमसे सहमत थे और अपने वर्तमान साथियों से असहमत थे। जब बोफोर्स घोटाला आया आप हमसे सहमत थे न कि अपने वर्तमान सहयोगियों से...*(व्यवधान)*

मैं इस विवाह को क्या कहूं? क्या मैं इसे विवशता कहूं? क्या मैं इसे अवसरवादिता कहूं? आपने इसे दानवी विवाह कहा है। पर मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलन में हैं। उस राज्य में जहां से मैं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, वे इसे 'मंत्री करार' कहते हैं। एक अस्थायी सुविधा के लिए आप एक साथ हो गए हैं। आप सहमत हो सकते हैं या सहमत नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हर बार अपने राजग के साझेदारों के लिए यह बात कही है उन्होंने सार्वजनिक रूप में इसकी घोषणा की। एक राजनीतिक दल के रूप में एक साझे कार्यक्रम पर हम सब एक साथ हैं और हम इस कार्यक्रम के हर शब्द पर कायम हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : असली मुद्दे पर आएं।

श्री अरूण जेटली : मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। मैं बिन्दुवार उस मुद्दे पर आ रहा है क्योंकि मुझे उस मुद्दे का निश्चित रूप से उत्तर देना है जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विवाह के बारे में?

श्री अरूण जेटली : मैं केवल विवाह की ही बात कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे युवा मित्र, आप अभी तक विवाह के बारे में जोश में हैं।

श्री अरूण जेटली : इस बात का संदर्भ देने के बाद कि उन्हें क्या कहना चाहिए, मैं निश्चित रूप से इस बात का संदर्भ दूंगा कि आपने महान्यायवादी के पद के बारे में क्या कहा और 1994 के निर्णय के बारे में आपको क्या कहना चाहिए था।

मैं आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा भी करता हूं क्योंकि कई

बार मैं अपने आपको दुविधा की स्थिति में पाता हूं। न्यायालय से सम्पर्क छूट जाने के कारण हममें इस प्रकार के अपनी बात वापस लेने वाले लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। हम सदन में ही न्यायालय में चल रहे मामलों पर तर्क–वितर्क करने लगते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर वाद–विवाद होना चाहिए। आप राजनीति के मुद्दे को कानून का मुद्दा बना रहे हैं।

श्री अरूण जेटली : इस मुद्दे को आपकी तरफ रखूंगा।

श्री जयपाल रेड्डी, आपने हमारे सामने मुख्य प्रश्न रखा था और आपने कहा कि आप सामान्य आदमी थे। मैं कानून का प्राधिकारी होने का कोई दावा नहीं कर रहा हूं।

पिछले कुछ दिनों से यह प्रश्न उठ रहा है। महान्यायवादी की क्या स्थिति है? श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं निराश हो गया जब आपने उनकी स्थिति के बारे में बताया। क्या महान्यायवादी केवल सरकार का प्रवक्ता भर है? क्या वह केवल सरकार की ओर से अधिवक्ता हैं और उससे अलग उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है?

इससे पहले कि मैं इस प्रश्न पर आऊं, कृपया इतिहास को याद करें। महान्यायवादी के पद का इतिहास यह है कि यह एक संवैधानिक पद था जो सरकार से बाहर एक स्वतंत्र संवैधानिक पद के रूप में सृजित किया गया था। उन्होंने इसे सरकार से बाहर रखने के लिए क्यों सोचा? वे चाहते थे कि सरकार को एक स्वतंत्र कानूनी सलाह का लाभ मिले न कि हरेक मामले पर वैसी सलाह जो सरकार के रवैये के मनमाफिक हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप बिल्कुल सही हैं। पर यहां पर वे सरकार की ओर से उपस्थित थे।

श्री अरूण जेटली : कृपया कुछ देर के लिए मेरी बात में बाधा नहीं डालें। हमारे पास इस देश में पहले से इसके पूर्वोदाहरण हैं। मुझे एक बात याद है जिसे श्री सेटालवाड ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है–

भारत शासन अधिनियम के अधीन एक प्रश्न सामने आया है। एक महाधिवक्ता या एक महान्यायवादी की क्या स्थिति है।

भारत शासन अधिनियम के अधीन एक संयुक्त संसदीय समिति थी और हमारे पूर्ववर्ती संस्थान की संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि यह एक संस्थान है जिसे निश्चित रूप से राजनीति और उस समय की सरकार के राजनीतिक भविष्य से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। वह अपनी सलाह केवल इस कारण से नहीं बदल सकते कि सरकार का यह विचार है या सरकार का कुछ और विचार है। इसका कारण यह था कि जब श्री सेटालवाड इस कार्यालय के प्रमुख दावेदार थे, तात्कालिक विधि मंत्री श्री सेन का वास्तव में इस पद को समाप्त करने और विधि मंत्री तथा महान्यायवादी के दो पदों को मिलाकर एक कर देने का प्रस्ताव था। उस समय राष्ट्रीय बहस हुई थी, सभी विधिवेत्ताओं ने अपना मत प्रकट किया; सभी अधिवक्ता संघों ने विचार–विमर्श किया और तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने महान्यायवादी के विचार का पक्ष लिया और कहा कि "आप इन दोनों पक्षों को एक साथ नहीं मिला सकते क्योंकि आपको सरकारी मशीनरी से अलग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण की आवश्यकता है जो सरकार को यह भी कह सके कि यहां पर मेरे विचार में आप इस विशेष मुद्दे पर गलत हैं।"

विधि के प्रश्न पर, सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह महान्यायवादी को निदेश दे सरकार का काम यह नहीं है कि वह माहन्यायवादी को निदेश दे।

हमारी पीढ़ी के बड़े वकीलों में से एक श्री सीरवई, जो 17–18 वर्षों से भी अधिक समय से महाराष्ट्र के महाधिवक्ता थे–जो भारत के प्रतिष्ठित संवैधानिक वकीलों में से एक थे–को जब महाराष्ट्र के विधि मंत्री द्वारा न्यायालय में कोई विशेष विधि संबंधी दृष्टिकोण अपनाने का निदेश दिया गया तो उन्होंने स्पष्टतः इस बात का पक्ष लिया और समस्त देश तथा विधि न्यायिक भ्रातृत्व ने उनका समर्थन किया कि जहां तक विधि का संबंध है, सरकार महान्यायवादी की सलाह मांग रही है। सरकार उस सलाह को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। परंतु वह एक स्वतंत्र सलाह है।

न्यायालय में भी महान्यायवादी विधि का एक ऐसा निर्वचन कर सकते हैं जो विद्यमान सरकार को उपयुक्त नहीं लग सकता है। वस्तुतः इस संबंध में पूर्व दृष्टांत हैं तथा आपके जैसे अनुभवी व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि विधि अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष खड़े होने और यह कहने का अधिकार प्राप्त है कि इस मामले में मेरा विचार है कि मेरे मुवक्किल का कोई मामला नहीं बनता है और ऐसा कहकर

[श्री अरूण जेटली]

विधि अधिकारी बैठ सकते हैं। साधारण वकील सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं किन्तु महान्यायवादी तथा इन अधिकारियों से इसी स्तर की निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।

वे ठीक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। न्यायालय में दायर की गई याचिका में भारत सरकार प्रत्यर्थी है। महान्यायवादी भारत सरकार के लिए न्यायालय में उपस्थित होता है और जब न्यायालय ने उनसे 1994 के निर्णय से संबंधित उनके निर्वचन के बारे में पूछा कि 1994 के निर्णय के अंतर्गत क्या आप यह पाते हैं कि प्रतीकात्मक पूजा पर कोई रोक है, महान्यायवादी को वही पक्ष लेना चाहिए जो वह सही समझे तथा ऐसा पक्ष नहीं लेना चाहिए जैसा कि श्री सीतलवाड ने लिखा है, "उसी राजनीति पर निर्भर रहें।"

श्री एस. जयपाल रेड्डी : माननीय मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य के बारे में क्या विचार है?

श्री अरूण जेटली : जी, हां। यदि वे पुनः कोई झंझट खड़ा न करें तो राज्य सभा में मेरा वक्तव्य स्पष्ट है कि वे भारत सरकार के लिए उपस्थित हुए थे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : सरकार का पक्ष!

श्री अरूण जेटली : जी, हां। महान्यायवादी ने उसका समर्थन किया था। जब महान्यायवादी विधि के प्रश्न पर उपस्थित होते हैं तो वे एक ऐसा पक्ष लेते हैं जिसे वे सही समझते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया आधा मिनट दीजिए। हम उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं। वे इस देश के बुद्धिमान वकीलों में से एक हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं। परंतु मैंने जो कहा है, वह पद की प्रतिष्ठा के संबंध में है। कतिपय खामियां रही हैं जिनकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को भी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हर व्यक्ति मोतीलाल सीतलवाड नहीं है। दुर्भाग्यवश, बीच में चूकें हुई हैं। मैं जो कहता रहा हूं वह यह है कि क्या यह विधि की व्याख्या का प्रश्न नहीं है कि 50–60 साधु वहां जाकर तीन वर्ष तक रहते हैं, पूजा करते हैं अथवा शिला–दान करते हैं। ये आंकड़े समाधान के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुए हैं ये सच्चे प्रश्न हैं। कितने लोगों को जाना चाहिए? वे कब तक ठहरेंगे? क्या यह कानूनी निर्वचन का मामला है?...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वक्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है। कृपया उन्हें भी बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मान लिया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं विधि मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गए नीतिगत वक्तव्य से उद्धृत कर रहा हूं।

सायं 6.00 बजे

> "भारत के महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से उपस्थित हुए। महान्यायवादी से 1994 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निर्वचन करने को नहीं कहा गया था। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा सरकार के पक्ष के संबंध में पूछे जाने पर महान्यायवादी कहते हैं : "निर्णय के निर्वचन से संबंधित सरकार की व्याख्या के बारे में"– सरकार निर्णय का भी निर्वचन करती है–"फारुकी के मामले में, संक्षिप्त पूजा करने हेतु अविवादित भूमि का अस्थायी उपयोग स्वतः प्रतिषिद्ध है।"

मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा अभी अभी 13 मार्च को दूसरी सभा में दिए गए वक्तव्य के ही इन अंशों को पढ़ रहा हूं।

श्री अरूण जेटली : मुझे इस बात को लेकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे दो अत्यधिक प्रतिष्ठित सहयोगियों ने पुनः इस मामले का जिक्र किया है और इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। जी, हां। जैसा कि मैंने कहा, महान्यायवादी किसी मामले में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होते हैं। जब महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से उपस्थित होते हैं तो यह एक स्पष्ट पूर्व–दृष्टांत है कि जब वे विधि का निर्वचन करते हैं तो वे स्वयं द्वारा तैयार निर्वचन प्रस्तुत करते हैं... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, वे अब नहीं मान रहे हैं, उन्होंने पहले ही मान लिया है।

श्री अरूण जेटली : महान्यायवादी सरकार की ओर से उपस्थित होते हुए, विधि के निर्वचन के मामले में, जब विधि का निर्वचन करते हैं, तब जहां तक भारत सरकार का संबंध है वे कोई निर्देश प्राप्त नहीं करते हैं।

अब, श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसके बारे में पूछा है। तत्पश्चात् महान्यायवादी उठकर न्यायालय में अभिवचन देते हैं

कि यदि किसी भी अवस्था में न्यायालय पूजा की अनुमति देने को तैयार होता है, तब संपूर्ण मामले पर विचार करने के बाद मैं मानता हूं कि ये कठोर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए...*(व्यवधान)* यह आपके लिए नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : भारत सरकार का निर्वचन क्या है?

श्री अरूण जेटली : महान्यायवादी, विधि के निर्वचन के मामलों में, सरकार के किसी विधि संबंधी अनुदेश के बजाय अपने अधिकार के अनुरूप विधि का निर्वचन करते हैं। यह एक ऐसा स्पष्ट पूर्व दृष्टांत है जो पहले से चला आ रहा है। जैसा कि महान्यायवादी ने स्वयं कहा है कि कोई भी विधि अधिकारी विधि के मामलों में किसी भी महत्ता के साथ सरकार के अनुदेशों अथवा निदेशों को स्वीकार नहीं करता है। वह उसी सीमा तक विधि का निर्वचन करता है जिस सीमा तक महान्यायवादी के रूप में उसके अपने अधिकार संबंधित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दो अत्यंत रोचक तर्क दिए गए हैं। उनका पहला तर्क यह है कि जहां तक किसी अधिकारी द्वारा कोई शिला स्वीकार करने का संबंध है, यह बात धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के विरुद्ध है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित पैराग्राफों को पढ़ा है। परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि स्वयं उच्चतम न्यायालय हमें धर्मनिरपेक्षता के संबंध में बताए। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ के विभिन्न निर्वचन हो सकते हैं। एक तरफ हमें उस बारे में सारी बातें स्पष्ट हैं। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में यह बात है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता के अन्तर्गत धर्मतन्त्र अथवा राज्य धर्म की कोई अवधारणा नहीं होती है। राज्य धर्म के आधार पर भेद–भाव नहीं करता है। परंतु वे आगे यह कहते हैं कि किसी धार्मिक कार्य अथवा किसी धार्मिक जुलूस की स्थिति में, राज्य अपने किसी अधिकारी के माध्यम से "शिला" को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार करता है कि तनाव समाप्त हो और कहा जाता है कि भारत का धर्म निरपेक्षता का स्वरूप बरकरार रहे। महोदय, क्या मैं उन्हें इस बात का स्मरण कराऊं?...*(व्यवधान)* हमने जो दिया उसका यह सीधा परिणाम है...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे याद है कि तनाव समाप्त करने के लिए जिसे वहां भेजा गया था, वह सिविल सेवा का कोई साधारण अधिकारी नहीं है। यदि श्री सोमनाथ चटर्जी अपनी दाहिनी ओर देखें तो उन्हें इस बात का स्मरण हो आएगा कि जब 1989 में शिलादान किया गया था...*(व्यवधान)* कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह गलत था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए। उन्हें बोलने दीजिए। उनके निर्वचन और उनके विचारों को निर्विघ्न रूप से रिकार्ड किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमारा पक्ष दृढ़ है।

श्री अरूण जेटली : आपके सहयोगी दृढ़ नहीं हैं...*(व्यवधान)*

जब शिलान्यास किया गया था, तब स्थिति का अवलोकन करने के लिए जो अधिकारी वहां गया था वह किसी छोटे पद का नहीं था। वहां जो हो रहा था उसके अवलोकन हेतु केन्द्र सरकार के एक मंत्री महोदय वहां उपस्थित थे। उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित थे।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : यह बात पूरी तरह गलत है; यह पूर्णतः असत्य है।

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्हें ऐसा कहकर छोड़ा नहीं जा सकता है। उस समय के गृह मंत्री ने यहां बताया है कि आरोप पूरी तरह गलत है...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालोर) : यह बिल्कुल गलत है। मैं कभी भी अयोध्या नहीं गया।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि श्री अरूण जेटली की बात सही है तो श्री बूटा सिंह झूठ बोल रहे हैं। यदि श्री बूटा सिंह की बात सही है तो विधि मंत्री, मैं बड़ी सावधानी से शब्दों का प्रयोग करता हूं, झूठ बोल रहे हैं, यदि वे अपनी बात वापस नहीं ले लेते।

सरदार बूटा सिंह : यह बिल्कुल गलत है। वे इसे सिद्ध करें।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मैं भी था। उस समय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उनके आदेश से शिलान्यास हुआ, काम शुरू हुआ लेकिन बाद में मंत्री जी ने उसको रोक दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली : मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है यदि श्री बूटा सिंह कहें कि वह वहां नहीं गए थे...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : यह बिल्कुल झूठ है।

श्री अरूण जेटली : यदि वे कहें कि वे उपस्थित नहीं थे, तो मैं इसे मान लेता हूं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। वह वरिष्ठ सदस्य हैं। वह जो कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं किन्तु मैं इस सभा को स्मरण कराता हूं कि 1989 में पूरा शिलान्यास केन्द्र सरकार की पूरी सहमति से हुआ था। श्री बूटा सिंह इससे इंकार नहीं कर सकते।

हमारे यहां एक धर्म नहीं है बल्कि अनेक धर्म हैं। राज्य धर्म को स्वीकार नहीं करता। राज्य का कोई धर्म या धर्मतंत्र नहीं है किन्तु कई बार राज्य अपनी निष्पक्षता पर प्रभाव डाले बिना कुछ दूर से स्वयं सुविधा प्रदान करता है। हमारे यहां वक्फ बोर्ड है जिसका गठन राज्य करता है। हमारे यहां धार्मिक संस्थाओं के लिए निर्वाचन होते हैं जो राज्य कराता है। हज के लिए सरकारी शिष्टमंडल होता है। यात्राओं के आयोजन के लिए सरकार से सहायता मिलती है। मैं उन यपर सवाल नहीं कर रहा हूं। हमारे यहां प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इन संगठनों में भेजा जाता है—तिरूपति इसका एक उदाहरण है। भगवान वेंकटेश्वर का महान मंदिर इसका एक उदाहरण है। इससे राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि समाप्त नहीं हो जाती। ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : यह सब अधिनियमों द्वारा किया जाता है। इन्हें कुछ नहीं पता। ये क्या बात कर रहे हैं?

श्री अरूण जेटली : मैं श्री बूटा सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि ये सब अधिनियमों द्वारा किया गया था, किन्तु सारा अधिनियमों द्वारा नहीं किया जाता है। हज में भागीदारी अधिनियम द्वारा नहीं होता। वित्तीय सहायता अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा दी जाती है। तिरूपति मंदिर के प्रशासक, वक्फ बोर्ड अधिनियम और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति अधिनियम के बारे में उनकी बात सही है।...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : यहां किसी अनुष्ठान के भाग लेने का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जो भी कहना चाहते हैं, उन्हें कह लेने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सरकारी अधिकारी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं?

सरदार बूटा सिंह : इसी संसद ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियम पारित किए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे बात को नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : इन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : मैं यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि आज न्यायालय के निदेशों के अधीन अयोध्या में अस्थायी मंदिर में आ रहे चढ़ावों को कैसे रखा जा रहा है। मंदिर न्यायालय के निदेशों के अधीन चल रहा है। आयुक्त इसका प्राधिकृत अधिकारी है...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : वह रिसीवर है...*(व्यवधान)* आप सभा को गुमराह नहीं कर सकते। सरकार हमेशा रिसीवर नियुक्त करती है...*(व्यवधान)* आपको सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए। न्यायालय का आदेश है...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : महोदय, मुझे संरक्षण चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, माननीय मंत्री बात नहीं मान रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। वकील होने के नाते वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु वे आपकी बात नहीं मान रहे।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : चाहे वह मान नहीं रहे हों, किन्तु सभा को गुमराह करने का अधिकार उन्हें नहीं है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। वकील होने के नाते उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे गुमराह कर रहे हैं तो आपके पास उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का विकल्प है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : किसी भी तरीके से हम ऐसा करेंगे। किन्तु वह देश को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : महोदय, हमारा समाज बहुधर्मी और बहुवादी है। मेरे पास सूची है जहां संसद या राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों द्वारा नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं के संबंध में, जहां सरकार दूर से ही सुविधा प्रदाता का कार्य करती है...

श्री ए. सी. जोस : यह एक अनुष्ठान में भाग लेने की बात है। मंत्री महोदय, हमें बेवकूफ मत बनाइए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, माननीय मंत्री बात नहीं मान रहे। जब तक वह आपकी बात नहीं मानते, आप इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते। आप इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : वह बात को तोड़–मरोड़ रहे हैं। यह अनुष्ठान में भाग लेने की बात है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय मंत्री बात नहीं मानते, आपकी बात को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, कृपया बैठ जाइए।

श्री अरूण जेटली : महोदय, हम अपनी धर्मनिरपेक्षता को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं कि राज्य धर्म के मामलों में भेदभाव नहीं करता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। किन्तु अनेक धार्मिक कार्य होते हैं–मेरे पास इनकी सूची है–ऐसे राज्य हैं जहां धार्मिक जुलूसों को परम्परागत रूप से पुलिस आयुक्तों या कलेक्टरों द्वारा रवाना किया जाता है या उनकी अगवानी की जाती है। इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण अवसर हैं और ऐसा नहीं है कि हम इसमें शिकायत कर रहे हों और न ही इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल पड़ती है। अतः कहना है कि यह एक धार्मिक समूह से ध्यान हटाने का प्रयास मात्र है, राज्य के संबंध में उनकी मांग एक अधिकारी ने स्वीकार की थी ताकि भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बच जाए। दरअसल, भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इस प्रकार के तर्कों से प्रभावित नहीं होने वाला।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : जब मामला न्यायाधीन है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी सुनवाई कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना शिष्टमंडल वहां कैसे भेज सकते हैं? मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी एक अधिकारी को नहीं भेज सकते। यह न्यायाधीन मामला है। मैं यह नहीं मान सकता...*(व्यवधान)* यह आपकी अभिरक्षा में है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, कृपया व्यवधान मत कीजिए। हमारे पास समय नहीं है।

श्री अरूण जेटली : मैं माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर आता हूं। उन्होंने फैसले में से विस्तार से पढ़ा था।

श्री बसुदेव आचार्य : आप 1994 के फैसले का हवाला दीजिए।

श्री अरूण जेटली : वास्तव में, उन्होंने जो पैराग्राफ पढ़ा था, हम उसका विश्लेषण करें तो मैं समझता हूं कि जो मंदिर बनाने के पक्ष में हैं और विहिप को उनका आभारी होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छे।

श्री अरूण जेटली : 1994 का अधिनियम जो अधिनियमित किया गया था, वह भी है। यदि मैं उस अधिनियम के उद्‌देश्यों के कथन से एक वाक्य पढ़ता हूं जो अधिगृहीत की जा रही भूमि के बारे में इसे स्पष्ट कर देगा। उद्देश्यों के कथन में कहा गया है :

> "यह आवश्यक समझा गया कि विवादित ढांचे के स्थल को और उपयुक्त निकटस्थ भूमि को एक परिसर की स्थापना के लिए अधिग्रहण किया जाए जिसका विकास एक नियोजित तरीके से किया जाए जिसमें एक राम मंदिर, एक मस्जिद और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि का निर्माण किया जाए..."

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उद्देश्यों का कथन है।

श्री अरूण जेटली : जी, हां। श्री सोमनाथ चटर्जी यदि आपका तर्क सही है तो राज्य एक मंदिर बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण, राज्य एक मस्जिद बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण, राज्य भूमि का अधिग्रहण...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह क्या बात कर रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : वह स्पष्ट रूप से सदन को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : मैं अच्छी तरह समझता हूं कि मैं क्या मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। यह केवल उनके लिए बहुत असुविधाजनक मुद्दा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, निश्चय ही वे कुछ और कहना चाह रहे हैं। यह बहुत पहले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित है...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : इसलिए इस भूमि को अधिगृहीत किया जा सकता है। यह भूमि एक विशेष उद्देश्य के लिए अधिगृहीत की गई है...*(व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी का तर्क था कि जैसा कि मैं समझता हूं कि वे एक खास दृष्टिकोण का हवाला दे रहे थे...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : श्री सोमनाथ चटर्जी, हमने आप सब को पूरे ध्यान से सुना है। अब दूसरे पक्ष की बात भी सुनने दें। आपको दूसरे पक्ष को सुनने का धैर्य क्यों नहीं है? यह न्यायालय नहीं है; यह संसद है जहां हर कोई हस्तक्षेप करेगा...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने तीन या चार पैराग्राफों पर बल दिया है। मैं पूरे निर्णय से पांच से सात पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। महान्यायवादी ने एक विशेष दृष्टिकोण लिया। उनका यह तर्क जैसा कि मैं समझता हूं यह है कि निर्णय बहुत स्पष्ट था। इस दृष्टिकोण को मानना संभव नहीं था। इस भूमि के लिए आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक मुकदमे समाप्त नहीं हो जाते। विवादित भूमि के संबंध में एक हक संबंधी मुकदमे के रूप में एक विवाद लंबित है। यह भूमि का बहुत छोटा टुकड़ा है। कुछ कहते हैं कि यह 80 फीट गुना 40 फीट है और कुछ कहते हैं कि यह अधिकतम 0.31 एकड़ है। इस भूमि पर किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं है जिसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इस मामले में इलाहाबाद न्यायालय, लखनऊ पीठ क्या निर्णय देता है। मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न पर कभी भी किसी की कोई दो राय रही है।

महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने पैराग्राफ 45 और धारा 7 पढ़ी। वे सही हैं। यदि श्री सोमनाथ चटर्जी इसे दुबारा पढ़ें तो अधिनियम की धारा 7 अधिनियम में उस ढांचे से संबंधित यथास्थिति के बारे में है जहां मूल रूप से विवादित ढांचा खड़ा था। यह पूरी 67 एकड़ या 71 एकड़ भूमि के बारे में नहीं है। धारा 7 के अनुसार :

> "धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार में न्यायगत संपत्ति का प्रबंध करने में, केन्द्र सरकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को सुनिश्चित करना होगा कि उस क्षेत्र में जहां राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद नाम से आमतौर पर ज्ञात ढांचा ग्राम कोट जिला तहसील में खड़ा है, में अधिनियम को लागू करने से पहले की स्थिति को बनाए रखा जाए।"

इसलिए 7 जनवरी, 1993 को विवादित ढांचे के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। उन्होंने इस पैराग्राफ से पढ़ा और कहा कि इसमें महान्यायवादी द्वारा कही गई बातों का पूरा उत्तर है। वाक्य यह है। धारा 7 जिसे पढ़ा गया एक अस्थायी प्रावधान है जिसका उद्देश्य विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखना है। इसलिए पैराग्राफ 45, जिसे उन्होंने पढ़ा और हमारा ध्यान विशेष रूप से पृष्ठ 405 की ओर आकर्षित किया पर केवल धारा 7 ही उस छोटे से क्षेत्र से संबंधित है...*(व्यवधान)* यह वास्तव में सच है। मैं पैराग्राफ 49 से केवल तीन वाक्य पढ़ता हूं। इसके अनुसार :

> "तथ्य का वर्णन दर्शाता है कि अधिनियम के अंतर्गत संपत्तियों का अधिग्रहण दोनों समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करता है और न केवल मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया अधिकार का दावा केवल उस विवादित स्थल के ऊपर है जहां मस्जिद गिराए जाने से पहले खड़ी थी। इस दावे पर हिन्दुओं की आपत्ति पर अधिनिर्णय दिया जाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत शेष सारी संपत्ति ऐसी है जिस पर मुसलमानों ने हक का कोई दावा नहीं किया है। एक बड़े भाग में हिन्दुओं की वे सम्पत्तियां शामिल हैं, जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं है।"

फिर, उन्होंने कहा, कि जो भी उन्होंने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा क्योंकि इसका औचित्य यह है कि निकटस्थ भूमि की जरूरत कई चीजों के लिए हो सकती है, जो कोई भी विवादित

थोड़ी सी भूमि पर हक संबंधी मुकदमा जीतता है, के लाभार्थ उपयोग के लिए, सुरक्षा के लिए, पहुंचने के लिए ताकि मुकदमा जीतने वाले पक्ष लाभ उठाने से वंचित न रहे। इसलिए शेष भूमि को अधिगृहीत किया जाना अपेक्षित था।

तब न्यायालय ने कहा :

"बाद की स्थिति में जब अधिग्रहण के घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिग्रहण के लिए आवश्यक उपयुक्त भू-क्षेत्र को निर्धारित किया जा सकेगा, यह केवल अनुमेय ही नहीं बल्कि वांछनीय भी होगा कि अतिरिक्त क्षेत्र को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए और उसे मूल स्वामी को वापस कर दिया जाए। निकटस्थ क्षेत्र के किसी भी भाग के अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती देना कि यह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, की जांच इस अवस्था में नहीं की जा सकती है।"

...*(व्यवधान)* महोदय, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे पढ़ रहे हैं। आप बाधा क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अरूण जेटली : महोदय, मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा क्योंकि यह पैराग्राफ इस मामले में शामिल किए जाने के लिए श्री सोमनाथ चटर्जी को विश्व हिन्दू परिषद की पहली पसंद बना देगा। इसमें आगे कहा गया है :

"निकटस्थ क्षेत्र के किसी हिस्से के अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती देना कि यह विवादित क्षेत्र के संबंध में विवाद को निपटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, की जांच इस अवस्था में नहीं की जा सकती है। परन्तु यदि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपयुक्त क्षेत्र का अंतिम रूप से निर्धारण किए जाने के बाद भी अतिरिक्त क्षेत्र उसके स्वामी को वापस नहीं कर दिया जाता है तब सम्पत्ति के स्वामी के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाएगा कि वह अधिग्रहण के उद्देश्य से असंबंधित अतिरिक्त अधिग्रहण को चुनौती दे।"

महोदय, न्यायालय ने इस भूमि को तीन हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा विवादित क्षेत्र है जिसके लिए सरकार रिसीवर है और यथास्थिति बनाए रखी जानी है। दूसरा हिस्सा कुछ निकटस्थ भूमि है जिसका निर्धारण किया जाना है कि कितनी निकटस्थ भूमि संरक्षण के लिए और विवादित भूमि के उपभोग के लिए अपेक्षित है। तीसरा अतिरिक्त भूमि है जिसे वापस किया जाना है। एकमात्र प्रश्न जिसे सोमनाथ जी ने पूछा है और जिसका उत्तर इस पैराग्राफ में नहीं दिया गया है वह यह है कि कब इस अतिरिक्त भूमि को वास्तव में वापस किया जाना है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसके निष्कर्ष पर आएं।

श्री अरूण जेटली : इसका उत्तर एक पैराग्राफ में दिया गया है जिसे आपने नहीं सोचा कि इसे पढ़ा जाए, यह पैराग्राफ 56 है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप मुझ पर जानबूझकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं तो यह बहुत गंभीर आरोप है। महोदय, यदि आप मुझे समय दें, मैं पूरा निर्णय पढ़ दूंगा।

श्री अरूण जेटली : मैं अपना कथन वापस लेता हूं। मैं यह कहूंगा कि सोमनाथ जी ने इसे नहीं पढ़ा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर कृपया निष्कर्ष वाले हिस्से को पढ़ें। यह बहुत गंभीर आरोप है कि मैंने जानबूझकर कोई बात छुपा ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही अपना कथन वापस ले लिया है।

श्री अरूण जेटली : कृपया, ऐसा मान लें कि आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कई पैराग्राफ हैं और जब मैं इसे पढ़ रहा था तब बहुत अधिक व्यवधान हो रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही आपकी बात मान ली है।

श्री अरूण जेटली : जब मैं इसे पढ़ रहा हूं तो उससे अधिक व्यवधान हो रहा है और मैं अभी भी इसे पढ़ रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज तो पूरा संविधान ही प्रदूषित हो गया है।

श्री अरूण जेटली : धारा छह में वर्णित अधिनियम दिए जाने तक हस्तांतरण पर प्रतिबंध और उसकी शर्तें केवल विवादित क्षेत्र से संबंधित है, जबकि अतिरिक्त क्षेत्र का कोई हिस्सा,

[श्री अरूण जेटली]

जिसका प्रतिधारण विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद पर अधिनिर्णय तक यदि आवश्यक नहीं हो तो उसके हस्तांतरण पर तब तक निषेध नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : इसमें कहा गया है, "बशर्ते कि यह आवश्यक नहीं हो।" इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या आप न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए पूर्वाधिकार देने जा रहे हैं कि क्या 'आवश्यक हो सकता है' और 'क्या आवश्यक नहीं हो सकता है।' यह इस मामले का मूल प्रश्न है।

श्री अरूण जेटली : श्री अय्यर, मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं इस वाक्य को दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि इससे कुछ असुविधा होती है; पिछली बार मैंने "सुविधाजनक तरीके से" कहा था। इसके अनुसार, धारा–छह में वर्णित अधिनिर्णय दिए जाने तक हस्तांतरण पर प्रतिबंध और उसकी शर्तें केवल विवादित क्षेत्र से संबंधित है जबकि अतिरिक्त क्षेत्र का कोई हिस्सा, जिसका प्रतिधारण विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद पर अधिनिर्णय तक यदि आवश्यक नहीं हो तो, उस के हस्तांतरण पर तब तक निषेध नहीं है क्योंकि यदि इसका प्रतिधारण आवश्यक नहीं पाया गया तो इसे इसके मालिक को वापस देने की शर्त के साथ अतिरिक्त क्षेत्र का अधिग्रहण निश्चित है।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : इसलिए प्रश्न यह है कि "क्या यह आवश्यक है या यह आवश्यक नहीं है? क्या आप इसे निर्धारित करने जा रहे हैं या आप अधिनिर्णय तक इसकी प्रतीक्षा करने जा रहे हैं?" यदि आप इसे हस्तांतरित करने जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप विश्व हिन्दू परिषद की ओर हैं और यही मुद्दे का मूल प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अंतिम पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : यह कोई ऐसी बहस नहीं है जो यहां शुरू हुई है। विश्व हिन्दू परिषद के वकील इस वाक्य को बार–बार पढ़ रहे हैं, तीन शब्दों को पढ़ रहे हैं 'आवश्यक हो सकता है' इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। क्या आप सोचते हैं कि यह आवश्यक है या क्या आप सोचते हैं कि यह अनावश्यक है? ऐसा क्यों है कि आप अधिनिर्णय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर क्या आप अधिवक्ता हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : नहीं महोदय, मेरी बेटी ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मेरी बेटी अरूण जेटली की शागिर्द है और इसलिए उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पेशे से वकील था। अब श्री सोमनाथ चटर्जी अपना दावा और अपनी व्याख्या पेश कर रहे हैं। जहां कहीं भी उनके लिए असुविधाजनक होगा, वे उसे नहीं पढ़ेंगे।

यही बात विधि मंत्री के मामले में भी लागू है। सभा को धैर्यपूर्वक उन्हें सुनना पड़ेगा ताकि उनका दृष्टिकोण समझा जा सके।

श्री अरूण जेटली : महोदय, मुझे अपने मित्र श्री अय्यर की आपत्तियों पर कोई दुःख नहीं है। उनकी बेटी एक प्रतिभाशाली युवा वकील है। बस इतना है कि उन्हें एक ऐसा विद्यार्थी मिला है जिसे पढ़ाना बहुत कठिन है।

महोदय, क्या मैं इस पूरे प्रश्न पर बस इतना ही कहूं? आज इस वाद–विवाद के क्या मानक हैं? ये मुद्दे कि 1994 के निर्णय की सुनिश्चित व्याख्या क्या है, क्या पूजा करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, इन सभी मद्दों पर अब उच्चतम न्यायालय को निर्णय लेना है और उन मुद्दों पर अब उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। इन मुद्दों पर आज सरकार या इस सदन द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना है। ये सभी मात्र संभव व्याख्याएं हैं जो यहां प्रस्तुत की जा रही हैं।

मैं केवल इतना कह रहा हूं कि, क्या भारत का महान्यायवादी इस निर्णय को पढ़ने और यह कहने का कि उसका यह दृष्टिकोण है, का हकदार नहीं है? हमें हमेशा कहा गया है–"जब आप सदन में बोलते हैं आप भयमुक्त होकर बोलें।" इसी प्रकार अन्य संस्थानों में, जहां तक न्यायाधीशों का संबंध है, उन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। सही निर्णय किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर ही लिखे जा सकते हैं। जब सरकार के विधि अधिकारी सरकार की ओर से किसी मामले में बहस करते हैं क्या वे किसी कानून की व्याख्या उस प्रकार से करने के हकदार नहीं हैं जैसा कि वे सही समझते हैं? या उन्हें कहना चाहिए "ठीक है, पर यदि मैं कानून की यह व्याख्या करता हूं तो इसके राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं।" यदि कोई संभव दृष्टिकोण है, जिसे मैं समझता हूं कि यह प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है, मैं ईमानदारी से और निर्भय होकर न्यायालय के समक्ष उस दृष्टिकोण को रखूंगा।

मैं सोचता हूं कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि इसके विधि अधिकारी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता विधि संबंधी किसी प्रश्न और किसी निर्णय की व्याख्या जैसे कि एक संक्षिप्त

पूजा की अनुमति दी जा सकती है या नहीं पर न्यायालय के समक्ष अपना मत प्रकट करते हैं और फिर यदि उन्हें यह कहा जाता है कि उनका मत उनके संवैधानिक दायित्व के अनुसार नहीं होना चाहिए, उस अनुसार नहीं होना चाहिए जैसा कि वे सोचते हैं कि यह निर्णय की ईमानदार व्याख्या थी, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उनके व्याख्या के क्या राजनीतिक परिणाम होंगे। यदि ऐसा होता है यह कम से कम दूसरे संस्थान के लिए अच्छा नहीं होगा जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या मुझे आपकी अनुमति है कि मैं विधि मंत्री से न कि श्री अरूण जेटली से विधि संबंधी एक प्रश्न पूछूं?

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस वाद–विवाद में अभी–अभी शामिल हुए हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इस वकील से बस यह जानना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : मै नहीं समझता कि यह आवश्यक है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, ठीक है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, तेलगू देशम दल ने निरंतर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भाव का समर्थन किया है।

आरंभ से ही हमारे दल का विचार यह रहा है कि अयोध्या मामले का निपटारा या तो आपसी बातचीत या न्यायालय के फैसले से हो सकता है। हमने इस पहलू को तेलगू देशम दल के घोषणा पत्र में शामिल किया था। 12वीं लोक सभा के चुनावों में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इसलिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर एक राजनीतिक गठबंधन अस्तित्व में आया। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना घोषणा–पत्र है। तीन विवादास्पद मुद्दों, जिनमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्णय भी एक है, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। यह मामला कई वर्षों से न्यायालय में लंबित है।

सायं 6.29 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी और सरकार उस स्थल पर किसी भी कीमत पर यथास्थिति बनाए रखेगी।

संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में, सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, प्रधानमंत्री ने सरकार के विचार को विशेष रूप से स्पष्ट किया। सभी राजनीतिक दलों के बीच एक राय है। हमने भारत सरकार से इस मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है।

मुख्य मुद्दा महान्यायवादी द्वारा कही गई बातों के बारे में है। मेरे दल के पोलित ब्यूरो ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया है कि

> "तेलुगुदेशम दल के पोलित ब्यूरो ने अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। दल ने अपना विचार दोहराया है कि सभी संबंधित पक्ष अयोध्या के संवेदनशील मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का पालन करें। दल ने उच्चतम न्यायालय में भारत के महान्यायवादी द्वारा दी गई राय पर अपनी चिंता और अप्रसन्नता व्यक्त की। यह तर्क कि भारत सरकार को अयोध्या में प्रतीकात्मक पूजा को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, रा. ज. ग. के सहयोगी दलों और तेलुगुदेशम पार्टी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय के 13 मार्च के आदेश अथवा निदेश के आधार पर हमने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वे देश में कानून और व्यवस्था, शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएं। भारत सरकार ने विस्तृत व्यवस्था की और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु 25,000 पुलिस कार्मिकों को वहां भेजा। अयोध्या में यह प्रक्रिया काफी शांतिपूर्वक चलती रही और हम उसके लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं।

दूसरा मुद्दा यह है। मैं मामले के गुण–दोषों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित

[श्री के. येरननायडू]

है। अब भी माननीय विधि मंत्री ने 1994 के निर्णय को स्पष्ट किया और श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी इसे स्पष्ट किया। इस निर्णायक अवस्था में, उन सबके संबंध में चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 13 तारीख को निर्णय दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अविवादित और विवादित स्थल पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय का यही निर्णय है। अतः, इस अवस्था में उस निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

हमें किसी भी कीमत पर विवादित और अविवादित भूमि की रक्षा करनी है। 13 तारीख को ही उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की कि किसी भी व्यक्ति को वहां प्रवेश कर किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए और किसी भी मूल्य पर यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। सरकार ने भी यथास्थिति बनाए रखने संबंधी बात कही है।

सरकारी अधिकारी द्वारा शिला ग्रहण किए जाने के संबंध में माननीय विधि मंत्री ने कहा कि शांति और सामंजस्य बनाए रखने तथा देश में तनाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। अंततः शांति और सामंजस्य स्थापित हुआ और इस देश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। शांति बनाए रखने और तनावों में कमी लाने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय किया। यह ठीक बात है। परन्तु उसके बाद वि. हि. प. के लोगों ने दावा किया है कि ऐसा निर्णय मंदिर निर्माण के संबंध में सरकार की अभिस्वीकृति है। यह मामला न्यायालय में लंबित है जिसने कहा है कि मामले का न्याय निर्णय होने तक केन्द्र सरकार द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए।

इस मुद्दे पर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था, शांति और सामंजस्य बनाए रखने तथा तनाव कम करने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। किन्तु वि. हि. प. के वक्तव्य के अनुसार उनका यह दावा है कि सरकारी अधिकारी ने शिला को स्वीकार किया और यह अविवादित स्थल पर मंदिर निर्माण करने के संबंध में सरकार की अभिस्वीकृति है। इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं।

सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित है। सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम रा. ज. ग. का संविधान है। इस सरकार को किसी भी मूल्य पर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री हर समय संसद में और उससे बाहर भी उसे दोहराते रहे हैं। यही कारण है कि संशय दूर करने के लिए मैं तनाव समाप्त होने के बाद वि. हि. प. द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सरकार के दृष्टिकोण को जानना चाहता हूं। वि. हि. प. ने इस दावे के साथ एक वक्तव्य दिया कि चूंकि उसे सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः यह कार्य वहां मंदिर का निर्माण करने के संबंध में सरकार की अभिस्वीकृति थी। मैं इस सिलसिले में अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में माननीय प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, 15 मार्च को अयोध्या में पूजा इत्यादि के संबंध में जो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई, उसमें एटार्नी जनरल का क्या रोल था, उस संबंध में प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था, बयान था, उसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके कानूनी दाव–पेंच आदि के बारे में बड़ी सार्थक चर्चा सोमनाथ जी ने की। कानून मंत्री जी बहुत समझदार हैं। उन्होंने भी उसका कानूनी जवाब दिया। अगर कानून मंत्री समझदार न होते, तो वह किसी सदन के सदस्य भी नहीं थे, वाजपेयी जी को प्रिय लगे, उन्होंने सोचा कि कुछ काम के आदमी हैं, लिहाजा बगैर किसी सदन का सदस्य होते हुए भी वह कानून मंत्री बन गए। वह सरकार का बचाव अच्छी तरह कर लेते हैं, मैं समझता हूं कि आज की बहस का पूर्ण लब्बो–लुबाब यह था कि सरकार की तरफ से यह प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी कि एटार्नी जनरल ने जो कुछ कहा है उसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। हम लोगों का यह मानना है कि एटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा है, वह सरकार का पक्ष था। प्रधानमंत्री जी वही सब कुछ करना चाहते थे जो विश्व हिन्दू परिषद को अच्छा लग रहा था।

सभापति महोदय, देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा था, वातावरण बनाया जा रहा था कि सोली सोराबजी का अपना मत था, उसका सरकार के मत से कोई मतलब नहीं है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई दम नहीं है। भारत सरकार जो कुछ कहलवाना चाहती थी, करना चाहती थी, वही पक्ष सोली सोराबजी ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। अभी मैंने येरननायडू जी और खारबेल स्वाइं जी के भाषण को सुना। स्वाइं जी यहां से चले गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक साझा कार्यक्रम है, मैं नहीं जानता उनका क्या साझा कार्यक्रम है,

लेकिन मेहरबानी करके प्रधानमंत्री जी अगर कोई साझी भाषा भी बन जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। खारबेल स्वाइं जिस तरह भाषण दे रहे थे कि बाहर के लोग आ गए थे, हमारे धार्मिक स्थलों को ऐसा कर दिया और हमने उसके बदले में यह रुख अपनाया, वह सब कुछ किया, मैं समझता हूं कि ऐसी भाषा बंद हो जानी चाहिए। यह कायरता की भाषा है, साहस की नहीं है। इस भाषा से तनाव पैदा होता है कोई अच्छा वातावरण नहीं बनता।

प्रधानमंत्री जी, इस सदन में आपने कहा था कि 12 मार्च से पहले समस्या का हल निकल आएगा। क्या मैं आपसे अब पूछ सकता हूं कि आपने उस समय जो कहा कि मैं उन तमाम बातों का खुलासा नहीं करना चाहता, आपने विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि कोई बात नहीं है, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं हुई, कुम्भ के मेले के बाद मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके यह कहा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे, निश्चित रूप से हमारा रुख सकारात्मक रहेगा, कुल मिला कर स्थिति के निदान के लिए आपकी तरफ से जो सकारात्मक प्रयास होना चाहिए था, मैं समझता हूं कि वह प्रयास बिल्कुल नहीं हुआ। सही बात यह है कि आप उस समय विश्व हिन्दू परिषद के दबाव में रहे। कई धर्म संकट हैं। आपको सरकार भी चलानी है, गठबंधन के मित्रों को भी ठीक रखना है। आप विश्व हिन्दू परिषद को भी नाराज नहीं करना चाहते, ये सब धर्म संकट आपके सामने हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आप या तो लोगों को खुश कर लीजिए, वरना वहां बैठ जाइए। ये दोनों चीजें साथ–साथ नहीं चल सकती हैं, यह अवसर अब आने वाला है। अभी येरननायडू जी ने कहा कि कल शिला पूजन शांति के साथ हो गया, ठीक बात है, लेकिन यह कोई इतिश्री नहीं है। दो जून से फिर से ये आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इस शीला पूजन के बारे में क्या है, क्या नहीं है, उसकी क्या वैधानिक स्थिति है। अभी जो येरननायडू जी ने अंग्रेजी में पढ़ा, मैं उसे हिन्दी में पढ़ना चाहता हूं–विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव प्रवीण तागड़िया ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन अयोध्या प्रकोष्ठ के प्रमुख शत्रुघ्न सिंह ने दो शिलाएं स्वीकार करके मंदिर निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और शिलादान मंदिर निर्माण का ही एक हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हम नहीं मानेंगे। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भ्रम में लम्बे समय तक नहीं रहा जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में अपने ज़वाब में बताएं कि किस तरह से शत्रुघ्न सिंह यहां से गए और उन्होंने किस हैसियत से शिलाएं लीं और वे शिलाएं कहां पर रखी हैं? क्या मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है? मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री भी अपने जवाब से सदन को आश्वस्त करेंगे। इतना ही मुझे कहना था।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी द्वारा शुरू की गई इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का यह अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, हमारे मित्र ते. दे. पा. के नेता ने जो कुछ भी कहा है उसकी मैं सराहना करती हूं। महोदय, अवश्य ही हम रा. ज. ग. में हैं। कुछ लोग अंदर से रा. ज. ग. का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर से उसका समर्थन कर रहे हैं। परंतु यह रा. ज. ग. है और हम उससे अलग विचार नहीं रखते हैं। परन्तु इस बारे में कुछ आशंका है। महोदय, जब हमने यह सुना कि हम किसी विशेष धार्मिक संगठन के लिए नीति तैयार कर रहे हैं तो हमें धक्का पहुंचा। हम देश, राष्ट्र अथवा इस देश की जनता के विरुद्ध नीति तैयार नहीं करते हैं। महोदय, हमें मालूम है कि सरकार सभी धर्मों, जातियों और पंथों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार इन सबके लिए है। सरकार किसी विशेष धर्म, जाति अथवा पंथ के लिए नहीं है।

महोदय, हमें दो मामलों को लेकर परेशानी हो रही है। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी और विधि मंत्री श्री अरूण जेटली के बीच हुई बहस देखी है। अवश्य ही, विधि के दृष्टिकोण से हम उस बहस की सराहना करते हैं। परन्तु यह न्यायालय नहीं है। यह भारत की संसद है। हमें जो कुछ भी कहना है, वह अपनी सीमाओं में रहते हुए कहना है। हम यहां विधि का निर्वचन कर सकते हैं और हम यहां विधि की अच्छी तरह व्याख्या कर सकते हैं। परंतु समस्या यह है कि जब यह मामला न्यायालय में लंबित है तो इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

महोदय, मैं यह बात अवश्य पूछूंगी कि क्या इस देश को राजनीतिज्ञ चला रहे हैं अथवा कुछ धार्मिक समूह चला रहे हैं। महोदय, हम सरकार के अनिवार्य अंग हैं। हमारी कोई शिकायत अथवा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। महोदय, जब

[कुमारी ममता बनर्जी]

हम कुछ कहते हैं तो कुछ लोग हमें तथाकथित सहयोगी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं। कोई कहता है कि अपने व्यक्तिगत एजेंडा और व्यक्तिगत कुल–बैर के कारण वे यह मुद्दा उठा रहे हैं। हमें उस बात के लिए खेद है। महोदय, मैं नहीं जानती कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है किन्तु हमें तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अच्छी तरह मालूम है। हम सहयोगी दल हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल नहीं हैं। हम धर्मनिरपेक्षता में दृढ़ विश्वास रखते हैं और हमने ऐसा विश्वास रखा है तथा हमारा दृढ़ विश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की नींव है एवं यह हमारी नींव भी है। हम इसमें विश्वास करते रहेंगे क्योंकि यह हमारी बाध्यता है, यह हमारी देयता है और अपने संविधान का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य भी है।

महोदय, हम आज दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला मुद्दा महान्यायवादी की टिप्पणियों के संबंध में है। महोदय, हमने न केवल आज बल्कि पहले भी माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं। जब हमने अपने विचार व्यक्त किए तो उन्होंने काफी सहज ढंग से हमारे साथ बात की। महोदय, विधि और तकनीकी रूप से यह एक तथ्य है कि महान्यायवादी अपनी अंतरात्मा तथा संवैधानिक पद्धति और अधिकार के अनुसार कार्य करता है।

परन्तु तीन टिप्पणियों की वजह से संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। पहली बात यह है कि महान्यायवादी ने स्वयं कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी कहा था, वह उसकी निजी राय थी। दूसरी बात यह है कि विधि मंत्री ने राज्य सभा में यह कहते हुए वक्तव्य दिया कि महान्यायवादी के द्वारा किया गया निर्वचन भारत सरकार की ओर से किया गया था। तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कह रहे हैं कि महान्यायवादी ने सही भूमिका निभाई है। हम अत्यंत छोटे–छोटे नगण्य प्राणी और सामान्य लोग हैं। हम महान्यायवादी की सत्यनिष्ठता को नहीं आंक सकते हैं। परंतु, सामान्य कार्यकर्त्ता और इस देश के सामान्य संसदविद् के रूप में, मैं समझती हूं कि महान्यायवादी की टिप्पणियां जैसे, "पूजा के लिए तीन घंटे दिए जाएं, अथवा 20 से 25 व्यक्ति पूजा स्थल पर जा सकते हैं, अथवा शिला पूजा हेतु 300 वर्ग फुट भूमि की अनुमति दी जानी चाहिए" सरकार के लिए अनुकूल थीं। मैं इस देश के नागरिक के रूप में इस बात को महसूस करती हूं।

हम भी हिन्दू धर्म से संबंधित हैं। परन्तु जब हम संसदविद् बन गए हैं, जब हम अपने पदों पर विराजमान हैं तो हमें सभी जातियों के लोगों और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं न तो हिन्दू, न मुसलमान, न ईसाई अथवा न ही सिक्ख हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं और इस बात को सभा के कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए। हम इस बात का निर्णय करने के लिए तर्क–वितर्क नहीं कर रहे हैं कि कौन भारतीय हैं और कौन हिन्दुस्तानी नहीं हैं। कुछ लोग हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई जैसी बातें कहकर इस देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह सही हो सकता है कि महान्यायवादी ने जो भी कहा यह उनकी अपनी व्याख्या हो। विधि में किसी को भी अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या करने की अनुमति है। महान्यायवादी की व्याख्या सरकार के अनुकूल हो सकती है और सरकार की व्याख्या महान्यायवादी के अनुकूल हो सकती है। परन्तु यह व्याख्या हमें उपयुक्त नहीं लगती और मुझे यह कहते हुए खेद है। परन्तु मुझे यह कहते हुए गर्व है कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि एक फल किसी के लिए सुपाच्य हो सकता है परन्तु यह किसी अन्य को नहीं भी पच सकता है।

हमें एक संदेह है। हम सुनिश्चित हैं कि सरकार से परामर्श के बिना महान्यायवादी न्यायालय में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते थे। मुझे बताया गया कि याचिकादाता ने स्वयं एक रिट याचिका दायर की थी और सरकार को भी एक नोटिस दिया था। यही कारण है कि महान्यायवादी को सरकार का दृष्टिकोण रखने के लिए वहां उपस्थित होना पड़ा। हमें एहतियात बरतनी चाहिए ताकि अगली बार हम इसी चीज को नहीं दोहराएं। यह घटनाएं खतरनाक रूप ले रही हैं। इसे रोक जाना चाहिए। यह सरकार से हमारा अनुरोध है।

शिलादान के संबंध में, हम अधिकारियों, प्रशासन और सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले को पूरी तरह कार्यान्वित किया। हमें इस बात की खुशी है। कई बार हमें राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचना पड़ता है। कल यह आशंका थी कि वहां पर गुजरात की ही तरह साम्प्रदायिक तनाव और साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। परंतु सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ और हमें इस बात की प्रसन्नता है।

परन्तु उसी समय मेरे दिमाग में दो प्रश्न आते हैं, पहला

यह कि शिलादान किए जाने के बाद क्या कहा जा रहा है। मैं इस बात के कानूनी निहितार्थ को नहीं जानती कि क्या एक सरकारी अधिकारी शिलादान ले सकता है या नहीं। परन्तु कभी देश के हित में और शांति बनाए रखने के लिए सरकार संविधान का पालन करते हुए ऐसा कर सकती है। उसके लिए भी एक प्रावधान है और मैं उस पर बहस करने नहीं जा रही। परन्तु मेरी आशंका दूसरे कारण से है। विश्व हिन्दू परिषद के नेता शिलादान के बाद कह रहे हैं कि कानूनी रूप से उन्हें यह भूमि मिलने जा रही है क्योंकि शिलादान को स्वीकार करने का अर्थ है कि उनकी मांग मान ली गई है।

दूसरे, उन्होंने कहा कि 2 जून तक उनकी पूजा चलेगी और वे मंदिर का निर्माण करेंगे। हम सरकार से इस मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं। मैं नहीं मानती कि कोई भी विशेष धार्मिक समूह इस देश में किसी जाति का हिमायती है। परंतु जब मैंने एक विशेष धार्मिक समूह के महासचिव की टिप्पणी सुनी, मैं उनके दु:साहस उनके इरादे, उनकी प्रवृत्ति और उनके अहंकार को देखकर भौंचक्का रह गयी। वे कह रहे हैं कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता और 2 जून को वे मंदिर निर्माण का कार्य करेंगे। मैं उनसे अवश्य पुछूंगी कि वह देश के भविष्य का निर्णय करने वाले कौन हैं और निर्णय करने और देश को बांटने का अधिकार उन्हें किसने दिया। मैं महसूस करती हूं कि इस समय इस प्रकार से देश के लोगों के मन में विभेद डालना उचित नहीं है और जब भी कोई धार्मिक समूह इस प्रकार से देश के भीतर फूट डालने की कोशिश करता है तो उसे भारतीय राष्ट्र संविधान अधिकार–क्षेत्र, और देश की विधि–प्रणाली के भीतर रहना होगा। वे यह नहीं कह सकते कि वे कानून को नहीं मानते और अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह किसी धार्मिक समूह के सामने न झुके। यदि आप अपना सिर झुकाना ही चाहते हैं तो आप इस देश के लोगों के आगे अपना सिर झुकाइए न कि किसी विशेष धार्मिक समूह के आगे क्योंकि वे जन प्रतिनिधि नहीं हैं। उन्होंने आपको यहां नहीं भेजा है और न उनकी वजह से आप सरकार चला रहे हैं। वे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हैं। परन्तु इस सदन के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया गया है। उनकी प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति है और बहुत अधिक बोल रहे हैं और बहुत आगे तक जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हर बार दबाव में आकर सरकार को अस्थिर कर दिया जाए।

रा.ज.ग. के एजेंडे में अयोध्या नहीं था। यह अचानक आया और हम अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं और जब उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया है तो हम आशा करते हैं कि या तो दोनों समुदाय आपस में मिलकर निर्णय लेंगे या दोनों समुदायों को न्यायालय का फैसला मानना पड़ेगा। यह मुद्दा अचानक उभरा है।

अब कोई धमकी दे रहा था कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। यदि यह धमकी मैं सरकार को दूं कि यदि वह देश के हितों और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष छवि की रक्षा नहीं कर सकती है, तो मैं वही रास्ता अपनाऊंगी तो क्या सरकार मेरी बात मान जाएगी? क्या यह उचित है? यह उचित नहीं है। यही कारण है कि सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह राजग के एजेंडा से जुड़ी रहे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हम इस बात की सराहना करते हैं कि हम अच्छे मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे मित्र भी हैं। मैं उनकी सराहना करती हूं। इसमें अधिकांश विद्वान मित्र हैं जो सुसंस्कृत हैं। पर कुछ सहयोगी दल हैं जो उतने धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। वे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल नहीं हैं। और यही कारण है कि मैं कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एजेंडा नहीं है। यह एक मोड़ है। यदि अयोध्या के मामले के कारण इस एजेंडे में भटकाव आता है तब हमें यह देखना चाहिए कि एजेंडा को भंग नहीं होने दिया जाए और यदि यह भंग होता है तो हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाए क्योंकि हम प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पहले से मान लिया जाए कि हम हर हाल में समर्थन करेंगे और आप जो चाहेंगे वही करेंगे।

कुछ लोग कह रहे थे कि हम मंत्रिमंडल में जगह पाने की याचना कर रहे हैं, आदि। यह झूठ और बकवास है। यह बात कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। मैं इससे घृणा करती हूं। 1992 में, जब श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हमने कामरेडों की तरह काम किया। मैं 13 वर्ष की आयु से राजनीति में हूं। मैं जानती हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य यहां कुछ कह रहे थे। वे किसी दूसरे से अधिक साम्प्रदायिक हैं। मैं उनके दोहरे मानदण्ड और कपट को जानती हूं।

चुनावों में भी उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक साम्प्रदायिक दल है। वे क्या चाहते हैं? यदि वे चाहें, तो इस देश के लिए हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, पर यह

[कुमारी ममता बनर्जी]

न कहें कि हमारा दल सांप्रदायिक है। हम सांप्रदायिकता के मामले पर समझौता नहीं करेंगे। सी. पी. आई. (एम) को यह पता होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जब तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, वह विवादित अथवा गैर विवादित भूमि को न छुएं। हम प्रत्येक दिन पूजा करते हैं। हम मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारा जाते हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है...*(व्यवधान)* मैं प्रत्येक दिन आपसे ज्यादा पूजा करती हूं। साथ ही साथ मैं अल्लाह से दुआ प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना करती हूं। यह हमारी भारतीय परंपराएं हैं। शायद यह आपके अनुकूल न हों। मैं समझती हूं कि सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए गैर विवादित भूमि को भी अधिगृहीत कर लिया है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा अथवा दोनों समुदायों द्वारा मामले को निपटा नहीं लिया जाता, देश के हित में हमें उस भूमि पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मैं पुनः कहना चाहूंगी कि हमें देश का बंटवारा नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, "एकता में शक्ति है और विभाजन पतन है।" पूरे विश्व भर को कितना खराब संदेश जा रहा है। यही संदेश जा रहा है कि हम एक नहीं हैं। हमारे राजनैतिक विचार चाहे जो भी हों, हमें अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने देश के वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा देश एक रहे और एकजुट रहे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि

[हिन्दी]

त्याग का नाम है हिन्दू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, सिक्ख का नाम है बलिदान, ये है हमारा प्यारा हिन्दुस्तान।

[अनुवाद]

हमें अपने राष्ट्र और अपने देश के लिए अपने ध्वज को हमेशा ऊंचा रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, भारी मन से एक बात कहनी पड़ती है, जब इस सदन का यह सत्र शुरू हो रहा था, उसके पहले सभी सांसदगणों ने अपने-अपने क्षेत्रों में और देश में जो आज तमाम हालात हैं, उन पर हमने सोचा था कि सदन में आकर हम पानी, बिजली और गांवों के लोगों की बात करेंगे। किसान आज आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। मजदूरों में आक्रोश है, वे सड़कों पर आ रहे हैं, हम शायद उनकी समस्याओं की चिंता करेंगे। बेरोजगारी का दानव शिक्षित बेरोजगारों को लीलता जा रहा है, हम शायद उनकी फिक्र करेंगे। जनसंख्या विस्फोटक स्तर पर पहुंच रही है, हम शायद बात करेंगे। कारगिल में युद्ध हुआ, सुब्रह्मण्यम कमेटी की सिफारिशें पड़ी हुई हैं, हम शायद उन पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, शायद हम उसकी चिंता करेंगे। सीमाओं पर हमारी सेनाएं तैनात हैं, शायद हम उनकी बात करेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यहां देख रहे हैं कि पिछले दिनों से रोज इस हिन्दुस्तान को हिन्दू और मुसलमान के चश्मों से देखने की बात करते हैं। जिन मुद्दों के लिए यह सदन बना है, जिन समस्याओं के निराकरण के लिए यह सदन गठित हुआ है, जिसकी अपेक्षा हमारे क्षेत्र और सारे देश की जनता हमसे करती है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। क्योंकि बार-बार हालात कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि उन्हीं साम्प्रदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हमें यहां मजबूर होना पड़ता है। यह बहुत दुखद बात है, कष्ट की बात है, पीड़ा की बात है।

सभापति महोदय, अयोध्या के विवाद पर सरकार ने निरन्तर आश्वासन दिए, घोषणाएं कीं। अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने अयोध्या मन्दिर के मुद्दे पर अदालत या आपसी समझ-बूझ की बात कही और कहा कि हम उसे मान्यता देंगे, उस तरह से फैसला होगा। 25 तारीख का राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमने सुना, उसमें भी यही कहा गया। हमारी नेता ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा तो उस बैठक में यह विश्वास दिलाया गया कि सभी दलों के नेता या फिर अदालत इसका फैसला करेगी या आपस की समझ-बूझ से ही कोई रास्ता निकल पाएगा।

सायं 7.00 बजे

सदन में भी यह बात हुई, मीडिया में भी बात हुई, कोई सौ बार से अधिक यह बात सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी ने कही। लेकिन इसके बावजूद भी इस सरकार की अकर्मण्यता, संवेदनशून्यता और उत्तरदायित्वहीनता की पराकाष्ठा उस दिन हो गई जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट में एटार्नी जनरल ने वह कुछ कहा जो सरकार के कथित बयानों और आश्वासनों और घोषणाओं के सर्वथा विपरीत था, पूरी तरह से उल्टा था। सारा देश अचंभित रह गया, स्तब्ध रह गया इस बात को सुनकर कि निरंतर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि या तो न्यायालय से या आपस में बैठकर समझौता

होगा, सरकार की भूमिका तो तटस्थ भूमिका थी। माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के 1994 के आदेश के अनुसार सरकार एक स्टैटुटरी रिसीवर थी उस विवादित और उससे लगी हुई अधिगृहीत भूमि की। अब पहला सवाल यह उठता है कि स्टैटुटरी रिसीवर की कानूनी स्थिति क्या है, उसका कर्त्तव्य, उसका उत्तरदायित्व क्या है।

अभी हमारे विद्वान, न्यायिक प्रक्रिया के व्याख्याकार, विलक्षण प्रतिभा के धनी कानून मंत्री जी का विस्तृत विश्लेषण हम सुन रहे थे इस सारी समस्या पर। मुझे आश्चर्य है कि वह हिन्दी के भी विद्वान हैं और अंग्रेजी के भी विद्वान हैं और सरल भाषा में लिखा हुआ जजमेंट, जो 1994 का है जिसे आदरणीय सोमनाथ जी ने पैरा बाई पैरा पढ़कर यहां सुनाया जिसे एक साधारण अंग्रेजी जानने वाला मेरा जैसा अल्पज्ञानी आदमी भी समझ सकता है, उसमें उन्हें समझने में इतनी कठिनाई हुई। उन्होंने विवादित भूमि और अविवादित भूमि, दो तरह की भूमि की व्याख्या कर दी। जहां तक मैंने सर्वोच्च न्यायालय, के इस निर्णय का अध्ययन किया है, उसमें अविवादित भूमि जैसा कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, समूचे के समूचे आदेश में। वहां केवल व्याख्या है विवादित भूमि की और उससे संलग्न अधिगृहीत क्षेत्र की। अविवादित भूमि कहीं नहीं है। ये तर्क दे रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने यह कहा था कि स्टैटुटरी रिसीवर होने के नाते हम विवादित भूमि में केवल यथास्थिति बनाए रखेंगे। यह तर्क क्या स्वीकार करने योग्य है? कौन इस कुतर्क को स्वीकार करेगा? तर्क स्वीकार किया जा सकता है, वितर्क स्वीकार किया जा सकता है लेकिन कुतर्क तो स्वीकार नहीं किया जा सकता! माननीय सभापति महोदय, अब यह अविवादित भूमि का जो शब्द है यह भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद की नाजायज पैदाइश है। यह उनके द्वारा गढ़ा हुआ एक नया शब्द है जबकि इस शब्द का उल्लेख समूचे निर्णय में कहीं भी नहीं होता। यह तो भला हो और हमारे देश का सौभाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 तारीख को इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचा लिया, उसकी रक्षा कर ली, वरना कल्पना की जा सकती है कि सारे देश के गांव-गांव और शहर-शहर में क्या स्थिति होती, मौत का तांडव नृत्य हो रहा होता, हत्यारों और आगजनी का सिलसिला चल रहा होता जो हम कुछ दिन पहले गुजरात में देख चुके हैं। आखिर यह सरकार क्या सोचकर चल रही है, इसके चिन्तन में क्या है? और देखें कि कैसा इत्तफाक है। आप विश्वास कीजिए और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अधिकांश लोग इससे सहमत होंगे कि शायद हिन्दुओं में मात्र 8 से 10 प्रतिशत लोग हों और मुसलमानों में दो या चार प्रतिशत लोग हों जो इस अतिवादी स्टैन्ड को स्वीकार करते हों, इस देश के अधिकांश हिन्दू और मुसलमान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या वहीं पर राम मन्दिर बनाने से हिन्दुओं को मोक्ष प्राप्त होगा अन्यथा नहीं, और वही बात मुसलमानों से भी पूछना चाहता हू कि वहीं पर बाबरी मस्जिद बनाने से काबा से ऊपर अजीम हो जाएगी वह मस्जिद? हम सब मिलकर सोचें कि आखिर इन दोनों विवादों को जिसमें सारा देश जल रहा है, अरबों-खरबों की संपत्ति बरबाद हो रही है, वक्त ज़ाया हो रहा है, जो हमारे सामने मुंहबाए खड़ी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए हमें समय नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, इस समस्या का हल और समाधान हमें कहीं न कहीं ढूंढ़ना होगा। स्टेट्यूटरी रिसीवर की कानून में क्या स्थिति है, वह मैं बताता हूं। कानून में जो इसकी व्याख्या है उसके अनुसार वह एक तटस्थ भूमिका का निर्वाह करता है और सरकार को इसीलिए स्टेट्यूटरी रिसीवर बनाया था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा था कि सरकार के पास न्यायालय के आदेश का परिपालन कराने की शक्ति होती है। दूसरे यह मानकर चला जाता है कि सरकार तटस्थ है, धर्मों के मामले में सरकार की कोई भूमिका कहीं नहीं है, सरकार का अपना कोई रंग नहीं है और इस विश्वास के साथ कि सरकार किसी पक्ष के साथ पक्षकार नहीं बनेगी। यही उम्मीद करते हुए न्यायालय ने यह जिम्मेदारी सरकार के हाथ में सौंपी थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, सरकार ने ही अपना रंग बदल दिया। भाजपा का रंग, विश्व हिन्दू परिषद का रंग और बजरंग दल का रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार नहीं है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है।

सभापति महोदय, अभी यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टी के श्री येरननायडू ने, कुमारी ममता बनर्जी ने और एन. डी. ए. के अन्य पार्टनर घटक ने, इस बात को कहा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे मिनीमम कामन प्रोग्राम में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार इस मामले में किसी भी पक्ष के साथ पक्षकार नहीं बनेगी, लेकिन यह सरकार उस पर कायम नहीं रह सकी। अब सोमनाथ जी के बोलने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि एटार्नी जनरल ने उस दिन न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि सरकार इस बारे में क्या सोच रखती है, सरकार का क्या स्टेंड है, उन्होंने वही

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

कहा, जो सरकार का स्टेंड था। वही बात प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार की, वही बात कानून मंत्री जी ने राज्य सभा में स्वीकार की। इस बारे में अब कहीं किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है कि सरकार जो चाहती थी उसने वही किया। क्या सरकार यह चाहेगी कि उसके स्टेट्यूटरी रिसीवर होते हुए भी किसी पक्ष के साथ पक्षकार बन जाए और उसके परिणाम क्या होंगे।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है जिसका अभी आदरणीय सोमनाथ जी ने उल्लेख किया, उसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का लैटर और स्पिरिट में पालन होना चाहिए और यह बात यदि प्रधानमंत्री जी का पिछला वक्तव्य देखें, तो स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन होगा। यह बात सही है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के केवल अक्षरों का ही पालन करना चाहते हैं और उसकी स्पिरिट यानी भावना को अलग कर देना चाहते हैं। स्पिरिट यह है कि जब तक विवाद का अंतिम रूप से निर्णयकर्त्ता न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दे दिया जाए, किसी कांपीटेंट न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं दे दिया जाए और इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ कांपीटेंट न्यायालय है, जब तक वह अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं दे देती है तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए, यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद एटार्नी जनरल को, एटार्नी जनरल की हैसियत से, वे व्यक्तिगत हैसियत से वहां नहीं खड़े थे, वे सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, वे सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रख रहे थे और इसलिए सरकार यह कहती है कि वहां पूजा की अनुमति दी जाए। यदि एटार्नी जनरल वहां सरकार का यह पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार का ऐसा करना, अपने सांवैधानिक दायित्व से हटना है और देश के साथ विश्वासघात करना है। इसलिए मैं इस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहना चाहता हूं कि उसने राष्ट्र के मतदाताओं के साथ, देश की जनता के साथ, राष्ट्रपति जी द्वारा सदन में दिए गए अभिभाषण में, राष्ट्रपति जी द्वारा संसद को दिए गए वचनों के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए मैं सरकार की घोर और कड़ी भर्त्सना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी थोड़ी देर पहले पुस्तकालय में बैठा था, तब मैंने एटार्नी जनरल के बारे में एक व्याख्या पढ़ी। उसमें कहा गया है कि एटार्नी जनरल संविधान की अंतरात्मा का संरक्षक है। हमारा संविधान कैसा है— धर्मनिरपेक्ष। संविधान की अंतरात्मा की रक्षा कैसे होगी? ऐसा कोई निणय न हो, ऐसी कोई बात न हो, ऐसी कोई कार्यवाही या ऐसा कोई एक्शन सरकार का न हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत जाता हो। एटार्नी जनरल ने अगर अदालत में खड़े होकर किसी भी न्यायालय के आदेश की व्याख्या की है, अगर वह व्याख्या संविधान की मूल भावना के विपरीत जाती है या जिसका प्रभाव मूल भावना को तोड़ता है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से नहीं किया है। यह मेरा स्पष्ट आरोप है।

सभापति जी, आश्चर्य की बात है कि एटार्नी जनरल क्या कहते हैं? श्री अरूण जेटली, कानून मंत्री राज्यसभा में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, विश्व हिन्दू परिषद क्या चाहती है और राम जन्मभूमि न्यास के लोगों की क्या मंशा है? इन सारी चीजों में अगर आप देखें, एक आश्चर्यजनक और सदमा देने वाली, जिसे अंग्रेजी में शाकिंग कहते हैं, हिन्दी में मैं उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं ढूंढ़ पा रहा हूं, शाकिंग सिमीलेरिटी है, सारे बयानों में एकरूपता, समरूपता है। इनकी मंशा में, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में, एटार्नी जनरल की व्याख्या में और कानून मंत्री के वक्तव्य में, सबमें समरूपता है। क्या यह महज इत्तफाक है? यह इत्तफाक नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से एक सोची समझी हुई रणनीति के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के साथ, इस देश के संविधान के साथ और इस देश की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है।

आपने शिलान्यास किया। राम कोट में आपने उसकी अनुमति दे दी। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय से एक प्रतिनिधि को उन शिलाओं को लेने के लिए भेज दिया। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केवल कल्पना करिए। मान लीजिए, कल मुसलमान लोगों की तरफ से उनकी कोई संस्था आ जाए और यह बयान जारी करे कि हम वहां पर मस्जिद बनाने के लिए अपनी शिलाएं और अपनी ईंटें लेकर जा रहे हैं और सरकार से यह अनुरोध करें कि आप किसी को भेजिए, हम उनको रिसीव कराना चाहते हैं—अगर ऐसा हो तो क्या यह सरकार, मुझे इसका जवाब चाहिए।...*(व्यवधान)* क्या सरकार उन शिलाओं को या उन ईंटों को रिसीव करने के लिए, स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का एक

Scanned by CamScanner

प्रतिनिधि वहां भेजेगी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। देश आपसे जवाब चाहता है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं, तो दोनों स्थितियों में आपको एक समान व्यवहार करना होगा।...*(व्यवधान)*

सारी बहस से यह बहुत स्पष्ट है। हमारे विद्वान सदस्यों ने, श्री सोमनाथ चटर्जी ने, श्री जयपाल रेड्डी ने और अन्य साथियों ने यहां इस बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की। केवल बातचीत नहीं की बल्कि कानून के जो रेलीवेंट पोर्शन हैं, न्यायालय के आदेश के रेलीवेंट पोर्शन हैं, उनको यहां पढ़कर यह सिद्ध कर दिया, संदेह के परे यह सिद्ध कर दिया कि दरअसल सरकार के पास अब मुंह बचाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे अपनी भूल को स्वीकार करना होगा। यह उसकी भूल नहीं है, उसे अपनी शरारत को स्वीकार करना होगा। यही मेरा कहना है इसलिए मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय दिया गया था। हम उसे समाप्त कर चुके हैं। अतएव, जल्द से जल्द अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आज नियम 193 के अन्तर्गत अयोध्या के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमें इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि पहले जो गलतियां हुई हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो या इतिहास के कारण जो गलती हुई है, उसे हम सुधारें। यही इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, आप संख्या बल के आधार पर पार्टी को बोलने के लिए बुलाते हैं लेकिन हमसे कम संख्या वाली पार्टी को आपने पहले बोलने के लिए बुलाया है और हमें नहीं बुलाया है। इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बाद में बुलाया जाएगा। आपको अवसर मिलेगा। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप चांस तो देंगे लेकिन आप कोई न कोई नियम बना कर ही बुलाते हैं। जब सदस्यों की संख्या के आधार पर बुलाते हैं तो हम से कम संख्या वालों को पहले बुलाया और हमें छोड़ दिया, इसका क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रजातंत्र दल की सदस्य संख्या पर आधारित है। अतएव, हमें उनको पहला अवसर देना होगा। आपको बाद में मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं कह रहा था कि इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। गलतियों को सुधारने के लिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। बाबरी मस्जिद के ढांचे और राम मंदिर के बारे में मैं नौवीं लोक सभा से सुनता आ रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चन्द्र के जन्म स्थल के सामने विवाद में सामने आया बाबरी मस्जिद का ढांचा। बाबर की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्द्र से समानता कैसे हो सकती है–यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के लोग यहां दुखी होकर बोल रहे हैं। शान्ति रही तब भी इनके दिल में आग लग गई, अगर गोलियां चलतीं तब भी ये खड़े होकर चिल्लाते कि गोलियां क्यों चलीं। आज के दिन पुरानी बात को याद करके कहूंगा कि हिन्दुस्तान ने बरसों से आततायों को झेला। हजारों मंदिर टूटे हैं। इतना ही नहीं, सोमनाथ के मंदिर में सात बार हो–हल्ला हुआ, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के कारण उसका जीर्णोद्धार हुआ और आज शान और आन से वह मंदिर खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान की बात याद करें। मोहम्मद गौरी 17 बार पृथ्वीराज चौहान के सामने हारा लेकिन हिन्दुस्तान क्षमा देने में अग्रसर है। क्षमा वीरस्य भूषणम् अर्थात क्षमा देना वीरों की शोभा है, यह मान कर उसे हर बार माफी दी गई लेकिन एक बार पृथ्वीराज चौहान के परास्त होने के बाद उन्हें एक बार भी माफी नहीं मिली और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। मैं कहना चाहता हूं कि वे सब खंडित मूर्तियां आज भी सारे देश के अंदर साक्ष्य के रूप में हैं। कहीं मूर्ति के नाक, कान तोड़े दिए गए हैं। जब राम जन्मभूमि की बात आ रही है, मेरा कहना है कि बाबर, चंगेज खान और तैमूर खां का वंशज था और फरगाना के शासक उमर शेख मिर्जा

Scanned by CamScanner

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

का पुत्र था। उसका जन्म शुक्रवार 14 फरवरी, 1483 ईसवी में हुआ था। उसका भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ और सन् 1526 में पानीपत की लड़ाई में उसने इब्राहिम लोधी को पराजित कर उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। उसकी सन् 1530 में मृत्यु हुई। उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचन्द्र के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। पहले वहां मस्जिद थी या मंदिर था? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष किस तरह यह कह रहा है। सर्वोच्च अदालत द्वारा इसका फैसला होना चाहिए। पंचायत हो, विधान सभा हो या लोक सभा हो, बहुमत को प्राधान्य दिया जाता है। बहुमत क्या कहता है, यह भावना का सवाल है, इसमें कानूनबाजी का सवाल नहीं है।

अभी मेरे साथी मित्र ने इंडिया टुडे का जिक्र किया। इस देश के 43 प्रतिशत लोग मानते थे कि इस देश में राम मंदिर तुरंत बनना चाहिए, सिर्फ 5 प्रतिशत लोग मानते हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आम जनता क्या चाहती है? एक समय आया जब 13 मार्च को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, जगद्गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने भी अपना पवित्र स्थान छोड़ कर, इस देश के अंदर शान्ति स्थापित करने के लिए, इस देश के अंदर एकता स्थापित करने के लिए, इस देश में निर्दोष लोगों की हत्या न हो, इसलिए वे आम जनता के बीच आए। यह ऐसा सुनहरा मौका था कि सब मिल कर अयोध्या के अंदर शिला पूजन करने के लिए मुस्लिम समुदाय और हिन्दू समुदाय, दोनों सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते कि हम वहां कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, अभी आप घंटी कैसे बजा रहे हैं, अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं। मेरी बार तो एक ही बार में घंटी बजा दी। ये दोनों समुदाय के लोग अगर जाते तो राम मंदिर भी बनता और बाबरी मस्जिद भी जहां बनाना चाहते, इस देश के लोग सहृदयता से, सफलता से जाकर बनाते। अभी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, जब कांचीपीठ्म शंकराचार्य निकले तो विपक्ष वालों ने अपना क्या सहयोग दिया, क्या रोल अदा किया? अगर ये विपक्ष के लोग भी मुस्लिम समुदाय को कहते कि आओ यह पहला समय है, हिन्दुस्तान के लोगों ने बहुत मुसीबत झेली है। बाबर और रामचन्द्र जी, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। अल्लाह का नाम होता तो हम उसका विरोध न करते। 15 साल पहले इस बात में ये उसके अंदर सहयोग करते तो कुछ हो सकता था। ये अब हमारे दोष ढूंढ़ रहे हैं कि हम यह मामला लटकाए रखना चाहते हैं। विपक्ष वाले इस मामले को लटकाए रखकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को रिजोल्व कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, इसके साथ–साथ मैं कहना चाहता हूं कि गई बार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार के अंदर रामभक्तों पर गोली चलाई गई और जवान से बूढ़े तक मौत के घाट उतारे गए। आज भी अगर उस शाट की रील देखें तो आपका सीना कांप जाएगा। लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने वर्षों के अनुभव के कारण एक भी गोली नहीं चलने दी है, एक भी रामभक्त को लाठी नहीं लगी।* ये उम्मीद लगाकर बैठे थे और जब ऋषि–मुनियों के कारण वह नहीं हुआ, तब ये लोग सन्न रह गए। लेकिन, सभापति महोदय, मेरी आपसे विनती है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, हमें इस पर आपत्ति है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। कोई नहीं चाहता कि किसी को कहीं पर गोली मारी जाए, और अयोध्या जैसी जगह पर तो एकदम नहीं। इससे देश के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और इसलिए हम सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहेंगे कि इस संबंध में वक्तव्य देने में सावधानी बरतें।

सभापति महोदय : मैं इस अंश को निकाल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मान्यवर सभापति महोदय, मैं मेरी बात कहूंगा। अभी तो कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जाएंगे तो क्या होगा। मेरी आपसे यह मांग है कि देश के सर्व समाज के लिए ये लोग ऐसा चाह रहे हैं। इस देश के हिन्दू, हम लोग अजमेर जाते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इस देश के गरीब मुस्लिम, इस देश के हिन्दू यह चाहते हैं कि शान्ति रहे। मुस्लिम मस्जिद के पीछे कोई रोना नहीं रो रहा, ये लोग उन्हें उकसा रहे हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने कहा...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही—सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, इनको जरा बिठाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वर्मा, कार्यवाही—वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आपको दिए गए समय से ज्यादा समय आपने ले लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपका समय पूरा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री आ चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही—वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब श्री रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये तो काल नेमि हैं। अब हम शुरू करते हैं। उनको बैठाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपका दल और अन्य छोटे दलों को केवल पांच—पांच मिनट का समय दिया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो बिंदुओं पर बोलूंगा। मैं देख रहा हूं कि कानून मंत्री जी को कानून बताने का काम करना चाहिए, लेकिन ये बराबर हेराफेरी के लिए उधर से खड़े हो जाते हैं, जैसे कोर्ट में लोग वकील रखते हैं, वैसे ही यह हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया, उस पर चर्चा हो रही है। देश के आम आदमी ने भी अनुभव किया है कि एटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। पहले हल्ला हुआ कि एफिडेविट दिया गया। सरकार के सहयोगी दलों ने कड़ा तेवर किया कि आज सरकार को ठीक करेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने सफाई दी कि एटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं, सुझाव दिया है। अब उस सुझाव की अलग—अलग तरह से व्याख्या की जा रही है। कानून के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। कानून मंत्री जी हमें वही बता रहे थे। कहा गया था कि 50—70 की संख्या में साधु वहां जाएंगे और दो बजकर पांच मिनट से तीन बजकर पांच मिनट तक, एक घंटे, पूजा करेंगे। उससे कानून का उल्लंघन नहीं होता। यह तो मान लिया कि उन्होंने जजमेंट की व्याख्या की, लेकिन जो ठोस बात कही कि साधुओं को इतनी गिनती में जाने दिया जाए और फिर तीन घंटे तक वहां रहने दिया जाए और पूजा करने दी जाए, इसमें कानून की कोई बात नहीं लगती। हमें लगता है कि सरकार ने उनको सिखा—पढ़ाकर सरकार की तरफ से कहने के लिए भेजा है। बाद में जब सरकार पर खतरा आया, कानूनी राय देने के लिए एटार्नी जनरल हैं, बचाने के लिए भी हैं। वे सरकार को बचाने के लिए आए और कहा कि मैंने अपनी तरफ से वहां सारी बातें कही थीं और यह मेरा बयान है। यह हमें विश्वसनीय नहीं लगता। लगता है वे सरकार के कहने से ऐसा कह रहे हैं। ममता जी और येरननायडू जी खोजने लगे कि नेशनल एजेंडा में तो कहीं सांकेतिक पूजा नहीं है, अयोध्या नहीं है। लेकिन अब इस तरह से सरकार को बचाने के लिए एटार्नी जनरल ने ऐसा बयान दिया जो विश्वसनीय नहीं लगता। यह बात जनता में चली गई है।

प्रधानमंत्री जी ने बार—बार बयान दिया कि कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे, तो वे कैसे दाल भात में मूसलचंद आ गए। क्यों अपने वकील को खड़ा कर दिया और वे हमें बताने लगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम सवाल उठाया। उसने कहा कि वी. एच. पी. कैसे इसमें बीच में आ गई। यह वही बात हुई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। कोई दस—बीस हजार

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

के संगठन की यह हैसियत नहीं कि वह देश में उपद्रव करे, दंगा कराए।

कानून मंत्री जी अभी यहां 1994 का जजमेंट पढ़ रहे थे। लगता है वे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, पैरवी करके वकील बन गए। 1994 का जजमेंट था कि जो अविवादित जमीन है, अधिगृहीत जमीन है, वह उनको वापस कर दी जाए जिनकी जमीन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह अपने दल के नेता हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने पढ़ने का काम नहीं किया।...*(व्यवधान)* यह स्वविवादित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिगृहीत या विवादित या निर्विवादित सभी पर कोई नहीं जा सकता। मामला अब साफ हो गया। फिर 1994 अब किसलिए पढ़ रहे हैं? हेराफेरी करके कानून की उलझन में उलझा रहे हैं।...*(व्यवधान)* उसके बाद फिर दूसरा काम सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से...*(व्यवधान)* यह अनहोनी बात है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से वह अफसर चला गया और फिर बाद में ये शत्रुघ्न सिंह के मुंह से कहलवा देंगे कि हम अपने मन से चले गए थे।...*(व्यवधान)* हम गोपनीय मैसेंजर नहीं थे।...*(व्यवधान)* अरूण जेटली जी पकड़े गए थे, उनसे सफाई देने की बात नहीं बन रही थी और शत्रुघ्न सिंह से झगड़ा खत्म करवाने के लिए बयान दिलवाएंगे कि हम अपने मन से चले गए थे।...*(व्यवधान)* इस तरह से सरकार को चतुर्वेदी जी ने ठीक पकड़ा कि परमहंस जी कह रहे हैं कि वह आत्महत्या कर लेंगे...*(व्यवधान)* उन्होंने बयान दिया कि वह आत्महत्या कर लेंगे।...*(व्यवधान)* कानून क्या कहता है कि जो कहे कि आत्महत्या करेंगे, उनको गिरफ्तार करने का है जो गिरफ्तार नहीं करते तो तुष्ट करने के लिए पीएमओ आफिस से अफसर स्पेशल फ्लाइट से चला गया और कहते हैं कि सैकुलर बचा हुआ है और जो सहयोगी दल हैं, अंग्रेजी में कहावत है,

[अनुवाद]

'शक्ति में जोड़ने की ताकत है'

[हिन्दी]

नेशनल एजेंडा में ये लोग...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह मैंने अन्य माननीय सदस्य का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं और उन्हें जबरन बैठाऊं। आप इस तरह समय की गणना नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जब राष्ट्र पर खतरा होता है, जब सरकार पर खतरा होता है,...*(व्यवधान)* जब सरकार सैकुलर हो जाती है और उधर से कट्टरपंथी कहते हैं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपने अपना समय ले लिया है। प्रत्येक मामले पर विचार कर लिया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं कार्यवाही करूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वीएचपी को कहते हैं कि आप आंदोलन करिए तब हम मंदिर बनाने देंगे वरना नहीं बनाने देंगे।...*(व्यवधान)* इस देश में किसी की हिम्मत है यह कहने की कि तुम आंदोलन करो तब हम दबाव में आकर...*(व्यवधान)* तब हम यह कहेंगे कि यहां पर दबाव बन रहा है, हम क्या करें? एक साजिश के तहत यह हो रहा है। इस तरह से इस देश में जब तक कम्यूनल हुकूमत है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही—वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : वह अपनी जगह पर नहीं बैठ रहे हैं। सभी ने उसे बढ़ावा दिया है। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको पीठासीन अधिकारी के शब्दों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। किसी को भी पीठासीन अधिकारी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। जब मैं कहता हूं कि समाप्त करें, तो आप एक मिनट और ले सकते हैं। अन्यथा अन्य माननीय सदस्य जिसका, मैंने नाम पुकारा है, वह मेरा मुंह ताकेगा?

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान पर नियम 193 में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जब भी सदन का सत्र चलता है तो कहीं न कहीं से अयोध्या का विषय आ ही जाता है और 6 दिसंबर को तो साल में बरसी मनाने के तौर पर इस सदन में अयोध्या पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें तीन मुद्दे सामने हैं। एक मुद्दा जहां महान्यायवादी का बयान सर्वोच्च न्यायालय में, अयोध्या विवाद और सरकार की भूमिका।

हम बताना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आस्था रखकर, विश्वास रखकर विभिन्न दलों की मिली-जुली सरकार, एनडीए की सरकार बनी। एक समझौते के तहत सरकार बनी और चुनाव भी उसी मैनीफैस्टों के आधार पर हुआ था। यह मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी पर चाहे जो भी आरोप हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि इस देश में एक धर्म-निरपेक्ष नेता की छवि रही है। इस आधार पर समझौता हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार चल रही है।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : जार्ज फर्नान्डीज की छवि के बारे में बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में बोल रहा हूं...*(व्यवधान)* टोका-टाकी मत करिए। मैं टोकता नहीं हूं। चुप-चाप बैठिए, आपकी टोकने की आदत बनी हुई है। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.37 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब यह कहना चाहते हैं कि अयोध्या विवाद काफी लम्बे अर्से से इस देश में चल रहा है। मामला न्यायालय में काफी दिनों से लम्बित है। कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, प्रधान की कुर्सी पर जो बैठता है, तो यह चर्चा होती है कि आपसी समझौते से इस समस्या का समाधान होगा। यह भी चर्चा होती है कि न्यायालय के आदेश को माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कभी न कभी, कुछ दिनों के बाद अयोध्या विवाद देश में सामने आता है और आने से देश का माहौल खराब होता है। हम मानें या ना मानें, गुजरात में गोधरा में जो घटना घटी, उसके मूल में देखा जाए, तो अयोध्या के सिवाय कुछ नहीं था। ऐसी घटना में चाहे हिन्दू मरता हो, चाहे मुसलमान, हमलोग यह मानकर चलते हैं कि वह हत्या मानव की हत्या होती है। इस देश में अभी मंदिर और मस्जिद के विवाद की आवश्यकता नहीं है, अगर सचमुच में आवश्यकता है इस देश में, तो बेरोजगारी की समस्या दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य मुद्दे से हटकर, अगर देश और यह संसद, मंदिर और मस्जिद में उलझी रहेगी, तो हम यह मानकर चलते हैं कि देश में व्यवस्था कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकती है। वैसी परिस्थिति में हम यह कहना चाहते हैं कि आपस में मिल-बैठकर समस्या का समाधान हो जाए, तो हो जाए और नहीं होता है, तो न्यायालय के फैसले को माना जाए। लेकिन हम यह कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किसी न किसी दिन किसी प्रधानमंत्री को मजबूती से इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। जब चर्चा होती है, तो हम परेशान होते हैं, परेशानी इसलिए होती है कि हमारी रामायण में लिखा है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और देश-विदेश के लोग भी कहते हैं कि अयोध्या में हुआ था। लेकिन कुछ लोग जो अपने को मसीहा मानते हैं, वे कहते हैं कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, जहां वे उंगली उठाते हैं। लगता है, जब भगवान राम का जन्म हो रहा था, तो उस समय वे नोहरनी लेकर नोहा काटने गए थे। एक अजीब सी स्थिति है। अयोध्या में राम-मंदिर बने, लेकिन उसी बिन्दु पर बने और उसको केन्द्र बिन्दु बनाकर, जिससे देश में आग लगती है, उसे यह देश कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो साझा कार्यक्रम है, उसके आधार पर यह सरकार चलनी चाहिए। देश में कभी भी ऐसा वातावरण पैदा नहीं होना चाहिए, जिसमें साम्प्रदायिकता की बू कहीं से आए। हम समता पार्टी के लोग समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं। हम जहां राम को अपने परमात्मा के रूप में मानते हैं, तो खुदा को भी परमात्मा के रूप में मानते हैं। हम सड़क

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

पर कहीं जाते हैं, कहीं मंदिर बीच में जाता है, तो शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं और कहीं मस्जिद दिखाई देती है, तो हम अपना सिर झुका देते हैं। हम यदि सीता को मां के रूप में मानते हैं तो फातिमा को भी मां के रूप में मानते हैं—सब कुछ मिलाजुला है। भगवान कृष्ण ने यदि गोकुल में गाय चराई थीं तो पैगम्बर ने बकरी चराने का काम किया था। मुसलमान चांद की पूजा करते हैं, हम शिव की पूजा करते हैं, शिव के ललाट पर चांद होता है, कहीं अंतर, मतभेद नहीं है। इस देश में मुट्ठी भर लोग, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, खून-खराबा फैलाने के लिए कभी न कभी, कोई न कोई करिश्मा दिखाते रहते हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि चाहे कोई हिन्दू संत हो, पैगम्बर हो, कोई भी पादरी हो, वे अगर इस ढंग का विवाद फैलाते हैं तो इस देश के कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए देश के कानून के अनुसार कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिए, चाहे वह संत, पादरी या कोई इमाम हो। उसे उठा कर जेल के कठघरे में बंद करना चाहिए, ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई शिला लेकर गया है, हम जानना चाहते हैं कि वह शिला कहां रखी जाएगी, उसके लिए कोई जगह निर्धारित की है। अगर राम के प्रति इतनी श्रद्धा, भक्ति है तो उस शिला को रखने का स्थान कहां तय किया गया है?

महोदय, ये लोग राम के नाम पर क्यों बात करते हैं। वे हमारे खानदान के थे, हमें इसमें फैसला करना है। जिनका इससे कोई मतलब नहीं है, वे हिन्दू और मुसलमान के ठेकेदार बन कर देश में साम्प्रदायिकता की आग लगा रहे हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं—चाहे कोई भी हो, संत, साधु या पादरी हो, जो भाषा की वजह से देश में इस तरह का विवाद फैलाता हो उस पर कानूनी और कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें उठा कर तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मुझे अयोध्या के संबंध में प्रधानमंत्री जी के बयान पर बोलने की अनुमति दी है। मैं यहां न केवल प्रधानमंत्री जी के बयान पर बल्कि उन घटनाओं, जो 15 मार्च को हुईं, पर भी अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यहां बहुत सी बातें कही गई हैं और इस सम्माननीय सभा के वरिष्ठ विद्वान सदस्यों ने कानून के संबंध में बहुत सी बातें बताई हैं। वरिष्ठ सदस्य और मेरे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी बहुत सी बातें स्पष्ट की हैं और माननीय विधि मंत्री ने भी बहुत सी बातें कही हैं। यहां बहुत कुछ कहा गया है। हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि 15 मार्च शांतिपूर्वक गुजर गया है। मैं कहूंगा कि श्रेय न्यायालय को जाता है। यह श्रेय उच्चतम न्यायालय को जरूर जाना चाहिए। हमें अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अमन पसंद लोगों और पूरे देश को सलाम करना चाहिए और उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमारे सहकर्मियों, कुछ भाजपा सदस्यों ने यहां कहा है कि इसका श्रेय विश्व हिन्दू परिषद को जाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। वे तर्क दे रहे हैं कि चूंकि उन्होंने उस दिन कोई हिंसा नहीं की और उस दिन अपने को अलग रखा, शांति बनाए रखी गई थी।

क्या इसका यह अर्थ नहीं है अथवा यह अभिप्राय नहीं है कि वे मुख्य भड़काने वाले थे? चूंकि उन्होंने उस दिन अपने आपको रोके रखा, हमारे देश में शांति रही और वह दिन शांति पूर्वक गुजर गया। अतः यदि वह प्रत्येक दिन अपने आपको रोके रखते हैं और कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं करते हैं, तो मैं कहूंगा कि देश में शांति रहेगी।

मैं यहां बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने आपको तीन मुद्दों तक सीमित रखूंगा। मैं आपका और सभा का साथ ही देश का ध्यान तीन पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, हमारा उच्चतम न्यायालय हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा करने में समर्थ था। दूसरा मुद्दा यह है कि मैं अमन पसन्द लोगों के प्रति नतमस्तक हूं। अतः विश्व हिन्दू परिषद के लोगों द्वारा भड़काने का कार्य किया गया है। यहां तक कि न्यास के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह आत्महत्या करेंगे। क्या यह भड़काने वाला कार्य नहीं है? इसके बावजूद हमारे देश के अमन पसंद लोगों ने कोई तरजीह नहीं दी। विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमारे देश के लोगों को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने घोषणा की कि अधिकाधिक लोग वहां पूजा करने के लिए आएं। हालांकि हमने देखा है कि हमारे देश के अमन पसंद और धर्मनिरपेक्ष लोगों ने इसे कोई तरजीह नहीं दी।

हमारे देश के अमन पसंद लोगों को बहुत–बहुत धन्यवाद और सलाम।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? वे हमारे देश के संविधान के आवश्यक गुणों को जानबूझ कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सी बातें कही गई थीं, और कुछ रा.ज.ग. के साझेदारों ने अपने विचार व्यक्त किए और कुछ प्रश्न भी पूछे। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार शायद विवादित भूमि पर राम मन्दिर के निर्माण को मान्यता प्रदान करे और इसीलिए उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। मेरा प्रश्न अलग तरह का है। मैं उनके व्यक्त किए गए विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, किन्तु मेरा प्रश्न अलग है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की तरह कोई धर्मनिरपेक्ष देश पूजा के कार्य में भाग ले सकता है, कि क्या हमारी तरह कोई देश किसी धार्मिक कार्यों में भाग ले सकता है। यही मूल प्रश्न है...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : 'धर्मनिरपेक्षता' की परिभाषा क्या है?

श्री प्रबोध पण्डा : हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सरकार धार्मिक कार्यों में भाग लेगी। हमारे देश को सभी तरह से लोगों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा जरूर करनी चाहिए, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा देश अथवा हमारा राज्य स्वयं किसी धार्मिक कार्यों में भाग लेगा। जहां तक मैं समझता हूं यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है। हमारे प्रधान मंत्री ने तथाकथित शिला प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, जिसने हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष विचार को खंडित किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध है, यह हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विरुद्ध है, हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान के विरुद्ध है। इसलिए, मैं इसकी निन्दा करता हूं, मैं इसकी निन्दा करता हूं और मैं इसकी निन्दा करता हूं।

प्रधान मंत्री और सरकार को लोगों की भावनाओं, लोगों की धर्मनिरपेक्ष, लोगों की मनःस्थिति को समझना चाहिए। प्रधान मंत्री को विश्व हिन्दू परिषद और आर एस एस के लोगों को देश में हिंसा का वातावरण बनाने से रोकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है। यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के पक्ष में है। हम उच्चतम न्यायालय को सलाम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कल शिलादान का प्रस्ताव किया गया था। संपूर्ण राष्ट्र ने राहत की सांस ली कि कम से कम वह दिन शान्तिपूर्वक गुजर गया। हां, कुछ घटनाएं अहमदाबाद में हुई थीं। जहां तक गुजरात का संबंध है, अभी भी हिंसा जारी है। कतिपय स्थानों पर हिंसा जारी है और हमें अभी भी यह बताया जा रहा है कि वहां पुलिस और सुरक्षा बलों की कमी है। सरकार को जरूर इसकी जांच करनी चाहिए।

जो बात मैं यहां कर रहा था, वह यह थी कि संपूर्ण राष्ट्र ने राहत की सांस ली कि शिलादान अथवा पूजा जो भी आप कहें, शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशेष अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय से विशेष अधिकारी उन शिलाओं को प्राप्त करने के लिए अयोध्या भेजा गया था। यह तर्क के विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य किए जा रहे धार्मिक कर्मकाण्ड में अपने को सहभागी नहीं बना सकता है। यह धर्मनिरपेक्षता का अपमान है।

हमारे विधि मंत्री यहां विद्यमान हैं जो सभा को यह बताने में बहुत ही वाक्पटु थे कि राज्य धार्मिक कार्यों में सुविधा प्रदान करता है और कार्य निष्पादन में सहयोगी बन सकता है। मुझे उनसे पूछने दें कि अयोध्या में क्या सुविधा दी जा रही थी? विश्व हिन्दू परिषद और अन्यों के मंदिर निर्माण आंदोलन की क्या प्रकृति थी?

मैं पूरे जोर के साथ कहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद और अन्यों का मन्दिर निर्माण आंदोलन गैर कानूनी आंदोलन है और इस सरकार ने जो गैर कानूनी आंदोलन अयोध्या में हो रहा था, उसे अनुमति देने के लिए वहां विशेष अधिकारी को भेजा।

यह गैर कानूनी आंदोलन क्यों है? यह मन्दिर निर्माण जिसकी कल्पना की जा रही है, वह एक ब्लुप्रिंट अथवा एक मन्दिर के मानचित्र पर आधारित है, जिसमें मस्जिद की विवादित भूमि सम्मिलित है। इसलिए हम वह ब्लुप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें विवादित भूमि सम्मिलित है? जब वह विवादित भूमि सम्मिलित की जाती है तो पूरा ब्लुप्रिंट अथवा मन्दिर भवन

[श्री जी. एम. बनातवाला]

का मानचित्र गैर कानूनी है। मैं कहता हूं कि इस सरकार ने हिन्दुत्व बलों के तुष्टीकरण के लिए, इस गैर कानूनी कार्यकलाप की अनुमति देने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करके विशेष रुचि ली।

जैसा कि मैंने कहा कि मन्दिर निर्माण के इस गैर कानूनी आंदोलन के साथ विश्व हिन्दू परिषद तथा अन्यों ने समस्त राष्ट्र को उलझा रखा है।

यह आन्दोलन कुछ नहीं अपितु धमकीबाजी है, एक रक्तरंजित धमकीबाजी है, एक ऐसी धमकीबाजी, जो खून में नहलाकर, राष्ट्र को बार–बार खून में नहलाकर दी जा रही है। इसी धमकीबाजी के लिए, इसी धमकीबाजी के चलते एक विशेष अधिकारी शिला स्वीकार करने अथवा शिलादान करने के लिए अयोध्या जाता है। अतः इस मामले को कभी नहीं भुलाया जा सकता।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे शब्दों के प्रयोग से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक शब्द है, तो मैं उस पर गौर करूंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा के नेतृत्व में समस्त रा.ज.ग. ने वि.हि.प. और हिन्दुत्व बलों के साथ मिलकर यह रवैया अपनाया है। उन्होंने तानाशाही के सबसे घातक रूप के साथ यह रुख लिया है। यही वह बात है, जिस पर समस्त सभा तथा समस्त राष्ट्र को विचार करना है।

निःसंदेह, यहां एक मतभेद है, सरकार द्वारा न्यायालय में अपने महान्यायवादी के माध्यम से लिया गया विनिश्चय का प्रश्न। महान्यायवादी की भूमिका तथा कार्य की हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 के खण्ड 2 में स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या है। महान्यायवादी सरकार को सलाह देने के लिए है। यह उसका कार्य नहीं है कि वह समस्त और विविध मामलों में न्यायालयों को तथा समस्त राष्ट्र को सलाह दे।

अनुच्छेद 76 के खण्ड 2 को देखिए। वह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि महान्यायवादी को वैधानिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है, जो उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए अथवा सौंपे जाते हैं। वे कर्तव्य कौन से हैं? ये वैधानिक स्वरूप के कर्तव्य हैं।

मैं यहां 'वैधानिक स्वरूप' शब्द के अर्थ की बात करूं। राज्य बनाम टी. श्रीनिवास, ए आई आर 1988, कैण्ट 67 में 'वैधानिक स्वरूप' शब्द की 'वैधानिक स्थिति' के अर्थ में व्याख्या की गई है। यदि हम उनकी 'ए टेक्सट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेन्स' में 'सलमण्डस ज्यूरिस् और जार्ज व्हाइटक्रास पेटॉन' को देखें तो यह स्पष्ट है कि 'वैधानिक स्थिति' शब्द में अधिकार, कर्त्तव्य, सह–अधिकार, अधीनताएं, अयोग्यताएं, दावे, रियायतें, शक्तियां, छूटें इत्यादि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में महान्यायवादी के अधिकार, स्वतन्त्रता, रियायतें, छूटें ऐसे कर्त्तव्यों से बंधे हुए हैं, जो मामले में राष्ट्रपति अर्थात् सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

अब हमारे इन महान्यायवादी की क्या बात है, उनकी अपनी भूमिका तथा अपने कार्यों के बारे में कुछ विशेष विचार हैं? मेरी मांग है कि ऐसे महान्यायवादी को इस सभा में बुलाया जाये। उन्हें इस सभा में लाया जाए और वे इस सभा को स्पष्ट करें कि उनकी अपनी भूमिका तथा अपने कार्यों के बारे में क्या धारणा है? उन्हें इस सभा में व्याख्या करने दें कि न्यायालय में दिये गये उनके कौन से कथन उनके स्वतन्त्र क्षमता में दिए गए थे तथा कौन से कथन देश के विनिश्चय का वर्णन करते थे। अतः मैं मांग करता हूं कि महान्यायवादी को इस विषय विशेष के बारे में इस सभा में बुलाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इन वैधानिक और संवैधानिक बारीकियों के अलावा भी यदि न्यायालय निर्णय लेता है कि कोई निषेध नहीं है, तो भी एक प्रश्न बना रहता है।

रात्रि 8.00 बजे

और प्रश्न यह है कि सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। यहां तक कि यदि न्यायालय निर्णय लेता है कि कोई प्रतिबंध नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। यहां बार–बार सरकार ने इस सभा को तथा समस्त राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि अयोध्या संबंधी समस्त मामला केवल बातचीत के माध्यम से अथवा न्यायालय के अन्तिम निर्णय के माध्यम से निपटाया जा सकता है। कांची के शंकराचार्य के साथ बातचीत हुई थी, किन्तु दुर्भाग्य से बातचीत असफल रही। तत्पश्चात्, सरकार के पास न्यायालय को यह कहने के

अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हमें उपयुक्त स्वामित्व संबंधी मुकदमों पर न्यायालय के अन्तिम निर्णय का समर्थन करना पड़ेगा। इसकी जगह हमने पाया कि उस आन्दोलन के अवैधानिक स्वरूप के बावजूद यहां पर हिन्दुत्व बलों के तुष्टिकरण हेतु महान्यायवादी के माध्यम से सरकार द्वारा न्यायालय में कतिपय रवैया सुनिश्चित किया गया था।

हमारी मांग होगी कि इस अवैधानिक आन्दोलन में शामिल वि.हि.प. तथा ऐसे अन्य संगठनों को अवैधानिक संगठन घोषित किया जाए। किन्तु उन्हें अवैधानिक संगठन घोषित करने की बजाय हमारी सरकार विधि मंत्री के शब्दों में ऐसी है कि जो 'आन्दोलन की प्रगति' में और सहायता करने के लिए उत्सुक है।

मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि यदि न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि ऐसी चीजों की भूमि पर अनुमति दी जा सकती है, यदि न्यायालय को अनुरोध किया गया है कि भूमि का एक भाग किसी को दिया जा सकता है और यहां हम पाते हैं कि रा.स्व.सं. ने भी अपने परिवार की सरकार का मन्दिर निर्माण के उद्देश्य हेतु भूमि के हस्तान्तरण में सहायता करने के लिए आह्वान किया है तो यह अनुरोध वापस लिया जाना चाहिए।

यहां तक कि इस याचिका पर भी अन्तिम निर्णय न्यायालय से आना है। आइये हम अन्तिम निर्णय, जो उपयुक्त स्वामित्व संबंधी मुकदमों पर आना है, का समर्थन करें। यह कहकर मैं समाप्त करता हूं कि मुझे अपनी मातृभूमि के लोगों पर अडिग विश्वास है। मुझे उन पर अडिग विश्वास है तथा मुझे विश्वास है कि अन्ततः फासीवादी ताकतें, अंधकार की ताकतें हार जायेंगी तथा धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्रीय ताकतें, इंशा अल्लाह, कायम रहेंगी।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरम्बुदूर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अ.द्र.क. पार्टी के विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया।

आज के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में एक बहुत अच्छा सम्पादकीय लिखा गया है, जिसमें समस्त घटना को एक अनैतिक ड्रामा के रूप में वर्णित किया गया है। मैं दोहराता हूं, यह एक अनैतिक ड्रामा है। इस ड्रामे में, किसने क्या भूमिका निभाई, हमें नहीं मालूम। किन्तु ड्रामे का अन्त सुखद है। अतः समस्त राष्ट्र अत्यन्त प्रसन्न है। हम, अ.द्र.क. इससे कहीं ज्यादा प्रसन्न होते, यदि सभी राजनैतिक पार्टियां-चाहे वे इस ओर हों अथवा उस ओर-को राष्ट्रीय महत्व के इस संवेदनशील मामले के बारे में पहले जानकारी दी गई होती। हम भी खुश हैं कि वि. हि.प. और राम जन्मभूमि न्यास, जो गिरफ्तारी और आत्महत्या के जोखिम पर भी सांकेतिक धार्मिक अनुष्ठान करने पर जोर दे रहे थे, को अन्ततः सद्बुद्धि प्राप्त हुई।

आयोध्या स्थल से 67 एकड़ दूर एक स्थान पर मन्दिर निर्माण हेतु अब एक मूर्ति के रूप में तराशे जाने वाला पत्थर, जिसे 'शिला' पुकारा गया है, 'दान' के रूप में दिया गया था। अतः समस्त मन्दिर मुद्दा अन्ततः अब सम्पत्ति मुद्दा बन गया है। इस सम्पत्ति विवाद में मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में उच्चतम न्यायालय के लिए और अधिक आदर बढ़ गया है।

हम नोट करते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी न्यायालय को दिये गये आश्वासन का मजाक उड़ाया था। आज उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। प्रत्येक ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को माना है। एक बार पुनः मैं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' से उद्धृत करूंगा, जिसमें कहा गया है कि :

> "जब सरकार ने वि.हि.प. द्वारा जारी व्हिप को तोड़ा, चाहे भले ही उन्हें यह उच्चतम न्यायालय की वजह से मजबूरन करना पड़ा था लेकिन अन्ततः सब कुछ सामान्य हो गया।"

कुछ भी हो, हम अत्यन्त प्रसन्न हैं कि प्रधान मंत्री के आश्वासन को बनाये रखा गया, उच्चतम न्यायालय को इसके लिए धन्यवाद।

समाप्त करने से पहले, मैं अ.द्र.क. की ओर से दोहराना चाहूंगा कि न केवल सभी सम्बद्ध धर्मों के बीच एक समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए अपितु सभी राजनैतिक दलों के मध्य सहमति बनाई जानी चाहिए अथवा परामर्श भी किया जाना चाहिए। सभी दलों को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है, क्योंकि राजनीति धर्म से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं एक महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करना चाहूंगा। पाकिस्तान और भारत में क्या परिवर्तन है? पाकिस्तान में तानाशाही है, भारत में लोकतन्त्र है। पाकिस्तान धर्मतांत्रिक राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसी कारण भारत का समस्त विश्व के मंच पर सम्मान किया जाता है। यह भारत का गौरव है। हमें धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

की मूल ढांचे का भाग है, को बनाए रखकर भारत की महानता को बनाये रखना चाहिए।

अब वास्तविक परीक्षा यह है कि अयोध्या में इस समय लागू की गई शान्ति को देश के शेष भागों में भी बनाये रखे जाना चाहिए। शान्ति और सौहार्द इस देश में बने रहना चाहिए। यह अ.द्र.क. का निश्चय है।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दिवंगत बालयोगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारी लोक सभा के अध्यक्ष थे। जिन सुरक्षाकर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए अभी तक जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने तनाव के माहौल में भी शांति और कुशलता से स्थिति को नियंत्रण में रखा। जो हमारे संत हैं–परमहंस रामकृष्णदास, आचार्य गिरिराज किशोर, शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, अशोक सिंघल और आर.एस.एस. के वैद्य जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी शांति से अपनी भूमिका निभाई, एक समझौते से अपनी भूमिका निभाई। वे दो कदम पीछे हटे इससे यह न समझा जाए कि वे पीछे हटे। जैसे येरुशलम ईसाइयों के लिए पवित्र है, मुसलमानों के लिए मक्का है, वैसे ही हिन्दुओं के लिए अयोध्या है। वहां से हिन्दुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। यहां भगवान श्रीरामचन्द्र का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधान मंत्री थे, तब उनके राज में कोर्ट की अनुमति दी गई और वहां पूजा होने लगी। वहां पहले 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया और इसका उल्लेख लखनऊ के गज़ट में है और यह किसी हिन्दुस्तानी आदमी ने नहीं लिखा है। वह आई.ए.एस. परदेस अधिकारी था, उसका नाम नेरहील था और उन्होंने लिखा था कि यह मंदिर था और उसको तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया है।...*(व्यवधान)* आप जाकर देखिये, अगर गलत होगा तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। बाद में 1986 के बाद वह लोगों के लिए खोला गया। श्री पांडे नाम का एक लॉयर कोर्ट में गया, बाद में उसने मामला वापस ले लिया। 6 दिसंबर, 1992 के बाद बाबरी ढांचा टूटने के बाद अभी तक वहां पूजा होती है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों तोड़ा?

श्री मोहन रावले : भगवान रामचन्द्र की जन्मस्थली से हिन्दुओं की भावनाएं जुड़ी थीं और हिन्दुओं के दिल में जो गुस्सा था, जो भावना थी, उस भावना से वह ढांचा तोड़ा गया। ...*(व्यवधान)*

सर इसके लिए अभी तक 79 हजार लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है । उसके बाद आप यह भी देखें कि उसके आसपास सीता माई का मंदिर है। जो बाबर है, वह यहां का नहीं है, वह मुगल बादशाह है, वह फिरंगी है, वह साउथ एशिया से आया होगा, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों का उसके साथ क्या रिश्ता है, हिन्दुस्तान के लोगों में उसके प्रति क्या दिलचस्पी है, बार–बार हम बाबर कहकर उसके नाम का उद्बोधन कर रहे हैं, यह क्या बात है, क्या कारण है?

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, इस प्रकार की बात करके वे हम सबकी इंसल्ट कर रहे हैं। किसी के बारे में इस प्रकार से कहना किसी को शोभा देने वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है, तो वह पेट्रोल में आग लगाने का काम कर रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मैं उन्हें देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे आपत्ति है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : उन्होंने एक अत्यन्त आपत्तिजनक शब्द कहा है।

श्री शिवराज वि. पाटील : हमारा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। अब जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें बता दिया जाना चाहिए कि वे शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें तथा वे दूसरों की भावनाओं को धक्का न पहुंचाएं।

सरदार बूटा सिंह : इसका अब चर्चा किये जा रहे विषय से कोई संबंध नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती : न्यायालय में कोई प्रावधान नहीं है। मुझे धक्का लगा था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मोहन जी, अभी जो पाटील साहब ने कहा है, कृपया आप उनकी भावनाओं को समझें।

श्री मोहन रावले : सर, अभी तक जितने मुगल बादशाह हुए हैं उन्होंने हिन्दुओं के 3000 मंदिर तोड़े हैं। हम हिन्दू हैं, हम सहिष्णु हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें दबाया जाता रहे।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो क्या आप उसका बदला अब लेंगे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब्जैक्ट पर बोलिए।

श्री मोहन रावले : सर, इस देश में 83 प्रतिशत हिन्दू हैं, लेकिन हम यहां अपना मंदिर बनाने के लिए भीख मांगते हैं, ऐसा हुआ है। मैं प्रधान मंत्री जी का आदर करता हूं और सोली सोराब जी को बधाई देता हूं। उन्होंने हिन्दुओं की भावनाओं का आदर किया। रामचन्द्र जी की पूजा करना हमारा धर्म है। प्रधान मंत्री जी ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यह बात इनको पंसद नहीं आई। ये चाहते थे कि दंगा हो, चाहते थे कि गोली और लाठी चलें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इनको यह पसंद नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब चाहते हैं कि साधु, सन्तों और धर्माचार्यों का सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है। हम मुस्लिम पीर का भी पूरा सम्मान करते हैं। जब सैकुलरिज्म की बात आती है, तो मैं शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की वह बात कहना चाहता हूं जिसके कारण किसी एक धर्म का प्रचार करने के कारण उनका मताधिकार छीन लिया गया जिसके कारण वे वोट नहीं दे सकते हैं लेकिन जब कोर्ट में गवाही देनी होती है, तो हम कुरान पर हाथ रखकर उसकी कसम खाते हैं, बाईबल पर हाथ रखकर उसकी कसम खाते हैं और गीता पर हाथ रखकर उसकी कसम खाते हैं, यदि हमारा हिन्दुस्तान सैकुलर है, तो फिर न्यायालय में हम गीता, कुरान और बाईबल की कसम क्यों खाते हैं। हम संविधान पर हाथ रख कर क्यों कसम नहीं खाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अब किसी बाईबल, गीता या कुरान की किताब पर हाथ रख कर गवाही नहीं दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : सर, चतुर्वेदी जी को मालूम नहीं है, शिवराज पाटील जी वकील हैं, आप भी वकील रहे हैं, आपको मालूम है, गीता, कुरान व बाईबल पर हाथ रखकर कसम खाकर कोर्ट में गवाही अभी भी दी जाती है। इनकी राजनीति वोट के लिए चल रही है। जब गोधरा में हत्याकांड हुआ, यहां विरोधी पक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी बोलीं, लेकिन यहां उनका किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए हिन्दुओं के दिलों में भी ऐसी भावना उठ रही है, हमारा गुस्सा भड़क रहा है, हम यदि हिन्दू लोगों को गाली देंगे, तो क्या आप इसको ही धर्मनिरपेक्षता मानते हैं। क्या हिन्दुओं का अपमान करेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : किसने यह कहा है?...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, उन्हें ऐसी बातें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान रावले, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हिन्दुओं का विरोध किया तो...*(व्यवधान)* आतंकवाद का विरोध करेंगे...*(व्यवधान)* वे भी साम्प्रदायिक समझते हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत : क्या राजीव गांधी जी ने वहां शिलान्यास करवाया था ?

सरदार बूटा सिह : शिलान्यास कराया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रावले जी, अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, मेरी पार्टी को बोलने का अभी पहला चान्स मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, पहला चान्स मिला है, लेकिन टाइम हो गया है। आपको फ्लोर दिया गया है। अभी प्रधान

[श्री मोहन रावले]

मंत्री जी का रिप्लाई होना है। आपको नॉन–कंट्रोवर्शियल हैसियत से जो कुछ कहना है वह कहिए। मैंने आखिर में आपको बोलने का मौका इसलिए दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपका भाषण कंट्रोवर्शियल होगा।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नीति चल रही है, वह वोटों की राजनीति चल रही है। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों के मताधिकार छीन लिए जाने चाहिए। यह इसलिए कहा था कि अगर मताधिकार छीन लिये जायेंगे तो वे यही करेंगे कि अरे भाई मंदिर बनाओ, जल्दी बनाओ, सरकार क्या कर रही है...*(व्यवधान)* उसकी व्याख्या बदल जायेगी, उनकी सेक्युलरिज्म की व्याख्या बदल जायेगी। सोमनाथ चटर्जी साहब बैठे हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। सेक्युलरिज्म के बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। उन्हें जो बात अच्छी लगी है उन्होंने वह बताई है। मेरे पास इसकी व्याख्या है।

[अनुवाद]

भारत के उच्चतम न्यायालय ने समय–समय पर भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का निर्वचन भिन्न तरीके से किया है।

[हिन्दी]

एक कोर्ट का जजमैंट मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजराज राज्य के मामले में कहा गया है कि हमारे संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो जिसका मुख्य तात्पर्य है जियो और जीने में मदद करने संबंधी दृष्टिकोण रखना।

[हिन्दी]

बाद में उन्होंने बताया कि जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी और बृज मोहन रामदास ने बताया है।

[अनुवाद]

राज्यों को सभी जातियों और पंथों के नागरिकों को अपने लाभ प्रदान करने में तटस्थ अथवा निष्पक्ष होना चाहिए तथा राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कानूनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि किसी विशेष धर्म का अनुकरण करने अथवा उसमें आस्था रखने वाले लोगों के आधार पर निर्योग्यता आरोपित न की जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, मैं आपको दो मिनट बोलने के लिए समय देना चाहता था, लेकिन यदि आप इस तरह से करेंगे तो मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले : हिन्दूवाद अथवा हिन्दुत्व शब्दों को बारीकी से समझने और अर्थ निकालने, सख्त हिन्दू धार्मिक प्रथाओं तक ही सीमित रखने, भारत की जनता की जीवन पद्धति के संदर्भ में भारत के लोगों की संस्कृति और लोकाचार से असम्बद्ध मामले के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उन्होंने सर्वधर्म समभाव के बारे में बताया है। सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समभाव...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री मोहन रावले : आप अपनी जो नीति बनाते हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं आदर करता हूं। लेकिन शाहबानो के केस में जब वह वर्डिक्ट दिया गया तो कितनी हमारी मुस्लिम बहनों पर अत्याचार हुए। जहां पर ईरान, इराक, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैं तुर्कमेनिस्तान में गया, इन सारी मुस्लिम कंट्रीज में किसी को तलाक देना होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर, 2001 में मुस्लिम स्त्री प्रतिकर और विवाह–विच्छेद अधिनियम को विधिमान्य कर दिया तथा इस सदन में श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए प्रत्येक तर्क का समर्थन किया। आप क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : किसी को तलाक दिया जाता है तो पहले पत्नी की सहमति लेनी होती है। सारे हिन्दुस्तान

में ऐसा है, सारी दुनिया के मुस्लिम देशों में यह है।...*(व्यवधान)* **वह ऐसा मानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर...***(व्यवधान)* राजीव **गांधी** जी ने पहले कहा था...*(व्यवधान)*

श्री अब्दुल हमीद (धूबरी) : उपाध्यक्ष जी, यह क्या बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, मैं उनको कभी भी बोलने नहीं दूंगा। मैं अकेला ही उनको सबक सिखा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : कोई मुस्लिम महिला किसी की बीबी होती है, किसी की बहन होती है, बेटी होती है, किसी की मां होती है जब उसको तलाक–तलाक करके छोड़ दिया जाता है तो उसकी क्या हालत होगी, यह समझ लीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

"अध्यक्ष, किसी ऐसे सदस्य जो वाद–विवाद में अपने ही तर्कों अथवा अन्य सदस्यों के तर्कों के अप्रासंगिक अथवा उबाऊ दोहराव जारी रखे, के आचरण के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात्, उसे अपना भाषण समाप्त करने का निदेश दे सकता है।"

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी की स्पीच में कहीं रैलेवैंसी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री मोहन रावले : मैं कोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। अगर कोर्ट का वर्डिक्ट चेंज होता है कि वहां मन्दिर था, तो क्या आप मुसलमानों को बोलेंगे कि वे कोर्ट का वर्डिक्ट मानें। मैं सारे विपक्ष के सदस्यों को पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहन रावले : गोधरा में जो हुआ, वह बहुत दुखद था।...*(व्यवधान)* यहां बात कही गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुम्बई शहर में जो बम विस्फोट हुआ, 1992–93 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के समय 196 इंसीडैंट्स हुए जिनमें 946 लोग मारे गए। गुजरात में लोग मारे गए, मध्य प्रदेश में लोग मारे गए, राजस्थान में मारे गए। तब इन्होंने नहीं कहा कि हमारी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। तीन हजार सिखों को मारा गया। ये लोग राष्ट्रपति जी के पास यह कहने गए कि इस सरकार को बर्खास्त करो। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इनकी दोहरी नीति है।..*(व्यवधान)* मुझे बहुत कुछ बोलना था।...*(व्यवधान)* मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें मिल–जुल कर रहना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या दुनिया में ऐसी कोई मस्जिद है जहां अल्लाह की इबादत होती हो और प्रभु की प्रार्थना होती हो। हम अपना हक मांग रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने राज में भीख मांग रहे हैं। इसलिए आन्दोलन हो रहे हैं। 79 हजार लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, कार सेवकों ने बलिदान दिए हैं। हम आपके द्वारा प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप साधु–संतों का सम्मान कीजिए, हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान कीजिए। आप भी मुस्लिम भाइयों को बोलिए कि आप भी उनका सम्मान कीजिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि कोर्ट के फैसले को अमल में लाने की जिम्मेदारी हमारी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को 50 प्रतिशत निभाने का प्रयत्न कर दिया है। मुझे इतनी जानकारी चाहिए, रामचन्द्र परमहंस ने बताया कि वहां के कमिश्नर को शिला देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके पास शिला सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए पी.एम.ओ. ऑफिस का एक व्यक्ति वहां गया। हम सैकुलरिज्म का अर्थ यह मानते हैं कि यहां के हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन्स को सपोर्ट करना चाहिए। हम हिन्दुओं का विरोध करने वाले नहीं हैं। हमारा इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, सोनिया जी तैयार हैं, सोमनाथ बाबू तैयार हैं और हम भी तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसे हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर इस देश में जो आन्दोलन करने वाले वी.एच.पी. के लोग, आर.एस.एस. के लोग या बजरंग दल के लोग हैं, वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो उनको ठीक–ठाक करने के लिए यह सरकार तैयार है या नहीं?

[श्री रामदास आठवले]

वी.एच.पी. के लोग इनके अपने हैं। जब हमने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम देने के लिए 14 साल तक आन्दोलन किया था तो जब-जब हमने कानून तोड़ा, तब-तब हमें जेल में डाल दिया था, मगर मैं देख रहा था कि वी.एच.पी. के जो लोग हैं, उनको और रामचन्द्र परमहंस जी को आपको अरैस्ट करने की आवश्यकता थी, मगर आपको यह डाउट था कि अगर उनको अरैस्ट करते हैं तो ये अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला-गुल्ला करेंगे और सब हिन्दू आपके खिलाफ जाएंगे।

आप यह तो समझ रहे थे कि 15 तारीख आएगी और 16 को आपकी सरकार जाएगी। हमें ऐसा लगता था कि 15 तारीख आएगी, 16 को आपकी सरकार जाएगी, 17 तारीख आएगी और हमारी सरकार लाएगी। मगर आपकी सरकार गई नहीं, इसलिए हमारी सरकार आई नहीं। सरकार का ही सवाल नहीं है, सरकार तो आप लोग चलाइए। सरकार चलाने में अभी हमारा इंटरैस्ट नहीं है, सरकार चलाने का अभी इंटरैस्ट आपको ही है, आप ही सरकार चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि लगान फिल्म में आमिर खान जी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। सब लोगों को लगता है कि ये सब खिलाड़ी अनट्रेन्ड हैं, ये मैच जीतने वाले नहीं हैं, मगर आमिर खान की टीम वहां जीतती है। उसी तरह से साढ़े तीन साल से आप ही जीत रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि यह टीम अच्छी नहीं है, मगर आप ही साढ़े तीन साल से जीत रहे हैं। हम इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि जब हमारा कोई खिलाड़ी बॉलिंग करता है तो आपके बैट्समैन को आउट करने के बजाय वह पीछे दूसरे फील्डिंग करने वाले को ही आउट करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आज की स्थिति ऐसी है कि हम जीतने वाले नहीं हैं, जब तक आपके साथ 30 खिलाड़ी हैं और आप 300 हैं, तब तक आप जीतने वाले हैं। हमारी ट्रेनिंग चालू है और हम अच्छी फील्डिंग करेंगे और आने वाले चुनाव में हम मैच जीतने वाले हैं, तब तक आप खेलते रहिए, जीतते रहिए। देश में शान्ति बनाए रखने के लिए आपको अपनी सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो शब्द खत्म करता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। उनके बारे में विचारों का प्रकटीकरण भी हुआ है। मैं सब को दोहराना नहीं चाहता। एटार्नी जनरल की भूमिका क्या हो, इस पर दो अधिवक्ताओं के भाषण हमने सुने। श्री सोली सोराबजी ने एक वकील के नाते जो राय दी थी, उसका उल्लेख हुआ है। उन्हें ऐसी राय देने का हक था या नहीं था, यह विवाद का विषय है, लेकिन जो वास्तविकता है, उससे देश परिचित हो, यह बहुत जरूरी है।

1994 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या क्या की जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इस पर भी मतभेद हैं। लेकिन जो निर्णय दिया गया है, वह सर्वमान्य है। उस पर अमल होगा, होना चाहिए। उसके कारण मतभेद के कारण किसी न्यायालय के निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता या फिर कभी मौका आए तो उससे भी बड़ी बेंच बनाकर वह मामला उसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर दूसरा निर्णय प्राप्त करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जब तक वह निर्णय है, तब तक वह मान्य है और उस पर सबको आचरण करना चाहिए।

मैं तेलुगू देशम पार्टी के अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि विश्व हिन्दू परिषद ने जो वक्तव्य दिया है शिलाओं के बारे में, कि स्वीकृति है सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण की। हम लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण का प्रश्न अदालत के अधीन है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कंट्राडिक्ट नहीं किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं, मेरी नहीं।...*(व्यवधान)* विश्व हिन्दू परिषद ने इस बात का आग्रह किया था कि हमने जो स्वीकृति दी है, उसके अन्तर्गत जो अदालत का अन्तिम फैसला होगा, उसको हम मान्य करेंगे। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी के आधार पर जो बातचीत चली, साधुओं में, संतों में, मौलानाओं में, उसका आधार भी यही था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भी शंकराचार्य जी से मिलने गए थे। उसमें भी यही बात निकली कि जो निर्णय अंतिम होगा, वह अदालत का अंतिम निर्णय होगा। उनकी सलाह से भी आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हो सकता है। इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वहां शिलाएं रखी हैं। उनका उपयोग उसी दिन होगा, उसी परिस्थिति में होगा जब सर्वोच्च न्यायालय हिन्दुओं के हक में फैसला दे देगा, अन्यथा नहीं। अगर फैसला खिलाफ जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, उसकी भी व्यवस्था है और उसका भी उल्लेख है। अगर

फैसला मुसलमानों के हक में जाता है, कौन सा रास्ता होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, इन सबका उल्लेख किया गया है। निर्णय अदालत को करना है। बीच में कोई बाधा निर्णय में पैदा करे, यह ठीक नहीं।

सेक्यूलरिज्म की बड़ी चर्चा हुई है। सोमनाथ बाबू ने कह दिया कि सेक्यूलरवाद के शव पर वह एक कापालिक की तरह खड़े हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कल बोला था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कापालिक आज भी खड़ा है। बड़ी नाटकीय भाषा है, सेक्यूलरिज्म मरने वाला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वही चाहते हैं कि मरे नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई नहीं मरेगा। हमसे पहले भी देश सेक्यूलर था, हमारे बाद भी सेक्यूलर रहेगा। यह देश किसी एक पार्टी के कारण सेक्यूलर नहीं है। यह परम्पराओं का हिस्सा है। हमारे रक्त का रंग है। जब विरोधी दलों का शासन था, उस समय भी देश सेक्यूलर था, क्योंकि यह बहुमतवाद है। मुंडे-मुंडे मितरभिन्ना...

प्रो. रासासिंह रावत : तुंडे-तुंडे सरस्वती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने एक कहा तो आपने दूसरा कह दिया। यह मत भिन्न हो गया। मैंने अधूरा कहा था, आपने उसे पूरा कर दिया। सेक्यूलरवाद सचमुच में जीवन को व्यतीत करने का एक ढंग है। केवल हमारे देश में नहीं, इस समय सारे विश्व में जो एक कट्टरतावाद पनप रहा है, बढ़ रहा है, वह चेतावनी है। वह अगर सीमाओं में नहीं रहा, लोगों की निष्ठा अगर सीमाओं में नहीं रही तो कोई भी उग्र रूप धारण कर सकती है और वह कानून और व्यवस्था के लिए भी संकट बन सकती है। इसका सबको विचार करना चाहिए। सैकुलरवाद की केवल रट लगाना काफी नहीं है। सैकुलरवाद का सलैक्टिव सैकुलरवाद नहीं हो सकता है। अगर उसका प्रयास किया जाएगा तो पूरा सैकुलरवाद खतरे में पड़ जाएगा मगर मुझे विश्वास है कि ऐसी नौबत देश में नहीं आएगी।

मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। बार-बार यह कहा जाता है कि मैंने विश्व हिन्दू परिषद को आश्वासन दिया था कि अमुक तारीख तक उनका मंदिर बन जाएगा या निर्णय हो जाएगा। मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने जो कुछ कहा था, वह सिर्फ इतना था कि इस दिशा में प्रयास किया जाएगा और मुझे आशा है कि मार्च का महीना आने तक शायद कोई रास्ता निकल आए लेकिन रास्ता नहीं निकला और उसके लिए मैंने दोनों पक्षों को दोष दिया था कि जब तक अपनी-अपनी बात नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ लेना-देना स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक सद्भावना के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए बार-बार यह कहना कि आपने उनको बढ़ावा दिया था, मेरे बढ़ावे से वे नहीं बढ़े हैं, उनको जो जनता का समर्थन है, उसके कारण वे आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए जरा 14 तारीख की कल्पना करिए। आज तो हम अलग वातावरण में मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं लेकिन 14 तारीख को हवा में एक दबाव था। वह ठीक था या सही था, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। एक जैसे कठिनाई थी कि क्या होगा, आशंका थी। अभी-अभी गुजरात से हमने पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया है और एक नया विवाद खड़ा हो गया। इसलिए सबने राहत की सांस ली जब शिला का दान ले लिया गया और कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं हुआ। स्टेटस-को में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ी, शिला ले ली गई और अब शिला सुरक्षित है और जैसा मैंने कहा कि शिला का उपयोग उसी दिन होगा जिस दिन ओरिजिनल स्यूट के बारे में कोई फैसला होगा। बीच में शिला काम में नहीं आने वाली है, इसलिए कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इस सवाल को लेकर अब देश में उग्र भावनाएं फैलाई जाएं। इसमें सबको योगदान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा सार्थक होगी और देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य : वह तो आपने जवाब नहीं दिया जो आपने पीएमओ से शत्रुघ्न सिंह को भेजा था।...*(व्यवधान)* आपने उसका जवाब नहीं दिया। वही तो असली सवाल था, उसका जवाब नहीं आया।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कोई जवाब नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जिन विषयों के बारे में मेरे सहयोगी विधि मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने प्रकाश डाल दिया था, उसका पिष्टपेषण मैंने नहीं किया है। पिसे हुए को पीसने से कोई फायदा नहीं है।...*(व्यवधान)* जो पिसा है, वह बारीक पिसा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में अगली दो मदें बहुत छोटी हैं तथा सोमवार को प्रत्येक व्यक्ति को आतंकवाद निवारण विधेयक पर होने वाले वाद–विवाद में भाग लेने का पर्याप्त अवसर होगा। अतः, यदि आप सहमत हों तो हम अब इन दो मदों को पूरा कर लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसा एक स्थिति में हो सकता है। सोमवार को 'पोटो' पर चर्चा के पूर्द कम से कम आधे घंटे तक शून्य काल की अनुमति दी जानी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, उच्चतम न्यायालय तथा अध्यक्षपीठ द्वारा दिए गए आदेश को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। वे अध्यक्षपीठ के लिए शर्तें रख रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस शर्त पर, हम इस प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : कृपया कोई शर्तें न रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम उन्हें इसी कारण से नहीं उठा सके।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इसे निर्णय के लिए अध्यक्षपीठ पर छोड़ता हूं कि शून्य काल आधे घंटे का हो अथवा एक घंटे का हो।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

रात्रि 8.41 बजे

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद सं. 7 और 8 पर एक साथ विचार करेंगे। श्री रामजीलाल सुमन उपस्थित नहीं हैं। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 2001 को प्रख्यापित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 10) का निरनुमादेन करती है।"

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 2001 को प्रख्यापित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु मैं अध्यादेश को पुनःप्रख्यापित किए जाने के विरुद्ध हूं। अध्यादेश को पुनःप्रख्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस अध्यादेश को अक्तूबर महीने में प्रख्यापित किया गया था। परन्तु इसे शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक का रूप नहीं दिया जा सका। फिर एक बार, इसे पुनःप्रख्यापित किया गया। अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता है? सरकार ने इस सदन के समक्ष कोई विधेयक पेश क्यों नहीं किया है? इस संबंध में अत्यावश्यकता क्या थी? हर सत्र में, हम यह देखते हैं कि कम से कम छह या सात अध्यादेशों

के स्थान पर संबंधित विधेयक लाए जाते हैं। यहां भी, अनेक अध्यादेश हैं। कुछ अध्यादेशों को प्रख्यापित, पुनःप्रख्यापित और फिर से प्रख्यापित किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस अध्यादेश को प्रख्यापित और पुनः प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी? विधेयक को इस सदन के समक्ष क्यों नहीं लाया गया है?

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को आइआईटी बनाने का प्रस्ताव है। इसका हम समर्थन करते हैं। अभी तक दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुहाटी आदि जगहों पर आईआईटी है और सातवीं जगह पर यह इन्स्टीट्यूट खोला जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में विभिन्न राज्यों से संबंधित आरआईटी का कागज मेरे पास है। बिहार में आरआईटी जमशेदपुर में था, जो अब झारखण्ड में चला गया है। बिहार में आईआईटी तो है ही नहीं, लेकिन आरआईटी भी नहीं है। उत्तरांचल नया राज्य बना है, उसमें आईआईटी का दर्जा दिया जा रहा है, इसका हम समर्थन करते हैं। इसलिए हम इस बहस में मांग करते हैं, जिस उदारता से, जिस नीति से, जिस सिद्धान्त से टैक्नोलाजी की पढ़ाई की तरक्की के लिए आईआईटी है और आरआईटी पहले से ही विख्यात है।

सरकार उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी में परिवर्तन करने का विधेयक लाई है। उसी उदारता और उसी नीति के तहत बिहार में जो आठ करोड़ 20 लाख की इतनी बड़ी आबादी के लिए पहले एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी थी, वह झारखंड में चली गई। बिहार में जो आईआईटी था और पटना इंजीनियरिंग कालेज है, उसे प्रोन्नत करना था।...*(व्यवधान)* उसी में मद्रास इनके विधेयक में लिखा हुआ है। हम लोगों की जानकारी में यह है कि मद्रास को लोग चेन्नई बोल रहे हैं, क्या संविधान में मद्रास को चेन्नई सरकार लिखना चाहेगी या नहीं? जब मद्रास को लोग चेन्नई कह रहे हैं तो क्या ये मद्रास पर ही कायम रहेंगे? सरकार क्यों अभी तक इस पर कायम है? इस विधेयक में मद्रास का जिक्र है, इसलिए उसमें सरकार तदानुसार संशोधन करे और स्पष्ट करे।

प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में यह बिल नवम्बर के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश विचार के लिए नहीं लाया जा सका, इसलिए इस आर्डीनेंस को जारी करने की जरूरत पड़ी। विद्यार्थियों और उस इंस्टीट्यूट के भविष्य को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि हमारे जो विद्वान साथी हैं वे इसमें एतराज नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग सत्र के शुरूआत से ही कोशिश कर रहे थे कि यह बिल पास हो जाए और बिल के स्वरूप में मुझे विश्वास है कि हमारे सहयोगियों को कोई एतराज नहीं होगा। रघुवंश बाबू ने बिहार में आईआईटी की मांग की है तथा और भी हमारे बहुत से साथियों ने की है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सारे रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग और आरआईटी जितने हैं, उन्हें अपग्रेड करने की हमने पूरी योजना बनाई है, हमें इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप सभी माननीय सदस्य दिन भर के काम–काज से काफी थक गए होंगे, इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि हम लोग जल्दी इसे पास कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू ने संशोधन में मद्रास को चेन्नई लिखने के लिए कहा है।

प्रो. रीता वर्मा : अभी नहीं बाद में कर देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : *क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : *जी हां, मैं उसे वापस ले रहा हूं।*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री आचार्य द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.50 बजे

[अनुवाद]

पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद सं. 9 और 10 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 30 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 30 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।

कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस अध्यादेश के बारे में भी, मेरा वही तर्क है। यह पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश के संबंध में है। पहला अध्यादेश अक्तूबर महीने में प्रख्यापित किया गया था। इसे पुनः प्रख्यापित किया गया है।

मैं नहीं बोलूंगा। मैं केवल एक वाक्य में अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में अत्यावश्यकता क्या थी। पहले अध्यादेश को पिछले सत्र में प्रतिस्थापित कर अधिनियमित क्यों नहीं किया गया? उसे पुनः प्रख्यापित किए जाने की क्या अत्यावश्यकता थी? अध्यादेश को प्रख्यापित किए बिना इस सभा में विधेयक क्यों नहीं लाया गया है? मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, इस विधेयक को राज्य सभा में पेश किया गया था। परन्तु जब इस पर चर्चा हुई तो कतिपय सुझाव दिए गए। इसके फलस्वरूप, यह महसूस किया गया कि हम देश के सुरक्षा पहलुओं पर विचार करते हुए इस विधेयक में संशोधन करेंगे। समय की कमी के कारण हम इसे उस तरह पारित नहीं कर पाए जैसा हम चाहते थे और, इसीलिए, इसे अध्यादेश के रूप में वापस लाना पड़ा। यदि सभा इस पर चर्चा करे और इसे पारित करे, तो हम अत्यधिक आभारी रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक प्रश्न पूछा है।

श्री उमर अब्दुल्ला : मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, अब उत्तर देने का अधिकार आपका है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सांविधिक संकल्प वापस ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री आचार्य द्वारा रखे गए **सांविधिक संकल्प को वापस** लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पासपोर्ट **अधिनियम**, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 18 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 मार्च, 2002/27 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/23/12/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।